Monday, 21 April, 1975

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On ...-9-92
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

25 LSS/75—1.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37, सोमवार, 21 अप्रैल, 1975/1 वैशाख 1897 (शक)

No. 37, Monday, April 21, 1975/Vaisakha 1, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
भारतीय उपग्रह के छोड़े जाने पर बधाई	Congratulations on Launching of Indian Satellite	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 711, 712, 714, 717 और 718	*Starred Questions Nos. 711, 712, 714 717 and 718	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 713, 715, 716 और 719 से 730	Starred Questions Nos. 713, 715, 716 and 719 to 730	17
अतारांकित प्रश्न संख्या 6878 से 6935, 6937 से 6943, 6945 से 6953, 6955 से 6957, 6959 से 7039 और 7041 से 7077	Unstarred Questions Nos. 6878 to 6935, 6937 to 6943, 6945 to 6953, 6955 to 6957, 6959 to 7039 and 7041 to 7077	31
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	151
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	152
चावल का वसूली मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी कथित भेदभाव पूर्ण नीति	Reported discriminatory policy in fixation of procurement price of rice	152
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	152
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Anna Saheb P. Sindhe .	152
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	158
60 वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया।	Sixtieth Report presented	158

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign +marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
लोक लेखा समिति--	Public Accounts Committee	158
155वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया।	Hundred and Fifty-fifth Report presented	158
गंगा नदी के जल के सम्बन्ध में ढाका में हुई वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement re. Talks held in Dacca on Ganga Waters	160
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram . .	160
8 अप्रैल, 1975 को गृह मंत्री द्वारा कलकत्ता में हुई घटनाओं के बारे में दी गई कतिपय जानकारी के सम्बन्ध में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member re. Certain Information given by the Home Minister on 8th April, 1975 re. Incidents in Calcutta	162
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	162
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy .	163
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee .	163
समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण	Marine Products Export Development Authority	163
संविधान (38वां संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	Constitution (Thirty-eighth Amendment) Bill—Introduced . . .	164
इलाहाबाद की घटनाओं के बारे में	Re. Incidents at Allahabad . . .	165
फार्मास्यूटिकल्ज वर्कर्ज और मैडिकल रीप्रिजेन्टेटिव्ज की मांगों के बारे में	Re. Demands of Pharmaceutical Workers and Medical Representatives .	166
आटा मिलों के बन्द किये जाने की संभावना के बारे में	Re. Possible Closure of Flour Mills	167
अनुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants 1975-76	168
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence .	168
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	168
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	168
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Virender Singh Rao	169
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga .	170
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	170
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh . . .	172
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan .	172
श्री सांगलियाना	Shri Sangliana .	173
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	173
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	174
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	175
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula	175
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	176

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce	185
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	185
श्री सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	193
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member .	183
प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re. Successful Launching of the First Indian Satellite . .	184
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	184
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion . .	194
महाराष्ट्र--कर्नाटक सीमा विवाद--	Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute	194
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . .	194
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	198

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 21 अप्रैल, 1975/1 वैशाख 1897 (शक)

Monday, April 21, 1975/ Vaisakha 1, 1897 (Saka)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the chair]

भारतीय उपग्रह के छोड़े जाने पर बधाई

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मैं आपसे अपने उपग्रह 'आर्यभट्ट' के छोड़े जाने की सफलता के लिये अपने वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : मैं इसका समर्थन करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : हम अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। प्रधान मंत्री 5.30 बजे एक वक्तव्य देंगी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answer to Questions

बीजों के प्रमाणीकरण के बारे में शिकायतें

711.† **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री. डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजों के प्रमाणीकरण के बारे में किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खरीफ, 1974 के दौरान महाराष्ट्र में बेचे गये प्रमाणित बीजों की क्वालिटी के संबन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि विस्तृत जांच करने से पता चला है कि वास्तव में बीजों की क्वालिटी घटिया नहीं थी। कुछ मामलों में कृषि जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही बीज अच्छी तरह नहीं उग सके। परन्तु, समिश्रित संकर ज्वार के विक्रय के एक मामले में बीज मानक के अनुसार नहीं थे। इस मामले की आगे और जांच की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शिकायतें महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र से आई हैं अथवा विभिन्न क्षेत्रों से और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शिकायतें केवल महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं अथवा अन्य राज्यों से भी ? यदि हां, तो वे राज्य कौन कौन से हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैंने इस बारे में सभी राज्य सरकारों से पूछा था। दुर्भाग्यवश, हमें महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों से कोई उत्तर नहीं मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने लिखा है कि ऐसे बीजों के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं जो महाराष्ट्र सरकार और कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सप्लाई किये गये थे।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : यदि एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं तो अवश्य ही कुछ त्रुटि होनी चाहिये। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बीज उद्योग के लिये 120 रुपये की कोई केन्द्रीय क्षेत्र योजना है ? क्या इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को अच्छे किस्म के बीजों के वितरण में कोई त्रुटि न हो ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं, क्योंकि बीज हमारे कृषि विकास का आधार है और जब तक अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध नहीं होंगे तब तक कृषि का विकास नहीं होगा। अतः बीज उद्योग के विकास का एक कड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहां तक कि कतिपय सरकारी विकास निगमों को विश्व बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। समूचे कार्यक्रम में जो त्रुटि है उसकी हमें जानकारी है। हम त्रुटि दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री डी०डी० देसाई : माननीय मंत्री ने अच्छे बीजों की महत्ता का उल्लेख किया है और राष्ट्रीय बीज निगम और इसके प्रमाणीकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं। क्या सरकार आधार तथा गुणात्मक बीजों के उत्पादक के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों को प्रमाणीकरण सुविधाओं से पृथक करने की कार्यवाही पहले से ही करने जा रही है, विशेष रूप से जबकि कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थान के पास भी प्रमाणीकरण के लिये प्रयोगशालायें और सुसज्जित सुविधायें हैं, ताकि राष्ट्रीय बीज निगम के एक उत्पादक, विक्रेता और प्रमाणक के रूप में तथा उन सभी एजेंसियों के बीच हितों का टकराव न हो जो अधिकाधिक बीजों का उत्पादन और सप्लाई करती हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह भी सत्य है कि शिकायतें केवल राष्ट्रीय बीज निगम के विरुद्ध ही नहीं हैं, अपितु इस क्षेत्र में अनेक राज्य एजेंसियां भी हैं। हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीजों का उत्पादन और विपणन प्रमाणीकरण एजेंसियों से सर्वथा पृथक किया जाना चाहिये। प्रमाणीकरण एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहियें, ताकि वे उत्पादकों अथवा विपणन संगठनों से न मिलें। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस संबंध में राज्य सरकारों ने हमारी सलाह नहीं मानी है। हम राज्य सरकारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यों में स्वतंत्र प्रमाणीकरण एजेंसियां स्थापित की जायें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Honourable Minister has stated that some institutions are being run by the State Governments and they have no coordination with Centre. What action is being taken by Government to ensure coordination between them so that relation are improved and the State Governments accept the advice of the Centre, so that good quality seeds are supplied to farmers and the complaints are removed? Just now you have stated that there is a future scheme. I want to know about that scheme and how much expenditure is likely to be involved there in.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : एक केन्द्रीय कानून है--बीज अधिनियम और इस सम्मानित सभा ने बीज अधिनियम का सोदार समर्थन किया है। वास्तव में हमारा कानून विश्व में सबसे आधुनिक कानून है। अतः इस हैसियत से संविधि का अभाव नहीं है। अन्य क्षेत्रों की भांति कार्यान्वियन में कुछ कमजोरियां है। हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। राज्य सरकारों ने निगम स्थापित किये हैं। किन्तु अनेक निगम नये हैं और जैसा कि मैंने बताया है प्रमाणीकरण एजेंसियां स्वतंत्र नहीं हैं। अब हम राज्य सरकारों को इसके लिये समझा रहे हैं। जहां तक यथार्थ धनराशि का संबंध है, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : किसान की चिन्ता का और उसके भोलेपन का लाभ उठाते हुए अनेक जाली प्राइवेट एजेंसी स्थापित हो गई हैं। गत वर्ष वारालक्ष्मी बीज 650 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया और फिर भी वह असली बीज नहीं था। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राज्यों में किसानों को उचित मूल्य पर अच्छा बीज सप्लाई किया जाये और इस कार्य के लिये बीज निगम विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जायें? क्या मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला सकता हूं कि विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसी बड़ी योजना को वित्तपोषण के लिये तैयार है? यदि हाँ, तो यह कब क्रियान्वित हो रही है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक माननीय मंत्री के प्रश्न के अंतिम भाग का संबंध है, आन्ध्र योजना लगभग तैयार ही है। इसे सहमति मिल चुकी है और आन्ध्र सरकार के बीज निगम की सहायता के लिये विश्व बैंक से काफी ऋण मिलने जा रहा है। यह सत्य है कि नकली बीज उत्पादक हैं जो बीजों की कमी का लाभ उठा रहे हैं। अब जबकि भारतीय किसान समुदाय में नये बीजों की जानकारी है, जोकि एक अच्छी बात है, कुछ बेईमान तत्व अपने लाभ के लिये इसका फायदा उठा रहे हैं। किन्तु बीज कानून के अंतर्गत ऐसे नकली तत्वों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जा सकती है जो घटिया बीजों का वितरण करके किसानों का शोषण करते हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : कर्नाटक सरकार आंन्ध्र सरकार को वारालक्ष्मी बीज 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रही है। क्या यह ऊंची दर नहीं है? फिर भी एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को इस कीमत पर बेच रही है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को सराहना करनी चाहिये कि लम्बे रेशे वाली कपास के लिये अब हमारे पास काफी मात्रा में अच्छे किस्म का बीज है। यह एक अच्छी बात है। हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिये। वास्तव में उत्पादन द्वारा इसने हमारी बहुत अधिक मदद की है। फिर भी कुछ कमजोरियां हैं और हमें इन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री डी०एन० तिवारी : जहां तक बीजों की किस्म का संबंध है, यह राजकीय फार्मों या गैर सरकारी व्यक्तियों की बात नहीं है। परन्तु केन्द्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये सब्जियों के बीज इतने खराब थे कि वे उगे ही नहीं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन बीजों का भलीभाँति प्रमाणीकरण हो।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : बीजों के प्रमाणीकरण के लिये कतिपय प्रतिशत तक उगने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा बीज प्रमाणित नहीं है, चाहे यह सरकारी क्षेत्र की एजेंसी हो अथवा गैर-सरकारी एजेंसी। यदि यह परीक्षण संतोषजनक नहीं है, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

श्री डी०एन० तिवारी : जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं मैं कुछ फसलें उगाता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष उदाहरण हों, तो वह उसकी ओर मेरा ध्यान दिला सकते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : हमने बीज निगम का ध्यान इसकी ओर दिलाया है कि 40 प्रतिशत बीज उगते नहीं हैं। यहां तक कि सरकारी एजेंसियां भी उनसे नहीं खरीदती हैं। वे गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीदती हैं क्योंकि वे बेकार हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनसे कोई गलती नहीं होती हैं किन्तु अधिकांशतः बीज उत्पादन कार्यक्रम वास्तव में बहुत प्रगति पर हैं और उसका प्रभाव भी अच्छा है।

श्री पीलू मोदी : मुझे मंत्री महोदय को एक ओर यह कहते सुनकर आश्चर्य हुआ है कि किसानों को अच्छे बीजों की जानकारी है और दूसरी ओर बेईमान लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि किसानों को इसकी जानकारी है। किन्तु सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं है कि प्रमाणित बीज कृषि में एक मुख्य सामग्री हो गई है और इसलिये एक ऐसी योजना होनी चाहिये कि वारालक्ष्मी 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने अथवा मद्रास से आने वाले एक नये बीज को 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने के बजाय प्रमाणित बीज आसानी से उपलब्ध हों ? अतः सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रमाणित बीज कारगर सिद्ध हों। क्या आपका विचार कोई ऐसी योजना आरंभ करने का है जिससे सरकारी प्रमाणित बीज के कारगर सिद्ध न होने पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं रिकार्ड सही रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम सबसे बड़ा बीज उत्पादन कार्यक्रम गेहूं के मामले में हैं और मुझे कहना चाहिये कि राज्य सरकार की एजेंसियों और राष्ट्रीय बीज निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और यहां तक कि राज्य सरकारों को भी गेहूं और चावल के मामले में कोई बड़ी शिकायतें नहीं हैं। बाजरा, चना आदि के मामले में उत्पत्ति संबंधी समस्याओं जैसे कतिपय अन्य कारण हैं। जिन्हें वैज्ञानिक हल करने में सफल नहीं हुए हैं। सोरधम के साथ भी यही समस्या है और सब्जियों के बारे में भी समस्या है किन्तु इसके कारण मैं नहीं समझता कि हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिये कि स्थिति आशाप्रद नहीं है। वास्तव में बीज उत्पादन कार्यक्रम ने हमारे कृषि उत्पादन कार्यक्रम को काफी शक्ति और सहायता प्रदान की है।

श्री पीलू मोदी : गुजरात के किसानों को बीज प्राप्त करने के लिये मद्रास जाना पड़ता है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : हम स्वयं किसान हैं और मैं जानती हूं कि आन्ध्र प्रदेश के किसानों को नकली बीज सप्लाई किये गये हैं। जैसा हमारे मित्र ने बताया कि वारालक्ष्मी में 50 प्रतिशत नकली बीज मिलाया गया और किसानों ने निराश होकर इन पौधों को तोड़कर उन एजेंसियों के दरवाजे पर फेंक दिया जिन्होंने उन्हें नकली बीज सप्लाई किये थे। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि नकली बीज सप्लाई किये जाते हैं। वह इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि यह एक दण्डनीय अपराध है अतः ऐसी कितनी एजेंसियों के विरुद्ध आपने कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे खुशी है कि महिला सदस्य भी बीज उत्पादन कार्यक्रम में रुचि ले रही हैं। मैं केवल यह कहता हूं कि वारालक्ष्मी भी वास्तव में बहुत सफल रहा है किन्तु यदि असफलताएं हुई हैं और वे हमारे ध्यान में लायी जायें तो हम राज्य सरकारों से कार्यवाही करने को कह सकते हैं।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : आन्ध्र प्रदेश के संसद् सदस्यों की बैठक में मैंने मुख्य मंत्री और वहां उपस्थित अधिकारियों का ध्यान इसकी ओर दिलाया था परन्तु मैं समझती हूं कि इनमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह प्रत्येक राज्य में होता है जहां वे कपास के बीज उगा रहे हैं। यह केवल मेरे ही राज्य में नही होता है।

श्री रामगोपाल रेड्डी : यह ऐसा मामला है जिस पर तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के कारण चुप था, लेकिन आप आगे बोलती ही जा रही हैं।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : जबकि सभी व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, महिलायें ही कृषि कार्य करती हैं। उनको क्षति पहुंच रही है। अतः जहां तक बीज उत्पादन का सवाल है, महिलाओं के बिना काम नहीं चल सकता।

दिल्ली के लिये पेय जल

*712. **श्री एच०के०एल० भगत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली के लिये कुल कितनी मात्रा में पेय जल की सप्लाई की जा रही हैं; और

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान पेय जल की अनुमानतः कितनी आवश्यकता होगी और पेय जल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) 1930 लाख गैलन प्रतिदिन।

(ख) 1980 तक दिल्ली की 60 लाख की प्रत्याशित जनसंख्या के लिये जल की कुल आवश्यकता 60 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 360 एम०जी०डी० होगी।

जल संसाधनों को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित तीन परियोजनायें प्रगति पर हैं :—

(1) पश्चिम यमुना नहर तथा दिल्ली टेल डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग करना तथा हैदरपुर हैड वर्क्स की स्थापना करना।

(2) ओवर हैड वर्क्स के साथ अपर गंगा नहर से जल ले जाने के लिये कंड्यूट का निर्माण।

(3) 3 और रैनी कुओं का निर्माण। इस से दिल्ली को 200 एम०डी०जी से अधिक अतिरिक्त जल प्राप्त होगा।

श्री एच० के० एल० भगत : मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली के लिये 200 एम० जी० डी अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। मैं जानना चाहता हूं कि हैदरपुर हैडवर्क्स कब तैयार होगा। रामगंगा या अपर गंगा नहर परियोजना कब तक पूरी हो जाने की आशा है। तीन रैनी कुएं कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है? जल की इस अतिरिक्त सप्लाई के परिणामस्वरूप कमी वाले या अभाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त 'वाटर मेन' लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इससे वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ है? इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है और ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जाने की आशा है?

श्री के० रघुरामैया : जहां तक हैदरपुर हेडवर्क्स का सम्बन्ध है, इस परियोजना के 1978 के आरंभ में पूरी हो जाने की आशा है। अपर गंगा नहर का कार्य 1979 तक पूर्ण होने की आशा है। वितरण व्यवस्था के बारे में मैं सभा को बताना चाहूंगा कि वितरण व्यवस्था को नया रूप देने का कार्य भी साथ-साथ आरंभ किया जा रहा है। इस कार्य को करने वाले देशी परामर्शदाताओं से टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। आशा है कि यह कार्य अलाट करने के बाद कार्य पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय लग जायेगा।

श्री एच० के० एल० भगत : जब नगर निगम को तोड़ दिया गया है और जलपूर्ति का प्रभार उसे सौंपा गया है तो सरकार ने जल प्रदाय संस्थान के प्रशासन में कार्य कुशलता लाने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है? केवल नौकरशाहीकरण काफी नहीं है। दिल्ली की गरीब जनता का इस संस्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

सरकार जनता के वास्तविक कष्टों को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है विशेषकर उस जनता के जो झुग्गी झोंपड़ियों में, अनाधिकृत कालोनियों में और गांवों में रहती है जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त है। दिल्ली की जनता के वास्तविक कष्टों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री के० रघुरामैया : जिन लोगों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है हम उन्हें जल उपलब्ध कराने के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जहां तक इन लोगों को जल उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है जब निगम पानी के बड़े नल बिछा देगी उन्हें पानी दिया जायेगा 39 स्थानों पर पानी के पाइप बिछाने के लिये धनराशि दी जा चुकी है। 10 स्थानों पर पानी के पाइप बिछाये जा चुके हैं शेष 29 में इस दिशा में कार्य हो रहा है।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि गोल डाकखाना के सामने चेम्बरी संख्या 4 के सर्वेन्ट क्वाटरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है। इस स्थान पर 50-60 घर हैं किन्तु वहां एक भी नल नहीं है। सेन्ट्रल विस्ल मैस और लक्ष्मीबाई

नगर की क्या स्थिति है यहां पर पहली मंजिल पर पानी नहीं पहुंचता। बहुत कम पानी आ रहा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किये गये है क्योंकि यह कालोनियां दिल्ली के बीचों-बीच हैं ? मैं यह जानना चाहती हूं कि झुग्गी झोंपड़ी की जनता के अतिरिक्त और क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं जहां पर बहुत झुग्गी झोंपड़ियां हैं वहां दो या तीन ही नल लगे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सामान्य था आप स्थान विशेष के बारे में प्रश्न पूछ रही हैं। अगर मंत्री जी के पास सूचना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है

श्री के० रघुरामैया : आपने यह ठीक कहा है कि विशेष जानकारी के लिये अलग से नोटिस देना होगा।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : किन्तु प्रश्न पीने के जल से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बता सकते हैं तो इसकी इन्हें सूचना दे दीजिये वरना इसका उत्तर देना इतना आवश्यक नहीं है।

श्री के० रघुरामैया : मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जब आपके पास सूचना आ जाये तो आप इन्हें बता दीजिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Water is available in plenty in winter season but they need less water. Water is needed more in Summer Season but it is found less in quantity in rivers. tanks and wells. Whether in view of this, the Government have made any scheme to make available more water to the people during Summer Season. When the three Schemes mentioned by the honourable Minister will be implemented and the expenditure likely to be incurred on them ? Whether these Schemes are being Complemented by the Central Government or through the Delhi Administration and who will start the work, they or the Corporation. I want to know the amount of economic aid to be given by the Central Government for the purpose.

श्री के० रघुरामैया : जहां तक पीने के जल का सम्बन्ध है दिल्ली नगर निगम समूची दिल्ली को यह उपलब्ध कराती है। जहां तक पानी के व्यर्थ जाने का सम्बन्ध है मैं जनता और विशेषकर माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस बात में हमारी सहायता करें कि पानी का मितव्ययता से प्रयोग हो और पानी को व्यर्थ न बहाया जाये।

Shri Ram Sahai Pandey : Since my honourable friend has become Minister of this department, this is the first Summer Seasson and the position of Delhi is this that taps are there but water is not available. In the Jhuggis and Jhoopries, as pointed out by Shri Bhagat, neither the taps have been installed nor Water is available there. Lakhs of people have to walk long distaneces to fetch Water. Wherever public taps have been installed, they are always over-crowded. People quarrel for water among themselves and sometime even murders are committed over water. What are the steps proposed to be taken to increase the per capita water supply keeping in view the increasing population ? My honourable friend is a very good Minister.

श्री के० रघुरामैया : माननीय सदस्य ने कहा है कि जब से मैं मंत्री बना हूं दिल्ली में पानी का अभाव हो गया है। किन्तु मेरे से पहले मंत्री महोदय के साथ भी यही कठिनाई थी।

जल के अभाव के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जल अभाव की शिकायत बहुत समय से हो रही है मेरे मंत्री बनने से पहले से भी यह शिकायत की जा रही थी। राम किशन पुरम के भाग, मोती बाग के भाग, मालविया नगर, श्री निवासपुरी और जनकपुरी शहर के अन्त में है और ऊंचाई पर

स्थित हैं कभी-कभी जल का अभाव हो जाता है। मैंने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हम इस समय केवल 1930 लाख गैलन जल ही प्रतिदिन सप्लाई कर सकते हैं जबकि जल की आवश्यकता 2820 लाख गैलन प्रतिदिन की है जिसके अनुसार प्रनि व्यक्ति 60 गैलन जल मिलेगा।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : दिल्ली का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। केवल जल की मात्रा में वृद्धि करने का ही नहीं बल्कि स्वच्छ जल सप्लाई करने की भी आवश्यकता है। शहर का गन्दा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है। जब भी हम जल पीते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम गन्दे नाले का पानी पी रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जल को अधिक स्वच्छ बनाने के लिये कोई योजना है और क्या वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गन्दे पानी को यमुना नदी में न छोड़ा जाये।

श्री के० रघुरामैया : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले वजीराबाद और ओखला वाटर वर्क्स के स्थान पर यमुना जल के दूषित होने की शिकायत आई थी। वजीराबाद वाटर वर्क्स के स्थान पर यमुना में मिलाने वाले जल की समस्या का समाधान कर लिया है उसके लिये डेढ़ लाख रुपये व्यय करके एक बराज का निर्माण किया गया है। वजीराबाद बराज पर गन्दा पानी यमुना में नहीं मिलता और इस स्थान पर पानी उत्तम किस्म का होता है।

Shri Shashi Bhushan : Janakpuri is the biggest Colony in the whole of Asia where about 2½ lakhs of people are living. Arrangements for Supply of water to this Colony have not been made. Government are constructing big Colonies but they do not provide water facilities to them. What are the arrangements being made for the purpose ?

श्री के० रघुरामैया : यह प्रश्न भी एक कालोनी विशेष से सम्बन्धित है अतः यह भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार का प्रश्न इस ओर से पूछा गया था।

Shri M. C. Daga : If there is Shortage of filtered water, there is equally Shortage of unfiltered water also. Unfiltered water is used for watering the Kitchen Gardens and lawns and when it is in short supply, filtered water is used for Watering the plants. Whether the honourable Minister will make arragnements to increase the quantity of unfiltered water So that the people could get more filtered water. Members of Parliament residing in Meena Bagh have not been Supplied with drinking water. What arrangements are being made in this regard ?

श्री के० रघुरामैया : पीने के जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से चावल का आयात

***714. श्री के० एम० मधुकर :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को चावल देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पी० एल० 480 के अधीन चावल की सप्लाई के लिए अमरीकी सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं किया था । तथापि, दोनों सरकारों में भारत को एक लाख मी० टन चावल सप्लाई करने की सम्भावना पर कुछ विचार-विमर्श हुआ था । यह निर्णय हुआ था कि करार में चावल की सप्लाई को सम्मिलित न किया जाए । 20 मार्च, 1975 को सम्पन्न हुआ अन्तिम करार केवल 8 लाख मी० टन गेहूं की सप्लाई के लिए था ।

Shri K.M. 'Madhukar' : What a shameful matter it is that even after so many years of Independence we beg foodgrains from Amercia. That Country is against us. She is interfering in our Independence, building military base in Indian Ocean and supplying arms to Pakistan. Despite this you went to America to negotiate the supply of rice to this Country. Was it not possible to have talks with other Countries for the supply of rice ? What are the names of other Countries from which you made enquiries in this regard and with what results ?.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो उद्‌गार अभिव्यक्त किये हैं मैं उनको उचित नहीं समझता । अन्य विषयों के बारे में हमारे अमरीका से मतभेद हैं और इस सम्बन्ध में हमने कड़ा रूख अपनाया है । राष्ट्रीय हित में चीन और रूस जैसे देश भी अमरीका से अनाज खरीदते हैं पर जहां तक राष्ट्रीय हित का सम्बन्ध है हम अमरीका समेत सभी देशों से खरीदारी करते हैं । अमरीका या अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर इस का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

Shri K.M. 'Madhukar' : Which are the other countries with which talks were held for the purchase of rice and the results achieved therefor ?.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम बर्मा, थाइलैंड और मिश्र से चावल खरीदने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं । पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है । अन्तराष्ट्रीय मूल्य बहुत ऊंचे हैं और इसलिये हमें कुछ कठिनाई हो रही है । यहां तक कि उपलब्धता की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है ।

Shri K.M. 'Madhukar' : Whether Government have given a thought to the question of boosting rice production as has been done in the case of wheat production so that rice is available in the Country itself and we may not have import this item from abroad ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम उत्पादन कार्यक्रम पर ध्यान दे रहे हैं और चावल के उत्पादन में वस्तुतः वृद्धि हुई है । इस वर्ष कुछ कठिनाई है क्योंकि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे चावल पैदा करने वाले राज्यों में भीषण सूखा पड़ा है । इसी कारण चावल के उत्पादन को आघात पहुंचा है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उड़ीसा तथा अन्य चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 1975-76 के लिए चावल की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर लिया है और अगर हां, तो वस्तुतः कितनी कमी रहेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह प्रश्न चावल के आयात के बारे में है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है जिससे कि चावल का आयात किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न मत पूछिये जिसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध न हो ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार कितना चावल आयात करना चाहती है अमरीका से नहीं तो अन्य देशों से।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । अन्य प्रश्न करना आवश्यक नहीं है । प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या अमरीकी सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री समर गुह : क्या अनाज के आयात सम्बन्धी नीति से यह आशय निकाला जा सकता है कि चावल का आयात शनैः शनैः समाप्त होता जा रहा है ; पिछले वर्ष यह लगभग शून्य था......

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में यह जानकारी मांगी गई है कि क्या अमरीका ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को चावल देने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, कि अन्य मामले क्यों उठाये जा रहे हैं।

श्री समर गुह : ठीक है । मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है । मैं तब इस बात को उठाऊंगा ।

चावल के व्यापार का सरकारीकरण

717. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही चावल के व्यापार को अपने अधिकार में लेने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1973 में चावल के थोक व्यापार को लेने के प्रश्न पर राज्य के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था और यह विचार किया गया कि यह राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि वे स्थानीय चल रही स्थितियों की दृष्टि में अपने सर्वोत्तम अनुकूल अधिप्राप्ति की प्रणाली अपनाएं। जो राज्य सरकारें 1973-74 के खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती थीं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, असम की राज्य सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया था।

1974-75 के खरीफ मौसम के शुरू में इस प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों/खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में फिर विचार किया गया था और उसी नीति को चलने देने का निर्णय लिया गया था।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : विवरण में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने चावलों के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है ; असम सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है और सरकार अब भी वही नीति अपनाना चाहती है। क्या मंत्री जी बतायेंगे

कि केन्द्रीय पूल में चावल की कमी के कारण भिन्न राज्य सरकारों द्वारा पिछले दो वर्षों में चावल के लिए की गई मांग सरकार पूरी नहीं कर पायी है और यदि हां, तो क्या सरकार इस संबन्ध में अपने वर्तमान रवैये पर पुनर्विचार करेगी और इस बाबत एक केन्द्रीय नीति अपनायेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमने मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर लिया है और अलग राज्यों के मुख्य मंत्रियों के इस बारे में अलग-अलग विचार हैं। चावल की कमी, संगठनात्मक ढांचे आदि को दृष्टिगत रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य सरकारों को यह विकल्प देना ही ठीक होगा कि वे जो तरीका उचित समझे उसे अपनाएं जिसमें चावल के थोक व्यापार के सरकारीकरण की बात भी शामिल है ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है । महोदय मैं आपका ध्यान एक अन्य वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो प्रश्न संख्या 720 के उत्तर में इन्हीं मंत्री जी द्वारा दिया गया था। उसमें सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वह राज्यों को चावल देने में बुरी तरह असफल रही है । मैंने उस विवरण को पढ़ा है और मैं यह कह सकता हूं कि सरकार बिना अपवाद के सभी राज्यों को चावल देने में असफल रही है । सरकार इस बात का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकती है कि संगठनात्मक कठिनाइयां हैं और मतैक्य नहीं है इसलिये उसने इसे राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया है? समस्या की महत्ता को देखते हुए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि साहसिक कदम उठाने में कौन सा रोड़ा अटक रहा है जिससे कि लोगों को भूख से मरने से बचाया जा सके ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं नहीं समझता कि सरकारीकरण का अनाज की वसूली के साथ वस्तुतः कोई संबन्ध है। इस वर्ष सूखे के कारण देश के प्रमुख चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों में उपज काफी कम हुई है। तथापि चावल की वसूली इस वर्ष भी लगभग गत वर्ष के बराबर हुई है क्योंकि इस दिशा में राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार ने निश्चित प्रयत्न किये हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति तथा कमी को देखते हुये तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मई के आरम्भ में समस्या और भी गम्भीर रूप धारण कर लेगी, क्या सरकार ने चावल पैदा करने वाले राज्यों की चावल की आवश्यकता का अन्दाजा लगाया है और यदि हां, तो उनकी मांग को कैसे पूरा करने का विचार है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे: हम राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं और हमने उनकी आवश्यकता का मोटे तौर पर अन्दाजा लगाया है। जहां चावल की कमी है, हम राज्य सरकारों की उचित मांग को गेहूं के बदले चावल दे कर पूरा कर रहे हैं । जहां तक उचित मांग का प्रश्न है हम उनकी मांग में अधिक कटौती नहीं कर रहे हैं चाहे वह केरल हो या उड़ीसा या तमिलनाडु। हम इन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में चावल भेज रहे हैं ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य: मंत्री जी ने जबाव दिया है कि यद्यपि राज्यों ने चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की प्रणाली नहीं अपनाई है, तथापि राज्य सरकारों की मांग की पूर्ति के लिये चावल उपलब्ध न होने का कोई अवसर नहीं है । मेरा अभिप्राय यह है कि सब कुछ उत्पादन पर ही निर्भर नहीं है । आम जनता को चावल की उपलब्धि स्टाक-स्थिति पर निर्भर है । पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष वसूली का लक्ष्य पांच लाख टन रखा गया था। पर अब तक दो लाख टन भी वसूल नहीं हो पाया है । इसके फलस्वरूप राशन व्यवथा में व्यवधान पैदा होने की संभावना है, शहरी क्षेत्रों में संशोधित राशन व्यवस्था की बात तो अलग रही ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे: : यह प्रश्न संगत नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यह बात कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में राशन व्यवस्था भंग होने वाली है सही नहीं है। हम पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में गेहूं भेज रहे हैं। आज मैंने मूल्य स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में अनाज का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण कई अन्य राज्यों के मुकाबले वहां की स्थिति बहुत अच्छी है।

श्री बी० बी० नायक : श्री चन्द्रप्पन ने प्रश्न संख्या 720 के उत्तर का उल्लेख पहले ही कर दिया है। मैं आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 720 के उत्तर में दिये गये जवाब का उल्लेख करता हूं। उसमें कहा गया है कि गेहूं या चावल या अनाज की मांग जरूरत से अधिक होती है। पर यदि सप्लाई अधिक है तो इसका परिणाम अधिक मांग नहीं होता। जब आप अपनी नीति इस प्रकार के दोषपूर्ण आधारों पर निश्चित कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या प्रश्न पूछूं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे यह प्रश्न तब पूछें जब प्रश्न संख्या 720 लिया जाये।

श्री बी० बी० नायक : माननीय अध्यक्ष तब मुझे अनुमति नहीं देगें। इसलिए कृपया उसका जबाव अभी दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा यह अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती रोजादेश पाण्डे : मंत्री जी ने दावा किया है कि वसूली अच्छी हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि वह कितना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? किन-किन राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं? क्या आसाम की तरह किसी अन्य राज्य ने भी चावल का व्यापार सरकारी नियंत्रण में ले लिया है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : केवल असम ही ऐसा राज्य है जिसने चावल का व्यापार अपने हाथ में लिया है। वहां भी पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत कम वसूली हुई है। इससे मेरे इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि वसूली का वसूली के तरीकों पर निर्भर नहीं है। जहां तक अन्य प्रश्न का संबन्ध है मुझे खेद है कि वह इस प्रश्न की व्याप्ति में नहीं आता।

श्री धरनीधर दास : आप ऐसे राज्य को हतोत्साहित कर रहे हैं जो अनाज के व्यापार को अपने हाथ में लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राष्ट्रीय नीति को अमल में लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं। . . . . .

श्री डी० बसुमतारी : वह प्रॉक्योरमेंट को-आपरेटिव के सभापति हैं।

श्री धरनीधर दास : असम में असम सहकारी विपणन समिति के अलावा केन्द्रीय सरकार का भारतीय खाद्य निगम भी कार्य कर रहा है। क्या भारतीय खाद्य निगम ने वसूली का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मेरे पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि राज्य एजेंसी ने कितनी वसूली की है और भारतीय खाद्य निगम कितनी वसूली करने में सफल हुआ है। वसूली केवल खाद्य निगम के प्रयासों पर निर्भर नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार खाद्य निगम को अधिक उपज वाले जिले नहीं दिये गये। मैं किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहता हूं। पर वसूली राज्य सरकार पर ही निर्भर है।

श्री धरनीधन दास : असम ही केवल ऐसा राज्य है जिसने चावल का व्यापार अपने हाथ में लिया है। उसे केन्द्र को सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए थी। पर खाद्य निगम असम अपेक्स विपणन समिति से काफी पीछे है। वे आपस में लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य निगम अपना लक्ष्य प्राप्त करे इसके लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी टी० कान्तम्मा : क्या राज्य सरकार...

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया है, मदाम ! आप प्रत्येक प्रश्न में हस्तक्षेप करना चाहती हैं ? श्री शंकर दयाल सिंह ।

GRANTS TO CENTRAL UNIVERSITIES

***718 Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** be pleased to state the number of Central Universities in the country at present and the amount of grants each of them has been receiving during the last three years; year-wise ?.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : इस समय सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विश्वविद्यालय का नाम	1972-73		1973-74		1974-75	
	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योंजनेत्तर
						(रुपये करोड़ों में)
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1.21	2.42	0.86	2.66	1.07	4.18
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संबद्ध कालेजों को छोड़ कर)	2.13	3.10	2.29	3.39	1.77	5.29
दिल्ली विश्वविद्यालय कालेजों सहित	3.48	4.06	3.43	4.25	1.32	9.42
हैदराबाद विश्वविद्यालय	—	—	—	—	0.10	—
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	1.61	0.19	1.85	0.21	1.75	1.30
उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (संबद्ध कालेजों को छोड़कर)	—	—	0.10	—	0.50	—
विश्व-भारती	0.13	0.72	0.18	0.83	0.20	1.13

टिप्पणियां :— (1) वर्ष 1974-75 के अनुदानों के आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि उस वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(2) हैदराबाद विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिये गये हैं ; उनमें इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अपेक्षित धनराशियां सम्मिलित हैं, जबकि अन्य चार विश्वविद्यालयों को अनके अनुरक्षण एवं विकास के लिए अनुदान दिये गये हैं।

(3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, उन्हें जो अनुदान दिये जाते हैं, उनमें उन मदों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंशदान भी सम्मिलित होता है जिनके लिए राज्य सरकारों को राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में समतुल्य भाग प्रदान करने की आशा होती है ।

(4) वर्ष 1974-75 के दौरान जो योजनेत्तर अनुदान दिये जाते हैं, उनमें अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के वेतनमानों में हुए संशोधन के परिणाम स्वरूप हुए खर्च को शामिल करने तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के लिये अनुदान भी शामिल हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Spekear, Sir, it is seen from the U.G.C. report that there are about 90 universities and 7 central universities in the Country. The figures of grants for the last three years show that the grants being given to 90 universities are limited to a few lakhs of rupees whereas grant to the tune of crores of rupees is being given to central universities despite the fact that indiscipline, groupism and lack of national character have been prevailing in the Jawahar Lal University, Kashi Hindu University, Aligarh University, Vishwabharati etc. which is a matter of serious concern for the country and for education. In this context I would like to know from the Government whether, in view of growing indcipline, groupism and want of character in tnese educational institutions, their grants will be reduced to some extent and whether grants to such universities will be stopped as remain closed for six or eight months in a year ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : माननीय सदस्य की यह धारणा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा पिछले तीन वर्षों में अधिक समय के लिये बन्द रहे सही नहीं है। वास्तव में जैसा कि मैंने अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया है, ये विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा कम समय के लिये बन्द रहे।

मैं अनुशासन में वृद्धि के बारे में माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं पर मैं नहीं समझता कि इन कारणों से किसी विश्वविद्यालय की शैक्षिणिक आवश्यकताओं और जरूरतों की उपेक्षा करना ठीक होगा इन कारणों का अन्यथा सामना करना होगा।

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, Sir, central universities have been discussed in this House many times. The House will recollect that discussions have been held here in this session on the incidents those work place in the Kashi Hindu University and Jawahar Lal University. The grants being given to them reveal that Aligarh University had been given Rs. 2.42 crores under non-plan item during 1972-73 while a provision for Rs. 4.18 crores has been included for 1974-75. The Banaras Hindu University was given Rs. 3.10 crores under non-plan head during 1972-73 and a provision for Rs. 5.29 crores has been provided for 1974-75. He has said that Delhi University will be given a grant of Rs. 9.42 crores this year. Crores of rupees of the poor public are spent on these universities and the atmosphere prevailing there is well Known to all of us. Sir, we all know that we have not been able to meet the aims of education and the standard has been going down in these Universities depite the expenditure per student we are incurring on them. In view of these facts, may I know from the Minister whether he visited the Jawaharlal University and the Banaras Hindu University during the disturbances there which had to their closure and whether he had talks with the oficials, teachers and students there, and if so, the results achieved ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और यदि माननीय सदस्य इस पर आगे चर्चा करना चाहते हैं तो.......... **(व्यवधान)** :

Shri Shankar Dayal Singh : Whether he went there or not ? I would like to know the names of the Central Universities he has visited ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : ये विश्वविद्यालय एक संसद् के अधिनियम से शासित होते हैं। विश्व-विद्यालयों को कतिपय अधिकार दिये जाते हैं और कतिपय शक्तियां 'विजीटर' के पास होती हैं। इसलिये मेरे प्रिय मित्र की यह धारणा कि जब कभी वहां कोई गड़बड़ हो सरकार दौड़ पड़े अधिनियम के अधीन इस सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नही है।

Shri Shankar Dayal Singh : My question is very clear. I want to know the names of the Central Universities visited by the Union Education Minister. It is not wrong to ask this question and there is no question of lung power. There is also no question of the provisions of the Act. (*Intenuption*)

Mr. Speaker : You please sit down. You are alive because of lung power.

प्रो० एस० नुरूल हसन : महोदय, पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तो मैंने कहा था कि मैंने इन सभी विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया है।

श्री एस०एम० बनर्जी : अध्यक्ष जी, विवरण से पता चलता है कि दिल्ली के एक विश्वविद्यालय का उल्लेख नहीं है। उदाहरणार्थ जामियां मिलिया है जिसका कि अतीत गौरवपूर्ण रहा है और जिसकी गौरवपूर्ण परम्परा रही है। दुर्भाग्य से इसे अब भी विश्वविद्यालय आम माना जाता है। क्या इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया जायेगा? क्या वि०वि०अ० आयोग ने इसे अनुदान दिया है?

प्रो० स० नुरूल हसन : किसी विश्वविद्यालय को केवल संसद् ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है, न कि कोई संस्था। यदि माननीय सदस्य जामिया मिलिया के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हू।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। जब मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तभी सरकार कुछ करेगी। मान लो कि मैं संसद् में नहीं हूं......

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी, यह विवाद का प्रश्न नहीं है। यह तथ्यों का प्रश्न है।

श्री एस०एम० बनर्जी : कृपया एक मिनट के लिये मेरी बात सुनें। जामिया मिलिया को एक विश्वविद्यालय माना जाता है। अब अध्यापकों को भी केन्द्रीय वेतनमान दिये जाते हैं। मुझे खुशी है और मैं उन्हें बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह एक "माना" हुआ विश्वविद्यालय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक माने हुए विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में क्या अन्तर है? इस प्रश्न के उत्तर के लिये मैं आभारी हूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह प्रश्न उनकी ओर से पूछ रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस संस्था को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है ? उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न की व्याप्ति में नहीं आता। आप विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने यह कार्य या वह काम किया है।

श्री एस०एम० बनर्जी : महोदय, वहां अनेकों विदेशी छात्र आते हैं। उन्हें नुकसान क्यों हो ?

Mr. Speaker : He wants to know whether you propose to declare this institution a Central University.

Prof. S. Nurul Hasan : This is not the question of imagination. This is the question of facts.

श्री एन०के० पी० साल्वे : महोदय, क्या सभा के लिये यह अनुमान लगाना उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर जो भारी खर्च किया जा रहा है वह अन्य बातों के साथ-साथ .... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, डा० कैलाश आपकी ओर से शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको डा० कैलाश का उच्चारण करना भी नहीं आता।

श्री एन०के० पी० साल्वे : महोदय, इस सभा के लिये यह आशा करना उचित होगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जो भारी रकम खर्च की जा रही है उससे एक वातावरण तैयार होगा और ऐसे स्नातक प्रशिक्षित होंगे जो धर्मनिरपेक्ष सहित व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिकता के उन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिये क्या किया है जो बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में फैले हुए हैं और जिसके बारे में गजेन्द्र गडकर आयोग ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है ? यही स्थिति अलीगढ़ में भी है। साम्प्रदायिकता हर जगह खतरनाक होती है चाहे वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय। सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में विद्यमान साम्प्रदायिक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये कौन से विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करती है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी वर्ग इस बात को मानते हैं कि साम्प्रदायिकता के कीटाणु राष्ट्रीय स्वास्थ्य, सभी वर्गों, सभी विश्वविद्यालयों तथा समस्त शिक्षा संस्थाओं के लिये गम्भीर खतरा हैं। हम धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये संविधान के उपबन्धों के अधीन हमारे पास जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग करेंगे जिससे कि साम्प्रदायिकता के कीटाणुओं को नियंत्रित किया जा सके।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : विवरण से पता चलता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्ष 1972-73 का गैर-योजना व्यय 4.06 करोड़ था और 1974-75 में 4.25 करोड़ रुपये का। पर आज के इस आर्थिक संकट के दिनों में उसके लिये 9.42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो दुगुने से भी अधिक है ? क्या मैं जान सकता हूं कि इतने खर्च की क्या जरूरत है, दो विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्व-विद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव का क्या हुआ, जिनके बारे में सरकार 1972-73 के बाद कुछ नहीं कर पाई है ?

प्रो० एस० नुरूल हसन : महोदय, सदस्य के पहले मुद्दे के बारे में मैंने नोट में बता दिया है कि 1974-75 में गैर-योजना व्यय में कोई वृद्धि का कारण अध्यापकों और गैर-अध्यापक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में सदन को याद होगा कि अधिनियम 1974-75 में पारित हुआ। योजना बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् विस्तृत योजनाएं बना रहे हैं तथा उस पर व्यय होना इन योजनाओं के तैयार हो जाने पर ही आरम्भ होगा।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय पर कोई गैर-योजना व्यय नहीं है क्योंकि आम प्रक्रिया यह है कि एक योजना अवधि में जो व्यय योजना व्यय के भाग में लिया जाता है वह अगली योजनावधि में गैर-योजना खर्च में अन्तरित कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब समय अधिक हो गया है। आप संक्षिप्त में उत्तर दें कितना बाकी है।

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं आधा मिनट और लूंगा।

बात यह है कि इस विश्वविद्यालय ने पांचवी योजना अवधि में कार्य करना आरम्भ किया है इसलिये इस वर्ष कोई गैर-योजना व्यय नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तमिलनाडु में समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी अध्ययन

*713. **श्री था किरुत्तीनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या 'टुना' नामक एक विशेष प्रकार की मछली पकड़ने के लिये बहुत सी मछली पकड़ने वाली जापानी नौकाएं बंगाल की खाड़ी में आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं और तमिलनाडु में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण कर के, मछुओं को मशीनों से चलने वाली नौकायें प्रदान करके, समुद्र की सम्पत्ति के विदोहन के लिये क्या विशेष योजनाएं बनाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ)। इस समय तमिलनाडु के समुद्री तट के आस-पास औसतन 164,000 मीटरी टन मछलियां पकड़ी जा रही हैं, जब की 320,000 मीटरी टन मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। सरकार को इस बात का पता है कि जापान तथा अन्य देशों के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान बंगाल की खाड़ी के अगाध समुद्र में विशेषकर "टूना" मछलियों को पकड़ रहे हैं। हमारे सामुद्रिक जल की सीमा का उल्लंघन करने

पर उनको पकड़ने के लिये कार्यवाही की जाती है। सरकार इन संसाधनों का उपयोग करने के लिये टूना मछलियों के पकड़ने के जलयानों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों का प्रयोग प्रारम्भ करने, बन्दरगाहों की व्यवस्था करने, समन्वेषी सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण और भंडारण तथा विपणन की व्यवस्था करने के लिये भी कदम उठा रही है।

जहां तक तमिलनाडु में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का सम्बन्ध है, मद्रास में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की एक बन्दरगाह का निर्माण हो रहा है और तूतिकोरिन में मछली पकड़ने वाले मध्यम आकार के जलयानों के लिये एक बन्दरगाह का निर्माण हो रहा है। हाल ही में सरकार ने मल्लीपतनम में एक छोटी बन्दरगाह के लिये स्वीकृति दे दी है।

तमिलनाडु के पास 2000 से अधिक यंत्रीकृत नौकाएं हैं और पांचवीं योजना के दौरान 800 और यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग शुरू करने का विचार है। संस्थागत वित्त की सहायता से राज्य मात्स्यकी निगम इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उचित दर की दुकानों को लेवी चीनी की सप्लाई

*715. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में उचित दर की दूकानों को लेवी चीनी की सप्लाई करने का कार्य भारतीय खाद्य निगम को कब सौंपा गया था;

(ख) दिसम्बर, 1974 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम को कितनी चीनी दी गई;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 1974 तक प्रत्येक वर्ष, वस्तुतः कितनी चीनी सप्लाई की गई है;

(घ) कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस कमी को कब पूरा करेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में लेवी चीनी के थोक वितरण का कार्य पहली जनवरी, 1973 से सम्भाला था। उसे राज्य में 1973 और 1974 के दौरान वितरण करने के लिये निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थीं :—

वर्ष	आवंटित मात्रा (मीटरी टन)
1973	1,57,873
1974	1,45,124

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 1973 और 1974 में वास्तव में क्रमशः 1,52,691 और 1,36,222 मीटरी टन लेवी चीनी सप्लाई की थी।

(घ) कम सप्लाई होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैः--मिलों से खपत केन्द्रों के बीच लम्बी दूरी, वैगन प्राप्त करने में परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां, राज्य के नामितों द्वारा माल उठाने में देरी, आदि।

(ङ) निगम द्वारा सप्लाई स्थिति सुधारने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गन्ने की बकाया राशि

*716. **श्री एस० कताभुतु:**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों ने चीनी उद्योगपतियों से लगभग 100 करोड़ रुपये बकाया राशि के रूप में लेने हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी उद्योगपतियों से इतनी बड़ी राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) चालू मौसम के दौरान गन्ना उत्पादकों द्वारा मिलों को सप्लोई किये गए गन्ने की बकाया राशि 15-3-75 को लगभग 70.25 करोड़ रुपये बैठती है। इसमें उससे 14 दिन पहले सप्लाई किये गए गन्ने के मूल्य के लगभग 47.09 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

(ग) बकायों का भुगतान करवाने के लिये राज्य सरकारें जहां कहीं आवश्यक हो कानूनी कार्यवाही करने सहित सभी सम्भव पग उठा रही है।

गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलाने वाली परियोजना

*719. **श्री अरविंद एम० पटेल:**

***श्री एन०आर० बेकारिया:**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यह परियोजना कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना से देश को क्या लाभ या सुविधाएं प्राप्त होंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के विचाराधीन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलाशयों सहित ब्रह्मपुत्र-गंगा सम्पर्क के सम्बन्ध में हैं। अभी यह स्कीम एक विचार-मात्र है और भारत बंगला देश संयुक्त अध्ययनों तथा अनुसंधानों के आधार पर उसके ब्यौरों को अभी तैयार किया जाना है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारत और बंगला देश में जल की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कमी के महीनों में गंगा नदी के गैर-मानसूनी प्रवाह में वृद्धि करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत बहुद्देश्यीय विकास कार्य द्वारा दोनों देशों में सिंचाई, नौवहन और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ होने की आशा है।

राज्यों को गेहूं और चावल की आवश्यकता

*720. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों की कमी का सामना करने के लिये वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में राज्यवार अनुमानतः कुल कितने-कितने गेहूं और चावल की आवश्यकता होगी;

(ख) मार्च, 1975 के अन्त तक विभिन्न देशों से कुल कितना-कितना गेहूं और चावल प्राप्त हुआ; और

(ग) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों से कितने कितने गेहूं और चावल के आवंटन की मांग की गई तथा फरवरी, 1975 के अन्त तक उनको कितनी-कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में खाद्यान्नों की कमी का अनुमान, वर्ष विशेष में उत्पादन और मांगों के आधार पर लगाया जा सकता है। वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए गेहूं और चावल के उत्पादन सम्बन्धी पक्के अनुमान क्रमशः जुलाई-अगस्त, 1975 और जुलाई-अगस्त, 1976 में किसी समय उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर गेहूं अथवा चावल अथवा खाद्यान्नों की आवश्यकतायें काफी हद तक लचीली होती हैं जो कि खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके प्रतियोगी मूल्य, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करती है। इसे देखते हुए 1974-75 और 1975-76 के लिए राज्यवार आधार पर गेहूं और चावल की आवश्यकताओं के मात्रा सम्बन्धी ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान बाहर के विभिन्न देशों से 52.34 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया गया था। उक्त अवधि में चावल का कोई भी आयात नहीं किया गया था।

(ग) सूचना अनुबन्ध 1 में दी जाती है।

अनुबन्ध—1

(आंकड़े हज़ार मीटर टन में)

राज्य	मांग				आवंटन	
	1974-75		1975-76		1974-75	
	अप्रैल-मार्च		केवल अप्रैल		अप्रैल से फरवरी	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	—	180.5	—	20.0	—	96.0
आसाम	20.0	315.0	—	30.0	5.0	162.0
बिहार .	—	930.0	—	70.0	—	580.0
गुजरात	300.0	1200.0	25.0	108.0	26.0	441.0
हरियाणा	—	280.0	—	20.0	—	143.0
हिमाचल प्रदेश .	34.0	68.0	3.0	5.0	11.8	55.0
जम्मू तथा कश्मीर	48.0	97.5	*	*	59.0	136.0
कर्नाटक	10.0	260.0	—	15.0	—	96.0
केरल .	714.7	607.4	—	142.0	612.5	301.5
मध्य प्रदेश	—	187.3	—	27.0	—	94.0
महाराष्ट्र .	300.0	1602.0	25.0	175.0	146.0	982.6
मणिपुर	16.0	7.4	—	0.65	18.5	8.0
मेघालय	54.5	21.5	*	*	41.0	28.0
नागालैण्ड	10.5	7.1	*	*	13.05	10.4
उड़ीसा	45.0	300.5	30.0	30.0	3.5	187.0
पंजाब .	—	195.0	*	*	—	199.0
राजस्थान	—	292.0	—	30.0	0.3	149 0
तमिलनाडु	150.0	276.0	50.0	60.0	—	156.0
त्रिपुरा .	26.5	13.0	2.0	3.0	11.0	11.0
उत्तर प्रदेश .	—	687.0	—	50.0	—	441.0
पं० बंगाल .	600.0	1490.0	30.0	130.0	380.0	1073.0

1	2	3	4	5	6	7
अ० तथा नि० द्वीप समूह	5.6	4.0	1.5	0.5	6.6	5.3
अरुणाचल प्रदेश	14.45	5.91	1.6	0.6	10.5	5.8
चण्डीगढ़	--	42.0	--	3.5	--	8.0
दादर तथा नागर हवेली	1.2	5.28	0.1	0.4	1.0	3.35
दिल्ली .	49.0	478.0	4.0	45.0	44.0	397.0
गोवा, दमन तथा दीव	26.0	46.0	*	8.9	25.6	25.6
पाण्डिचेरी	2.0	5.43	*	*	0.50	5.42
मिजोरम	32.0	2.7	3.0	--	21,5	3.1

*मांगें प्राप्त नहीं हुईं ।

भूमिहीन श्रमिकों को मकानों के लिये जमीन की व्यवस्था करने की योजना

*721. **श्री गदाधर साहा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे भूमिहीन श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें शत-प्रतिशत सहायता अनुदान वाली योजना के अन्तर्गत मकानों के लिए ज़मीन दी जानी थी और इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार मकान बनाने के लिये भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को अब तक कितनी ज़मीनें दी गई हैं;

(ख) मकानों के लिए 3,08,137 प्लाटों की व्यवस्था के लिए 10.75 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का अब तक कितना उपयोग किया गया है; मकानों के लिए 3,08,137 प्लाटों का लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ है; और

(ग) यदि सहायता का उपयोग कम हुआ है और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तथा धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिये किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान जब ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी, उस समय आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरिणाया, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 8,85,502 आवास-स्थलों की 1507 परियोजनाएं 1,977.45 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई थी । इन दो वर्षों के दौरान इन राज्य सरकारों को 729.96 लाख की धन राशि दी गई थी । अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों ने इस योजना के कार्यान्वयन

पर लगभग 961 लाख रुपये खर्च किए हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत 3,11,790 आवास-स्थल विकसित किये है जैसे अनुलग्नक में दिया गया है। भूमिहीन परिवारों को अभी तक आबंटित किए गए अविकसित स्थलों सहित आवास-स्थलों की भी संख्या जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई है, अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) इस योजना को 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है। योजना के महत्व को देखते हुए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में "आवास" के अधीन राज्य सरकारों के वार्षिक योजना परिव्ययों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग विशिष्ट व सुस्पष्ट व्यवस्था करता है। मुख्य मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि इस योजना के लिए नियत की गई निधियां पूर्णरूपेण उपयोग की जाएं तथा इन्हें किसी भी हालत में कालातीत नहीं होने दी जाएं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	विकसित किए गए आवास-स्थलों की संख्या	आबंटित आवास-स्थलों की संख्या (अविकसित आवास-स्थलों सहित)	किया गया व्यय
1	2	3	4	5
				(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	652	652	4.97
2.	बिहार	8,261	--	12.04
3	गुजरात	4,303	1,78,121	56.97
4.	हरियाणा .	53	53	0.06
5.	हिमाचल प्रदेश	2,314	3,530	3.32
6.	कर्नाटक	1,25,554	3,15,896	81.43
7.	केरल .	80,000	--	520.86
8.	मध्य प्रदेश	--	8,51,718	119.00
9.	महाराष्ट्र .	41,488	--	40.71
10.	उड़ीसा	498	--	--
11.	पंजाब .	5,802	2,08,054	32.36
12.	राजस्थान .	410	5,78,251	0.30
13.	तमिलनाडु	33,692	--	78.30
14.	उत्तर प्रदेश	4,853	9,55,641	6.87
15.	पश्चिम बंगाल .	3,910	3,910	3.50
	कुल	3,11,790	30,95,826	960.69

सी०एम०डी०ए० द्वारा की गई प्रगति

*722. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सी० एम० डी० ए० के कार्यों में बहुत सी कठिनाइयां सामने आ रही हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सी० एम० डी० ए० ने अब तक कितनी प्रगति की है, और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कौन सी परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी गईं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को सी० एम० डी० ए० के कार्यों के लिये अपेक्षित सहायता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों में कौन-कौन सी मुख्य बातें उठाई गई हैं; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों में जो सहायता मांगी गई है उसमें से कितनी सहायता दी गई है अथवा कितनी सहायता का आश्वासन दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं :—

(i) आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों की यथा समय प्राप्ति में कठिनाई ।

(ii) सामग्रियों तथा उपकरणों की कीमत में वृद्धि ।

(iii) न्यायालय के निषेधादेशों के कारण भूमि के अर्जन में होने वाला विलम्ब ।

(iv) प्रशिक्षित तथा अनुभवी कार्मिकों की कमी।

(v) 1974 में इंजीनियरों की हड़ताल ।

(ख) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की योजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं । कुछ पूर्ण हो गई हैं तथा कुछ पर कार्य प्रगति पर है । भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के अधीन पुनरीक्षण समिति द्वारा इन कार्यों की प्रगति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है । कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कार्यक्रम की क्षेत्रवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग), (घ) तथा (ङ) जी, हां । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सम्पर्क करने पर इस मंत्रालय ने 4.00 करोड़ रुपये की शेष रकम दे दी । इस प्रकार 1974-75 के लिए 7.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (ऋण) का सम्पूर्ण, कोटा पूरा हो गया ।

विवरण

क्रम सं०	सेक्टर का नाम	आरम्भ की गई योजनाओं की संख्या	पूर्णरूपेण पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या	आंशिक रूप से पूर्ण की गई योजनाओं की संख्या	चतुर्थ योजना तक का व्यय	अक्तूबर 1974 तक का व्यय
1	2	3	4	5	6	7
					(लाख रुपयों में)	
1.	जलपूर्ति . .	27	6	4	2318.70	185.08
2.	मल-निर्यास तथा जल-निर्यास	56	6	10	3368.99	333.20
3.	कूड़ा-कचरा निपटान	4	1		257.96	6.15
4.	पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान	7			45.76	18.81
5.	यातायात तथा परिवहन .	26	5	2	2518.69	288.63
6.	यातायात तथा अन्य योजनाएं	2	2		1170.43	
7.	आवास तथा क्षेत्रीय विकास				884.65	
	(क) आवास		..	..		43.43
	(ख) क्षेत्रीय विकास	3	..	..		0.24

अब तक 2300 आवासीय एकक पूर्ण हो गये हैं। आवास के अधीन अधिकतर योजनाएं पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

8.	बस्ती सुधार योजनाएं	297	24	68	1061.91	84.79
9.	**विशेष परियोजनाएं**					
	(क) ओरिएन्टल गैस कं० अण्डरटेकिंग को सहायता	नीचे* पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार 4 योजनाएं आरम्भ की गई थीं			64.51	
	(ख) प्राथमिक विद्यालय निर्माण तथा जीर्णोद्धार				663.13	0.06
	(ग) पार्कों तथा खेल के मैदानों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण				30.02	31.86
	(घ) स्वास्थ्य कार्यक्रम				30.53	1.00
				जोड़	12415.28	993.25

*(क) ओरिएन्टल गैस कं० अण्डरटेकिंग के सहायतार्थ योजना पूर्ण हो गई है।

"आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम की प्रगति

***723. श्री अनादि चरण दास :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र दल ने हाल ही में "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम की प्रगति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) अभी तक मूल्यांकन मिशन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होते ही उचित कार्यवाही की जायेगी ।

दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन

***724. श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों को 25 गज और 80 गज वाले कुल कितने प्लाट आबंटित किये गये ;

(ख) पट्टे की राशि वसूल करने के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और प्रतिवर्ष कितनी राशि वसूल की जाती है ; और

(ग) इन प्लाटों को स्थायी पट्टे के आधार पर देने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

(ख) **प्राथमिक विद्यालय** : यह योजना 520 प्राथमिक विद्यालयों के नवीकरण के सहायतार्थ आरम्भ की गई थी । अब तक 147 विद्यालयों का नवीकरण किया गया है ।

66 प्राथमिक विद्यालयों की (नव-निर्माण) योजनाएं आरम्भ की गई थीं । अब तक 25 विद्यालय बनाए जा चुके हैं ।

(ग) **पार्क तथा खेल के मैदान :** कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र के वर्तमान पार्कों की मरम्मत तथा नवीकरण की तथा नये पार्कों तथा खेल के मैदानों के निर्माण की भी 80 योजनाएं आरम्भ की गई थीं । अब तक 18 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ।

(घ) अतिरिक्त अस्पताल स्थान, उपकरण पोलीक्लीनिकों, वाह्य औषधालयों की व्यवस्था करने तथा कलकत्ता और हावड़ा की बस्तियों में स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अस्पतालों तथा नगरपालिकाओं की एम्बोलेंस और चलते-फिरते स्वास्थ्य यूनिटों से सहायता का कार्यक्रम चतुर्थ योजना के अन्त तक जारी रहा । यह कार्यक्रम अब राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को आवंटित किये गये 25 वर्ग गज तथा 80 वर्ग गज प्लाटों की संख्या क्रमश: 39,316 तथा 3,530 है ।

2. किराया/लाइसेंस फीस तथा अन्य राजस्व वसूल करने के लिये 19 किराया समाहर्ता/पर्यवेक्षक लगाए गए हैं । पिछले पांच वर्षों में इस प्रकार एकत्र की गई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि
	(लाख रुपयों में)
1970–71	7.58
1971–72	7.66
1972–73	14.85
1973–74	14.90
1974–75	19.70

3. सरकार ने यह पहले ही निर्णय ले लिया है कि किराया आधार पर प्लाटों को आवंटन करने के मौजूदा तरीके को भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिये ।

Fertile land Rendered useless due to Excess of Irrigation Water

†*725. **Shri R.V. Bade :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Hindustan Times' dated the 4th November, 1974 that according to experts 70 lakh hectares of fertile land has been rendered useless due to the excess of irrigation water ;

(b) State-wise facts and the action being taken in this regard; and

(c) the area of land reclaimed as a result of the said action ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) & (b) The total area irrigated at the end of the Fourth Plan by major and medium irrigation scheme was about 18 million hectares. Waterlogging is not likely to be created by minor and medium irrigation schemes. Indication of 7 million hectares having been affected by over irrigation is highly exaggerated.

Separate figures of waterlogged areas due to over irrigation are not available. However, according to the latest information supplied by the State Governments the areas affected within irrigation commands are as follows :—

Name of the State	Area in hectares
Gujarat	2100
Haryana	320000
Madhya Pradesh	23000
Maharashtra	2100
Punjab	242000
Rajasthan	40000
Total	629200 say 0.63 million ha.

The Government of Bihar have reported that the area of 3 lakh ha. in Kosi and Gandak Command cannot be brought under irrigation as the area remains under stagnant water.

The remedial measures aiming at lowering the water table that have been carried out include lining of canal system for reducing seepage and improving surface and sub-surface drainage. In some areas tubewells have been installed for pumping out ground water for conjunctive use with canal water. The State Governments have been advised to provide drainage of the command area as an integral part of the new irrigation projects.

(c) As a result of measures taken during the last few years the area benefitted as reported by the State Governments is as under :—

State	Area in ha.
Haryana and Punjab	2,37,000
Madhya Pradesh	40,000
Maharashtra	3,800
Total :	2,80,800 say 0.28 million ha.

भूमिगत जल का पता लगाने के लिये द्रुत योजनाएं

*726. **श्री आर० बी० स्वामीनाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और वहां के नागरिकों को हर दूसरे दिन प्रति व्यक्ति केवल नौ गैलन जल मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का भी समाचार है कि यह सप्लाई भी मई, 1975 तक लगभग समाप्त हो सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिगत जल का पता लगाने के लिये द्रुत योजनायें शुरू की गई हैं और पीने योग्य जल के कुछ नये स्त्रोतों का भी उपयोग किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इस द्रुत कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ; और

(ङ) जल उपलब्ध कराने में राज्य की सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बारे में उपलब्धता की सूचना मांगी जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) तक : राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, यह मंत्रालय तमिल नाडु में रिग लगाने के लिये आन्ध्र प्रदेश से 2 रिग, महाराष्ट्र से 3 रिग तथा उड़ीसा और कर्नाटक प्रत्येक से एक एक रिग लेने में सफल हो गया है । यूनीसेफ की सहायता से तमिल नाडु में 1000 हैण्ड पम्प भी लगाये जा रहे हैं । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पूर्व पूंजी निवेश सर्वेक्षण के लिये तमिलनाडु सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव विचाराधीन है । विरोनम जल पूर्ति परियोजना में गति लाने के लिये केन्द्र द्वारा हाल ही में 2 करोड़ रुपये की राशि भी दी गई है ।

खाद्यान्न के कोटे में वृद्धि के लिये राज्यों से अनुरोध

***727. श्री श्री किशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने हाल ही में केन्द्र सरकार से खाद्यान्न का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था,

(ख) यदि हां, तो राज्य कौन-कौन से हैं, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तिमाही के दौरान राज्यों के लिये खाद्यान्न का कोटा बढ़ाया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्नों का कोटा बढ़ाने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं । विभिन्न राज्य सरकारों/प्रशासनों को केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, दादर तथा नगर हवेली और दिल्ली की सरकारों से पिछली तिमाही के दौरान अधिक आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे । इन मांगों पर विचार किया गया था और सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर इन राज्यों को समय-समय पर जनवरी से अप्रैल, 1975 की अवधि के दौरान अधिक आवंटन किया गया है लेकिन पश्चिमी बंगाल के मामले में मौजूदा आवंटन को पर्याप्त समझा गया था ।

उत्तर प्रदेश में आलुओं के मूल्य में गिरावट

*728. **श्री भाऊसाहेब धामनकर**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1975 के टाइम्स आफ इंडिया में "पोटेटो प्राइसिज क्रेस इन यू० पी० फालोइंग ग्लट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है।

(ख) इस वर्ष आलू की भरपूर फसल होने के फलस्वरुप आलू के विपणन की समस्या सरकार के सामने है।

(ग) उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. 'नाफेड' ने देशी मण्डी और निर्यात के लिए आलू खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश किया है। उसने फरुखाबाद जिले में 1800 बोरी आलू पहले ही खरीद लिए और इसका मण्डी पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
2. 500 मीटरी टन आलू मारीशस को निर्यात किया गया है।
3. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से फरुखाबाद में आलू निर्जलीकरण संयंत्र लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।
4. राज्य सरकार ने अतिरिक्त शीत भण्डारों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी अनुरोध किया है।

Non-Payment of Arrears to sugarcane growers by new India Sugar Mills Ltd., Hasanpur

†*729. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation regarding non-payment of an arrear of Rs. Sixty thousand to sugarcane growers by New India Sugar Mills Limited, Hasanpur in Samastipur District (Bihar) on account of an increase in the price of Sugarcane at the rate of Re. 1 per quintal in 1972-73 and underweighing Sugarcane at mill gate; and

(b) if so, action being taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) (a) Yes: Sir.

(b) Since the price paid during 1972-73 by this factory is much higher than the statutory minimum cane price fixed by the Central Government, no legal action can be taken against the factory. However, the State Government are pursuing this matter with the factory. Four prosecution cases for underweighment of sucgarcane by the factory are pending trial in a Court.

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित

*730 **सरदार महेंद्र सिंह गिल :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के मसौदे में प्रस्तावित बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर मूल अनुमानों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक लागत आयेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खर्च का कुछ अंश उन राज्यों से वहन करने को भी कहा जायेगा जहां ये परियोजनायें क्रियान्वित की जानी हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वृहत्त/मध्यम सिंचाई क्षेत्र में 6.2 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता का निर्माण करने के लिए 2401 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है । अब यह मूल्यांकन किया गया है कि निर्धारित उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए पांचवीं योजना के परिव्यय की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागतों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण, 3750 करोड़ रुपये तक बढ़ाना पड़ेगा ।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन, अन्वेषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है । इसलिए सभी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च राज्य सरकारों को स्वयं ही वहन करना पड़ेगा।

अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन

6878. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में हाल ही में एक अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) हमें सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । उनके प्राप्त होने पर ही इन सिफारिशों पर कार्यवाही करने का विचार किया जा सकता है ।

बाण सागर बांध पर खर्च

6879. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाण सागर बांध का तट बनाने वाली पहाड़ियों के वनस्पति पर उसे दीमकों जैसे कीड़ों से मुक्त करने के लिए कीटनाशक दवा छिड़काने पर लगभग दो लाख रुपये खर्च किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किस प्रकार का है और इससे कौनसी रासायनिक औषधि प्रयोग में लायी जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रयुक्त की जा रही रसायन की किस्म पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि खर्च उचित ढंग से हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना की मध्य प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य सरकार से प्राप्त होने के उपरांत इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सूखा राहत सहायता के दुरुपयोग के बारे में आरोप

6880. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 'नेशनल हेराल्ड' दिनांक 23 फरवरी, 1975 में जो प्रधान मंत्री द्वारा मद्रास में दिये गये इस भाषण के संदर्भ में, कि उन्हें इस आशय के अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि केन्द्र द्वारा तमिलनाडु को कुछ वर्ष पूर्व दी गई सूखा सहायता का उचित उपयोग नहीं किया गया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) इस संबंध में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई थी । राज्यों में होने वाले सार्वजनिक व्यय जिसमें केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उपयोग भी शामिल है, की जांच करना लेखा-परीक्षा और अन्य एजेंसियों की सामान्य जिम्मेदारी है ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बाण गंगा नदी पर बांध के निर्माण के लिये सर्वेक्षण

6881. **श्री राम हेडाउ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बाण गंगा नदी पर बांध के निर्माण के लिये पहले एक सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि विदर्भ खण्ड में बुलदाना जिले के जलगांव तालुक में वाणगंगा नदी पर 'बाणगंगा 'परियोजना' नामक एक मध्यम परियोजना का अन्वेषण किया गया था परन्तु यह परियोजना अव्यावहारिक पाई गयी और इसे सितम्बर, 1967 में राज्य सरकार ने अन्तिम रूप से छोड़ दिया था ।

निरक्षरता का उन्मूलन

6882. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक साक्षरता प्राप्त करने का कोई लक्ष्य है और यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य में वर्ष वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) निरक्षरता दूर करने के लिये कार्यरत एजेंसियों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) साक्षरता की प्रतिशतता में वृद्धि करने के उद्देश्य से पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे में निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई थी :—

(i) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार जिसके अन्तर्गत 6—11 आयु वर्ग के लगभग 97 प्रतिशत बच्चों और 11-14 आयु वर्ग के लगभग 60 प्रतिशत बच्चों को सम्मिलित किया जा सके ।

(ii) कार्यात्मक साक्षरता योजना जिसके अंतर्गत लगभग 13 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को सम्मिलित किया जा सके ।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा योजना जिसके अंतर्गत लगभग 60 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को सम्मिलित किया जा सके ।

टिप्पणी :—ये लक्ष्य, तथापि, प्रत्येक वर्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं ।

2. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवक केन्द्र तथा साथ ही अनेक स्वैच्छिक एजेंसियां भी अनौपचारिक शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन के क्षेत्र में अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही हैं । इन उपायों तथा राज्य सरकारों के प्रयासों से, आशा है कि निरक्षरता की मात्रा में काफी कमी आएगी, जिसमें 15-25 वाले महत्वपूर्ण आयु वर्ग 52.5 प्रतिशत तक कमी आ गई है (1951 में यह प्रतिशत 76.3 था) ।

मत्स्य ग्रहण पत्तन, विशाखापत्तनम सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

6883. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में एक मत्स्य ग्रहण पत्तन के निर्माण के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन 1971 के आरम्भ में भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना के लिए 324 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है । इस मात्स्य की बन्दरगाह में सालाना 16,500 मीटरी टन मछली के उतारने के लिए लगभग 15 बड़ी और 150 छोटी यंत्र चालित नावों के चलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है । इस परियोजना में निचली सतह की भूमि से कीचड़ निकालने तथा उसका सुधार करने और घाटों, नीलामी भवनों, मछुओं के शेडों, कार्यालय भवनों, सड़कों और जल-निकास, पानी की सप्लाई स्लिप वे आदि का निर्माण करने का विचार है ।

सांविधिक राशनिंग और संशोधित राशनिंग के अन्तर्गत जनसंख्या

6884. **श्री टुना उरांव**: क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में पूर्ण सांविधिक राशनिंग के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या है;

(ख) संशोधित राशनिंग के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य के खाद्यान्न के गोदामों की कितनी संख्या है तथा उनकी क्षमता कितनी कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता शहर और औद्योगिक नगरों के दुर्गापुर आसनसोल ग्रुप और महाराष्ट्र बम्बई शहर में केवल सांविधिक राशन व्यवस्था लागू है । पश्चिमी बंगाल में सांविधिक राशन व्यवस्था के अधीन 93.9 लाख जनसंख्या आती है जबकि महाराष्ट्र में 84.6 लाख आती है ।

देश के शेष भाग में, उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं खुले बाजार और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूरी करते हैं । एक विवरण (अनुबंध-1) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9469/75] जिसमें खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन (राज्यवार) आने वाली जनसंख्या का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । (अनुबंध-2) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-9469/75] जिसमें भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों तथा किराये के गोदामों की राज्यवार संख्या और उनकी क्षमता का ब्यौरा दिया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरी के स्थायी पद

6885. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने जूनियर इंजीनियरों के सभी स्थायी पदों के बारे में पुनर्विलोकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1975 के दिन जूनियर इंजीनियरों (इलैक्ट्रीकल और सिविल) के कुल कितने पद हैं और प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद स्थायी किये गये है ;

(ग) क्या 9 वर्ष से अधिक सेवा वाले जूनियर इंजीनियरों को स्थायी घोषित नहीं किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) 1-1-1975 तक कार्य कर रहे कनिष्ठ इंजीनियरों की संख्या सिविल में 3328 तथा विद्युत में 1021 है । सिविल में स्थाई पदों की संख्या 2695 तथा विद्युत में 729 है । इन स्थाई पदों के मुकाबले में 2117 सिविल कनिष्ठ इंजीनियरों तथा 633 विद्युत कनिष्ठ इंजीनियरों की पहले ही पुष्टि की जा चुकी है । सिविल के 428 तथा विद्युत के 90 और इंजीनियरों के मामले पुष्टि के अन्तिम चरणों में है तथा इनकी पुष्टि शीघ्र ही कर दी जाएगी । इस तरह सिविल में 150 पद तथा विद्युत में 6 पद शेष रह गए हैं जिन्हें, फिलहाल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए तथा जो इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की पुष्टि करते समय यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके समायोजन के लिए आरक्षित रखे गये हैं । इन मामलों का यथासमय और आगे पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जैसे कि भाग (ख) के उत्तर से विदित होगा कि आरक्षित रखे कुछ पदों के अलावा, जिन व्यक्तियों के पुष्टिकरण के मामले विचारधीन है, उनको स्वीकार करने के बाद, कोई पद और आगे पुष्टिकरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

महाराष्ट्र में सूखा राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता जारी रखने का अनुरोध

6886. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पिछले वर्ष के दौरान उस राज्य में अभावग्रस्त घोषित क्षेत्र में राहत कार्य के लिए वित्तीय सहायता को आगे भी जारी रखने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न की कमी

6887. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सम्भावित मांग की तुलना में इस समय यदि खाद्यान्नों की कोई कमी है तो वह कितनी हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न आयात करने का विचार है तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी कमी को पूरा किया जा सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यानों की कमी का अनुमान, वर्ष विशेष में उत्पादन और मांग आवश्यकताओं के आधार पर लगाया जा सकता है। वर्ष 1974-75 के लिए खाद्यानों का उत्पादन संबंधी अनुमान चालू कृषि वर्ष के अंत में अर्थात् जुलाई अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होने की सम्भावना है। खाद्यान्नों की आवश्यकताएं काफी हद तक लचीली होती हैं जोकि खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके प्रतियोगी मूल्य, आय-स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करती हैं। इसे देखते हुए, आवश्यकताओं तथा खाद्यान्नों की कमी के बारे में मात्रा संबंधी ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, फसल की संभावनाओं, खाद्यान्नों की आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयात संबंधी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि 1975 के दौरान कुल कितनी मात्रा आयात की जायेगी। चालू वर्ष के दौरान अब तक 26.83 लाख मीटरी टन खाद्यान्न (गेहूं और माइलो) आयात करने की व्यवस्था की जा चुकी है।

Use of Hindi in the Ministry of Agriculture and Irrigation

6888. **Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of such departments in the Ministry of Agriculture and Irrigation which still send letters, circulars, memoranda, etc., to their subordinate offices in English;

(b) the number of officers and staff in these departments who write their notes on files in English ;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by the Government that they use Hindi in all the work done by them; and

(d) if so the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard and the steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these departments in writing notes and making entire correspondence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Five.

(b) & (c) Almost all officers and members of staff write their notes in English, but they have an option according to instructions circulated to them that they may use Hindi for their official work, and some officers do exercise this option to write their notes in Hindi.

(d) The official Languages Act and instructions of the Ministry of Home Affairs in the matter do not envisage that only Hindi is to be used for notes and correspondence.

बहुदा सिंचाई परियोजना

6889. **श्री गिरिधर गोमीगो : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सरकारों ने बहुदा परियोजना जिस पर विवाद चल रहा है के बारे में बातचीत की थी ।

(ख) इस मामले में दोनों सरकारों के क्या विचार हैं ;

(ग) इस विवाद के कब तक निपटायें जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा इस नदी पर कुछ सहायक नदियों का निर्माण कार्य अभी भी किया जा रहा है जबकि उन्हें चौथी योजनावद्धि के अन्त से पूर्व पूरा किया जाना था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) बहुदा सिंचाई परियोजना के चरणवन्दी के प्रश्न पर 14-2-75 और 15-2-75 को हैदराबाद में, विशेष अधिकारी, जल-संसाधन, आंध्र प्रदेश तथा मुख्य-अभियंता (सिंचाई) उड़ीसा के बीच विचार विमर्श हुआ था। उड़ीसा ने बताया है कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुदा नदी में पर्याप्त जल है जबकि आंध्र प्रदेश ने यहां चाहा कि इस विषय पर आगे बाच-चीत करने से पहले कुछ सर्वेक्षण किए जांए।

इस विषय पर मतभेदों को दूर करने और शीघ्र किसी समझौते पर पहुंचने के लिये दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के समय बात-चीत करने का प्रस्ताव है।

(घ) बहुदा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बहुदा नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर स्वतंत्र नहर प्रणालियों तथा पांच व्ययपर्वतन ब्यौरो का निर्माण परिकल्पित है। तीन व्ययपर्वतन ब्यौरों नामश (1) बहुदा नदी पर कलींगाडीला में वीयर (2) बोगीनाले पर सुरंगी में वीयर और (3) पोइन चंडिया नाले पर बुढ़ागोडा में वीयर, पर कार्य पूर्ण हो चुका है। तुरूबुन्डो पर चौथे वीयर का कार्य आरम्भ हो चुका है और बदुलिया पर पांचवें वीयर का काम अभी आरम्भ किया जाना है।

. . .

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेरिव हाउस बिल्डिग सोसायटी के कार्यों के बारे में जांच रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही

6890. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेरिटव हाउस विल्डिंग सोसायटी को आवंटित भूमि के विकास पर किये गये खर्च के बारे में 9 सितम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड दिल्ली, के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच-अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति, जो 25 नवम्बर, 1974 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी, सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) उक्त सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कराने, भूमि का विकास करने और सदस्यों को प्लाटों का आबंटन करने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दल बीर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर विचार कर रहा है।

तमिलनाडु में गन्ना बुवाई की स्थिति

6891. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73, 1973-74 सीजन के लिये महीनेवार तथा कारखानावार चीनी कारखानों के लिये गन्ना बुवाई की क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : वर्ष 1972-73, 1973-74 के मौसम के लिये तमिलनाडु में चीनी के कारखानों के लिये गन्ने की बुवाई की स्थिति का ब्यौरा संलग्न है। अलग-अलग महीने के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	1972–73 (क्षेत्र	1973–74 हैक्टार में)
1.	अम्बुर	4607	7021
2.	मदुरा नंदकाम	3329	3613
3.	अमरावथी	2428	2788
4.	सलेम	4532	5451
5.	कल्लाकुरिचि	2711	2663
6.	नेशनल	2934	3822
7.	धर्मपुरी	1295	3170
8.	नेलनीकुप्पम	5489	5796
9.	पुगलुर	2747	3872
10.	पट्टेवेथाईलाई	2421	2635
11.	साऊथ इंडिया	2674	3871
12.	कोठारी	2952	4694
13.	सवथी	7956	8598
14.	अरुणा	6090	6399
15.	मदुरा	856	1235
16.	थिरु अरूरन सुगर्स	3117	3473

सरकारी कालोनियों की मार्किटों में दुकानदारों द्वारा बरामदे को अपनी दुकानों के साथ मिला लिया जाना

6892. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोधी कालोनी, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नौरोजी नगर, आर० के० पुरम तथा अन्य सरकारी कालोनियों के दुकानदारों ने ग्राहकों के आने-जाने के प्रयोग में आने वाले बरामदों को अपनी दुकानों के साथ मिला लिया है जिसके कारण ग्राहक को तथा इन कालोनियों के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है ;

(ख) क्या इन दुकानदारों ने सड़कों तथा उपमार्गों पर भी अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिसके कारण रास्ते बहुत तंग हो गये हैं ;

(ग) इन कालोनियों के दुकानदारों द्वारा कब्जे में किये गये इन बरामदों तथा अन्य उक्त अनधिकृत कब्जों को खाली कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) उक्त कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सभी सरकारी कालोनियों की मार्किटें निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मार्किटों में कुछ दुकानदारों ने बरामदों को बंद कर लिया है।

(ख) सड़कों तथा उप-गलियों को अतिक्रमणों से मुक्त रखना स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है तथा ऐसे अतिक्रमणों के कुछ मामले इस मंत्रालय के नोटिस में आये हैं।

(ग) दुकानदारों द्वारा सरकारी कालोनियों में आबंटित दुकानों के बरामदों को बंद करने के मामले पर इस मंत्रालय में विचार किया गया और यह निर्णय किया गया है कि सिवाय कुछेक मामलों के, इस बारे में उन के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही न की जाए।

(घ) अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण करने के लिये दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। तथापि, क्योंकि बेदखली की कार्यवाही एक अर्धन्यायिक किस्म की है अतः कार्यवाही पूर्ण करने के लिये कोई समय, सीमा निर्धारित नही की जा सकती।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली के संशोधित नक्शे

6893. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के नक्शे के संशोधन के बारे में 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेरिट हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली की वैद्य सदस्यता का इस बीच निर्धारण कर लिया गया है और इस संबंध में निर्णय कर लिया गया है कि संशोधित नक्शे में कितने प्लाट काटे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इससे सम्बन्धित सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं और मामले के शीघ्र अन्तिम निर्णय करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) चूंकि दिल्ली प्रशासन जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जांच. अधिकारी के निष्कर्षों पर निर्णय शीघ्र लेने के लिये दिल्ली प्रशासन को कहा गया है।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में निर्धन बच्चों को गर्म कपड़े

6894. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में निर्धन बच्चों को, इस बार गर्म कपड़े नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अपने स्कूली बच्चों को ऊनी कपड़े मुहैया नहीं करता है। किन्तु दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग, निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निगम के अधीन स्कूलों में पढ़ने वाले निर्धन तथा योग्य बच्चों और अनुसूचित जातियों के बच्चों को मुफ्त वितरण के लिये सूती कपड़ा मुहैया करता है।

यूनियनों/संघों को कार्यालय के लिये स्थान का आवंटन

6895. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रिंटिंग विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की कौन-कौन सी यूनियनें अथवा संघ कार्य कर रही है तथा किन-किन संघों को कार्यालय के लिए स्थान का आबंटन किया गया है तथा किन तिथियों को आबंटन किया गया है और यह आबंटन किन स्थानों पर किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों/ब्रांचों में कार्यरत मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। यूनियनों की दो फैडरेशन हैं अर्थात् भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन, तथा भारत सरकार मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन। इन दो फैडरेशनों में से किसी को भी कार्यालय के प्रयोजनार्थ सरकारी वास आबंटित नहीं किया गया है।

विवरण

1. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज यूनियन, नीलोखेड़ी।
2. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज यूनियन, शिमला।
3. क्लर्कस एसोसिएशन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रैस, शिमला।

4. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन फरीदाबाद ।

5. राजकीय प्रेस मज़दूर संघ, अलीगढ़ ।

6. क्लर्कस यूनियन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ ।

7. नान-इन्डस्ट्रीयल वर्कर्ज यूनियन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ ।

8. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन, नई दिल्ली ।

9. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस क्लर्कस एसोसिएशन, नई दिल्ली ।

10. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन, कोयम्बतूर ।

11. राष्ट्रीय प्रेस कामगार यूनियन, नासिक ।

12. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन, सांत्रागाची ।

13. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया फार्म प्रेस (एन० आई०) एम्पलाईज़ एसोसिएशन, कलकत्ता ।

14. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया फार्म प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन, कलकत्ता ।

15. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया फार्म स्टोर का प्रेस (एन० आई०) एम्पलाईज़ एसोसिएशन, कलकत्ता ।

16. इण्डिया गवर्नमेन्ट प्रेस वर्कर्ज़ एसोसिएशन, कलकत्ता ।

17. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस नान-इन्डस्ट्रीयल एम्पलाईज़ एसोसिएशन, कलकत्ता ।

18. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस एम्पलाईज़ यूनियन, रिंग रोड, नई दिल्ली ।

19. इण्डिया गवर्नमेन्ट प्रेस एम्पलाईज़ , कोरट्टी ।

20. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया टेक्सट बुक प्रेस वर्कर्ज़ यूनियन, चण्डीगढ़ ।

21. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्रेस एम्पलाईज़ यूनियन, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।

Development of Higher Education in Educationally Backward Areas

†6896. **Shri Martand Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the provision made by University Grants Commission for the development of higher education in educationally backward areas in various States ;

(b) the amount recommended by University Grants Commission for allocation to various Universities of Madhya Pradesh during Fourth Five Year Plan ; and

(c) the amount allocated in Fifth Five Year Plan ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The Univeristy Grants Commission in its Guidelines communicated to the universities for preparation of Fifth Five Year Plan proposals (1974-79) has laid emphasis on the need for special facilities to be provided for backward areas and for speicial efforts to be made towards removal of regional imbalances by creating opportunities for higher education for underprivileged sections of society and also for under-developed areas in each region. While considering programmes for the Fifth Five Year Plan, the needs of educationally backward districts in the country would be specially taken into account by relaxing conditions of minimum enrolment and staff strength. One of the criteria for establishment of new universities would be its programme for the uplifting of backward areas or removal of regional imbalances.

A copy each of the guidelines circulated by the University Grants Commission to universities and affiliated colleges for preparation of the proposals for the Fifth Five Year Plan has been placed in the Parliament Library.

The Commission's assistance programmes to universities have taken into account the special needs of backward areas as emphasized by the universities and the several measures for development of educational programmes for backward areas and under-privileged sections of society included in the programmes have been accepted and financial assistance sanctioned by the Commission.

(b) Allocation of funds by the University Grants Commission for the Fourth Five Year Plan in respect of the Universities in Madhya Pradesh is given below :—

Name of the University	Allocation for Fourth Plan
	Rs.
1. Bhopal	9,72,000
2. Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya	9,00,000
3. Indore	45,00,000
4. Jabalpur	51,00,000
5. Jiwaji	45,00,000
6. Ravi Shankar	53,00,000
7. Saugar	68,00,000
8. Vikram	58,00,000
9. A.P. Singh	2,06,104* (grants paid)

*Since this Univeristy was established in 1968, the U.G.C. Visiting Committee could not visit this University for the purpose of Fourth Plan allocation.

Only certain priority programmes were, however, accepted by the Commission for implementation.

(c) On the basis of tentative allocation for the University Grants Commission as given in the draft Fifth Five Year Plan the Commistion has invited proposals from the universities within the amount indicated below:—

Name of the University	Allocation for Fifth Plan
	Rs.
1. Bhopal	1,00,00,000
2. Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya	50,00,000
3. Indore	1,00,00,000
4. Jabalpur	1,00,00,000
5. Jiwaji	1,00,00,000
6. Ravi Shankar	1,00,00,000
7. Saugar	1,50,00,000
8. Vikram	1,00,00,000
9. A.P. Singh	1,00,00 000

The Commission has further requested the Universities to indicate their priorities. In addition to these, the Commission has also invited proposals from universities for many programmes of general nature.

दिल्ली के कालेजों में छात्रों में अनुशासनहीनता

6897. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कुछ कालेजों में छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता जिसमें हिंसा और अराजकता भी सम्मिलित है; को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कालेजों में हिंसा तथा अराजकता बहुत अधिक नहीं है । अनुशासनहीनता के मामले नोटिस में आने पर कालेजों के प्रधानाचार्य उनसे निपटने के लिए समूचित उपाय करते हैं ।

दिल्ली प्रशासन, जब कभी भी आवश्यक हो, प्रभावित संस्थाओं के आस-पास पुलिस चौकियां तैनात करने तथा गश्त लगाने जैसे निरोधक कदम भी उठाता है । छात्रों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से, वे छात्र नेताओं, कालेज प्राधिकारियों तथा दिल्ली परिवहन निगम से भी निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं ।

शाहदरा में गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन

6898. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आबंटन किया गया है, उनकी भूमि के विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन समितियों को अपने सदस्यों को प्लाट अलाट करने की अनुमति कब तक दे दी जायेगी; और

(ग) क्या कुछ समितियों, विशेषकर निर्माण और आवास मन्त्रालय की गृह निर्माण सहकारी समिति ने सरकार से कहा है कि उनकी भूमि को विकसित घोषित किया जाये और उनको अपने सदस्यों को प्लाट देने की अनुमति दी जाये यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) 43 सहकारी गृह निर्माण समितियों में से जिन्हें शाहदरा क्षेत्र में भूमि का आबंटन किया गया है, 33 समितियों का विन्यास नक्शे अनुमोदित कर दिये गये हैं । इन 33 समितियों ने भूमि के विकास का कार्य आरम्भ कर दिया है जो विभिन्न चरणों में हैं ।

(ख) समितियों को अपने सदस्यों को प्लाटों का आबंटन करने के सम्बन्ध में मंजूरी देने के बारे में दिल्ली प्रशासन के लिये सही समय/तारीख बताना संभव नहीं है । समितियों द्वारा विकास कार्य तथा अन्य अनौपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे आरम्भ किया जाएगा ।

25 LSS/75—4.

(ग) इस प्रयोजन के लिये "दि सेनी को-ग्रापरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लि०" नाम की केवल एक समिति ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि समिति का अनुरोध इसलिये समय पूर्व है कि जल सप्लाई की लाईन तथा सीवर के लिये सेवा प्लानों का इसने अभी अनुमोदन नहीं किया है। इसी प्रकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया सैट-बैक-कम-डीमार्केशन प्लान भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है।

तथापि, यह सूचित किया गया है कि निर्माण और आवास मन्त्रालय, गृह निर्माण सहकारी समिति तथा कुछ अन्य समितियों ने अपने सदस्यों को भूमि आबंटन करने के लिए अनुमति लेने के लिए दिल्ली प्रशासन को आवेदन पत्र दिये हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकी क्योंकि उन्होंने भूमि का विकास कार्य पूरा नहीं किया है तथा आवश्यक नक्शों को उचित प्राधिकरणों से मंजूर नहीं कराया है।

Representations from F.C.I. Workers' Union and M.Ps.

6899. **Shri Chandra Shailani :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether he had received any charter of demand, appeal or representation from Food Corporation of India Workers' Union and some Members of Parliament about the recent strike of the workers (Palledars) of the Corporation ;

(b) whether he had given written or oral assurances to some Members of Parliament regarding calling off the strike ; and

(c) how many of these assurances have since been fulfilled or are likely to be fulfilled?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) No specific oral or written assurances were given to any Members of the Parliament regarding calling off the strike by the Workers' Union. As a matter of fact, every time the Minister was approached in this regard he made it clear that the strike may be called off unconditionally and he was not prepared to give any assurance.

ऊपरी दामोदर के जल का दूषण

6900. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र के उद्योगों के मल-निस्सारण से ऊपरी दामोदर का जल दूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर के जल को दूषित होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दुर्गापुर-आसनसोल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित विभिन्न उद्योगों द्वारा औद्योगिक निस्सार छोड़ने के कारण गत वर्ष नवम्बर के दौरान दामोदर नदी में प्रदूषण की मात्री काफी बढ़ गई थी।

(ख) दोष निवारण के उपाय के रूप में, दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियों ने ऊपरी बांधों से जल की प्रवाह पूर्ण मात्रा छोड़ी तथा प्रदूषण नियन्त्रण कर लिया गया । पश्चिम बंगाल सरकार ने उस क्षेत्र के सम्बन्धित उद्योगों से अनुरोध किया कि उनकी फैक्टरियों से निकलने वाले अपशिष्ट निस्सार को वे नियन्त्रित करें ताकि दामोदर में कोई प्रदूषण न हो अथवा कम से कम प्रदूषण हो । सरकारी सदस्यों तथा उस क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक समिति ने उस क्षेत्र में अधिकतर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तथा निकलने वाले औद्योगिक निस्सार को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए और बेहतर हो कि उपचार करने के पश्चात् इसे प्रवाहित किया जाय । संबंधित उद्योगों ने सहयोग देने का वचन दिया है ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अन्तर्गत जल में प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए जल (प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए एक राज्य बोर्ड का गठन किया है ।

महाराष्ट्र गंदी बस्ती सुधार के लिये धनराशि का नियतन

6901. **श्री जे० एम० काहनडोल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की;

(ख) इसमें से कितनी राशि नासिक जिले के मालगांव नगर के लिए निर्धारित की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस धन से क्या कार्य किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार के लिये केन्द्रीय योजना 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान ही एक केन्द्रीय योजना थी और यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित की जा चुकी है । वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान बम्बई, पूना तथा नागपुर में पर्यावरणीय सुधार योजनाओं का कार्यभार लेने पर 3,85,32,698 रुपये की राशि मुक्त की गई ।

(ख) तथा (ग) चूंकि मालगांव शहर उपर्यूक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आता, अतः इस शहर के लिये कोई राशि नहीं दी गई । अतः केन्द्रीय सहायता से इस शहर के लिये किसी कार्य के किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नयी दिल्ली नगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य सफाई निरीक्षकों के पद

6902. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में 1 जनवरी, 1971 के पश्चात तीसरी श्रेणी के मुख्य सफाई निरीक्षकों के कितने पद भरे गये ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे और इनके कितने उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त किये गये; और

(ग) यदि वहां पद आरक्षित हैं, तो उन्हें इन जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा न भरे जाने के क्या कारण और इस अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुल तीन पद भरे गये थे—दो पद 15-4-71 से तथा तीसरा पद 1-1-72 से ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये सरकारी आदेश की तारीख 27-11-72 तक कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की गई थी जिस तिथि से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के बारे में आरक्षण लागू होता है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

Enlarged Wheat Zones and Monopoly Procurement

6903. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Economic Times' dated the 26th February, 1975 wherein some of the recommendations made by the Farmers Committee appointed by the Punjab Agricultural University have been mentioned ;

(b) whether enlarged wheat Zones and monopoly procurement in place of state trading have been proposed therein ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Government have seen the news item in question.

(b) The Committee is reported to have suggested creation of enlarged wheat zones instead of single State zones and introduction of State Trading with the Government reserving for itself the right to purchase the commodity at competitive market prices instead of monopoly procurement.

(c) The Government have carefully considered the matter and have recently announced its wheat policy for rabi marketing season 1975-76 and in the interest of maximising procurement for meeting the requirements of public distribution system, it has been decided to continue restrictions on Inter-State movement of wheat by treating each State as a separate zone. It has been left to the State Governments to adopt mode of procurement best suited to their local conditions.

वर्ष 1974-75 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिया गया चावल तथा उसकी राज्यों को सप्लाई

6904. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय पूल में 1974-75 में कुल कितना चावल तथा धान दिया है तथा इसके लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वह क्या है;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को कुल कितनी मात्रा में चावल तथा धान सप्लाई किया गया ;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा चावल तथा धान देने का लक्ष्य निर्धारित करने का क्या मापदंड अपनाया गया है; और

(घ) कुछ अधिक फालतू चावल तथा धान वाले राज्य के ही कमी वाले क्षेत्रों को चावल की सप्लाई करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के लिए प्रोत्साहन बोनस देने के प्रयोजन हेतु निर्धारित केन्द्रीय भण्डार के लिए चावल के अंशदान के लक्ष्य और केन्द्रीय भण्डार को अब तक सुपुर्द/पेश की गई वास्तविक मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	अंशदान का लक्ष्य	अब तक वास्तव में दी गई/पेश की गई मात्रा
आन्ध्र प्रदेश	550	100
हरियाणा	150	204
पंजाब	800	769
उत्तर प्रदेश	50	शून्य

उपर्युक्त लक्ष्य को संबंधित राज्यों के सम्भावी उत्पादन तथा अधिप्राप्ति और उनकी सरकारी वितरण प्रणाली तथा देश भर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है ।

(ख) वर्ष 1974-75 (अप्रैल-मार्च) के दौरान केन्द्रीय भण्डार से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई किए गए चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की कुल मात्रा को बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध क) ।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें राज्य के अन्दर के कमी वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं, में चावल और अन्य खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यह बात अधिशेष राज्यों पर छोड़ दी जाती है कि वे स्थानीय रूप से अधिप्राप्त खाद्यान्नों और केन्द्रीय भण्डार से आवंटित खाद्यान्नों को बिल्कुल समान रूप से वितरित करें ।

विवरण

1974-75 (अप्रैल से मार्च) के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्यों/के०शा०प्रदेशों को चावल की सप्लाई की गई मात्रा को बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

राज्य/के०शा० प्रदेश	सप्लाई की गई मात्रा
1	2
असम	5.0
गुजरात	28.9

1	2
हिमाचल प्रदेश . .	9.5
जम्मू तथा कश्मीर	56.6
केरल	661.7
महाराष्ट्र	152.9
मणिपुर	8.1
मेघालय	40.8
नागालैण्ड	13.4
उड़ीसा	1.9
राजस्थान	0.3
त्रिपुरा .	10.8
प० बंगाल	393.4
अ० तथा नि० द्वीपसमूह	7.7
अरुणाचल प्रदेश	9.7
दादरा तथा नगर हवेली	1.0
दिल्ली . .	42.4
गोआ, दमण तथा दीव .	27.4
लक्काद्वीप .	4.0
मिजोरम . .	17.4
पांडिचेरी (माहे सहित) .	2.8

प्रसिद्ध भूतपूर्व हाकी खिलाड़ियों की स्थिति

6905. **श्री लालजी भाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध हाकी खिलाड़ी गुरुदेव सिंह और दर्शन सिंह, जिन्होंने वर्ष 1960 से 1969 के बीच की अवधि में ओलम्पिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, आजकल इंगलैंड में मजदूरी करके आजीविका कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार के पास उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है जिनके कारण दो भूतपूर्व हाकी खिलाड़ियों ने विदेशों में काम करने के लिये भारत छोड़ दिया; भारतीय हाकी संघ को सलाह दी जा रही है कि वह तथ्यों के संबंध में पता लगाए और यदि जांच से यह पता चले कि दोनों खिलाड़ी अब भी भारतीय नागरिक हैं और वे भारत लौटने के इच्छुक हैं, तो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने में सहायता दी जायेगी।

दिल्ली में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्यापकों को स्थायी बनाने तथा सेलेक्शन ग्रेड देने में आरक्षण

6906. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेड्यूल्ड कास्ट एन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसोसिएशन, दिल्ली के महासचिव से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें (एक) स्थायी करने में आरक्षण और (दो) आरक्षण के आधार पर सैलेक्शन ग्रेड की मंजूरी देने के बारे में कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित अध्यापकों के स्थायी करण में दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही आरक्षण प्रदान किया जा रहा है । सैलेक्शन ग्रेड पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण करने के बारे में भारत सरकार के सितम्बर, 1974 के निर्णय के अनुसरण में, दिल्ली प्रशासन उन स्कूल अध्यापकों की सूची को अन्तिम रूप दे रहा है जो सैलेक्शन ग्रेड के लिये पात्र होंगे ।

जामा मस्जिद विवाद समझौता

6907. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें जामा मस्जिद के नायब इमाम ने इस बात को पुनः कहा है कि वे आगामी कुछ दिनों में समझौता न होने की स्थिति में 'अन्य तरीका' का उपयोग कर सकते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मध्यस्थ को अब तक कितनी सफलता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जामा मस्जिद के नायब इमाम मौलावी सैयद अब्दुल्ला ने सम्बंधित मुद्दों पर मध्यस्थ श्री मुहम्मद शफी कुरेशी, रेल राज्य मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था । उस ज्ञापन पर विचार किया जा रहा है ।

House Building loans to Government Employees under Fifth Five Year Plan

6908. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the scheme to give house building loans to the Government employees during the Fifth Five Year Plan has been considered ;

(b) if so, the terms and conditions thereof ; and

(c) the number of employees likely to be benefited thereby every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a)

The Scheme to give house building loans to Government employees, is not a Plan Scheme. Provision of funds is made from year to year on the non-plan side of the budget.

(b) The following are the main terms and conditions for grant of house building advance :—

(i) Advance is admissible to permanent Central Government servants ; temporary Central Government servants with at least ten years' continuous service, and the Members of All India Services on deputation to Central Government.

(ii) The amount of advance admissible is a sum equal to 75 months' pay of the Government servant concerned or Rs. 70,000/-, whichever is less. The maximum amount is, however, at present restricted to Rs. 25,000/- only.

(iii) Neither the applicant nor the applicant's wife/husband/minor child should own a house ;

(iv) The cost of construction of the house should not exceed an amount equal to 75 months' pay of the Government servant concerned or Rs. 1,00,000/-, whichever is less. In case of low-paid employees, whose 75 months' pay is less than Rs. 40,000/-, the maximum cost of construction can be up to Rs. 40,000/-.

(v) The amount of advance *plus* interest thereon is repayable in monthly instalments not exceeding 240 ; the number of instalments being dependent on the period left for retirement of the Government servant concerned.

(c) The number of employees benefited by the Scheme varies from year to year according to the budget provision made for the particular year.

सरकारी कर्मचारियों को दिये गये गृह निर्माण ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर

6909. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले गृह निर्माण ऋण पर क्या ब्याज की दर वसूल की जाती है; और

(ख) क्या किसी अधिकारी द्वारा चुकायी गयी कुल राशि (मूल रकम तथा ब्याज सहित) दिए गए ऋण से लगभग डेढ़ गुना होती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये गृह निर्माण अग्रिमों पर फिलहाल $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है ।

(ख) सेवा-निवृत्ति के लिये सेवा की शेष तथा पूर्ण अदायगी की अवधि के अनुसार ब्याज की राशि भिन्न-भिन्न है ।

वक्फ जांच समिति

6910. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में स्थापित वक्फ जांच समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। नवम्बर, 1973 में केवल एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । आशा है अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी ।

(ख) अंतरिम रिपोर्ट 19 अप्रैल, 1974 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है । सरकार अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही निर्णय लेगी ।

खाद्यान्नों की अन्तर्राज्यीय तस्करी के लिए दर्ज किए गए मामले

6911. **श्री जी० वाई० कृष्णन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान, राज्यवार, सरकार के पास खाद्यान्नों की अन्तर्राज्यीय तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, और

(ख) सरकार ने इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों में आवास रहित भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों का मूल्यांकन

6912. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों में तथा विशेषकर गुजरात राज्य के संदर्भ में आवास रहित भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात ही केवल एक ऐसा राज्य है जहां भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों को आवास के लिए कोई स्थान दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, ; और

(घ) क्या अधिकांश राज्यों में इन भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को मकानों का आवंटन कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को मकान आवंटित करने की कोई योजना नहीं है । सम्भवत: ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल आवंटित करने के बारे में सूचना चाहते हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, यह अनुमान है कि कम से कम 120 लाख भूमिहीन मजदूरों के पास अपने आवास-स्थल नहीं हैं । राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

अक्तूबर, 1971 में सरकार के एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अक्तूबर, 1971 में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को निःशुल्क आवास स्थल देने की एक योजना आरम्भ की गई थी । आवास स्थलों के आवंटियों से आशा की जाती है कि वे आवास-स्थलों पर मकान अपने संसाधनों अथवा ऐसी सहायता से बनाएं जो उन्हें इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारें तथा अन्य स्वयंसेवी अभिकरण दें । इस योजना को 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । जब योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थी तो 1,62,676 भूमिहीन मज़दूरों को निःशुल्क आवास-स्थल देने के लिए गुजरात सरकार की 306.58 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 85 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं । राज्य सरकार को 76.65 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक 1,78,121 आवास-स्थल आवंटित किए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को अविकसित स्थलों सहित आवास-स्थल आवंटित किए हैं:—

1. आन्ध्र प्रदेश से	652
2. गुजरात	1,78,121
3. हरियाणा	53
4. हिमाचल प्रदेश	3,530
5. कर्नाटक	3,15,896
6. मध्य प्रदेश	8,51,718
7. पंजाब	2,08,054
8. राजस्थान	5,78,251
9. उत्तर प्रदेश	9,55,641
10. पश्चिम बंगाल	3,910

अन्य राज्यों से अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

Rice Mill in Public Sector in M.P.

6913. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state.

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up rice factories (mill) in the public sector during the Fifth Plan period ;

(b) if so, whether the Madhya Pradesh Government have urged upon the Central Government to set up one of the factories in that State ; and

(c) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Fifth Plan envisages the setting up of rice mills in the public sector through the Food Corporation of India.

(b) No proposal has been received from the Madhya Pradesh Government for setting up a public sector rice mill during the Fifth Plan.

(c) Does not arise.

पशु चिकित्सकों के वेतन-मान

6914. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि अभी हाल तक पशु चिकित्सकों के वेतनमान औषधि तथा शल्यक्रिया डाक्टरों के वेतनमान के बराबर थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पशु चिकित्सकों के लिये विभिन्न वेतनमान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन डाक्टरों के लिए विभिन्न वेतनमान लागू करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठत ।

गिर शेर अभयस्थली के लिये विश्व वन्य पशु निधि से वित्तीय सहायता

6915. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गिर शेर अभयस्थली को विश्व वन्य पशु निधि से कोई वित्तीय सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मिलती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहराइच उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त डेरियां

6916. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सहायता से चलने वाली डेरियां खोली जायेंगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को सम्मिलित करने का है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बहराइच दुग्ध प्रक्रिया यूनिट की स्थापना के लिये अति उपयक्त स्थान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ तथा वाराणसी में केन्द्रीय सहायता से एक-एक फीडर बैलेंसिंग डेरी की स्थापना की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बहराइच जिला डेरी यूनिट की स्थापना के लिये अधिक उपयुक्त स्थान है ।

इण्डियन हाकी फेडरेशन के लेखे

6917. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन हाकी फैडरेशन के भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियन्त्रित लेखों की जिनमें उनका विदेशी मुद्रा का लेनदेन भी सम्मिलित है; जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या विदेशों के दौरों पर गई भारतीय टीमों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा को आय और खर्च में कोई दुर्विनियोजन किया गया है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) नव-निर्वाचित भारतीय हाकी संघ द्वारा यह सूचित किया गया है कि भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंन्त्रित भारतीय हाकी संघ के विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर संघ की कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जिसकी बैठक 14 मई, 1975 को भोपाल में होगी ।

गेहूं के वसूली मूल्य में संशोधन करने के लिये पंजाब और हरियाणा से अनुरोध

6918. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा ने गेहूं के वर्तमान वसूली मूल्य में, जो 105 रुपये प्रति क्विंटल है, संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम 1975-76 के लिए अधिप्राप्ति और मूल्य नीति की घोषणा करने के बाद पंजाब और हरियाणा सरकारों ने अधिप्राप्ति मूल्य में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है ।

आनन्दपुर बांध परियोजना

6919. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री उड़ीसा में सिचाई परियोजनाओं के बारे में 10 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2789 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को किन विशिष्ट कारणों से विवश होकर आनन्द बांध परियोजना को तकनीकी अथवा अन्य बातों की जांच करनी पड़ी और बाद में उड़ीसा के उक्त बांध परियोजना स्थल के लिये वीरगोविन्दपुर का सुझाव देना पड़ा ;

(ख) किन विशिष्ट कारणों तथा तकनीकी पहलुओं से उड़ीसा के इंजीनियरों ने परियोजना स्थल के लिए सदसुदिया का चयन करने का निर्णय किया ।

(ग) क्या राज्य के इंजीनियरों ने अपना निर्णय लेते समय सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा था ?

(घ) यदि हां, तो किन विशेष गुणों के आधार पर ऐसा निर्णय किया गया; और

(ङ) विश्व बैंक के दल ने गत नवम्बर माह में किन विशिष्ट उद्देश्यों के परियोजना स्थल का दौरा किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार ने आनन्द-पुर बराज का अभिकल्प कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा था । इसी संदर्भ में आयोग ने परियोजना के तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया था ।

(ख) से (घ) : राज्य अभियंताओं ने सदसुदिया स्थल की उपयुक्तता पर विचार करते समय नदी की चौड़ाई, नहर कमानि आदि विभिन्न सामान्य पहलुओं पर विचार किया था ।

आनन्द पुर बराज के विस्तृत अभिकल्प तैयार करते समय केन्द्रीय जल आयोग के अभियन्ताओं ने विचार किया कि बीरगीबिन्दपुर स्थल अधिक मितव्ययी है और तकनीकी दृष्टिकोण से भी यह स्थल सदसुदिया की अपेक्षा बेहतर है ।

(ङ) उड़ीसा में सालन्दी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई थी । आनन्दपुर बराज परियोजना को सालन्दी परियोजना में संमेकित करने की योजना बनाई है । इसलिए विश्व बैंक केरल ने अपने नवम्बर, 1974 के दौरे के दौरान इस परियोजना में दिलचस्पी ली थी ।

भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग के कर्मचारी

6920. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग के 5000 कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में लिया गया था परन्तु भारतीय खाद्य निगम में आने के पश्चात् उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता नही मिल रहा है;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को अब पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य के विभाग को स्थानान्तरित किया जा रहा है हालांकि उन्हें भारतीय खाद्य निगम के अधीन वह कार्य करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो असंगतिपूर्ण यह स्थिति किस कारण-उत्पन्न की जा रही है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम को उक्त कर्मचारियों को अपने अधीन ही करने को कहा जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, लेकिन मूल समझौते में ही प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की परिकल्पना नहीं की गई थी ।

(ख) से (घ) : जिस करार के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण की जिम्मेदारी सम्भाली थी वह 31-10-1974 को समाप्त होना था। जो नया करार होना है उसके प्रारूप को भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार, को भेज दिया है और उस मामले पर बातचीत चल रही है। राज्य सरकार का यह अनुरोध कि नया करार होने तक पुराने करार के आधार पर निगम राज्य में अपने कार्य को जारी रखे, भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। नये करार के अधीन, पश्चिमी बंगाल सरकार के जो अधिकारी निगम में प्रतिनियुक्ति पर होंगे उनको वास्तव में जो पद दिया जाएगा उसकी जानकारी करार को अन्तिम रूप देने के बाद ही हो पाएगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

6921. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने गैरकानूनी रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सभी पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिकारी वर्ग से यह पूछा जायेगा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय-समय पर पदोन्नति के सामान्य अवसरों पर लाभ उठाने की अनुमति दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के भर्ती नियमों में इन कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

Recognition of M.A. Degree in Drawing and Painting of Meerut University

*6922. **Chaudhry Dalip Singh:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and culture** be pleased to state :

(a) whether M.A. (Drawing and Painting) Degree and other examinations in drawing of Meerut University have been recognised by Delhi Administration as equivalent to T.G.T. (Drawing); and

(b) if not, the reasons therefor and how far it is justified not to recognise the Degrees of the Universities recognised by University Grants Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) The holders of M.A. in drawing and Painting from the Agra University have been made eligible for these posts. The question of inclusion of the aforesaid degree of Meerut University in the Recruitment Rules for Drawing Teachers is under active consideration of the Delhi Administration.

आवास नीति

6923. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सक्रिय आवास नीति के अभाव के लिये विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही आलोचना के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार को यह मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य ने किस विशिष्ट समाचार का उल्लेख किया है। तथापि 31 मई से 2 जून, 1974 तक मद्रास में हुए आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय आवास नीति बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की कि इस प्रश्न पर गहन रूप से विचार करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए तथा वह भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में सिफारिशें दें। इस सिफारिश पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

ब्लाकों में डेरी फार्म के लिये केन्द्रीय सहायता

6924. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक ब्लाक में डेरी फार्म खोलने की योजना बनाई है;

(ख) क्या ऐसे डेरी फार्मों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

6925. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** :

श्रीमती मुकुल बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों को एक, दो और तीन टाइप के आवासों का आबंटन उनके कार्य के स्थान से बहुत दूर किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को संसद भवन और संसदीय सौंध के निकट आवास अलाट करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसे कि सरकार डाक और तार कर्मचारियों को तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि के कर्मचारियों को, जो विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में कार्य करते हैं, अलाट कर रही है, क्योंकि इन कर्मचारियों को देर सवेर कार्य करना पड़ता है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सचिवालय के उक्त कर्मचारियों को विशेष कोटे के रूप में कुछ क्वार्टर अग्रेत अलाट करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वे कितने और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1971 में, राज्य सभा सचिवालय को उनके महत्वपूर्ण सेवा कर्मचारियों को आबंटन करने के लिये 40 क्वार्टर—50 प्र० श० केन्द्रीय क्षेत्रों में तथा 50 प्र० श० ग र केन्द्रीय क्षेत्रों में दिये गये थे। राज्य सभा के अन्य कर्मचारीगण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य माने जाते हैं और उन की बारी आने पर उन्हें उन क्षेत्रों में मकानों का आबंटन कर दिया जाता है जहां मकान खाली होते हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। अन्य विभागों के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें समय बे-समय ड्यूटी देना अपेक्षित होता है लेकिन इस आधार पर उन के मामले पर कोई विशेष रूप से विचार नहीं किया जाता। डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों से सम्बद्ध क्वार्टर सामान्य पूल में नहीं हैं तथा इन क्वार्टरों का आबंटन संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी के लिये आवास बोर्ड की स्थापना

6926. **श्री रामसहाय पांडे :**

श्री हरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार से राजधानी के लिये एक पृथक आवास बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के लिये एक पृथक आवास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण नामक एक सांविधिक निकाय पहले से ही मौजूद है जिस ने राजधानी में रह रही आम जनता के लाभ के लिये आवास कार्यक्रम आरम्भ किये हुए हैं।

स्कूलों में संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा

6927. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) क्या किसी राज्य ने भी इस सम्बन्ध में कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। स्कूलों में सामान्यतः तीन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं अर्थात एक प्रादेशिक भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी। मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर ऐच्छिक भाषा के रूप में अथवा उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में, संस्कृत के अध्ययन की सामान्यतः व्यवस्था है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने नियंत्रणाधीन स्कूलों की IX तथा X कक्षाओं के लिये हाल ही में नई पाठ्यचर्या तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। नई योजना के अन्तर्गत संस्कृत का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में किया जा सकता है।

केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को अनुदान (i) उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्यापन की सुविधाएं उपलब्ध करने तथा (ii) संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए दिये जाते हैं। किसी भी राज्य सरकार से ऐंसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसने अपने स्कूलों में संस्कृत का अध्यापन अनिवार्य किया हो। तथापि कुछ स्कूलों में, प्रादेशिक भाषा पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में संस्कृत पढ़ाई जाती है।

Committee on Cow Protection

6928. **Shri B.S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be plea sed to state :

(a) the date on which Central Committee on cow protection was constituted;

(b) the changes made therein so far; and

(c) the reasons for making these changes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The Committee on Cow Protection was constituted on 29-6-1967.

(b) A list of members who originally constituted the Committee on Cow Protection and the present members of the Committee on Cow Protection is attached.

(c) Shri A.K. Sarkar resigned from the Committee because of increased work load of the Commission of Enquiry on Large Industrial Houses. Three Members of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti withdrew from the deliberations of the Committee and S/Shri Goswami Girdhari Lalji, Swami Yogeshwar Videhi Hariji Maharaj and Akshay Kumar Jain were appointed in place of S/Shri Jagatguru Shankaracharya Swami, M.S. Golwalkar and Rama Prasad Mookerji. The other changes were necessitated by change in office of the original incumbents.

25 LSS/75—5.

Statement

Members of the Committee on Cow Protection in 1967 when it was constituted.		Members of the Committee on Cow Protection at present.	
1. Shri A.K. Sarkar, Retired Chief Justice of India.	Chairman.	1. Shri G.K. Mitter, Retired Judge, Supreme Court of India.	Chairman
2. Shri D.P. Misra, Chief Minister, Madhya Pradesh.	Member	2. Shri Prakash Chander Sethi, Chief Minister, Madhya Pradesh or a Minister nominated by him	Member
3. Shri Charan Singh, Chief Minister, Uttar Pradesh.	Member	3. Shri H.N. Bahuguna, Chief Minister, Uttar Pradesh or a Minister nominated by him.	Member
4. Shri S. Madhavan, Minister for Law & Cooperation, Madras.	Member,	4. Shri M. Karunanidhi, Chief Minister, Tamil Nadu or a Minister nominated by him.	Member
5. Shri Kashi Kanta Moitra, Minister of Animal Husbandry & Veterinary Services, West Bengal.	Member	5. Shri Sidhartha Shankar Ray, Chief Minister, West Bengal or a Minister nominated by him.	Member
6. Shri Jagatguru Shankaracharya Swami, Niranjan Dev Teerth Govardhan Math, Puri.	Member	6. Shri Goswami Girdhari Lalji, Pradhan Mantri, Sanatan Dharam Pratinidhi Sabha, Bhupendra Bhawan, Pahar Ganj, New Delhi-55.	Member
7. Shri M.S. Golwalkar, Sarsangha Chalak, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Hedgewar Bhawan, Nagpur.	Member	7. Swami Yogeshwar Videhi Hariji Maharaj Dwara Bharat Gosevak Samaj, 3, Sadar Thana Road, Delhi-6.	Member
8. Shri Rama Prasad, Mookerji, Retired Judge, Calcutta High Court.	Member	8. Shri Akshay Kumar Jain, Editor, Nav Bharat Times Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.	Member
9. Dr. Ashok Mitra, Chairman, Agricultural Prices Commission.	Member	9. Dr. Dharam Narain, Chairman, Agril. Prices Commission, New Delhi.	Member
10. Dr. P. Bhattacharya, Animal Husbandry Commissioner with the Govt. of India.	Member	10. Dr. M.N. Menon, Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi.	Member
11. Dr. H.A.B. Parpia, Director, Central Food Technological Research nstitute Mysore.	Member	11. Dr. Y.K. Alag, Director Sardar Patel Institute of Social & Economic Research, Ahmedabad.	Member
12. Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Dev. Board Anand (Gujarat).	Member	12. Dr. V. Kurien, Chairman, National Dairy Dev. Board Anand (Gujarat).	Member

बिहार में सिंचाई के अंतर्गत लाई जाने वाली भूमि

6929. **श्री एम० ई० होरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में आगामी दो वर्षों में कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लायी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : 1975-76 के दौरान बिहार में प्रमुख मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त 122000हेक्टार और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 60,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का विचार है। वर्ष 1976-77 के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जन कार्यवाही का पूरा किया जाना

6930. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री नारायण बिहार में स्थानीय खरीदारी केन्द्र के बारे में 17 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3996 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके सम्बन्ध में अर्जन कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ख) अर्जन कार्यवाही पूरी न किये जा सकने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नरैणा ग्राम के खसरा नं० 1182/2 के 1 बीघा और 14 बिस्वे माप के तथा खसरा नं० 1180/1/1 भाग के लगभग 4 बिस्वे माप के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही प्रगति पर है।

(ख) उपर्युक्त खसरों को क्रमशः पंचाट संख्या 1380 तथा 1953 से आरम्भ में ही निकाल दिया गया था, क्योंकि ये इमारती क्षेत्री के थे।

नेत्रहीन और विकलांग व्यक्तियों के लिये शिक्षा और रोजगार

6931. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकशांग व्यक्तियों की यह राय है कि सरकार उनकी शिक्षा और रोजगार के लिये कुछ नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार की क्या राय है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा तथा उनके पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने पांचवीं योजना में प्रयत्नों को तेज कर दिया है। अब तक दिए गए कुछ उपायों से यह स्पष्ट हो जाएगा। ये उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) चतुर्थ योजना में लगभग 106 लाख रुपए के योजना खर्च के मुकाबले केवल 1974-75 में ही योजना खर्च के अस्थायी आंकड़े लगभग 92 लाख रुपए बैठते हैं;

(2) विभिन्न वर्षों के विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने वाली कार्यशालाओं को स्थापित करने के लिए सात संगठनों को अनुदान मंजूर किए गए हैं;

(3) इस देश में पांच और विशेष रोजगार कार्यालयों को स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है;

(4) राज्यों से निवेदन किया गया है कि अन्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सामान्य स्कूलों में दाखिल करने हेतु वे परियोजनाएं बनाएं। केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में ऐसी योजना की मंजूरी दी जा चुकी है;

(5) विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना को उदार कर दिया गया है और प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रतिशतता 75% से बढ़ा कर 90% कर दी गई है। स्वैच्छिक संगठनों को पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में मंजूर किए जाने वाले अनुदानों की धनराशि चतुर्थ योजना की अवधि में मंजूर की गई कुल धनराशि से अधिक है तथा;

(6) अप्रैल, से दिसम्बर, 1974 की अवधि के दौरान विशेष रोजगार कार्यालयों ने 922 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया।

कोसी सिंचाई परियोजना

6932. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी सिंचाई परियोजना में कई कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कमियों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) कोसी परियोजना पर सामने आई समस्याओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) कोसी जल में गाद की अधिक मात्रा;

(2) जलावरोध;

(3) बाढ़ द्वारा कटाव;

(4) क्षेत्रीय चैनलों का अभाव जिसके कारण निर्माण की गई सिंचाई शक्यता के प्रयोग में कमी और

(5) भूमि का समतल न किया जाना।

इन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय पर बिहार सरकार ने नहर प्रणाली में गाद जमा होने की समस्या के प्रति कई उपाय किए हैं। इन सुधारों के फलस्वरूप पिछले वर्षों से नहर में गाद का जमाव कम हो गया है। जलावरोध को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कुछ स्कीमों को पहले ही क्रियान्वयन किया जा चुका है। आयाकट के विकास के व्यापक कार्यक्रम का

क्रियान्वयन करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की गई है और क्षेत्रीय नालियों, भूमि को समतल करने आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और उनकी क्रियान्विति की जा रही है।

बिहार सरकार ने भी एक कोसी सिंचाई समिति बनाई है जो कोसी नहर प्रणाली से सिंचित किए जा सकने वाले क्षेत्र का निर्धारण करेगी, इस समय सिंचित होने वाले क्षेत्र का मल्यांकन करेगी तथा उन उपायों की सिफारिश करेगी जिनसे इस प्रणाली की अंतिम सिंचाई शक्यता का पूर्ण प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट हाल ही में पेश की है और इसकी जांच की जा रही है।

सीमान्त किसानों (मार्जिनल फार्मर) की परिभाषा

6933. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ता नायक** : क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या प्रत्येक राज्य ने जोत और/अथवा आय के आधार पर सीमांत किसान (मार्जिनल फार्मर) की क्या परिभाषा मानी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने जोत और/या आय के आधार पर छोटे किसान (स्माल फार्मर) की क्या परिभाषा मानी गई है; और

(ग) इनमें कितने प्रतिशत का अन्तर है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा पांचवीं योजना के दौरान छोटा किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, छोटे और सीमान्त किसानों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को सभी परियोजना क्षेत्रों में निम्न एक समान परिभाषा अपनाने का सुझाव दिया गया है।

सीमान्त किसान

वे किसान, जिनके पास 2.5 एकड़ तक शुष्क भूमि की जोतें हैं। सिंचित भूमि के मामले में प्रत्येक राज्य में भूमि उच्चतम सीमा विधान के अन्तर्गत स्वीकार्य सीमा इस क्षेत्रफल के बराबर होगी।

छोटा किसान

वे किसान, जिनके पास 2.5 से 5.0 एकड़ तक शुष्क भूमि की जोतें हैं। सिंचित भूमि के मामले में प्रत्येक राज्य में भूमि उच्चतम सीमा विधान के अन्तर्गत स्वीकार्य सीमा इस क्षेत्रफल के बराबर होगी।

इस प्रकार हर मामले में सिंचित जोतों की सीमा कम होगी। छोटे किसानों के लिए शुष्क भूमि की उच्चतम सीमा 5.0 एकड़ और सीमान्त किसानों के लिए शुष्क भूमि की उच्चतम सीमा 2.5 एकड़ का कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, भूमि की जोत की सीमायें मालिकी जोतों के आधार पर लागू की जाएंगी, मालिकी का अर्थ हस्तान्तरण योग्य अथवा दाय योग्य अधिकार समझा जाए और इस प्रयोजन के लिए परिवार को यूनिट के रूप में माना जाए। जिन किसानों की खेती से अलग 200 रुपये या इससे अधिक की मासिक आय है वे किसी भी राज्य में छोटा किसान विकास एजेंसी के लाभों को पाने के पात्र नहीं होंगे। संबंधित राज्यों में भमि उच्चतम सीमा विधान के अन्तर्गत स्वीकार

किए गए परिवर्तन अनुपात पर आधारित छोटे/सीमान्त किसानों का पता लगाने के लिए केवल सिंचित जोतों के बारे में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होगी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के लिये अर्हताएं

6934. **श्री एस० एन० सिद्धया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लेकचरर के पद के लिये क्या क्या अर्हताएं चाहिये;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये लेक्चरर के पद आरक्षित किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में हुए हाल के संशोधनों के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह सूचित किया था कि वाणिज्य एवं विज्ञानों सहित, कला, सामाजिक विज्ञानों के संकायों में लेक्चरारों के पदों की भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएं :—

(क) डाक्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष उच्च स्तरीय प्रकाशित पुस्तक; और

(ख) प्रासांगिक विषय में मास्टर डिग्री में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी (ख+) सहित लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।

अन्तर शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त (क) और (ख) में डिग्रियां संबंधित विषयों में होनी चाहिए :

बशर्ते कि यदि प्रवरण समिति का यह अभिमत हो कि किसी उम्मीदवार का अनुसंधान कार्य—जैसा कि यह उसके या तो शोध-प्रबन्ध अथवा प्रकाशित पुस्तक से स्पष्ट होगा, एक बहुत ही ऊंचे स्तर का है, तो वह उपरोक्त (ख) में निर्धारित किसी भी अर्हता में छूट दे सकती है।

और साथ ही बशर्ते कि यदि डाक्टर डिग्रीधारक अथवा समकक्ष प्रकाशित पुस्तक वाला उम्मीदवार उपलब्ध न हो अथवा योग्य न समझा जाए, तो लगातार अच्छा शैक्षिक रिकार्ड धारण करने वाले व्यक्ति (एम० फिल० अथवा उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य की समकक्ष डिग्री को उचित महत्व दिया जाना चाहिए) को इस शर्त पर नियुक्त किया जाना चाहिए कि उसे अपनी नियुक्ति के पांच वर्षों के अन्दर डाक्टर डिग्री उपलब्ध करनी होगी अथवा समतुल्य उच्च स्तर के प्रकाशित कार्य का प्रमाण देना होगा। ऐसा न करने पर वह भावी वेतनवृत्तियां तब तक अर्जित न कर सकेगा जब तक कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता।

स्पष्टीकरण :–

सिद्धान्त रूप में अच्छे रिकार्ड का तात्पर्य मास्टर्स डिग्री के लिये उस सारे शैक्षणिक वृत्तिका के सभी मूल्यांकनों के समग्र रिकार्ड से होगा, जो कि कम से कम ख+ अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी होनी चाहिये।"

बाद में आयोग इस बात से सहमत हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके कालेजों में लेक्चरारों के पदों की भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होंगी :—

अनिवार्य :–

सिद्धान्त रूप में संबंध विषय में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी (ख+) की मास्टर्स डिग्री अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।"

वाञ्छनीय :–

(i) डाक्टर डिग्री/अथवा उसके समान उच्च स्तरीय प्रकाशित पुस्तक :—

(ii) डिग्री/उत्तरस्नातक की श्रेणियों का अध्यापन अनुभव।

ऐसी नियुक्तियों के मामले में जहां उम्मीदवार पी० एच० डी० नहीं है, तो उस मामले में उसे अपनी नियुक्ति से पांच वर्षों के अन्दर पी० एच० डी० को पूरा करना अथवा समकक्ष अनुसंधान कार्य का सबूत देना उसके लिए अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि वह अपनी नियुक्ति के पांच वर्षों की अवधि के अन्दर उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि को तब तक के लिए रोक दिया जायेगा जब तक कि वह उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता।"

अन्य विश्वविद्यालयों को या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मूलरूप से निर्दिष्ट अर्हताओं को अपनाने अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में अनुमोदित अर्हताओं को अपनाने का विकल्प होगा।

लेक्चरारों की परिशोधित अर्हताओं को विश्वविद्यालयों की सांविधियों/अध्यादेशों में समाहृत किया जायेगा।

(ख) से (घ) इस समय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने उपाध्यक्ष को इस प्रश्न पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के साथ विचारविमर्श करने के लिये प्राधिकृत किया है। इस मामले पर शीघ्र विचारविमर्श होने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

6935. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री शंकर राव सावंत :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार के लिये राज्य की सभी छोटी सिंचाई परियोजनाओं का अपने संसाधनों से वित्त पोषण करना कठिन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये भी वित्तीय सहायता देने हेतु नीति सम्बन्धी नया निर्णय करने का विचार है; और

(ग) इस राज्य को गत तीन वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया था क्योंकि राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं थी।

(ख) वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार राज्य योजना के लिये एकमुश्त रूप से केन्द्रीय सहायता दी जाती है और इस सहायता का किसी विशेष योजना या कार्यक्रम से सम्बन्ध नहीं होता। इस प्रक्रिया में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए, गत तीन वर्षों के दौरान लघु सिंचाई के लिये कोई निर्धारित केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी। केन्द्रीय सरकार ने केवल वर्ष 1972-73 के दौरान गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये उस वर्ष के दौरान एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र को 24.96 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई थी।

Construction of Dams in Tehri

†6337. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the arrangements made to rehabilitate the persons affected by the construction of the Tehri dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : The families likely to be displaced by the construction of the Tehri dam are proposed to be rehabilitated in the township to be located at Badshahi Thol. The displaced agriculturist families would be settled by providing agricultural land, house sites etc.

दिल्ली के अध्यापकों के पुनरीक्षित ग्रेड

6938. **श्री शरद यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में दिल्ली के अध्यापकों के ग्रेडों का पुनरीक्षण किया है;

(ख) क्या पुनरीक्षित ग्रेड मई, 1970 से लागू होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में विद्यमान विषमताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत स्कूल अध्यापकों के मुख्य वर्गों के परिशोधित वेतनमान 29-3-1975 को अधिसूचित किये हैं। ये वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से लागू होंगे। परिशोधित वेतनमानों के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

कोसी सिंचाई व्यवस्था के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता

6939. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी सिंचाई व्यवस्था के लिये आरम्भ से आज तक कुल कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) कुल कितनी सिंचाई क्षमता बनाने की योजना बनाई गई है ;

(घ) वास्तव में कितनी क्षमता बनाई गई है;

(ङ) क्या बिहार सरकार द्वारा नियुक्त की गई नौ सदस्यीय कोसी सिंचाई समिति ने कोसी सिंचाई व्यवस्था में बहुत सी त्रुटियों का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) . (क) 1954-69 के दौरान बिहार सरकार को कोसी परियोजना (बाढ़ नियंत्रण कार्यों सहित) के लिए 68.16 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता दी गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण अथवा अनुदान के रूप में संपूर्ण योजना के लिए दी गई थी और यह किसी विशेष स्कीम से जुड़ी नहीं थी।

(ख) वर्ष 1974-75 अन्त तक कोसी बराज और पूर्वी तथा पश्चिमी कोसी नहरों (बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अतिरिक्त) की प्रत्याशित लागत 72.35 करोड़ रुपये थी।

(ग) पूर्वी तथा पश्चिमी कोसी नहरों के अन्तर्गत अंतिम रूप से 7.48 लाख हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का निर्माण करने की योजना है।

(घ) पूर्वी कोसी नहर के अन्तर्गत 1974-75 के अंत तक 3.03 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का निर्माण किए जाने की प्रत्याशा है।

(ङ) और (च) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा गठित समिति कि रिपोर्ट उन्हें हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता

6940. **श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कृषि उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई कार्यक्रम भेजा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वास्तव में कितने खाद्यान्न की आवश्यकता से तथा वहां चालू वर्ष में कृषि उत्पादन में कितनी कमी होने का पता लगा है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, नई दिल्ली में जनवरी, 1975 में 1975-76 की वार्षिक योजना के संबंध में हुए विचार-विमर्श के दौरान, 1974-75 की अवधि के 42.00 लाख मीटरी टन प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में 1975-76 के लिये राज्य के लिए 58.00 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

Use of Surplus water of Rivers of Eastern U.P. for Irrigation purpose

†6941. **Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the arrangements being made by Government to have fullfledged irrigation system in Eastern Uttar Pradesh keeping in view the shortage of irrigation facilities there;

(b) whether keeping in view the possibilities of large underground water reserves in Eastern Uttar Pradesh any comprehensive scheme has been formulated to utilise the same for irrigational purposes there;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether arrangements are being made to utilise the surplus water of the big rivers of Eastern U.P. for irrigation purposes through lift irrigation schemes; and

(e) the names of the rivers and the names of places at which this scheme is being implemented and the acreage of land, likely to be irrigated from each of these rivers under this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) A statement giving the requisite information is attached. [Placed in Library. See No. L.T.-9470/75]

(b) & (c) Information is being obtained from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए सोवियत प्रौद्योगिकीय जानकारी

6942. **श्री एस० एन० मुकर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने पश्चिम बंगाल की कृषि विकास परियोजनाओं के लिए अपनी प्रौद्योगिकीय जानकारी और सामग्री संबंधी सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार को पश्चिम बंगाल की कृषि विकास परियोजनाओं के लिए तकनीकी जानकारी और सामग्री संबंधी सहायता के बारे में सोवियत संघ से कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में रबी की फसल सम्बन्धी कार्यों के लिए धनराशि का नियतन

6943. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री रोबिन ककोटी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रबी की फसल सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण अथवा कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) पूछी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से देसी गेहूं का वितरण

6945. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूरे वर्ष आयातित गेहूं वितरित किया गया है जबकि खुले बाजार में अत्यधिक मूल्यों पर देसी गेहूं खुले आम मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए दिल्ली को कितना देसी गेहूं आबंटित किया गया; और

(घ) दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से देसी गेहूं कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) 1975 के दौरान दिल्ली में जनवरी मास और अप्रैल के दूसरे पखवाड़े को छोड़कर, उचित मूल्य की दुकानों को केवल आयातित गेहूं दी गई थी। देसी गेहूं का दिया जाना केन्द्रीय पूल में इस किस्म की गेहूं की समूची उपलब्धता पर निर्भर करता है। आशा है कि चालू रबी मौसम के दौरान गेहूं की आन्तरिक अधिप्राप्ति बढ़ने से दिल्ली में देसी गेहूं की सप्लाई में सुधार हो सकता है।

राज्यों में सूरजमुखी का गहन विकास

6946. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने यहां सूरजमुखी के गहन खेती की योजनाएं सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) : 1975-76 में सूरजमुखी के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को जारी रखने के विषय में विस्तृत प्रस्ताव अब तक निम्नलिखित राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं :--

1. गुजरात 2. मध्य प्रदेश 3. महाराष्ट्र 4. उड़ीसा 5. पंजाब

(ग) इस योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष जो क्षेत्र लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके 50 प्रतिशत की उन्नत किस्मों के शुद्ध बीजों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट किस्मों के बीजों के उत्पादन और प्रमाणित बीजों के परिवहन और उनकी सम्भाल पर होने वाले व्यय की आंशिक पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता देकर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(2) चुने गए जिलों के 'सीड ड्रमर्स' और पैकेज संबंधी व्यवहारिक साहित्य के साथ सिफारिश किए गए बीजों के मिनिकिट उन राज्यों में, जहां यह योजना पहली बार लागू की जा रही है, के किसानों को मुफ्त सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

(3) बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की व्यवस्था करने के लिए आदानों की लागत प्रदान की जाएगी।

(4) अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था।

राज्य सरकारों से 1975-76 के लिए प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

Basis for Fixing Procurement Price of Wheat

6947. **Shri Bibhuti Misra :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government took into account the entire expenditure incurred by the farmer while announcing procurement price of wheat at Rs. 105 per quintal;

(b) if so, the break-up thereof; and

(c) whether Government are making efforts to make available to the farmers the essential commodities on the basis of integrated prices keeping in view the procurement price of wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) yes Sir. The procurement price of Rs. 105 per quintal announced by Government for wheat for 1975-76 marketing season not only covers the expenditure incurred by the farmer but also leaves an adequate margin as well.

(b) The cost of cultivation/production of wheat in Punjab during 1973-74, as indicated in the report of Agricultural Prices Commission on price policy for wheat for the 1975-76 season, is given in the statement attached.

(c) All possible efforts are being made by Government to provide essential commodities to the farmers at reasonable prices.

Statement referred to in the reply to part (b) of Unstarred Question No. 6947 to be answered in the Lok Sabha on 21-4-75.

लोक सभा में 21-4-75 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 6947 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण।

Statement showing the estimates of Cost of Cultivation/ Production of Wheat in Punjab during 1973-74.

1973-74 के दौरान पंजाब में गेहूं की उत्पादन की लागत के अनुमान को बताने वाला विवरण।

Items of Input Costs इनपुट लागत की मदें	Cost of cultivation per hectare प्रति हैक्टर खेती की लागत Rs. रु०	Cost of Production per quintal @ प्रति क्विटल उत्पादन की लागत Rs. रु०
(1)	(2)	(3)
A.1 (Cash and Kind expenses) ए-1 (नकद तथा वस्तु संबंधी खर्च)	1105.92	36.88
A.2 (Cost A.1+rent paid for leased in land) ए-2 (लागत ए-1+पट्टे की जमीन के लिए दिया गया लगान)	1209.04	41.03
B. (Cost A.2+Rental value of owned land and interest on fixed capital) बी (लागत ए-2+निजी जमीन की रेन्टल कीमत तथा स्थायी पूंजी पर ब्याज)	1863.16	67.33
C. (Cost B+imputed value of family labour) सी (लागत बी फैमिली लेबर का आकलित मूल्य)	2037.14	74.34

@ : Cost of production is obtained by dividing the cost of cultivation per hectare (net of the value of by-product) by the yield (24.87 quintals) per hectare.

उत्पादन लागत, पैदावार (24.87 क्विटल) प्रति हेक्टर द्वारा प्रति हेक्टर खेती की लागत (सह उत्पाद के मूल्य का निवल) में भाग देकर निकाला जाता है।

बटाईदारों, कृषि श्रमिकों की संख्या

6948. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 की जनगणना की तुलना में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार देश में और प्रत्येक राज्य में बटाईदारों की कुल संख्या, कृषि श्रमिकों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कृषि श्रमिकों के आंकड़े क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : 1961 और 1971 की जनगणना के दौरान बटाईदारों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये थे । कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरणों में दे दी गई है (अनुबन्ध 1 और 2) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-9471/75]

फरक्का बांध के जल उपयोग के बारे में भारत और बंगला देश के बीच विवाद के विषय

6949. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध के जल के उपयोग के बारे में भारत और बंगला देश के बीच विवादस्पद विषय क्या हैं;

(ख) क्या बंगला देश समय-समय पर अपना रवैया बदलता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) कमी वाले महीनों में गंगा के गैर मानसून जल प्रवाह के आवंटन के प्रश्न पर भारत तथा बंगला देश द्वारा विचार किया जा रहा है । हाल ही में, 18 अप्रैल, 1975 को दोनों देशों को सरकारें फरक्का व राज को पोषक नहर को अप्रैल-मई, 1975 के दौरान 11,000 क्यूसेक्स से 16,000 क्यूसेक्स तक के जल-प्रवाह के साथ करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

आवास लक्ष्य पूरा करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की असफलता

6950. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण तथा आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1974-75 के दौरान लगभग 2,000 मकान बनाये थे जबकि वर्ष के बजट में 18,000 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कमजोर वर्गों के लिये जितनी धनराशि दी गई थी उसमें से वर्ष के दौरान केवल 25 प्रतिशत राशि खर्च की;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष कारणों से दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास लक्ष्य पूरा न कर सका; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूल बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 1974-75 में लगभग 18,000 मकानों का निर्माण किया जाना था लेकिन सीमेंट की अत्यधिक कमी, अत्यन्त वित्तीय कठिनाई, ऋणों की अनुपलब्धता तथा गृह निर्माण अग्रिम देने पर आंशिक रूप से लगे प्रतिबंध (जिससे दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्राप्तियों में 3 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की कमी हो गई) के कारण मूल प्रस्तावों में संशोधन तथा कटौती करनी पड़ी थी ।

वर्ष 1974-75 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2297 मकानों का निर्माण किया था। इनमें से 1752 मकान निम्न आय तथा जनता श्रेणियों के लिए थे। इसके अलावा, 6800 मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में थे तथा अन्य 7100 मकानों के ले-आऊट प्लान पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं तथा इनके अनुमान और अन्य ब्यौरे दिल्ली विकास प्राधिकरण तैयार कर रहा है।

(ग) वित्तीय कठिनाई तथा सीमेंट जैसी कच्ची सामग्री की कमी के बावजूद भी दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों के निर्माण में और आगे प्रगति करने में प्रयत्नशील रहा है। जहां तक व्यवहार्य हो सीमेंट के स्थान पर प्रयोग में लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चूना-भट्टे के अपने प्लांट आरम्भ कर दिए हैं। एक प्लांट ने नरेला में उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा चार और प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं तथा उन्हें जून, 1975 तक लगा देने की सम्भावना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों के लिए नई निविदाएं इस शर्त पर आमंत्रित की जा रही हैं कि नींव चूना सुर्खी का मसाला प्रयोग किए जाएगा तथा सभी दो मंजिली अधसंरचनाओं में सीमेंट के स्थान पर चूना प्रयोग में लाया जायेगा।

पोलीथीन के कन्टेनरों में दूध की सप्लाई

6951. **श्री बसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलीथीन के कन्टेनरों में दूध सप्लाई करने का निर्णय किया है जैसा कि 23 मार्च, 1975 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को लागू करने में क्या लागत आयेगी, क्या-क्या चीजें आयात की जायेंगी;

(ग) क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के आधार पर विकसित देशों में दूध के लिये पोलीथीन के कन्टेनरों के प्रयोग को छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में विस्तृत जांच की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार ने दूध बेचने के लिए एक बार प्रयोग में आने वाले आधान के तौर पर पोलिथीन के परतदार कागज़ के पैक (टेटरा पैक) का प्रयोग करने का प्रस्ताव त्याग दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आई० एच० एफ०

6952. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय ओलिंपिक एसोसियेशन और भारतीय हाकी फेडरेशन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय हाकी फेडरेशन से उनके संबंध के बारे में अभी भी कोई मतभेद बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन ओलिंपिक एसोसियेशन के पदाधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय हाकी फेडरेशन के प्रेजीडेन्ट को आमंत्रित कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) भारतीय ओलम्पिक संस्था ने अभी तक विधिवत् गठित भारतीय हाकी संघ के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ से अपनी स्थायी सदस्यता नहीं छोड़ी है।

यह पता चला है कि भारतीय ओलम्पिक संस्था ने 9 और 10 मार्च, 1975 को कुवालालुम्पुर में हुई अ० हा० सं० की कार्यसमिति की बैठक से पहले अ० हा० सं० के अध्यक्ष से भारत आने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन, वे भारत नहीं आ सके। सरकार, अ०हा० सं० के अध्यक्ष द्वारा भारत का दौरा करने का स्वागत करेंगे। तथापि, 27-12-1974 को हुए चुनावों के बाद भारत में हाकी के प्रबन्ध के लिए एकमात्र सक्षम निकाय के रूप में गठित भारतीय हाकी संघ को पहले ही दी गई मान्यता पर इस दौरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए होस्टल की सुविधा

6953. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमानों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण, आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट होस्टल की सुविधा से वंचित हो गए हैं यदि हां, तो उनकी श्रेणीवार संख्या क्या हैं; और

(ख) क्या 350-800 के पुराने वेतनमान में नया वेतनाम (700-1200) काम कर रहे कर्मचारी भी इन परिस्थितियों में होस्टल की सुविधा के लिए आवेदन करने के हकदार हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का शुल्क मान इसलिए पुनरीक्षित नहीं किया गया क्योंकि वे तृतीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय से बाहर था। पात्रता का पुनरीक्षण करने के बाद, होस्टलवास के लिये निम्नलिखित आवेदन पत्र लौटा दिये गये क्योंकि आवेदक होस्टलवास के पात्र नहीं थे:--

(i)	न्यूज़ सर्विस प्रभाग आकाशवाणी .	17
(ii)	दूर दर्शन केन्द्र आकाशवाणी . .	2
(iii)	आकाशवाणी स्टेशन, नई दिल्ली	1

(ख) जो अधिकारी 1-1-75 को 700 रुपये ले रहे थे, वे एक कमरेवाले होस्टलवास के पात्र हैं। रसोई घर के साथ, एक कमरे वाले वास के लिये आवेदन पत्र उन अधिकारियों से मांगें गये थे, जिनकी अग्रता तिथि 31-12-70 तक थी। रसोई के बिना, एक कमरे के लिये, वे सभी अधिकारी आवेदन पत्र देने के पात्र थे जो 1-1-75 को 700 वेतन पा रहे थे।

लघु एककों को आबंटित ट्रालरों का बहुराष्ट्रिकों को पट्टे पर दिया जाना

6955. **श्री एस० ए० मुरूगतन्नतम :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई में लघु एककों को आवंटित ट्रालरों को बहुराष्ट्रिकों को पट्टे पर दे दिया गया है;

(ख) क्या ऐसे सौदों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। अभी तक सरकार ने बम्बई की किसी छोटी यूनिट को किसी बहुराष्ट्रिक संस्था को पट्टे पर ट्रालर देने की कोई अनुमति नहीं दी है। तथापि, सरकार को मैसर्स डालफिन फिशरीज़ प्राइवेट लि०, बम्बई से (जोकि एक मध्यम आकार की फर्म है) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो उन्होंने 3-5 वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि० को अपने दो आयातित ट्रालर देने के विषय में भेजा है। इस पर विचार हो रहा है। बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को पट्टे पर ट्रालर देने का कृषि मन्त्रालय में और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठता।

अरकपुर मोची का बाग, मोती बाग-II का विकास

6956. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरकपुर मोची का बाग, मोती बाग II से जल सप्लाई मल निपटान, सड़कों और गलियों आदि जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके, उसका विकास करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार इस गांव के लाल डोरा वाले क्षेत्रों का विस्तार करेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस गांव के कितने मकानों पर विलम्ब शुल्क लगा रखा है और सरकार कितने मकानों से चूल्हा कर वसूल करती है; और

(घ) इस गांव के कुछ मकानों पर विलम्ब शुल्क और अन्य मकानों पर चूल्हा कर लगाने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। जलपूर्ति, सड़क, गली तथा पार्क जैसी मूलभूत सुख-सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मल-निर्यास की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है तथा इसके कार्यान्वय के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इस गांव के लाल डोरे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस गांव की समस्त भूमि, इसकी निकटवर्ती सहित सरकार द्वारा वर्ष 1911-12 में अर्जित की गई थी तथा यह गांव दिल्ली की वृहत्त योजना के अनुसार नगरीकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत भी आता है।

(ग) अब तक, उन 131 मकानों के विरुद्ध हर्जाना लगाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है जो लाल डोरे के बाहर सरकारी भूमि पर बने हैं। चूल्हा कर लगाने के लिए 85 मकानों का कर निर्धारिण किया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि पुराने चूल्हाकरदाताओं की अपनी सन्तान के 109 और मकानों का भी चूल्हा कर लगाने के लिए कर निर्धारण इस बात का ध्यान न रखते हुए किया

25 LSS/75—20.

जाना चाहिए कि वे लाल डोरे के भीतर या बाहर की भूमि के दखल में हैं बशर्ते उनके दखल की संरचनाओं का ग्राम पुनर्विकास योजनाओं में बाधा न हो ।

(घ) इस गांव की भूमि वर्ष 1911-12 में तत्कालीन दिल्ली की शाही राजधानी की स्थापना के लिए अर्जित की गई थी। चूंकि उस समय इसका उपयोग नहीं किया जा सका, अतः सरकार ने गांव के निवासियो को नाममात्र चूल्हा कर देने पर वहीं रहने की अनुमति दे दी । यह निर्णय किया गया है कि पुराने चूल्हा करदाताओं की अपनी सन्तान को भी चूल्हा कर देने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते उनके दखल की संरचनाएं ग्राम पुनर्विकास योजनाओं में बाधक न हों । अन्य सभी अनधिकृत दखलकारों का अनधिकृत दखल और सरकारी भूमि के प्रयोग के संबंध में लागू नियमों के अनुसार हर्जाने का निर्धारण किया जाना है।

पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च प्राथमिकता वाली दो सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन

6957. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रावी व्यास नदियों के फालतू जल के उपयोग के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता वाली दो सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की तकनीकी स्वीकृति हेतु लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत किये थे; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है और इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजाब सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में रावी-व्यास के फालतू जल के समुपयोजन के लिए दो स्कीमें प्राप्त हुई हैं:--

1. यू० बी० डी० सी० के क्षेत्र में गैर-बारहमासी सिंचाई, जिसकी अनुमानित लागत 630 लाख रुपये है तथा इसमें 2,98,670 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को लाभ की व्यवस्था है।

2. शाह-नहर नहर प्रणाली का विस्तार तथा सुधार, इसकी अनुमानित लागत 1,554 लाख रुपये है तथा इसमें 1,20,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई लाभ की व्यवस्था है।

इन स्कीमों में भूतपूर्व पंजाब को आबंटित रावी-व्यास के फालतू जल के कुछ भाग का समुपयोजन शामिल है। दोनों राज्यों के बीच इस जल के बंटवारे के संबंध में दो उत्तराधिकारी राज्यों—हरियाणा और पंजाब में मतभेद हैं । इस मामले के सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ सलाह-मशवरा करके हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रयत्नशील है । इन स्कीमों को दोनों राज्यों के बीच जल का विभाजन सुनिश्चित करने के बाद स्वीकृत किया जाएगा ।

Taking away of Collection on Late Swamy Sarjanand Saraswati and Kisan Sabha by American writer

†6959. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether an American writer, Walter Houser took with him from India a collection of papers concerning the late Swami Sarjanand Saraswati and Kisan Sabha from the Sitaram Ashram, Bihta in Patna District of Bihar;

(b) if so, the authority who allowed him to do so;

(c) whether old documents and records preserved since 1574 in Darbhanga State in Bihar have been sold at waste-paper price to foreigners and taken away by them;

(d) whether the foreigners are visiting India frequently and taking with them old manuscripts outside the country; and

(e) if so, the action taken to check such activities and to preserve old documents, records and manuscripts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) Government have seen press reports about this and are collecting the necessary information.

(d) & (e) Export of historically valuable records over 100 years old is regulated by the Antiquities Export Control Act. The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 which has yet to come into force will regulate in future the export of historically valuable records, manuscripts, etc., which are not less than 75 years old. For the preservation and repair of old documents, records and manuscripts on scientific lines, Government gives technical advise as well as financial assistance to libraries, museums and other holders of such collections to the extent possible within the funds available for the purpose.

Housing arrangements for working women

6960. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether in the context of celeberating 1975 as Women's Year and rendering special service to women and giving them rights, a proposal is under consideration or can be considered that housing arrangements be made for unmarried female teachers or other working women or for those employed in Government and private services in big cities; and

(b) if so, the outline thereof and the time to be taken in its implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) In view of the difficulties which are being faced by working women in getting healthy and suitable accommodation in big cities, the Department of Social Welfare is operating a scheme of assistance to voluntary organisations for the construction of hostels for working women in cities with a population of 2 lakhs and above. The Government of India meets 60 per cent of the cost of construction and the remaining 40 per cent is arranged by voluntary organisations, in some cases with the help of State Governments. During the year 1973-74, a sum of Rs. 1,27,000.00 was released under the Scheme. In the context of the International Women's Year, implementation of the scheme is being intensified. During 1974-75, grants were sanctioned to 45 hostels providing accommodation to about 3000 working women, and a sum of Rs.52,40,425 was released towards the first instalment of grant. A sum of Rs. 60 lakhs has been provided in the budget for the year 1975-76. Such hostels are run on no profit basis and provide suitable accommodation on nominal payment in a healthy and congenial environment. These hostels are meant for working women including unmarried female teachers and those employed in Government and private services.

2. The Central Social Welfare Board has a scheme of grants-in-aid for hostels to working women. Through this scheme, the Board sanctions grants-in-aid to voluntary welfare institutions which may be willing to set up hostels to provide protection and healthy

accommodation at reasonable rates to working women of lower income group. This is available for providing or expanding hostel facilities for working women of lower income groups. During the year 1974-75, 37 hostels in 11 States and one Union Territory were given assistance amounting to Rs. 0.92 lakh, benefiting about 1570 working women.

3. Besides these, the various incentive schemes of the Department of Education also provide for residential quarters for women teachers. The National Council for Women's Education, an advisory body set up by the Department of Education, has recommended that the following facilities be provided for women teachers :

(i) Suitably constructed quarters built in the village and not isolated from the life of the village;

(ii) Provision of twin quarters for teachers and other local functionaries.

The recommendations made by the National Council for Women's Education have been brought to the notice of the State Governments and Union Territory Administrations.

4. The special programmes undertaken by the State Governments also include the programme of construction of women teacher quarters, hostels for girls and construction of common room etc.

गेहूं की वसूली मूल्य बढ़ाने की मांग

6961. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाने के बारे में बहुत से कांग्रेसी संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से 6 मार्च, 1975 को मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या थी; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कृषक संसदीय फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल, जोकि 6 मार्च, 1975 को प्रधान मंत्री से मिला था, ने यह मांग की थी कि गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल से कम निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। बारीकी से विचार करने के बाद, भारत सरकार ने 1975-76 रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं की सभी किस्मों का अधिप्राप्त मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल पर बनाए रखने का निर्णय किया है, जिसकी सिफारिश कृषि मूल्य आयोग ने भी की है।

पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध मस्जिदों को पट्टे पर देने की शिकायतें

6962. **श्री नूरुल हुडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वक्फ परिषद के महा सचिव ने एक फतवा द्वारा मुस्लिम उलेमा को मस्जिदों को पट्ट पर देने को कहा था ;

(ख) क्या सरकार को पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध 1965 से 1973 तक की उनकी कार्यावधि के दौरान मस्जिदों को पट्टे पर दिये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी; और

(ग) क्या उसी चेयरमैन को वर्ष 1973 में उसी बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। परन्तु केन्द्रीय वक्फ परिषद ने वीरान मस्जिद तथा कब्रिस्तान विषयक समिति ने इस मामले में कुछ प्रमुख उलेमाओं और धार्मिक संस्थाओं की राय मांगी थी।

(ख) पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा (उसके चेयरमैन द्वारा नहीं) मस्जिदों को पट्टे पर देने के बारे में 1-11-66 (जिस तारीख को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की बदौलत पंजाब वक्फ बोर्ड इंटर-स्टेट वाडी कारपोरेट बना) से 31-12-73 की अवधि के दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जहां तक 1-1-65 से 31-10-66 की अवधि (जब कि पंजाब वक्फ बोर्ड भूतपूर्व पंजाब राज्य सरकार के नियंत्रण में था) का संबंध है, पंजाब सरकार के पास सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

Wheat Prices

6963. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) prices of wheat that have been obtaining in Haryana since May, 1974 to January, 1975;

(b) the prices of wheat obtaining in Meerut Division of Uttar Pradesh for the same period; and

(c) the prices obtaining in scarcity States during the same period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Two statements giving the required information are attached (Statements I & II).

[**Placed in Library See No. L. T. 9472/75**].

टोस्टा बांध परियोजना

6964. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री 9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को बाढ़ों पर नियंत्रण करने और उत्तरी बंगाल में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये समूचे मास्टर प्लान के भाग के रूप में अनुमानतः 70 करोड़ रुपये वाली टोस्टा बांध परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : तोस्ता बराज प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय पहलू निहित हैं। इस परियोजना पर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले इनको हल किया जा रहा है।

Annual Report of National Akademies in Hindi

†6965. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ignoring the national policy, the annual reports of all the three National Akademies (Sangeet Natak, Sahitya, Lalit Kala) are not being published in Hindi;

(b) if so, reasons therefor;

(c) the steps taken towards full fledged adoption of Hindi in these Akademies and the results thereof and the steps proposed to be taken in future; and

(d) who can be held responsible for having adopted a policy of indifference in this field so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) The Sangeet Natak Akademi and Sahitya Akademi discontinued publication of their annual reports in Hindi from 1971-72 and 1971 respectively, when experience showed that there was only a very limited demand for such copies; also the publication was discontinued as a measure of economy. According to these two Akademies they will be resuming publication of their annual reports in Hindi from the current year onwards. The Lalit Kala Akademi has never published its annual report in Hindi and a proposal for publishing the report in Hindi is under consideration of the Akademi.

(c) and (d) The Sangeet Natak Akademi and Sahitya Akademi have already brought out a number of publications in Hindi. Government instructions on the use of Hindi for official purposes are also complied with by the two Akademies to the extent possible.

भारतीय विश्वविद्यालयों के संकट

6966. **श्री आर० पी० दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के वर्तमान संकट का कारण इनकी संख्या है अथवा यह वित्त के कारण अथवा दोनों के कारण हैं ;

(ख) सरकार ने उक्त संकट को दूर करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है ;

(ग) क्या उक्त कार्यवाही पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को विशेषज्ञों की सिफारिशें क्रियान्वित कर स्थिति में सुधार करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय शिक्षा की जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से एक रोजगार क्षमता, पर्याप्त रूप से योग्य अध्यापकों की उपलब्धता, भौतिक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों में तदनुरूप वृद्धि को ध्यान में रखे बिना दाखिले में अनियंत्रित, गैर-योजनाबद्ध और अव्यवस्थित प्रसार है । जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने, पाठ्यक्रमों को समाज की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने, परीक्षा सुधार स्तरों को ऊंचा उठाने तथा उच्च शिक्षा को समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच में लाने के कार्यक्रमों को गंभीर रूप में हानि हुई है ।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में, सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार को नियंत्रित करने और उच्च शिक्षा की सुविधाओं को समाज के कमजोर वर्गों के लिये बढ़ाने से संबंधित एक पैकेज कार्यक्रम शुरू किया है अध्यापकों के लिये बेहतर ग्रेडों की सिफारिश करके तथा राज्य सरकारों को सहायता देकर, सरकार ह आशा करती है कि इससे अध्यापन व्यावसाय के प्रति उच्च योग्यता वाले

प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित हो सकेंगे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त किये गये विषय पैनल और विशेषज्ञ समितियां अध्ययन के पाठ्यक्रमों में सुधार करने के लिये तथा उन्हें देश की विकासात्मक आवश्यकताओं से और अधिक सुसंगत बनाने के लिये प्रयास कर रही है । पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं और कालेजों में विज्ञान तथा मानविकी के अध्ययन में सुधार करने, अधिक अनुसंधान अवसर, अधि-छात्रवृत्तियां और छात्रावास कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करने विशेष रूप से पत्राचार पाठ्यक्रम राष्ट्रीय छात्र सेवा के कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में विश्वविद्यालयों के छात्रों को शामिल करने, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण करने ताकि उस स्तर के समाप्त होने पर अधिक संख्या में छात्र रोजगार क्षेत्र में प्रवेश कर सकें इत्यादि जैसी बेहतर भौतिक सुविधाओं के कार्यक्रम पहले ही शुरू किये जा चुके हैं अथवा शुरू किये जा रहे हैं । कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेजों की संख्या में वृद्धि की दर में से तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 243 की औसत से 1973-74 वर्ष के दौरान 150 तक कम हो गयी है । इसमें और अधिक कमी होने की संभावना है । विश्वविद्यालयों और कालेजों के नामांकन में वृद्धि की दर, जो प्रति वर्ष 11 और 13 प्रतिशत के बीच में थी, अब लगभग 7 प्रतिशत तक रह गयी है ।

वेतनमानों का संशोधन करते समय विश्वविद्यालय/कालेज अध्यापकों पर काम की शर्तें लागू करना

6967. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध है जिसमें वेतनमानों का संशोधन करते समय विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों पर काम की शर्तें लागू किये जाने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो वह उपबन्ध क्या है और उसका क्रियान्विति क्षेत्र क्या है और पहले ही से विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों पर काम की शर्तें लागू करने के लिये इस उपबन्ध का कितनी बार प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने गत वर्ष वेतनमानों में सुधार की घोषणा करते समय ये शर्तें किन कारणों से लागू की ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) से (ग) उच्च शिक्षा की संस्थाओं में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वयन केन्द्रीय सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है जिसे वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए निभाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, संसद द्वारा, विश्वविद्यालयों में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वयन की व्यवस्था करने के लिये पारित किया गया था और उस प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी।

केन्द्रीय सरकार ने, मुख्य रूप से शैक्षणिक स्तरों में सुधार लाने के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस आशय की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय किया है कि, अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती पद्धति इत्यादि के बारे में आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों सहित परिशोधित वेतनमान दे दिये जायें जो कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये प्रतिस्थापन वेतनमानों से अधिक हैं ;

आयोग ने दोनों बार-वेतनमान परिशोधित करते समय तथा किसी अन्य अवसर पर भी इस उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न शर्तें निर्धारित की हैं जो कि अर्हताएं, भर्ती प्रणाली, निवर्हन आयु, आवधिक लाभ इत्यादि से संबंधित हैं ।

आयोग को, अपने अधिनियम की धारा 26(i)(ङ) के अन्तर्गत, "विश्वविद्यालय के अध्यापन स्टाफ में नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति की, सामान्यता अपेक्षित अर्हताएं, शिक्षा के उस शाखा पर ध्यान रखते हुए निर्धारित करना, जिसमें उससे शिक्षा देने की आशा की जाती है" के बारे में विनियम बनाने पर भी अधिकार है ।

Scheme for compost manure

6968. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have forwarded to the States any scheme to prepare compost manure;

(b) main features of the scheme; and

(c) the names of those States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (c) Yes, Sir. A comprehensive Scheme for the development of local manurial resources including preparation of compost manure has been forwarded to the States for implementation during the Fifth Five Year Plan period. The Scheme is being implemented with financial assistance from the Centre.

(b) The scheme for development of local manurial resources has been included in the Central Sector in the Fifth Five Year Plan. The Scheme involves an outlay of Rs. 5 crores and comprises of the following five components :—

I. Setting up of 27 mechanical compost plants in the cities having population of 3 lakh and above to manufacture compost manure from city wastes. Under the programme, Central assistance by way of grant-in-aid @33% of the capital cost will be given to Municipal Committees/Corporations/Agro-Industries Corporations volunteering to set up such plants.

II. Implementation of 200 sewage/sullage utilisation schemes in cities/towns where such potentialities exist. Under the programme Central assistance by way of grants-in-aid @33% of the capital cost will be given to Municipal Corporation/Committees, volunteering to take up such schemes.

III. Setting up of 1,00,000 gobar gas plants in the country for production of fuel gas and good quality manure. The first 20,000 gobar gas plants will be set up during 1974-75 & 1975-76 under a "seeding programme" for which 25% subsidy on capital cost will be given to the beneficiaries. Besides, loan assistance will be provided by the nationalised banks.

IV. Award of prizes to local bodies and Gram-panchayats doing excellent compost work.

V. Organisation of 200 demonstration-cum-training camps each year during the Fifth Plan period by the Farmer's Associations on production and use of organic manures. Central assistance by way of grant-in-aid @Rs. 250 per camp organised will be given to such associations.

Advertisement for posts of Principals for Higher Secondary Schools in Delhi

†6969. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether same academic qualifications and experience have been prescribed for the principals of Government Higher Secondary Schools and aided schools in Delhi; and

(b) if so, whether some school managements are putting out advertisements for the posts of Principals in an arbitrary manner in variance to the qualifications and experience prescribed therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) In accordance with the Delhi School Education Rules, 1973, the qualifications prescribed, among others, for Principals of Government Higher Secondary Schools will also be applicable to Principals of Government aided Higher Secondary Schools.

(b) Only one case has so far come to the notice of the Delhi Administration where old qualifications are reported to have been advertised, after the date of notificationof the revised qualifications.

एक अमरीकी नागरिक द्वारा सरमिष्ठा की पांडुलिपि की खरीद

6970. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी नागरिक ने भारत में अपने अनुसंधान कार्य के दौरान महान कवि माइकेल मधुसूदन दत द्वारा लिखित 'सरमिष्ठा' की मूल पांडुलिपि 30,000 रुपये में खरीदी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में सरकार का उक्त मूल्यवान पांडुलिपि को वापिस प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रंथालय में आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्यान मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु के लिए चावल

6971. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के खाद्य मंत्री के अनुसार पंजाब उस राज्य के लिये उतना चावल देने को तैयार था जितना कि वह दे सकता है लेकिन केन्द्र ने बीच में बाधा उत्पन्न कर दी;

(ख) क्या सूखाग्रस्त तमिल नाडु को 5 लाख मीटरी टन चावल आवंटित करने के बारे में केन्द्र से अनुरोध किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो राज्य की सही मांग को मनाने में केन्द्र द्वारा विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने सूचित किया था कि उनके अनुरोध पर पंजाब के मुख्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अपनी खपत के लिये अधिप्राप्त किये गये स्टाक में से चावल की कुछ मात्रा सप्लाई करना मान लिया था बशर्ते कि तमिलनाडु सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ले । उनके इस अनुरोध पर विचार किया गया था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जा सका था क्योंकि राज्यों के बीच द्विपक्षीय सौदों की, जिस में एक जोन से दूसरे जोन को चावल का संचलन करना भी शामिल होता है, अधिकतम अधिप्राप्ति करने के हित में (इस समय) इजाजत नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार ने जनवरी, 1975 से चावल सहित 1 लाख मी० टन खाद्यान्नों का मासिक आवंटन करने का अनुरोध किया है । बाद के पत्र में उन्होंने अक्तूबर, 1975 तक 50,000 मी० टन प्रति मास के हिसाब से 5 लाख मी० टन चावल आवंटित करने के लिये अनुरोध किया था । केन्द्रीय पूल में चावल की सीमित उपलब्धता, केरल और पश्चिमी बंगाल जैसे चावल की खपत करने वाले अत्यधिक कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तमिलनाडु को केन्द्रीय पूल से केवल 7,500 मी० टन चावल ही आवंटित किया जा सका था । तथापि, तमिलनाडु की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये गेहूं के कोटे को अक्तूबर-दिसम्बर, 1974 के 5,000 मी० टन से बढ़ाकर जनवरी, 1975 के लिये 16,000 मी० टन, फरवरी, 1975 के लिये 41,000 मी० टन, मार्च, 1975 के लिये 51,000 मी० टन और अप्रैल, 1975 के लिये 53,500 मी० टन कर दिया गया है । इसके अलावा, तमिलनाडु को रोलर आटा मिलों की सप्लाई करने के लिये प्रति मास 9,000 मी० टन गेहूं भी आवंटित किया जा रहा है ।

पुरातत्व विभाग का उत्तर-पश्चिमी सर्किल कार्यालय

6972. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग के उत्तर-पश्चिमी सर्किल कार्यालय का 1961 में दिल्ली से देहरादून स्थानान्तरण कर दिया गया था और अब इसे चार स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप केवल इसका एक भाग नये महानगरीय सर्किल कार्यालय के रूप में दिल्ली वापिस लाया जा रहा है ;

(ख) इसे विभाजन किये जाने तथा इस कार्यालय के अधिकांश भाग को देहरादून से श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर राज्य) जैसे दूरवर्ती स्थान पर भेजे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस विभाग के कर्मचारियों से इस संबंध में अभ्यावेदन मिलते हैं; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1965 में गठित पुरातत्व पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिक अच्छे ढंग से पर्यवेक्षण और इमारतों के रख-रखाव, सभी सर्किलों के कुशलता पूर्वक

कार्य संचालन तथा राज्य सरकारों से निकटतर समन्वयन के लिये सर्वेक्षण के वर्तमान सर्किलों को पुनर्विभाजित करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) जी, हां, तो इन अभ्यावेदनों के मुख्य मुद्दे नीचे दिये जाते हैं :-

(1) कि कर्मचारियों को रहने के लिये निवास स्थानों की खोज करनी पड़ेगी जो कि थोड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये एक कठिन समस्या है।

(2) उन्हें अपने बच्चों के लिये स्कूल और कालेजों में नये सिरे से दाखिले की खोज करनी पड़ेगी।

(3) स्थानान्तरण से वे लोग अधिक प्रभावित होंगे जिन्होंने अपने निजी मकान खुद अथवा सरकारी अग्रिम राशि धन लेकर बनाये हैं।

(4) स्थानान्तरण से उनकी वरीयता पर प्रभाव पड़ेगा।

(5) हरियाणा क्षेत्र के स्मारकों की तरफ श्रीनगर से उचित ध्यान नहीं दिया जा सकता, जोकि सर्किल का नया मुख्यालय होगा, जिसको हरियाणा के अधिकतम स्मारक स्थानान्तरित किये जायेंगे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी कर्मचारियों को लोकहित में भारत के किसी भाग में नियुक्त करने का दायित्व है। स्मारकों से संबंधित कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होते मुख्यालय से संबंधित कर्मचारियों को देहरादून या उनके निवास स्थानों के आस-पास लोकहित और रिक्त स्थानों की उपलब्धि के अनुरूप पदों पर खपाने के लिये सभी प्रयास किये जायेंगे।

भारत सरकार के स्थानान्तरित कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले आमतौर पर उन शहरों के केन्द्रीय स्कूलों में दिये जाते हैं जिनको उनकी बदली की जाती है।

सामान्य नियमों के अनुसार स्थानान्तरित कर्मचारी सरकारी आवास पाने के अधिकारी होते हैं।

जिन कर्मचारियों की वरीयता सर्किल के अनुसार रखी जाती है, उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आंतरिक वरीयता पंक्तिबद्ध की जा रही है।

सरकार व्यक्तिगत रूप से उनकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकती, जिनके एक या अन्य स्थानों पर अपने निजी मकान हैं। सर्किलों के पुनर्विभाजित करने में सभी प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिये गये हैं, जिनमें महत्व के आधार पर सर्किलों के व्यवहारिक स्वरूप और उसके स्मारकों की संख्या और स्मारकों को उपयुक्त रूप से देखभाल करने के लिये सर्किल के पर्यवेक्षण कर्मचारियों की क्षमता शामिल है।

उत्तर प्रदेश में 'ओपन एग्जामिनेशन' (खुली परीक्षा)

6973. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वे 'ओपन एग्जामिनेशन' (खुली परीक्षा) पद्धति आरम्भ करने के लिये तैयार हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से इस विषय पर हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

Electrical Fittings in the Central Warehousing Godown in Morena District, M.P.

6974. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether electrical fittings in the Central Warehousing godown in Morena district (Madhya Pradesh) were installed by a certain electric company during the last two years;

(b) if so, the name of that electric company; and

(c) the payments made to the company on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The work of electrical fittings at Central Warehouse, Morena, was undertaken by Shri Mahesh Chandra Gupta of 4, New Market, Station Road, Morena, who is a contractor and not a company.

(c) An amount of Rs. 2348.26 has so far been paid to the contractor.

लाख का उत्पादन

6975. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाख की कितनी मात्रा का वार्षिक उत्पादन होता है और बाजार भाव पर उसका प्रति क्विंटल मूल्य क्या है ;

(ख) प्रति वर्ष लाख की कितनी औसत मात्रा का निर्यात होता है और किन किन देशों को निर्यात किया जाता है और प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य क्या है; और

(ग) लाख के उत्पादकों के लिये प्रति किलोग्राम कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस समय लाख उत्पादकों के लिये कोई सहाय्य मूल्य निर्धारित नहीं किया हुआ है ।

विवरण

(क) 1972-73 और 1973-74 के दौरान पैदा हुई लाख की कुल मात्रा और उसका इस समय का बाजार-भाव के हिसाब से मूल्य और उस समय का प्रचलित बाजार-भाव ।

वर्ष	कच्ची लाख का उत्पादन	विद्यमान बाजार भाव के हिसाब से मूल्य (मार्च, 1975 को 4300.00 रुपये प्रति मीटरी टन के आधार पर)	1972-73 के दौरान 4230.00 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से और 1973-74 के दौरान 11240.00 रुपये प्रति मीटरी टन की दर से प्रचालित बाजार-भाव
	(मीटरी टन)	(करोड़ रुपये)	(करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1972-73 . . .	17,039	7.327	7.207
1973-74 .	19,258	8.281	21.645

भाग (ख)

निर्यात की गई सभी प्रकार की लाख की कुल मात्रा उसका प्रति क्विंटल मूल्य, कुल आय, तथा वे देश जिनको सामान्यतया इसका निर्यात किया जाता है ।

वर्ष	मात्रा (क्विंटल)	मूल्य (करोड़ रुपये)	प्रति क्विंटल मूल्य	देश जिनको लाख निर्यात की गई
1	2	3	4	5
			रुपये	
1972-73 .	75,640	6.19	8177	इंग्लैंड, संघीय जर्मन गणराज्य, अमेरिका, सोवियत रूस, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्राज़ील आस्ट्रेलिया, बेलजियम चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली और जापान ।
1973 74 .	52,860	12.78	24191	

कलकत्ता जल प्रदाय निगम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की जल शुद्धि योजना

6976. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता जल प्रदाय निगम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोई जल शुद्धि योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैकल्पिक आवास के लिए श्री ए० वी० गाडगिल द्वारा दिया गया आश्वासन

6977. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एन० वी० गाडगिल द्वारा वैकल्पिक आवास के आवंटन के बारे में दिय गये आश्वासनों को अद्यतन पूरा किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामले विचाराधीन पड़े है तथा उनका ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भूमि तथा विकास कार्यालय के नियंत्रणाधीन भूमि पर अनधिकृत रूप से बैठे 12 पात्र व्यक्तियों को न्यू राजैन्द्र नगर, नई दिल्ली में पुनः बसाये जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1221 व्यक्तियों को (कुछ मामलों में सबूत अभी प्राप्त किये जाने हैं) इसी प्रकार के लाभ के लिये पात्र पाया है। प्राधिकरण उन के पुनर्वास के लिये विभिन्न योजनायें तैयार कर रहा है।

काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य हार्बर

6978. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन मंजूरी के लिये काकीनाडा में मत्स्य हाबर के सम्बन्ध में कुछ योजनाओं की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्र सरकार का उन पर क्या निर्णय है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) काकीनाडा में प्रस्तावित मात्स्य की बन्दरगाह में घाट, जैटी पुरतवान, सड़कें पानी की सप्लाई जल-निकास आदि के निर्माण की व्यवस्था है। बन्दरगाह के पूरे हो जाने से 10 मीटर की लम्बाई

वाले 90 मात्स्यकी जलयान और 12 से 15 मीटर तक की लम्बाई वाले 60 मात्स्यकी जलयान चलाये जा सकेंगे। हाल में ही 64.80 लाख रु० के संशोधित प्राक्कलन को धन राशि परियोजना के लिये प्राप्त हुई है। विश्व बैंक के एक दल ने भी नवम्बर, 1974 में बन्दरगाह के स्थान का निरीक्षण किया। संशोधित प्राक्कलन पर आधारित आर्थिक मूल्यांकन की रिपोर्ट की आगे की कार्यवाही के लिये उपलब्ध की जा रही है।

Fire Fighting Service for Newsprint plantations of M.P.

6979. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is a great need for setting up a full-fledged fire-fighting service for growing Salai plants used for manufacturing newsprint so that the capital invested in the plantation may not get lost ; and

(b) whether there is also a need to set up an ideal fire fighting service with latest equipments in Nepanagar of Madhya Pradesh where there is already a newsprint manufacturing mill and also to construct roads there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Supply of Additional Quota of Sugar to Madhya Pradesh for 1973-74

6980. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether an additional quota of sugar for Madhya Pradesh was sanctioned for 1973-74 over and above the sugar quota sanctioned in 1972-73;

(b) if so, whether the same has been supplied or is yet to be supplied to the State ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The basic monthly quotas of levy sugar for various States including Madhya Pradesh, have been fixed in March, 1972 taking into account the population figures as recorded in 1971 census and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month. Due to limited availability, no additional quota of levy sugar is generally allotted to a State.

Grant to M.P. for Social Welfare

6981. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a grant was given to Madhya Pradesh for Social Welfare in 1974; and

(b) if so, the kind of grant and the break-up thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir.

(b) The grants given by the Department of Social Welfare and the Central Social Welfare Board to Madhya Pradesh in the year 1974-75 for the different programmes are shown below :—

Department of Social Welfare

Scheme	Amount (In rupees)
1. Welfare of Destitute Children	39,330
2. Development of schools/Ashrams for the Blind, Deaf and Dumb	76,236
3. Assistance to voluntary organisations engaged in field of Womens' welfare for the construction/expansion of hostel buildings for working women.	5,66,650

Central Social Welfare Board

Scheme	Amount (In rupees)
1. General Grant-in-aid	3,83,559
2. Grant-in-aid to Mahila Mandals	1,71,700
3. Holiday Camps	34,100
4. Socio-economic programme	5,000
5. Welfare Extension Projects (Urban)	8,125
6. Condensed Courses of Education for Adult women.	2,30,100
7. Welfare Extension Project (Community Development)	1,97,000 (includes liability for previous year).
8. Balwadis in erstwhile demonstration projects	1,29,000 (Includes liability for pervious year).
9. Integrated Pre-school Projects (Urban Neighbourhood)	24,875
10. Family and Child Welfare Projects	11,54,400
11. Family and Child Welfare Training	1,04,000
12. Nutrition Programme through Balwadis/Day Care Centres.	6,73,900 (includes liabilities of previous years also).

पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की खेती के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता

6982. **श्री टुना उरांव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सूरजमुखी की खेती के लिये पश्चिम बंगाल को गत तीन वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में कितने क्षेत्रफल में खेती की गई और आज तक इस बारे में क्या परिणाम प्राप्त हुये; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में किये जाने वाले संभावित कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना में कौन से गांवों के सम्मिलित किये जाने की आशा है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को तिलहनों के लिये लागू की जाने वाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये, जिसमें सूरजमुखी का प्रदर्शन/विकास शामिल है, दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:--

वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1972-73	3.00
1973-74	2.47
1974-75	3.25

(ख) गत तीन वर्षों में सूरजमुखी के प्रदर्शन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

वर्ष	योजना		लक्ष्य (हेक्टार)	उपलब्धि (हैक्टार)
1972-73	सूरजमुखी प्रदर्शन		700	700
1973-74	सूरजमुखी प्रदर्शन		200	200
1974-75	सूरजमुखी विकास			
	(1) पैकेज कार्यक्रम	10,000	राज्य से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।	
	(2) प्रदर्शन	160		

(ग) 1975-76 में सूरजमुखी के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें को जारी रखने सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकारों से आने हैं। तथापि, 1975-76 के दौरान राज्य में 20,000 हैक्टार क्षेत्र में सूरजमुखी के विकास का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक राज्य में चावल मिलें तथा भूसी निकालने वाली मिलें

6983. **श्री टुना उरांव**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में चावल तथा धान के थोक विक्रेता कितने-कितने हैं,

(ख) प्रत्येक राज्य में चावल मिलें कितनी-कितनी हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है, और

25 LSS/75—7.

(ग) प्रत्येक राज्य में लायसेंस-धारी तथा बिना लाइसेंस वाली भूसी निकालने वाली मिलें कितनी-कितनी हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तक : इस सम्बन्ध में अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

भू तथा जल परिरक्षण सम्बन्धी सम्मेलन

6984. **श्री टुना उरांव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू तथा जल परिरक्षण के बारे में सितम्बर, 1974 में दिल्ली में एक तीन-दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या-क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उक्त सिफारिशों के अनुसार किये गये कार्य में अब तक, राज्य-वार, कितनी प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9473/75]

आयातित खाद्यान्नों में कूड़ा-करकट तथा अखाद्य सामग्री के बारे में महाराष्ट्र की ओर से शिकायतें

6985. **श्री टुना उरांव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से यह शिकायत की है कि विदेशों से आयातित खाद्यान्नों में 25 प्रतिशत तक कूड़ा-कर्कट तथा अखाद्य सामग्री मिली होती है ;

(ख) क्या उक्त शिकायत का सत्यापन किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या उक्त कूड़ा-कर्कट के कारण महाराष्ट्र सरकार को होने वाली हानि के लिये क्षतिपूर्ति दी गई है; और

(घ) यदि हां, वर्ष 1972-73 में तथा वर्ष 1973-74 में फरवरी के अन्त तक किस रूप में तथा किस सीमा तक क्षतिपूर्ति की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की पदावनति

6986. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री जूनियर इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों के बारे में 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विचार सहायक इंजीनियरों, कार्यकारी इंजीनियरों, सुपरिनटेंडिंग इंजीनियरों तथा चीफ इंजीनियरों की पदोन्नतियां उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये निर्णय के अनुसार ठीक वरिष्ठता के अनुसार करने का है जैसा कि जूनियर इंजीनियरों के मामले में किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार तुरन्त सभी उच्चस्तरीय इंजीनियरों की पदावनतियों करने का है;

(ग) यदि हां, तो पदावनत किये जाने वाले इंजीनियरों का ब्यौरा क्या है तथा जिनको अपनी पात्रता से अधिक पदोन्नति मिली है उन्हें पदावनत करने में संभवतः कितना समय लगेगा; और

(घ) यदि कोई पदावनति नहीं करने का विचार है, तो विभिन्न श्रेणियों के अपने इंजीनियरों के साथ भेदभाव का व्यवहार करने के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) श्री सुब्रामन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर कार्मिक विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है। इस का कार्यान्वयन, इस की जटिलताओं का पता चलने के शीघ्र बाद किया जायेगा। इस के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं। यह प्रश्न कि पूर्व पदोन्नत किये गये व्यक्तियों में से, यदि आवश्यक हो, किस का प्रत्यावर्तन किया जाय, इसका तभी पता लग सकेगा जब कि पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची बना ली जाये, उन की स्थित, अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्धारित कर ली जाये तथा उन से वरिष्ठ समझे जाने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति के प्रयोजन के लिये छांट लिया जाये।

तथापि, कनिष्ठ इंजीनियरों के मामले के साथ तुलना करना ठीक नहीं है। कनिष्ठ इंजीनियरों का एक काडर है जिस से उन की पदोन्नति सहायक इंजीनियरों के अगले उच्चतर रक में की जाती है तथापि, प्रथम श्रेणी केन्द्रीय इंजीनियरी तथा बिजली इंजीनियरी सेवाओं में कार्यपालक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति दो भिन्न भिन्न स्त्रोतों अर्थात् प्रथम श्रेणी सेवा के कनिष्ठ ग्रेड तथा द्वितीय श्रणी इंजीनियरिंग सेवा से की जाती है। दो विभिन्न सेवाओं के सदस्यों के बीच परस्पर वरिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

(ग) तथा (घ) क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अभी तक अध्ययन किया जा रहा है अतः इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक ही क्षेत्र में काम कर रहे सहायक इंजीनियर तथा कार्यकारी इंजीनियर

6987. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बहुत से सहायक इंजीनियर तथा कार्यकारी इंजीनियर किसी दूरस्थ क्षेत्र में न जाकर एक हीं क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने इंजीनियर दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी नियुक्त किये जाने हैं और उन्हें किन-किन लक्षित तारीखों तक वहां नियुक्त किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) अन्डमान द्वीप समूह में तैनात तथा वहां पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुकने वाले इंजीनियरों को किस लक्षित तारीख तक वहां से वापस बुला लिया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काफी बड़ी संख्या में सहायक इंजीनियर तथा कार्यपालक इंजीनियर (सिविल तथा बिजली) कार्य कर रहे हैं। यह बताना संभव नहीं है कि इन में कितने ऐसे हैं जिन्हें अभी सदूरवर्ती स्थानों में तैनात किया जाना है। इस बारे में सामान्य नीति यह रही है कि कार्यपालक इंजीनियर/सहायक इंजीनियर के स्थान विशेष में तैनाती की एक सामान्य अवधि 3 से 4 वर्ष तक है सिवाय दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर जहां यह अवधि 3 वर्ष है। मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, अगस्त, 1973 में बारी बार स्थानान्तरणों पर रोक लगाई गई थी। तथापि, ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों में 4 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे/अपवादात्मक मामलों में कठिन क्षेत्रों से स्थानान्तरण के लिये संवेदनाशील आधार पर अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है, चाहे दुर्गम क्षेत्रों में ठहरने की अवधि 4 वर्ष से कम ही क्यों न हो। इस समय, ऐसी कोई निर्धारित तिथि निश्चित करना संभव नहीं है जिससे ऐसे अधिकारियों के तैनाती के मामले पर विचार किया जाय जिनको तेनाती अभी तक सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नहीं हुई।

(ग) ऐसे अधिकारियों के मामले पर जो अण्डमान में तैनात हैं, के स्थानान्तरण के मामले पर विचार किया जाता है जैसे ही वे वहां अपनी समय अवधि पूरी कर लेते हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन प्राप्त सहायता

6988. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी मात्रा में सहायता प्राप्त हुई और उसका राज्य वार किस प्रकार वितरण किया गया, और

(ख) खाद्य सहायता को न केवल उत्पादक परिसम्पत्तियों बनाने बल्कि श्रम की उत्पादकता को भी बढ़ाने हेतु देश में निर्माण कार्यक्रम के साथ समेकित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त खाद्य सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरणों में दिया गया है: ग्रन्थालय में रखे गये। (देखिये संख्या एल० टी० 9474/75)

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का उपयोग मुख्यत: देश में उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये 'फूड फार वर्क्स' नामक परियोजनाओं पर किया गया है। परन्तु केवल 10288 मीटरी टन गेहूं का उपयोग उड़ीसा में तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के राहत कार्य के लिये किया गया था।

'फूड फार वर्क्स' नामक परियोजनाओं में लघु तथा मुख्य सिंचाई कार्य, भूमि विकास, मुद्रा संरक्षण, कुक्कुट पालन, डेरी विकास, आदि विकास कार्य शामिल हैं। ये विकास कार्य श्रम प्रधान है और इनका क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का उपयोग नियुक्त किये गये श्रमिकों को मजदूरी के रूप में आंशिक अदायगी करने के लिये किया जाता है। इस प्रकार संबंधित राज्यों को जो बचत होती है उसे इसी प्रकार के विकास कार्यों की परियोजनाओं में लगाया जाता है अथवा खाद्य वस्तुयें नियुक्त किये हुये श्रमिकों को बेची जा सकती हैं और उससे प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग परियोजनाओं के उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।

योग का प्रचार

6989. **श्री वसन्त साठे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य रूप से जनता में तथा विशेष रूप से छात्र वर्ग में योग के प्रचार के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान यौगिक अनुसन्धान के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) : सरकार शारीरिक शिक्षा के स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाने के लिये एक कार्यक्रम तैयार कर रही है। योग को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का अभिन्न अंग समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, योगा में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने की एक योजना/और/अथवा योग में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत योग में बुनियादी अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिये अर्थात मानव जीवन पर योग के समय प्रस्तावों पर वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सरकार, केवल्यधाम श्रीमान् मानव योग मन्दिर समिति (के० श्री मा० यो० मन्दिर समिति), लोनावाला और विश्वायतन योगाश्रम (दिल्ली तथा कटरा बैष्णव देवी) को अनुरक्षण तथा विकास अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दे रही हैं। छात्रों में योग को लोक प्रिय बनाने के लिये, राज्य सरकारी और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को मिडिल, और हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कलों में यौगिक अभ्यासों के एक वर्गीकृत पाठ्यचर्या की शारीरिक शिक्षा के एक भाग के रूप में सिफारिश की गई हैं।

भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद योग के चिकित्सीय पहलुओं में अनुसन्धान कार्य को प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रयोजन के लिये, पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उसके बजट में लगभग 46.00 लाख रुपये के आबंटन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में समाज कल्याण कार्यों के लिये मंजूर की गई धनराशि

6990. **श्री अनादिचरण दास : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग ने उड़ीसा में विभिन्न समाज कल्याण कार्यों के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि मंजूर की थी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): 11399 लाख रुपये।

गेहूं का आयात

6991. **श्री शंकरनारायण सिंह देव : क्या कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में गेंहूं की कीमतों में वृद्धि से भारत द्वारा किये जाने वाले गेहूं के आयात पर काफी असर पड़ने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष विश्व बाजार में गेहूं की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय बोझ होने की संभावना है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): विश्व की मंडियों में गेहूं के मूल्यों में और भाड़े की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने के कारण, 1973 की तुलना में 1974 में आयातित गेहूं के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। तथापि, जनवरी, 1975 से, विश्व की मंडियों में गेहूं के मूल्यों में कुछ नरमी आई है। 1975 के दौरान आयात पर कितना खर्च होगा, वह वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा और मूल्य-प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा ।

चावल के लिये समर्थन मूल्य

6992. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न किस्मों के चावल के समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) साहाय्य मूल्य, जो कि न्यूनतम आर्थिक स्तर से नीचे मूल्यों के गिरने पर उत्पादकों के लिये गारन्टी के रूप में काम करने के लिये होते हैं, सामान्यतः धान के लिये निर्धारित किये जाते हैं जोकि उत्पादकों से खरीदा जाता है। वे चावल के लिये नहीं होते हैं जोकि मिल मालिकों से खरीदा जाता है। तथापि, खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के दौरान धान के लिये कोई साहाय्य मूल्य घोषित नहीं किये गये थे क्योंकि यह महसूस किया गया था कि चल रही मूल्यप्रवृत्ति को देखते हुये ऐसा करना आवश्यक नहीं था

वर्ष 1974-75 में चीनी मिलों को बिक्री तथा लाभ

6993. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1974-75 में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों की शुद्ध बिक्री कितनी रही, और

(ख) प्रत्येक मिल ने इस अवधि में कितना लाभ कमाया?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) : एक विवरण संलग्न है जिसमें वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान प्रत्येक राज्य की चीनी फैक्ट्रियां द्वारा चीनी की सुपुर्दगियों/प्रेषकों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) व्यक्तिगत चीनी मिलों द्वारा कमाये गये लाभ अथवा उनको हुई हानि का केवल फैक्ट्रियों के वर्ष 1974-75 के खातों की लेखा परीक्षा होने के बाद तथा उनके तुलन पत्रों के प्रकाशित होने के बाद ही पता लग पायेगा।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1974-75 (अप्रैल-मार्च) के दौरान (1) राज्य के स्वामित्व वाली/राज्य द्वारा प्रबन्धित फैक्ट्रियों और (2) संयुक्त स्टाक तथा सहकारी क्षेत्रों की शेष फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की सुपुर्दगियों/प्रेषणों को बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य	राज्य के स्वामित्व वाली/राज्य द्वारा प्रबंधित फैक्ट्रियों द्वारा सुपुर्द/प्रेषित की गई चीनी की मात्रा	संयुक्त स्टाक और सहकारी क्षेत्रों की शेष फैक्ट्रियों द्वारा सुपुर्द/प्रेषित की गई चीनी की मात्रा
1	2	3
उत्तर प्रदेश	107	1146
बिहार	5	215
पश्चिमी बंगाल	नग०	7
असम	—	6
हरियाणा	—	96
पंजाब	—	61
राजस्थान	6	20
मध्य प्रदेश	—	31
उड़ीसा	—	8
नागालैंड	2	—
महाराष्ट्र	12	1004
गुजरात	—	169
गोआ	—	2
कर्नाटक	45	254
केरल	—	24
आन्ध्र प्रदेश	25	309
तमिल नाडु	—	459
पांडिचेरी	—	28
अखिल भारतीय	202	3839

नग०—नगण्य

संसद भवन के निकट ग्रन्थालय भवन का निर्माण

6994. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद भवन के निकट एक ग्रन्थालय का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) उसे कब तक पूरा किया जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस भवन को, पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर नये संसद सचिवालय भवन के सामने प्लाट नं० 114 पर बनाने का प्रस्ताव है। यह नौ मंजिली आ० सी० सी० फ्रेमकी संरचना होगी जिसमें दो बेसमेंट फ्लौर शामिल हैं।

(ग) 1,71,48,194/–– रुपये।

(घ) नये निर्माण कार्य आरम्भ करने पर प्रतिबन्ध लगने के कारण यह निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह कार्य कब पूर्ण हो जायेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के टोकनों की प्रतीक्षा-सूचियों को निपटाने के लिये कार्यवाही करना

6995. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना में दूध के टोकनों के लिये पंजीकरण की श्रेणियों और संख्या के बारे में 10 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी में अन्तिम पंजीकरण संख्या क्या है जिन पर 1 मार्च, 1975 को दूध के टोकन जारी किये गये थे; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची को निपटाने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) प्रत्येक श्रेणी में अन्तिम पंजीयन संख्या का जिस पर 1 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार दूध के टोकन जारी किये गये थे, एक विवरण संलग्न है।

(ख) अब तक दिल्ली दुग्ध योजना की तरह दूध संभालने की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन लगभग 3 लाख लिटर परिष्कृत दूध की थी। योजना दिल्ली के नागरिकों को यथासंभव अधिक से अधिक दूध वितरित करने के लिये दूध संभालने के अपनी अधिष्ठापित क्षमता का लगभग पूरा-पूरा प्रयोग कर

रही है। प्रतिदिन 3.75 लाख लिटर तरल दूध संभालने के लिये इस क्षमता का विस्तार करने के लिये बड़े पैमाने की एक परियोजना हाल में शुरू की गई थी और सभी संबंधित निर्माण कार्य अब लगभग पूरा कर लिया गया है। इस बढ़ी हुई क्षमता को विभिन्न चरणों में चालू किया जा रहा है और दुग्ध-वितरण का सामान्य स्तर बढ़ाकर प्रतिदिन लगभग 3.18 लाख लिटर कर दिया गया है। जब बकाया अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग किया जाने लगेगा तो प्रतीक्षा-सूची के अधिकांश व्यक्तियों को निकट भविष्य में टोकन जारी कर दिये जायेंगे।

विवरण

1. अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यावेदन	17599
2. डाक्टरों द्वारा चिकित्सा के आधार पर सिफारिश किये गये अभ्यावेदन	9406
3. सैनिकों के अभ्यावेदन	13249
4. सरकारी अधिकारियों के अध्यावेदन	9292
5. अन्य सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन . .	24372
6. विशेष और जरूरी परिस्थितियों में सिफारिश किये गये अभ्यावेदन।	3312
7. सामान्य श्रेणी .	46254

दिल्ली में डेरी विकास निगम के दुग्ध केन्द्र (बूथ)

6996. **श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास निगम अथवा किसी अन्य सरकारी उपक्रम ने दिल्ली/नई दिल्ली में कहां-कहां पूरे दिन खुले रहने वाली 'स्लेटर' प्रणाली के दुग्ध केन्द्र खोले हैं;

(ख) क्या पुरानी दिल्ली में भी ऐसे दुग्ध केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा पुरानी दिल्ली में ऐसे दुग्ध केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने बल्क वेंडिंग मिल्क बूथ स्थापित किये हैं .उनको प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) जी हां। वर्ष 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निम्न-लिखित तीन स्थानों पर, (जो पुरानी दिल्ली के आस–पास उपलब्ध हुये हैं) बल्क वैंडिंग मिल्क बूथ स्थापित करने का विचार है :—

(1) परेड ग्राऊंड रोड, एस्प्लेनेड रोड व जामा मस्जिद के मिलान का स्थान।

(2) असफ अली रोड और अंगोरी घटा रोड के मिलान पर।

(3) असफ अली पार्क के आस-पास, साइकिल पार्किंग प्लेस के अन्दर असफ अली रोड।

विवरण

क्रम सं०	केन्द्र का नं०	स्थिति
1.	009	मेन मार्किट के समीप, डिफेन्स कालोनी।
2.	019	बत्तरा मार्किट, मालवियानगर।
3.	018	लक्ष्मी नारायण टैम्पल मार्किट के समीप, मालविया नगर।
4.	014	बैंक ग्रॉफ इंडिया के ग्रपोजिट, जी-2 मार्किट, हौज खास।
5.	015	मार्किट के नजदीक, सर्वोदय कालोनी।
6.	101	एल०-1, ग्रीन पार्क एक्सटेनशन मार्किट के ग्रपोजिट में, ग्रीनपार्क।
7.	102	सैक्टर 2 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
8.	103	सैक्टर 3 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
9.	104	सैक्टर 4 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
10.	105	सैक्टर 6 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
11.	106	सैक्टर 8 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
12.	107	सैक्टर 12 मार्किट, रामकृष्णपुरम।
13.	108	कनविनिएन्ट शॉपिंग सेन्टर, वैस्ट एंड।
14.	111	लोकल शॉपिंग सेन्टर, डी० ब्लाक, बसन्त बिहार।
15.	112	कनविनिएन्ट शॉपिंग सेन्टर, ई०-ब्लाक, बसन्त बिहार।
16.	024	लोकल शॉपिंग सेन्टर, एम० एम० टी० सी०/एम० टी० सी० कालोनी।
17.	114	कनविनिन्ट शापिंग सेन्टर, ग्रानन्द निकेतन।
18.	110	ब्लाक 'ए' के समीप, मुनीर्का एम० ग्राई० जी०, हाउसिंग स्कीम।
19.	113	लोकल शॉपिंग ब्लाक बी० 6, सफदरजंग इन्क्लेब।
20.	109	स्ट्रीट 'बी०' मुनीर्का एम० ग्राई० जी०, हाउसिंग स्कीम।
21.	001	'एम०' ब्लाक मार्किट, ग्रेटर कैलाश।
22.	025	निजामुद्दीन ईस्ट मार्किट।
23.	026	निजामुद्दीन वैस्ट मार्किट।
24.	002	'एन०' ब्लाक मार्किट, ग्रेटर कैलाश।
25.	008	भीष्म पितामह पथ पी० टी० कालोनी के ग्रपोजिट वजीरपुर नगर।
26.	013	'ए०' ब्लाक डिफेन्स कालोनी।
27.	007	लाजपत नगर पुलिस स्टेशन के ग्रपोजिट।
28.	003	कैलाश कालोनी मार्किट।

क्रम सं०	केन्द्र का नं०	स्थिति
29.	006	गुरुनानक मार्किट, अमर कालोनी ।
*30.	202	किदवई नगर मार्किट के अपोजिट।
31.	010	आई० मार्किट श्रीनिवासपुरी।
32.	011	'टी०' मार्किट, श्रीनिवासपुरी।
33.	016	रोड नं० 5, ऐन्ड्रजगंज।
34.	022	कम्युनिटी सेन्टर मार्किट, ईस्ट आफ कैलाश।
35.	023	लोकल शॉपिंग सेन्टर ब्लाक सी, ईस्ट आफ कैलाश।
36.	017	एम० सी० डी० प्राइमरी स्कूल के पास, कृष्णा मार्किट, 'सी०' ब्लाक लाजपत नगर।
*37.	012	ब्लाक 'जे०', सेवानगर।
*38.	004	मेन मार्किट, कालकाजी।
*39.	021	एल० आई० जी० ग्रुप हाउसिंग कालोनी, कालकाजी।
*40.	028	कनविनिएन्ट शॉपिंग सैन्टर में गुलमोहर पार्क।

*कार्य प्रारम्भ करने वाली हैं।

वनस्पति की लाइसेंस प्राप्त क्षमता, वास्तविक उत्पादन तथा मांग

6997. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वनस्पति की कारखाना-वार लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वनस्पति की राज्य-वार मांग कितनी रही; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -9475/75]**

(ग) सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वनस्पति का मौजूदा उत्पादन 1975 के दौरान वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

पश्चिम बंगाल में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

6998. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर जिलों के कुछ क्षेत्रों और पुरुलिया जिले में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या कार्य किया गया है और इस राज्य में वर्ष-वार इस कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) देश में इस कार्य के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त की गई और उससे अद्यतन क्या सफलता प्राप्त की गई; और

(ग) बांकुरा और मिदनापुर जिलों के कौन से जोन इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल का सम्पूर्ण पुरुलिया जिला तथा बांकुरा व मिदनापुर जिलों के दुर्गम क्षेत्र आते हैं, वर्ष 1970-71 में शुरू हुआ था। चौथी योजना अवधि में इन क्षेत्रों के लिए 2.19 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया गया और पांचवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात् 1974-75 में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई और तदनुरूप राशि केवल पांचवीं योजना अवधि में राज्य सरकार द्वारा दी जानी है। वर्ष-वार सुलभ की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	सुलभ-निधि (करोड़ रुपये में)
1970-71	. 0.09
1971-72	. 0.25
1972-73	. 1.05
1973-74	. 0.80
1974-75	. 0.40

चौथी योजना अवधि में इस कार्यक्रम से 11,000 हैक्टेयर्स से अधिक क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत और लगभग 3,000 हैक्टेयर्स क्षेत्र भू-संरक्षण और वनरोपण के अन्तर्गत लाभान्वित हुआ।

1974-75 में मुख्य ध्यान चौथी योजना के अधूरे सिंचाई कार्यों को पूरा करने पर था। 1974-75 में कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धि संबंधी पूर्ण सूचना अभी राज्य सरकार से आनी रहती है।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान देश में इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक की सहायता 35 मिलियन डालर है। तथापि, पश्चिम बंगाल का कोई जिला/क्षेत्र इस सहायता में शामिल नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को निर्धारित अवधि के भीतर ही चीनी का वितरण

6999. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी ाज्य वार कोट ।कितना है और गत वर्ष के दौरान इसके वितरण के लिए कितनी अवधि निर्धारित थी;

(ख) चीनी के कोटे के वितरण के लिए क्या-क्या तारीखें निर्धारित हैं और किन-किन तारीखों को वितरण किया गया (राज्य-वार);

(ग) चीनी के कोटे की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या चीनी के कोटे के वितरण में विलम्ब होने से खुले बाजार में चीनी के मूल्य बढ़ जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों को चीनी के कोटे की नियमित सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) तक दो विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० -9476/75] एक विवरण में जनवरी, 1974 से लेवी चीनी के राज्यवार मासिक आबंटन का ब्यौरा और दूसरे विवरण में भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों को मासवार प्रत्येक फैक्ट्री के आबंटन की तारीखों की सूचना भेजने, फैक्ट्रियों को लेवी आदेशों के जारी होने की तारीखों और लेवी आदेशों की वैध अवधि सम्बन्धी ब्यौरे दिए गए हैं।

लेवी आदेशों के अनुसार फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की सुपुर्दगी कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। कुछ मामलों में समय पर वैगन न मिलने के कारण विलम्ब हुआ था और ऐसी कठिनाइयों की सूचना प्राप्त होने पर रेलवे प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने में प्रत्येक सम्भव सहायता प्रदान की गई थी और बहुत ही कम मामलों में जहां यह उचित था वहां अधिक भाड़ा होने पर भी सड़क मार्ग से भेजने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, थोक वितरण के कार्यभारी अधिकारियों की सिफारिशों पर लेवी आदेशों की वैध अवधि उपयुक्त रूप से बढ़ा भी दी गई थी।

चावल के मूल्यों में वृद्धि

7000. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में चावल के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या समुचित वितरण-प्रणाली के बिना चावल के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध भी मूल्यों में वृद्धि का एक कारण बन रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चावल के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पैदा हुई है हालांकि नवबर-दिसम्बर, 1973 और अक्तूबर-दिसम्बर, 1974 के दौरान कुछ मोसमी गिरावट आयी थी। ऐसा (i) 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों की कुल पैदावार में गिरावट होने, (ii) कई राज्यों में 1974-75 के दौरान मानसून की अनियमित और सामान्यतया कम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल के क्षतिग्रस्त होने, (iii) नवम्बर, 1973 से अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्यों में वृद्धि होने, और (iv) (सामान्यतया) अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीती का दबाव बने रहने के कारण हुआ बताया जाता है।

(ग) मूल्यों पर संचलन संबंधी प्रतिबन्धों के प्रभाव को अलग रखना कठिन ही है। मूल्यों में विभिन्नता (वास्तव में) कई एक कारणों से हुई है, जैसे उत्पादन और अधिप्राप्ति की मात्रा, मंडी में खाद्यान्नों की उपलब्धता आदि।

Use of Hindi in the Ministry

7001. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) number of such departments of the Ministry as still send letters, circulars, memoranda, to their subordinate offices in English;

(b) number of officers and staff in these departments who write their files in English ;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by the Government to the effect that they should use Hindi in all the work done by them ;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard ; and

(e) steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these departments in writing notes and making entire correspondence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (e) A statement is attached.

Statement

(a) to (e) Instructions issued by Government regarding the language or languages to be used in official work, including correspondence with Subordinate Offices, are, subject to practical limitations, being followed in the three Departments of Education, Social Welfare and Culture. These instructions have also been circulated among the officers and the employees working in the three Departments. Besides, instructions have also been issued recently that no letter, which is written in a language contrary to the existing instructions, should ordinarily be allowed to issue from these Departments.

The Official Languages Act, 1963 as amended in 1967, provides, *inter alia*, that it is to be ensured that persons serving in connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or in the English language may function effectively and that they are not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages. In view of this, the progressive use of Hindi, in matters apart from those for which Hindi, or both English and Hindi have to be used statutorily or under valid executive instructions, remains at the choice of the officer or the employee concerned. Noting on files by most of the officers in the three Departments is done largely in English although some noting in Hindi is also being done.

With a view, however, to encouraging greater use of Hindi by officers and employees of the three Departments, arrangements have been made to teach Hindi to such of the employees as do not know the language and to conduct workshops for such employees as know the language but require training for using it in official work.

Use of Hindi in the Ministry

7002. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased, to state :

(a) the number of such departments of his Ministry as still send letters, circulars memoranda, etc. to their subordinate offices in English ;

(b) the number of officers and staff in these departments who write their notes on files in English ;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by Government to the effect that they should use Hindi in all the work done by them ;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and action taken in this regard ; and

(e) steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these departments in writing notes and correspondence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Work and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) to (e) According to the instructions issued by the Ministry of Home Affairs, general circulars, etc., are to be issued both in Hindi and English, by and large, these are being followed. However, noting on files is mostly done in English. There is no restriction on the use of either Hindi or English in noting on files. However, the officers and the staff are urged and encouraged, through meetings, circulars, incentive schemes, etc., to use Hindi increasingly in noting and drafting.

Use of Hindi in D.P.A.

7003. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such departments of the Ministry which still send letters, circulars, memoranda to their subordinate offices in English ;

(b) the number of officers and staff in these departments who write their notes on files in English ;

(c) whether any instructions have been given to these officers and employees by the Government to the effect that they should use Hindi in all the work done by them ;

(d) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard ; and

(e) the steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these departments in writing notes and making entire correspondence ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) to (e) The Department of Parliamentary Affairs have no suborndinate offices under its administrative control and therefore the question of issuing instructions to them in regard to use of Hindi does not arise.

विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिए पदोन्नति के अवसर

7004. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, निदेशकों को कोई पदोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं जबकि कालिजों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रोफेसर्स के रूप में पदोन्नति किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशक/अनुदेशक आम तौर पर एक ही वेतनमान में नियुक्त किये जाते हैं।

तथापि, कुछ विश्वविद्यालयों में निदेशकों/अनुदेशकों को ऊंचे वेतनमान में भी नियुक्त करने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में शारीरिक शिक्षा के विभागों में नियुक्त अध्यापकों के मामले में, उन्हें अन्य विभागों में उनके प्रतिस्थानियों के समतुल्य समझा जाता है तथा उन्हें पदोन्नति के अवसरों को, यदि कोई हों, तो उसी स्तर पर व्यवस्था है।

बहुदा सिंचाई परियोजना

7005. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, डी० ए० सी० तथा योजना आयोग को मालम है कि बहुदा सिंचाई परियोजना क्रियान्विति से पूर्व से ही अन्तंर्राज्य-विवाद का विषय बना हुआ है;

(ख) इस परियोजना संबंधी वास्तविक योजना क्या है और मूल योजना के पहले तथा दूसरे चरण में कितनी सहायक नदियों का निर्माण किया जाना है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने टेंडर की मंजूरी के पश्चात् सिंचाई के दूसरे चरण की क्रियान्वित को रोक दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (घ) बहुदा सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में करने की योजना बनाई गई है। चरण एक में बहुदा नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर पांच व्यपवर्तन वीयर तथा उनकी अलग अलग नहर प्रणालियां शामिल हैं। इसे योजना आयोग ने 1962 में स्वीकृत किया था और इस पर कार्य किया जा रहा है। तीन व्यपवर्तन वीयरों, नामशः (1) बहुदा नदी पर कालिंगाडोला में वीयर (2) बोगीनाला पर सुरंगी में वीयर और (3) पोइनचंडिया पर बूड़ागोडा में वीयर, पर कार्य पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। तुरुबुंडी पर चौथे वीयर का काम आरंभ हो चुका है और बदुलिया पर पांचवें वीयर का काम अभी आरंभ किया जाना है।

इस परियोजना का चरण-दो जिसमें 5750 हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई हेतु बहुदा नदी पर वाघातटी में मिट्टी के बांध का निर्माण परिकल्पित है, बहुदा नदी के पानी के प्रयोग पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच अन्तर्राज्यीय मतभेदों के कारण केन्द्रीय जल आयोग में निलम्बित (पैंडिंग) पड़ी है। इस परियोजना पर अभी तक कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

उड़ीसा में बड़ानाला सिंचाई परियोजना

7006. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के कोरापुट जिले का बड़ानाला सिंचाई परियोजना को उस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों की उपयोजना में शामिल कर लिया था;

(ख) इस विशिष्ट परियोजना के बारे में गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग के क्या विचार हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार इस परियोजना के लिए निधि उपलब्ध करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) बड़ानाला परियोजना उड़ीसा राज्य से आदिवासी क्षेत्रों की संशोधित उप-योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित है। इस संशोधित उपयोजना पर योजना आयोग में 1975 में राज्य की 1975-76 वार्षिक योजना की बैठक में विचारविमर्श किया गया था। इस बैठक में उड़ीसा सरकार तथा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संपूर्ण उपयोजना के प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है और राज्य सरकार उप-योजना को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है। बड़ानाला परियोजना के लिए धन देने का प्रश्न उपयोजना को अंतिम रूप देने के बाद उठेगा।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें

7007. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के किन-किन जिलों में सिंचाई क्षमता पांच प्रतिशत से भी कम है; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) वृहत् तथा प्रथम परियोजनाओं द्वारा निर्माण की गई सिंचाई शक्यता का जिलावार विवरण उपलब्ध है। बहरहाल, लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में यह सूचना राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता समग्र योजना के लिए दी जाती है और यह क्षेत्रवार बांटी नहीं होती।

दिल्ली में कुप्रबन्धित कालेजों को सरकारी अधिकार में लेना

7008. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने कुप्रबन्धित कालेजों को सरकारी अधिकार में लेने के केन्द्र के प्रस्ताव को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि इस से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कम होती है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का अपनी मांगें मनवाने के लिए आने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975, जिसे राज्य सभा में पेश किया गया था तथा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कालेजों को (सरकार द्वारा) अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था है, संघ को उक्त विधेयक अपने वर्तमान रूप में स्वीकार्य नहीं है।

इसी दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, संघ ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार हो रही हैं।

Mid Day Meal Programme

†7009. **Shri Ram Hedaoo** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4677 on the 16th December, 1974 regarding Mid-day meal for school children and state the additional provision made this year for the expansion and extension of this programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : A Statement showing tentative Statewise allocations made by the Planning Commission for the Mid-day Meal programme for 1975-76 under the National Programme of Minimum Needs is attached.

Statement

Tentative Statewise Allocations for the Mid-day Meals Programme.

State/U. Ts.	Mid-day Meals Programme Outlay (Figures in Lakhs of Rupees)
1	2
States	
1. Andhra Pradesh	33.00
2. Assam	23.50
3. Bihar	49.00
4. Gujarat	30.00
5. Haryana	..
6. Himachal Pradesh	7.00
7. J & K	1.00
8. Karnataka	32.50
9. Kerala	15.00
10. Madhya Pradesh	4.00
11. Maharashtra	67.00
12. Manipur	1.00
13. Meghalaya	2.50
14. Nagaland	1.00
15. Orissa	27.00
16. Punjab	4.00
17. Rajasthan	4.80
18. Tamil Nadu	12.25
19. Tripura	..
20. Uttar Pradesh	45.25
21. West Bengal	24.00
Total	383.80

1	2
U. Ts.	
22. Andaman & Nicobar	0.68
23. Arunachal Pradesh	1.80
24. Chandigarh .	1.00
25. Dadra & Nagar Haveli	..
26. Delhi	9.50
27. Goa, Daman & Diu	2.50
28. Lakshadweep	..
29. Mizoram . .	0.50
30. Pondicherry	1.20
	17.18
Total State+U.Ts. . . .	400.98

Vocation Oriented Education

†7010. **Shri Ram Hedaoo :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and culture** be pleased to state brief outlines of the schemes under consideration to make education vocation oriented and the estimated expenditure to be incurred thereon as also the time schedule for implementation thereof?

The Deputy Ministry in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : The new pattern of education involving 10 years of general school education and 2 years of higher secondary education is expected to be in operation throughout the country by the end of the Fifth Five-Year Plan.

2. While general education with work experience will be imparted in classes 1 to 10, it is expected that about 20% of the students passing the 8th Class will go in for vocational training in ITIs, Trade Schools etc. Further in classes 11 and 12 of the higher secondary stage, vocational courses would be proviedd to enable the students to take up employments. However, there will be transferability of credits for those in the vocational courses so as to enable them to pursue higher level courses if they so desire.

3. State Governments are developing programmes of vocationalisation of higher secondary education for implementation in the 5th Plan. However, Central guidance and assistance has been solicited by many State Governments with a view to assisting the State Governments in the formulation and implementation of their Plants, the Government of India have proposed a Scheme for introduction of vocational courses in selected schools in the 5th Plan. The Scheme envisages the introduction of vocational courses in 1,000 schools covering about 1 lakh students in a phased manner. Based on the experience gained in the working of these schools it is expected that the State Governments would extend the Scheme on a wider scale as necessary. All the schemes are meant to supplement the existing schemes in vocational and trade schools, polytechnics and Industrial Training Institutes.

4. The essential features of the scheme are as follows:—

(i) Vocational courses would be tailored to the needs of the employment markets. The number of students joining any particular course will depend on the demand from employing establishments for skilled personnel and not on standard teacher-pupil ratio.

(ii) The State/Union Territories will select such of the institutions where vocational courses can be introduced without much investment. As far as possible, selection of institutions would be confined to multipurpose schools, junior technical schools and other higher secondary schools which already have some facilities for vocational education. Since fairly adequate facilities already exist in engineering courses at various levels, the focus in the scheme will mainly be on non-engineering courses, like commercial practice, hotel management and catering technology, canning and food preservation, bakery and confectionary, tourist guides, shop assistants, book trade etc.

(iii) The new courses to be developed will, besides providing vocational education, include a good element of general education.

(iv) While theoretical instruction will be provided in the institutions, practical training will be arranged in and with the cooperation of employing establishments. The facilities available in the existing educational and vocational training institutions would be utilised to the fullest extent.

(v) The new courses would cover, on an average, 100 students in each of the selected institutions.

(vi) Provision would be made for students enrolled in vocational courses to join the degree or diploma courses at the appropriate stage and for the transfer of credits for the course they have already done. Provision will also be made for interchangeability among technical, vocational and general streams.

5. Central assistance is expected to be given to the States at the rate of rupees one lakh per school, on an average to 1,000 schools. The total estimated expenditure on the scheme is Rs. 10 crores.

6. The scheme is intended to be completed during the 5th Plan.

तमिल नाडु सरकार द्वारा घोषित गन्ने के मूल्यों की क्रियान्विति

7011. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री तमिल नाडु सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 के मौसम के लिए घोषित गन्ने के मूल्यों की क्रियान्विति के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4709 तथा तमिल नाडु में चीनी कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्यों की क्रियान्विति के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 828 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा सांविधिक न्यूनतम मूल्यों से अधिक मूल्यों की क्रियान्विति के लिए चीनी कारखानों को बाध्य करने की शक्तियां नहीं हैं; और

(ख) जबकि तमिल नाडु में कुछ चीनी कारखानों ने राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्रियान्वित नहीं किए, तो क्या केन्द्र सरकार चीनी कारखानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्यों की अदायगी करने को बाध्य करने के किन्हीं तरीकों पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी नहीं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का स्थायीकरण

7012. **श्री मधु लिमये** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1971 में कोटा पद्धति को, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी-2 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किये गये सहायक इंजीनियरों को स्थायी किया जाता था, रद्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस मामले में हारने का कारण केवल यही था कि कोटा-पद्धति को सरकार द्वारा समुचित रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था हालांकि संघ लोक सेवा आयोग एवं निर्माण और आवास मंत्रालय ने इसे समुचित अनुमति दी थी और इसे केन्द्रीय लोक सेवा निर्माण विभाग की नियम पुस्तिका में भी सम्मिलित किया गया था और केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी-2 में भर्ती प्रारम्भ करने से लेकर ही विभाग द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा था;

(ग) उक्त सेवा में सीधी भर्ती किये गये लोगों को स्थायी करने के लिये कोटा-पद्धति में परिवर्तन किन परिस्थितियों के अन्तर्गत किया गया हालांकि इस पद्धति का पालन 18 वर्ष तक किया जाता रहा; और

(घ) सीधी भर्ती किये गये लोगों को स्थायी करने के लिये कोटा-पद्धति को इतने समय तक किन परिस्थितियों के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया जा सका ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए सहायक इंजीनियरों की पुष्टिकरण केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा द्वितीय श्रेणी भर्ती नियमों के नियम 21 के अधीन विनियमित होती है। कोटा-पद्धति का पुष्टि से कोई सम्बध नहीं है। बल्कि स्थाई और अस्थाई रिक्तियों में भर्ती से सबंधित है। तथापि, स्थाई रिक्तियों के संबंध में निसन्देह यह निर्धारित किया गया कि इन रिक्तियों की कुछ प्रतिशतता संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए गए अस्थाई सहायक इंजीनियरों की पुष्टि करके भरी जाएगी। केवल उसी सीमा तक इसका संदर्भ पुष्टि से है। तथापि, यह सही है कि कोटा-पद्धति को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1971 में खत्म कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं, न्यायालय ने कोटे को इस आधार पर खत्म किया कि फाईल से यह प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया था; अतः यह नहीं कहा जा सका कि नियम 4 (सी) के अधीन कोई अन्तिम तथा प्रभावकारी निर्धारण किया गया था। न्यायालय ने अधिसूचना के बारे में जांच नहीं की जो कि निर्णय करने के लिए केवल एकमात्र साधन है।

(ग) कोटा-पद्धति को न्यायालय ने स्वयं ही खत्म किया था। इसके परिवर्तन की और अन्य कोई परिस्थितियां नहीं थीं। तथापि, जैसे पहले बताया गया है कि पुष्टि भर्ती नियमों का नियम 21 द्वारा प्रशासित होती है तथा इसमें पुष्टिकरण करने परिवीक्षावधि को बढ़ाने तथा यदि पुष्टिकरण न हुआ अथवा परिवीक्षावधि न बढ़ाई गई तो सेवा को किस प्रकार की सेवा मानी जाय, के सम्बन्ध में निर्धारण करने की व्यवस्था है।

(घ) अब यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि न्यायालय ने फैसला किया कि कोटे का कोई अंतिम प्रभावकारी निर्धारण नहीं था, अतः ये लागू न होने योग्य था।

भारत सरकार मुद्रणालय में 'रीडरशिप' के लिये परीक्षा का व्यवस्था करना

7013. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार मुद्रणालय में वर्ष 1974 के अन्त तक 'रीडरशिप' की परीक्षा आयोजित करने के लिये कोई परिपत्र जारी किया था और क्या परीक्षा वास्तव में हुई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में परीक्षा किस तिथि को होगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां; 1974 के अन्त तक रीडरशिप की परीक्षा लेने के लिये एक परिपत्र जारी किया गया था । तथापि, प्रस्तावित परीक्षा नहीं ली जा सकी क्योंकि कुछ संबंधित यूनियनों तथा लोगों ने इस प्रकार आयोजित तरीके से परीक्षा लेने तथा अनर्हताप्राप्त व्यक्तियों के कुछ वर्गों को इस परीक्षा में न बैठने की छूट देने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था । ये अभ्यावेदन विचाराधीन है तथा इन अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के बाद परीक्षा लेने का प्रस्ताव है ।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली में बन्द पड़ी मशीनों के कारण जन दिवसों की हानि

7014. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में बहुत सी प्रिंटिंग मशीने, लाइनों की बोर्ड, मोनो की-बोर्ड तथा मोनों-कास्टिग मशीनों के बेकार पड़े रहने के कारण कुल कितने जन दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1974 वर्ष के दौरान, भारत सरकार मुद्राणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जन दिवसों की हानि की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(i)	मुद्रण मशीनें	9,620
(ii)	लाइनों की-बोर्ड	3,374
(iii)	मोनो की-बोर्ड	1,880
(iv)	मोनो-कास्टिंग	2,424

जन दिवसों की हानि यंत्रों तथा बिजली की मरम्मत तथा बिजली चले जाने के कारण हुई ।

(ख) सरकार स्थिति से अवगत है तथा हानि की मात्रा को अल्पाधिक सीमा तक कम करने के लिये समय-समय पर उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

उत्खनन के लिए विश्वविद्यालयों तथा ऐतिहासिक संस्थाओं को अनुदान

7015. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विश्वविद्यालयों तथा ऐतिहासिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने उत्खनन कार्य के लिये गत तीन वर्षों में अनुदान दिये हैं और इनमें से प्रत्येक को कितनी अनुदान राशि दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : गत तीन वर्षों में अनुदान निम्नलिखित संस्थाओं को दिया गया है :—

1972-73

1.	एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	6,000 रु०
2.	बर्दवान विश्वविद्यालय	6,000 रु०
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	6,000 रु०

1973-74

1.	एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा	75,00 रु०
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	75,00 रु०

1974-75

1.	एम० एस० विश्वविद्यालय	25,000 रु०
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	20,000 रु०
3.	दक्खन कालेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पूना	10,000 रु०
4.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	40,000 रु०

Drought-prone Areas in Madhya Pradesh

7016. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether on the basis of average rainfall Government have marked drought-prone areas for certain special programmes in the Fifth Five Year Plan ;

(b) if so, the names of such areas in Madhya Pradesh and Governments programme in this regard ; and

(c) whether Central Government have given any guidelines to the State Government for formulating district projects thereunder and if so, the reaction of State Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Under the Drought Prone Areas Programme, districts were identified on the following basis ;

(i) Incidence and pattern of rainfall,

(ii) frequency of drought, and

(iii) area under irrigation as compared to the total cultivable area. Rainfall was, therefore, only one of the three criteria.

(b) Four districts, *Viz.*, Jhabua, Dhar, Sidhi, Betul and one contiguous tehsil in Shahdol district and two tehsils in Khargaon district are covered under the programme in Madhya Pradesh. The Programme is structured for an optimal utilisation of land and water, which includes management and development of irrigation resources, soil conservation, afforestation and pasture development, dry farming and sheep and dairy development.

(c) Detailed guidelines have been circulated to the state governments, on the basis of which the state governments have sent project reports which are now in the process of implementation.

दक्षिण दिल्ली के गांवों में मल-निकास व्यवस्था

7017. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में ऐसे कितने गांव हैं जहां कोई मल-निकास व्यवस्था नहीं है; और

(ख) वहां जन-सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या सरकार ने वहां जन सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से लाल डोरे का विस्तार करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में गन्दी बस्ती क्षेत्रों के विकास के लिये योजना

7018. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्ती क्षेत्रों के विकास के लिये तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) दिल्ली में उन गन्दी बस्ती क्षेत्रों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जहां पानी तथा बिजली प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे क्षेत्र कितने हैं और वहां पानी तथा बिजली नहीं दी गई है और वहां पानी तथा बिजली उपलब्ध कराने के लिये सरकार की भावी योजना क्या है तथा क्या उक्त उद्देश्य के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों के विकास (सुधार सहित) के लिये योजनाएं जो कि फिलहाल लागू की जा रही हैं, निम्नलिखित हैं :—

(i) **गन्दी बस्ती/सुधार योजनाएं** :—इस योजना के अन्तर्गत, भूमि का अधिग्रहण तथा विकास किया जाता है और गन्दी बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिये टेन्मेन्टस बनाये जाते हैं । स्लम विभाग से संबंधित कटरों/सम्पत्तियों का संरचनात्मक विकास भी इस योजना के अन्तर्गत आता है ।

(ii) **झुग्गी-झोंपड़ी उन्मूलन योजना :**—आबादकारों को सार्वजनिक भूमि पर विकल्प वास देने के लिए पूर्व पुर्नस्थापन कालोनियों (जे० जे० कालोनियों) में कैम्पिंग स्थलों का विकास किया जा रहा है ताकि भूमि को योजना के अनुसार प्रयोग करने के लिए खाली किया जा सके ।

(iii) **गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार योजना :**—इस योजना के अन्तर्गत, उन गन्दी बस्तियों में (सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्नानघर, गलियों में खंडजे बिछाना, जल-निर्यात, जलपूर्ति तथा सड़कों आदि जैसी) नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान की जाती है जिन्हें भावी 10 वर्षों में हटाया नहीं जाना है ।

(ख) गन्दी बस्ती (सूधार तथा उन्मूलन), अधिनियम, 1957 के अधीन 'गन्दी बस्ती' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई तथा बिजली सामान्यता उपलब्ध है। गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना के अधीन ये सुविधाएं सभी गन्दी-बस्तियों में प्रदान करने/सुधार करने का प्रस्ताव है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी-बस्ती विभाग द्वारा गन्दी-बस्तियों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः ऐसी गन्दी बस्तियों की सही संख्या बताना संभव नहीं है जहां अब भी जल की सप्लाई तथा बिजली नहीं हैं । चूंकि गन्दी बस्तियों का पनपना एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः समस्त गन्दी बस्तियों में इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना सम्भव नहीं है । तथापि, निधियों की उपलब्धता के अनुसार उन सभी गन्दी बस्तियों में इन सेवाओं में क्रमश: विस्तार/सुधार किया जा रहा है जो पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत इन के पात्र हैं ।

मध्य प्रदेश में सिधी जिले में कम वर्षा होने के कारण राहत-उपाय

7019. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सिधी जिले के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में इस वर्ष 40 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है;

(ख) क्या राज्य सरकार को उस क्षेत्र में एक अनेक राहत-उपाय करने पड़े हैं; और

(ग) इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सिधी जिले में प्राय: 1142 मि०मी० वर्षा होती है । इसकी तुलना में वहाँ 1974 में 765 मि०मी० वर्षा हुई थी । सिधी जिले के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों की सिंगरोली तथा देवसर तहसीलों में 1974 के दौरान क्रमश: 584 मि०मी० तथा 817 मि०मी० वर्षा हुई थी ।

राज्य सरकार ने 43 राहत कार्य शुरू किए हैं । इसके अतिरिक्त इस जिले में 28 अन्य कार्य पहले ही जारी हैं । इन कार्यों पर लगभग 24,000 व्यक्ति लगे हुए हैं ।

राज्य सरकार जरूरतमंदों को रोजगार देने और उनके लिए खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए काफी संख्या में राहत कार्य शुरू कर रही है ।

उच्चतर अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले छात्रों के भरण भत्ते की राशि में वृद्धि

7020. **श्री राम हेडाऊ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए जाने वाले छात्रों के भरण भत्ते की राशि में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विदेशों में अध्यन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार के अध्येताओं के लिए अनुरक्षण भत्ता अमरीका और कनेडा के लिए 2320 अमरीकी डालर प्रति वर्ष से 3000 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष और इंगलैंड तथा अन्य देशों के लिए 700 पौंड प्रति वर्ष (ऑक्सफोर्ड तथा केम्ब्रिज के छात्रों के मामले में 750 पौंड प्रति वर्ष) से 900 पौंड प्रति वर्ष स्थानीय मुद्रा में बढ़ा दिया गया है । संशोधित दरें 1 जनवरी, 1975 से लागू कर दी गई हैं। विदेशों को जाने वाले प्राइवेट छात्रों को भी भारत सरकार के अध्येताओं को दी जाने वाली राशि के बराबर विदेशी मुद्रा भेजने की अनुमति दी जाती है तथापि, उनके मामले में अनुरक्षण भत्ते की दरों में बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 1975 से लागू की जाएगी ।

बर्मा से चावल का आयात

7021. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने कोई ऐसा सुझाव दिया है कि बर्मा से वहां की सरकार द्वारा स्वदेश लौटने वालों को दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि से चावल का आयात किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बर्मा सरकार द्वारा वहां से स्वदेश लौटने वालों को दिए जाने वाले मुआवजे की धनराशि से बर्मा से चावल का आयात करने से संबंधित तमिल नाडु सरकार के सुझाव पर विचार किया गया था लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है । वाणिज्यिक आधार पर बर्मा से कुछ चावल आयात करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है ।

मंत्रालय द्वारा आयोजित गोष्ठी

7022. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1974 में उनके मंत्रालय ने अथवा मंत्रालय से वित्तपोषित अथवा सहायता प्राप्त संस्थानों ने कितनी गोष्ठियां आयोजित कीं; और

(ख) इन गोष्ठियों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) तथा (ख) शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अथवा उसके द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थाओं अथवा उनके द्वारा, जिनको विशिष्ट सहायता प्रदान की गई थी, आयोजित सेमिनारों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Museum At Aligarh

*7023 **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have a plan to develop world's largest Museum at Aligarh;

(b) whether the Archaeological Department has taken up excavation of Aligarh Fort in this connection;

(c) whether during excavation, ancient treasure, idols, vessels, coins, made of gold and other metals have been found ; and

(d) if so, the full facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) No Sir.

(c) & (d) Does not arise.

फास्फेट उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

7024. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1975 से फास्फेटी उर्वरकों के मूल्य में 20 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर ;

(ग) 1 जनवरी, 1974 से कितनी बार फास्फेटी उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है ,और

(घ) प्रत्येक अवसर पर कितना और आधारों पर वृद्धि की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और ख) सिंगल सुपर-फास्फेट के बिक्री मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । देश में निर्मित इस उर्वरक का एक्स-फेक्टरी मूल्य, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के अनुसार प्रत्येक विनिर्माता के लिए भारतीय उर्वरक संघ द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है । इस फार्मूले के अनुसार राक-फास्फेट, सल्फर और पैंकिग-सामग्री के मूल्यों में कमी वेशी होने पर सिंगिल सुपर फास्फेट के मूल्य में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है । 1 जनवरी, 1975 से बेसिक पोर्ट एक्स वर्कस मूल्यों में 22 रुपये प्रति मीटर मीटरी की वृद्धि हो गई है । भारतीय उर्वरक संघ के अनुसार यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय और देश की मंडियों में कच्चे माल की कीमतों और देश की मंडियों में पैंकिग सामग्री की कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई थी ।

(ग) ग्रौर (घ) उपर्युक्त कारणों की वजह से संगल सुपर फास्फेट की कीमतों में, 1 जनवरी 1974 से आज तक सात बार संशोधन करना पड़ा है। प्रत्येक बार पोर्ट एक्स वर्क्स मूल्यों की वृद्धि का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(रु० प्रति मीटरी टन)

लागू होने की तारीख	वृद्धि
1-1-74	32.00
1-2-74	185.00
7-3-74	57.00
1-6-74	63.00
1-9-74	57.00
1-1-75	22.00
1-4-75	10.00

गुजरात के मूंगफली उत्पादकों को परेशान किया जाना

7025. **श्री ग्ररविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० ग्रार० वेकारिया :

क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को कोई ग्रनुदेश जारी किए गए हैं कि मूंगफली का उत्पादन करने वाले किसानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये किसान व्यापार प्रयोजन के लिए मूंगफली का संग्रह नहीं कर रहे हैं; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के ग्रनुदेश जारी करने का है ताकि मूंगफली उत्पादकों को परेशान न किया जा सके ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ग्रौर (ख) गुजरात में मूंगफली उगाने वाले किसानों को परेशान करने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। ग्रतः इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार को किसी प्रकार के ग्रनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब के चीनी कारखानों में संकट

7026. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के चीनी कारखानों को पिछले कुछ समय से संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंखा रोड, नई दिल्ली के निकटवर्ती नाले पर पक्के सड़क पुल का निर्माण

7027. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में पंखा रोड के पास रेलवे लेविल क्रासिंग से होकर गुजरने वाले नाले पर कोई पक्का सड़क पुल नहीं है;

(ख) क्या उक्त नाले पर वर्तमान सड़क पुल खस्ता हालत में है और यातायात के लिए पूर्णतः असुरक्षित है; और

(ग) क्या ग्राम सागरपुर और इस क्षेत्र की अन्य बस्तियों के निवासियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस नाले पर एक पक्के पुल और एक लकड़ी के पुल का निर्माण करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Sugarcane Crushed by Morena Division Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras

7028. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the quantity of sugarcane crushed so far during the last three years by the Morena Division Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras alongwith the total quantity of resultant bagasse as also the quantity of bagasse supplied to the farmers;

(b) whether huge quantities of bagasse were dumped on a vacant piece of land far away from the factory and burnt there ;

(c) if so, the expenditure incurred on transporting it to the said piece of land ; and

(d) whether Government have any plan to ensure that bagasse is not burnt in future but supplied to the farmers to be used as fertiliser ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) The quantity of cane crushed by this factory during each of the crushing years 1971-72 to 1973-74 is given below:—

Year	Quantity of cane crushed(Tonnes)
1971-72	648
1972-73	3722
1973-74	25482

Information on other details have been called for from the State Government of Madhya Pradesh. However, it may be stated that bagasse is generally used by the sugar mills for burning in the boilers for raising steam, and any bagasee saved is generally utilised for manufacture of card board, paper etc. 'Press-mud' is utilised as manure. The sugar factories can sell press-mud for non-manurial purposes only under a permit from the competent authority in accordance with the provisions of the Sugarcane Press-mud (Control) Order, 1959.

Loss due to Cyclone in Ludhiana, Punjab

7029. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of persons killed, injured, and rendered homeless in the devastating cyclone which ravaged Ludhiana district of Punjab on the 10th March, 1975 and the amount of loss suffered as a result thereof ;

(b) whether some cattle heads also perished in it and if so, the number thereof; and

(c) the assistance rendered by Government so far to the families of those killed injured and rendered homeless ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) In the wake of the cyclone, which visited Ludhiana district on 10-3-75, according to State Government, ten persons were killed, eighty-four injured and three thousand three hundred and twelve were rendered homeless.

(b) Eight heads of cattle also died.

(c) The State Government provided a sum of Rs. 2.35 lakhs for immediate relief.

"ट्रालर्स रैकेट"

7030. **श्री वसन्त साठे :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1975 के "इकानामिक टाइम्स" में "ट्रालर्स रैकेट" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में की गयी टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : प्रकाशित समाचार अधिकांशतः सही नहीं है। मैसर्स डालफिन फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड से (जो एक मध्यम श्रेणी की फर्म है) एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें अपने दोनों आयातित ट्रालर्स को जो 1968 की योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए गये थे, उसे 4 वर्ष तक की अवधि के लिए मैसर्स यूनियन कारबाइड (इंडिया) लिमि० को भाड़े पर देने की अनुमति दी जाए क्योंकि इस समय उन्हें वित्तीय तथा प्रबंधकीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विचार किया जा रहा है। मैसर्स डालफिन फिशरीज प्राइवेट लिमि० को और कोई ट्रालर आवंटित नहीं किए गए हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य पर काफी अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। विदेशी राष्ट्रों के जलयान हमारे क्षेत्रीय जल के आस-पास मछली पकड़ते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता रखने वाले सभी पोतों को सहायता दी जाए चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या प्राइवेट क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र के हों।

जम्मू और काश्मीर में भूकम्प

7031. **श्री रंगनाथ शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जम्मू और काश्मीर में हाल ही में आये भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को कितनी सहायता दी ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सहायता देने का यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तिलहनों का उत्पादन

7032. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :

श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय तोरिया और एरण्डी जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या विकास गतिविधियों के बावजूद तिलहनों का उत्पादन तेलों की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं बढ़ सका है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां। तिलहनों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन करके तोरिया और एरंड का उत्पादन बढ़ाने का विचार है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :--

(i) सघन तिलहन-विकास कार्यक्रम

(ii) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार।

सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति के अनुसार ऐसे चुने हुए राज्यों में जहां उत्पादन की तकनोलोजी सुविकसित है और जहां उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने की अच्छी संभाव्यताएं मौजूद हों, तोरिया और एरंड सहित प्रत्येक महत्वपूर्ण तिलहन की फसल के सम्बन्ध में क्षेत्र के आधार पर पैकेज कार्यक्रम को क्रियान्वयन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तोरिया और सरसों के अंतर्गत 3,85,000 हैक्टार क्षेत्र और एरंड के अंतर्गत 1,55,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का विचार है। नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विरतार की योजना का उद्देश्य ऐसे मुख्य सिचाई परियोजना के क्षेत्रों में जहां प्रति हैक्टार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के खेती की उन्नत तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए अच्छी संभावनाएं मौजूद हों, तोरिया और सरसों सहित तिलहनों की खेती को प्रारम्भ करना है। पांचवीं पंजवर्षीय योजना के अंत तक इस योजना के अंतर्गत तोरिया और सरसों के अंतर्गत 74,000 हैक्टार क्षेत्र लाया जायेगा।

पांचवीं योजना में तिलहनों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना की अन्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

(1) मूलाधार और आधारी बीजों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना और प्रमाणित बीजों के परिवहन एवं रख-रखाव का आंशिक व्यय पूरा करना जिससे कि कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन्नत किस्मों के पर्याप्त शुद्ध बीजों की नियमित तथा सुनिश्चित रूप से सप्लाई हो सके।

(2) योजना के प्रारम्भ होने के प्रथम वर्ष में सीड ड्रेसर तथा पैकेज प्रणालियों के कार्यक्रम, सहित किसानों को चुने जाने वाले जिलों के लिए सिफारिश की जाने वाली तिलहनों की नई फसलें और नई किस्मो के बीजों के मिनिकीट किसानों को मुफ्त में सप्लाई करने का विचार है।

(3) वनस्पति-रक्षण दलों के माध्यम से या कस्टम सेवा के आधार पर व्यापक वनस्पति-रक्षण अभियानों की व्यवस्था करना। इसके लिए तथा वनस्पति रक्षण रासायनिकों के क्रय-विक्रय में होने वाली हानि के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(4) समस्यामूलक प्रदर्शनों की व्यवस्था करना। इन प्रदर्शनों के लिए महत्वपूर्ण आदानों की लागत के लिए सहायता देने का भी प्रस्ताव है।

(5) अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था।

(ग) गत कुछ वर्षों के दौरान देश की तिलहनों/तेलों की मांग की तुलना में सप्लाई में कमी रही है। यह कमी मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि होने और लोगों की खरीद की शक्ति में सुधार होने के कारण बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप, हाल ही के वर्षों में देश में सामान्यतः तिलहनों/तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

गुजरात में जिला सहकारी बैंक

7033. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने जिला सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये बैंक ऐसे आवेदकों के ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं जिन्होंने पिछले ऋणों का भुगतान नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या अभाव स्थिति के दौरान सरकार का विचार इन बैंकों को यह अनुदेश जारी करने का है कि वे इन आवेदकों के अभाव क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण मंजूर करें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) 17

(ख) वे बाकीदारों को ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं।

(ग) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार से एकत्र करनी होगी। इसमें समय लगने की संभावना है।

(घ) ऐसे किसानों को, जो जानबूझ कर बाकीदार नहीं है, अल्पकालीन फसल ऋण देने की पुनः स्थापना की एक योजना पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण के रूप में मंजूर की गई कुल धनराशि

7034. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, वर्ष 1973 और वर्ष 1974 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) वर्ष 1972, वर्ष 1973 और वर्ष 1974 में इस ऋण की कुल कितनी राशि वापस प्राप्त हुई ?

25 LSS/75—9

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) गृह निर्माण प्रयोजन हेतु अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई कुल राशि और 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के वित्तीय वर्षों के दौरान वापस प्राप्त हुई राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	कुल स्वीकृत राशि	वापस प्राप्त हुई कुल राशि
	रुपये	रुपये
1971-72 .	10,32,28,000	1,29,63,739
1972-73	12,98,20,000	2,76,53,937
1973-74	10,44,10,000	2,06,34,318

सूखा और बाढ़ राहत कार्यों के लिये राज्यों को दी गई राशि के ब्यौरों का प्रस्तुत किया जाना

7035. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सूखा और बाढ़ राहत कार्यों के लिए दी गई राशि का उचित प्रयोग करने के बारे में स्वयं को आश्वस्त करने के लिए ब्योरे देने के लिए कहा है :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दिये गये ऋणों की यह राशि स्थायी प्रकार की उत्पादक आस्तियों का सृजन करने में उपयोग की जाती है जैसा वित्त आयोग ने कहा है।

(ग) कितने राज्यों को लेखों का ब्योरा देने के लिए कहा गया है ;

(घ) कितने राज्यों ने अब तक ब्योरे दे दिये हैं ; और

(ङ) किन-किन राज्यों को यह ऋण दिये गये थे और मार्च, 1975 तक ऋण की राशि कितनी थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ङ) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 से राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता केवल राज्य योजना के अंतर्गत अग्रिम सहायता के रूप में अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि के अंतर्गत दी जाती है। इस अग्रिम सहायता का समायोजन पांचवीं योजना के अनुवर्ती वर्षों में राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के सामान्य आवंटन के साथ किया जाना है। इस बात में यह सिद्धांत निहित है कि धन को उत्पादक तथा स्थायी सम्पत्ति संबंधी मदों पर खर्च किया जाये।

वर्ष 1974-75 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं, मृदा संरक्षण, वनरोपण, सड़कों, पेयजल सप्लाई योजनाओं और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए सूखा बाढ़ग्रस्त राज्यों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

	(रुपये करोड़ में)
1. असम .	3.84 (इसमें योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए अतिरिक्त 2.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है)
2. बिहार	44.00
3. गुजरात	13.39 (इसमें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त 3.50 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है)
4. हरियाणा . . .	2.00
5. मध्य प्रदेश . . .	6.50
6. उड़ीसा .	7.91
7. राजस्थान . .	10.24
8. तमिलनाडु	7.50

राज्यों को उपर्युक्त सहायता इस शर्त पर दी गई थी कि स्वीकृत कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान योजना के अंतर्गत किये गये सामान्य व्यय के अलावा होगा। राज्यों द्वारा भेजी गई व्यय की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अनन्तिम रूप से अग्रिम केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर दी गई है कि व्यय के संबंध में लेखा-परीक्षा होने पर ही खाते का अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा।

केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के पेंशन सम्बन्धी मामले

7036. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के पेंशन के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं,

(ख) ये मामले किस-किस वर्ग के हैं, और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन में पेंशन पाने से पूर्व ही पेंशनधारियों का निधन हो गया और उन के आश्रितों को पेंशन का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 5

(ख)	(i)	1973-74 के दौरान सेवा-निवृत्ति के मामले	2
	(ii)	1974-75 के दौरान सेवा-निवृत्ति से पूर्व मृत्यु के मामले .	3
(ग)	(i)	सेवा-निवृत्ति के पश्चात् परन्तु पेंशन स्वीकृत होने से पहले मृत्यु के मामले	कोई नहीं
	(ii)	सेवा निवृत्ति से पहले मृत्यु के मामले जिनमें परिवार-पेंशन संस्वीकृत की गई है	12
	(iii)	मृत्यु के मामले जिनमें परिवार पेंशन अभी संस्वीकृत की जानी है	3

इन तीन बकाया मामलों में से एक, दिवंगत कर्मचारी के अवयस्क बच्चों की ओर से दावे के सम्बन्ध में अदालत द्वारा निर्णय लिए जाने तक रुका हुआ है। अन्य दो मामलों में, स्कूल से अन्तिम वेतन सम्बन्धि ब्यौरों की प्रतीक्षा है। इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

State Institute of Education, Delhi

*7037. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether State Institute of Education, Directorate of Education, Delhi Administration has been set up for improving education standard and making teaching effective in Delhi.

(b) whether the standard of education and Higher Secondary results have been going down as also the teaching is becoming ineffective since State Institute of Education came into being ;

(c) whether some books written in this Institute are copies of foreign books and are full of mistakes; and

(d) if the replies to parts (a), (b) and (c) above are in the affirmative, the action taken against the officers responsible therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the information furnished by the Delhi Administration, the standard of education in the Higher Secondary Schools of Delhi has not been deteriorating. The State Institute of Education is not engaged in writing books and as such the question of copying foreign books does not arise.

(d) Does not arise.

Mahi Project

*7038. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Economic Times' dated the 27th February, 1975 that Mahi Project (to be constructed on Mahi river in Rajasthan) is not likely to be completed in the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of total expenditure to be incurred on Mahi project and the quantity of power to be generated therein and the area to be irrigated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) (a) Yes, Sir.

(b) The slow progress of works on the project has been on account of the inability of the Governments of Gujarat and Rajasthan to provide adequate funds for the project.

(c) The projecte is now estimated to cost Rs. 79.77 crores. The sanctioned project provides for irrigation to an area of 50,000 ha. in Rajasthan and augment supplies to the Kadana Reservoir for irrigation in Gujarat.

Sanction project does not provide for power generation, although power generation is envisaged by Rajasthan in future.

काम काजी महिलाओं के लिए विशेष सैल

7039. **श्री वसन्त साठे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के अवसर पर काम काजी महिलाओं के लिए एक विशेष सेल की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस विशेष सेल के अध्यक्ष के रूप में कोई महिला समाज वैज्ञानिक/प्रशासक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार महिला उत्थान कार्यक्रम पर उचित कार्यवाही करने में सहायता देने के लिए इस वर्ष भारत में काम काजी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरु करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान कार्यशील महिलाओं के लिए विशेष सैल स्थापित करने का... अथवा भारत में कार्यशील महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों पर सकेन्द्रित ध्यान देने के लिए समाज कल्याण विभाग में एक महिला के नेतृत्व में एक महिला कल्याण प्रभाग स्थापित किया गया है ।

यह प्रभाग अब अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की गतिविधियों का समन्वय, भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बन्ध समिति की रिपोर्ट की जांच आरम्भ करने और समन्वय करने तथा महिला कल्याण को प्रोत्साहित करने के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने में शीघ्रता लाने में लगा हुआ है ।

तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये अधिक सहायता

7041. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में भारी सूखे और अकाल की स्थितियों के कारण केन्द्रीय सरकार का विचार उस राज्य में सूखा राहत कार्यों के लिये और अधिक सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस स्थिति का नये सिरे से मूल्यांकन कर रही है और उसने राज्यों को अधिक सहायता देने के बारे में निर्णय किया है, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए राज्य को कितनी सहायता देने का है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार अन्य क्या सहायता देने का विचार कर रही है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी सहायता दी गई है और कितनी और सहायता दी जायेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने सूखे की स्थिति का मूल्यांकन किया था और 1974-75 के वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम योजना सहायता के रूप में उन्हें 7.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध की थी। स्थिति का नये सिरे से मूल्यांकन करने अथवा 1975-76 में केन्द्रीय सहायता के विषय में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

खेलकूद के सामान का आयात

7042. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल-कूद के समान का आयात करने के लिए अनुमति देने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस निर्णय से एन० आई० एस० विश्व-विद्यालयों और अन्य खेल-कूद संस्थाओं को खेल-कूद विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) खेल उपस्करों के आयात संबंधी अनुरोधों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और उन खेल उपस्करों के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते है, जिनका या तो देसी प्रतिस्थानी उपस्कर उपलब्ध न हो अथवा किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे उपयुक्तन हों।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सिंचाई सुविधायें

7043. श्री एच० के० एल० भगत : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की वर्ष 1975-76 में दिल्ली संघ राज्य के गावों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितने गांवों को शामिल किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यरूप किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। 1975-76 में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के गांवों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए 1975-76 में 27.23 लाख रुपए का प्रावधान है ।

(ग) इन प्रस्ताव में ये शामिल होंगे :—

(1) भूमि गत जल संसाधनों का पता लगाना तथा उनका उपयोग ।

(2) 5 गहरे नलकूप लगाना ।

(3) नये बांधों का निर्माण और पुराने बांधों की मरम्मत करना ।

(4) ओखला कैशोपुर तथा करोनेशन अभिक्रिया संयत्रों से निस्सारी सिंचाई का विस्तार ।

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की संख्या 23 होगी ।

(घ) ये योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाएंगी ।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में नागरिक सुविधायें

7044. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों और गन्दी बस्ती क्षेत्र तथा दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत दिल्ली के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में (झुग्गी-झोंपड़ी कालोनिया, गन्दी बस्ती क्षेत्र सहित) सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्नानघर, सार्वजनिक नल, गलियों में खडंजा बिछाना, जल-निर्यास तथा सड़कों पर रोशनी जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । जहां तक अनधिकृत कालोनियों का संबन्ध है दिल्ली नगर निगम सफाई तथा स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है । ईटें बिछाना तथा कूड़ा कचरा निर्यास का कार्य भी निगम करता है।

चीनी उत्पादकों को उत्पादन शुल्क में छूट

7045. **श्री धा० किरुतिनन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी अधिक उत्पादन करने पर चीनी उत्पादकों को उत्पादन शुल्क में छूट की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि उत्पादन शुल्क में दी गई छूट चीनी उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों के बीच बंटनी चाहिए क्योंकि चीनी का अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा यदि गन्ना उपलब्ध नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने और अधिक निर्यात करने के लिए 1974-75 के दौरान चीनी का अधिकतम उत्पादन करने के लिए चीनी उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना ही इस छूट का उद्देश्य है । सरकार के प्रैस नोट, दिनांक 11 अक्तूबर 1974 की एक प्रति संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए एल० टी०-9477/75] जिसमें इस योजना के कारण और इससे सम्बन्धित मुख्य बातें दी गई हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि उत्पादन शुल्क में छूट देने से उद्योग को जो राशि प्राप्त होती है उसके 50 प्रतिशत को गन्ना उत्पादकों को दे देना चाहिए । इस सुझाव पर टैरिफ आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

हिन्दी और अन्य भाषाओं के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

7046. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और देश की अन्य भाषाओं के विकास के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि का अवाटन किया गया है ;

(ख) पांचवीं योजनावधि में हिन्दी के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी और देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ;

(ग) क्या इस धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने के लिए किसी राज्य सरकार ने कोई मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) विकास के नाम पर 'हिन्दी' को इतनी अधिक धनराशि के आवंटित किए जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्यान मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, हिन्दी भाषा के प्रसार को प्रोन्नत करना तथा उसका इस प्रकार विकास करना केन्द्र का कर्तव्य है कि यह भारत की संयुक्ति संस्कृति के सभी पहलुओं की भी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ; इसके अतिरिक्त, हिन्दी केन्द्र की राजभाषा है। इसलिए, मंत्रालय ने हिन्दी के प्रसार और विकास की गति तेज करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने देश की अन्य भाषाओं के प्रसार के लिए भी कदम उठाए हैं ताकि हिन्दी के साथ-साथ इन भाषाओं का भी विकास हो।

2. कुछ विशष्टि योजनाओं को छोड़कर, जिनके लिए राशि भाषावार प्रदान की जाती है, भाषाओं की प्रोन्नति के लिए आवंटन सामान्यत: एकमुश्त किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित आवंटित के संबंध में अपेक्षित सूचना अनुबंध में देखी जा सकती है।

3. केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, मलयालम में पुस्तकों के निर्माण के लिए विशिष्टत: 150 लाख रु० का आवंटन किया जाए। उस सरकार को सूचित किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए, सम्बन्धित योजना के लिए पांचवीं योजना के प्रस्तावित आवंटन के अंतर्गत, उन राज्यों को धन उपलब्ध होगा जो इसमें भाग ले रहे हैं बशर्ते कि 1968-1969 के बाद से किसी राज्य विशेष को दिए गए कुल अनुदान की राशि 100 लाख रु० से अधिक नहीं होगी।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	आवंटन	
		चौथी योजना	पांचवीं योजना (प्रस्तावित) (रुपये लाखों में)
	(क)		
1.	हिन्दी की प्रोन्नति के लिए विशिष्ट योजनाएं	890.00	1420.00
	(ख)		
1.	संस्कृत, पाली और प्राकृत की प्रोन्नति के लिए विशिष्टि योजनाएं	275.00	520.00
2.	उर्दू और सिंधी की प्रोन्नति के लिए विशिष्टि योजनाएं	100.00	75.00
3.	सामान्यत: भाषाओं की प्रोन्नति के लिए कार्यक्रम, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं तथा अंग्रेजी भी शामिल हैं।	1500.50	1373.40
	'ख' के लिए--कुल जोड़	1875.50	1968.40

Supply of water for Irrigation purposes in Bihar

†7047. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to supply of water to Bihar for irrigation purposes under Tilaiya and Konar projects of D.V.C. ; and

(b) whether he is going to convene a meeting of the Chief Ministers of the concerned States in order to expedite a decision thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) These proposals have inter-State aspects involving Bihar and West Bengal which have to be resolved, before being considered for implementation.

(b) Yes, Sir.

वर्ष 1972-73 से 1974-75 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडार में रखा गया और नष्ट हुआ खाद्यान्न

7048. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डार में रखे गये विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की ऐसी कुल मात्रा का राज्य-वार और संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दी थी और नष्ट कर दी गई थी और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सूखने, ढुलाई के दौरान क्षति आदि के कारण कुल कितनी मात्रा में कमी हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमिगत जल की उपलब्धता के बारे में जांच पड़ताल

7049. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर भूमिगत जल संबंधी जांच पड़ताल की गई और उनमें से कितने स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई; और

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान किन-किन स्थानों पर भूमिगत जल सम्बन्धी जांच कार्य करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भूमिगत जल की जांच पड़ताल करने का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के माध्यम से जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण, अल्पकालीन निरीक्षण, भूमिगत जल समन्वेषण तथा जल संतुलन जांच पड़ताल करा के किए जाते हैं। कितने क्षेत्र में और किन-किन राज्यों में ये सभी चारों कार्य हुए हैं इसके सम्बन्ध में संलग्न विवरण क तथा ख में जानकारी दी गई है। ये सभी जांच पड़ताल के कार्य सफल सिद्ध हुए क्योंकि उनकी सहायता से भूमिगत जल संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन हो सका है। भूमिगत जल समन्वेषणों तथा जल संतुलन निरीक्षणों के अन्तर्गत ड्रिल किए गए 324 समन्वेषी कूओं में से 271 समन्वेषी छिद्रण कूएं सफल सिद्ध हुए।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान जिन राज्यों में भूमिगत जल सबन्धी जांच कार्य करने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न 'ग' तथा 'घ' विवरणों में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-9478/75**]

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी सफाई योजना का क्रियान्वित करना

7050. **श्री गदाधर साहा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी सफाई योजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;

(ख) योजना के अधीन अब तक कितने मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है और अब तक ऐसे किनने मकानों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) क्या उक्त योजना को पूरा करने में हुई चूकों अथवा अनियमितताओं की उन्हें जानकारी है; यदि हां, तो इन चूकों अथवा अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना की क्रियान्विति में त्रुटियों को दूर करने और उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन योजना 1960 में आरम्भ की गई थी तथा इस का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि के आबादकारों को पुनः बसाना था ताकि उस भूमि को सार्वनिजक प्रयोजन जिनके लिए वह भूमि निर्दिष्ट थी, के लिए खाली की जा सके। बने-बनाए टेनामेंटों, खुले विकसित प्लाटों तथा कैंपिंग स्थलों के रूप में उन्हें वैकल्पिक वास दिया गया था। टेनामेंटों का निर्माण तथा प्लाटों का विकास कार्य बाद में समाप्त कर दिया था तथा इस समय केवल कैंपिंग-स्थल विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 3560 टेनामेंट 80 वर्गगज के 3670 प्लाट तथा 49600 कैंपिंग स्थल विकसित किए गए हैं । अभी तक 13 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की गई है (जिसमें भूमि की लागत शामिल है)।

(ख) लगभग 5,000 टेनामेंटों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। तथापि, तत्पश्चात्, 1968 में टेनामेंटों का निर्माण कार्य योजना से हटा दिया गया था । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3,560 टेनामेंट बनाए गए थे।

(ग) सामान्यतयाः, किसी चूक अथवा अनियमितता का कोई गंभीर मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों को सहायता और अनुदान

7051. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न राज्यों को किस प्रकार की सहायता और अनुदान दिये;

(ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1973-75 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय धन-राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समाज कल्याण विभाग ने स्त्रियों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान राज्यों को सहायता दी।

(ख) जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान दिए जाते हैं, उनका निष्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

योजना	दी गई धनराशि (रुपये लाख की राशि में)		उन लाभान्वितों की संख्या, जिन्हें अनुदान दिए गए।	
	1973-74	1974-75	1973-74	1974-75
1	2	3	4	5
विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम	1570.77	696.06	38.00 लाख	चतुर्थ योजना स्तर
निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए योजना .	—	75.84	—	96.65
विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	0.83	5.33	14.36	922 (केवल अप्रैल से दिसम्बर, 1974 तक)।
समेकित शिक्षा . . .	0.18	7.85	16	500

(ग) समाज कल्याण विभाग ने 1973-75 के वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासितक्षेत्र प्रशासनों को नीचे दिए अनुसार धन आबंटित किया :—

क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आंकड़े लाख रुपये की राशियों में
1. आंध्र प्रदेश	2,55.84
2. असम	1,96.86
3. बिहार	1,77.47
4. गुजरात . .	93.29
5. हरियाणा .	51.67
6. हिमाचल प्रदेश	5.86
7. जम्मू और काश्मीर . . .	6.72
8. कर्नाटक	1,50.06
9. केरल	93.24
10. मध्य प्रदेश .	55.02
11. महाराष्ट्र	169.58

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आंकड़े लाख रुपये की राशियों में
12.	मनीपुर	17.99
13.	मेघालय	29.59
14.	नागालैंड	16.93
15.	उड़ीसा	2,43.77
16.	पंजाब	13.16
17.	राजस्थान	88.05
18.	तामिल नाडु	1,74.43
19.	त्रिपुरा	35.43
20.	उत्तर प्रदेश	1,73.85
21.	पश्चिम बंगाल	4,59.13
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.79
23.	अरूणाचल प्रदेश	4.25
24.	चंडीगढ़	53
25.	दादरा और नगर हवेली	2.50
26.	दिल्ली	50.38
27.	गोआ दमन और दीव	3.30
28.	लक्कादीव और मिनीकाय द्वीव	2.24
29.	मिजोरम	6.21
30.	पांडिचेरी	13.61

दिल्ली और बम्बई में केन्द्रीय सहायता से किया गया विकास कार्य

7052. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई जैसे महानगरों में 1972-75 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से किस प्रकार के विकास कार्य किये गये ; और

(ख) इस अवधि में उक्त कार्य के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) 1972-75 के वर्षों के दौरान निर्माण मंत्रालय के बजट में से दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार थी :–

I. गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार :—

बम्बई	दी गई धनराशि
वर्ष	रुपये
1972-73	1,85,10,750
1973-74	70,72,750
दिल्ली	
1972-73	95,78,000
1973-74	79,99,500

II. गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना :—
(दिल्ली के लिए दी गई सहायता)

	1972-73	1973-74
	रुपये	रुपये
अनुदान . .	13,35,000	29,99,000
ऋण	27,02,000	40,00,000
नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों को ऋण के रूप में दी गई धनराशि	26,00,000	24,00,000

III. दिल्ली में बाढ़-निरोधक कार्यों के लिए अनुदान सहायता के रूप में दी गई धनराशि :—

(क) नई दिल्ली नगरपालिका के लिए

वर्ष	दी गई धनराशि
	रुपये
1972-73	26,84,000
1973-74 . .	10,00,000
1974-75	13,30,000

(ख) दिल्ली नगर निगम के लिए

वर्ष	दी गई धनराशि
	रुपये
1972-73 . .	10,00,000
1973-74	13,18,000
1974-75	22,00,000

राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत नगरीय विकास की योजना (बम्बई के लिए सहायता)

वर्ष	स्वीकृत की गई धनराशि
	रुपये
1974-75 .	3,87,00,000

राज्यों में आवास योजनायें

7053. **श्री समर गुह**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गयी या उससे सहायता प्राप्त आवास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) (एक) शहरी योजनाओं (दो) ग्रामीण योजनाओं और (तीन) विभिन्न शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में रह रहे लोगों संबंधी योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) तथा (ख) सहायता प्राप्त बागान (कर्मचारी) आवास योजना ही एक ऐसी सामाजिक आवास योजना है जिसके लिए निर्माण और आवास मंत्रालय इस योजना को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1974–75 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 4 राज्यों को 80 लाख रुपये का नियतन किया गया था:—

	लाख रुपये
असम .	35.00
पश्चिम बंगाल	25.50
कर्नाटक	18.00
तमिलनाडु	1.50
कुल	80.00

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा चलाई गई अन्य सभी सामाजिक योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं योजना आयोग ने 1974-75 के दौरान राज्य क्षेत्र में इन आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5238.95 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है । इस धनराशि के परिव्ययों के राज्य-वार ब्यौरों का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–9479/75] इस नियतन का वितरण नगरीय ग्रामीण अथवा गन्दी बस्तियों के निवासियों हेतु आवास योजना के लिए अलग से नहीं किया गया था । राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य क्षेत्र आवास योजनाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमोदित वार्षिक परिव्ययों में से निर्धारण करने में स्वयं सक्षम हैं।

भूमि प्रबन्ध संबन्धी चन्दा समिति को सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

7054. **श्री शशि भूषण:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि प्रबन्ध संबंधी चन्दा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो चन्दा समिति की सिफारिशों की क्रियान्वित के बारे में कब तक घोषणा किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये 200 गज और बड़े प्लाटों के बारे में तत्काल निर्णय करने के क्या विशिष्ट कारए हैं और छोटे प्लाटों के बारे में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) चन्दा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें उच्च-शक्ति प्राप्त एक कार्यान्वियन समिति के विचाराधीन है जिसका इस प्रयोजनार्थ गठन किया गया है। रिपोर्ट की विभिन्न सिफारिशों पर उस समिति के अन्तिम निर्णयों के पश्चात् आगे कार्रवाई की जाएगी।

(घ) निर्णय यह था कि उन मूल पट्टाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई निलंबित की जाए जिनके कब्जे में 200 वर्गगज अथवा उससे कम क्षेत्र है न कि अपेक्षाकृत बड़े प्लाटों के आबंटियों के विरूद्ध यह निर्णय चन्दा समिति की सिफारिशों के प्राप्त न होने तक किया गया था।

बिना पारी के आवंटन

7055. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13 मई, 1972 के बाद से अर्थात् उस नियम की समाप्ति के बाद से, जिस के अन्तर्गत सम्पदा निदेशक बीमारी के आधार पर बिना पारी के आवंटन कर सकता था, बीमारी के आधार पर कितने क्वार्टरों का आवंटन किया गया;

(ख) अन्य कारणों से बिना पारी के कितने क्वार्टरों का आवंटन किया गया; और

(ग) इस अवधि के दौरान "सामान्य" पूल के अन्तर्गत भाग (क) और (ख) में उलिखित क्वार्टरों की संख्या दिल्ली में आवंटित कुल सरकारी क्वार्टरों की संख्या का कितने प्रतिशत है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 915 (13-5-1972 से 31-3-1975 तक की अवधि के दौरान)।

(ख) 1,562 (13-5-1972 से 31-3-1975 तक की अवधि के दौरान)।

(ग) 7.48% तथा 12.77%

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जूतों की खरीद

7056. **श्री आर०बी० बड़े :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने जूते खरीदे थे और वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए थे;

(ख) क्या वे जूते एक महीने भी नहीं चले क्योंकि वे जूते बहुत घटिया किस्म के थे और बेकार थे;

(ग) यदि हां, तो इस सौदे के लिए कौन उत्तरदायी है और इसमें कितनी राशि खर्च हुई है; और

(घ) हानि को पूरा करने के साथ साथ उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) परिषद् ने सुपर बाजार कनाट सर्कस से जूतों के 122 जोड़े खरीदे थे। कुछ कर्मचारियों से खराब जूतों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को सुपर बाजार प्राधिकारियों को भेज दिया गया था जिन्हें 20 ऐसे जोड़े जो खराब पाए गए थे मरम्मत/बदलने के लिए वापिस कर दिए गए थे। इन 20 जोड़ों को सुपर बाजार के प्राधिकारियों द्वारा बदल दिया गया है।

(ग) और (घ) क्योंकि जूते सुपर बाजार से खरीदे गए थे इसलिए परिषद् के किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी नियत करने या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खराब जूतों का मूल्य 586.95 रु० था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दी का खरीदा जाना

7057. **श्री आर० बी० बड़े :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने पानीपत की एक फर्म से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दियां खरीदी हैं और वर्दियां न केवल त्रुटिपूर्ण ही हैं, बल्कि निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुरूप भी नहीं है;

(ख) क्या ऐसी वर्दियों के लगभग 38 जोड़े जिन्हें त्रुटिपूर्ण करार दिया गया है भण्डार में पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अधीन ये क्रयादेश पानीपत की फर्म को दिए गए थे;

(घ) त्रुटिपूर्ण और घटिया सामान की खरीद करने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है; और

(ङ) इसमें हुए घाटे की पूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसमें कितनी धन-राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

कुलपति सम्मेलन

7058. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :**

श्री भाऊ साहिब धामनकर :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री हरी सिंह :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालयों के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 26 मार्च, 1975 को दिल्ली में 60 कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) कितने कुलपतियों ने सम्मेलन में भाग लिया;

(घ) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार डा० के० एल० श्रीमाली की अध्यक्षता में एक प्रायोजक समिति द्वारा कुलपतियों के एक अभिसमय का आयोजन किया गया था जिसमें उन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया जिनका विश्वविद्यालयों को फिलहाल सामना करना पड़ रहा है।

(ग) तेईस।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं वसूली का निर्धारण

7059. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों से गेहूं वसूली के लक्ष्य के बारे में अभी तक कोई पक्का वायदा नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अच्छी फसल को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ए० पी० सी० के 55 लाख टन के लक्ष्य के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक अन्य सम्मेलन बुलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसे कब बुलाये जाने की संभावना है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित लक्ष्य को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों को उसकी सूचना दे दी गई है। इस प्रकार जो अधिप्राप्ती के लक्ष्य बताए गये हैं वे प्रत्याशित और व्यवहार्य प्रयास-स्तर के सूचक है और राज्य सरकारों को उन्हें ध्यान में रखने के लिए कहा गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर की गई खाद्य सहायता

7060 **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रबंध समिति ने 22 मार्च, 1975 को भारत को तात्कालिक खाद्य सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को स्थिति से अवगत करा दिया गया है,

(ग) भारत को कितनी मात्रा में खाद्य सहायता देने का आश्वासन दिया गया है और इस सहायता के उनसे कब तक प्राप्त होने की संभावना है और इससे किस हद तक खाद्य समस्या के समाधान होने की संभावना है, और

(घ) इस सौदे पर क्या कोई शर्तें लगाई गई हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां, । विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तर सरकारी समिति ने 25-3-75 को भारत के लिए 11 'फूड फार वर्क' परियोजनाएं और एक 'न्यूट्रीशन' परियोजना के लिए स्वीकृति दी है। समिति द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-9480/75]

(ख) जी हां विश्वखाद्य कार्यक्रम ने अन्तर सरकारी समिति की स्वीकृति के बारे में भारत ने सरकार को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित मात्रा में गेहूं तथा अन्य जिन्स उपलब्ध किए जायेंगे

जिन्स	मात्रा (मीटरी टनों मे)
गेंहू	105,070
सोया-फार्टीफाइड, बुलगर, गेहूं/चरी	36,758
बटर आइल	3,045

विश्वखाद्य कार्यक्रम तथा भारत सरकार के बीच प्रयत्नों के औपचारिक आदान-प्रदान के बाद परियोजनाओं को खाद्य सहायता मिलनी शुरू हो जायगी । ये परियोजनाएं सूखा तथा अभावग्रस्त राज्यों स्थित हैं । अतः इनसे राज्यों के जरूरत मंद व्यक्तियों को खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने में सरकारों के प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(घ) इस करार में कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं । खाद्य तथा कृषि संगठन का विश्व खाद्य कार्यकक्र/विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा भारत सरकार के बीच हुए मूल करार के अनुसार भारत सरकार के अनुरोध पर समय समय पर खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य वस्तुएं देकर भारत में विकास परियोजनाओं के लिए सहायता देता रहता है ।

तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन

7061. **मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सूखे की स्थिति के बारे में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट भेजी है,

(ख) क्या उक्त राज्य में कमी की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार ने स्वयं कोई समीक्षा की है,

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में चावल 5 रु० प्रति किलो से अधिक कीमत पर बिक रहा है जब कि पड़ोसी राज्यों में चावल की कीमत $2\frac{1}{2}$ रु० से 3 रुपये प्रति किलो के बीच है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से क्या राहत और अन्य उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी, 1975 में कमी की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल को यह काम सौंपा गया था ।

(ग) मार्च, 1975 के अंत में तमिलनाडु में चावल के मूल्य 2.25 रुपये से 3.40 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थे, न कि 5 रुपये प्रति किलो । पड़ौसी राज्य कर्नाटक में चावल का मूल्य 2.10 रु० से 3.30 रु० प्रति किलोग्राम के बीच था ।

(घ) 1974-75 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सूखा राहत कार्य के लिए योजना के लिए अग्रिम सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रुपए की धनराशि नियुक्त की है ।

केन्द्रीय पूल से राज्य को अधिक खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है ।

लेवी और वसूली के बारे में अखिल भारतीय नीति

7062. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या लेवी और वसूली के बारे में अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया है;

(ख) क्या छोटे किसान को छूट देने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन छूटों का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या गेहूं और चावल के लेवी के अन्तर्गत अंशदान को उर्वरकों और अन्य कृषि उपकरणों की सप्लाई से सम्बद्ध किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) क्योंकि प्रत्येक राज्य में स्थिति में काफी भिन्नता है इसलिए लेवी और अधिप्राप्ति के मामले में कोई अखिल भारतीय समान नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को कुछेक सामान्य मार्गदर्शी बातें बतायी गई है और यह उन पर छोड़ दिया गया है कि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों के सर्वोत्तम अनुकूल कोई अधिप्राप्ति की प्रणाली अपनाएं।

(ख) और (ग) : लेवी आदेशों में आम तौर पर छोटे किसानों को लेवी देने से छूट होती है। विभिन्न राज्यों में छूट-सीमा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 9481/75]

(घ) और (ङ) : गेहूं और चावल का लेवी अंशदान उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की सप्लाई से सीधा संबंधित नहीं है। तथापि कुछेक राज्य सरकारें अधिप्राप्ति के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियंत्रण मूल्यों पर उर्वरक और अन्य कृषि आदान देती है।

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क का विकास

7063. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण राजौरी गार्डन नई दिल्ली में "मध्य-आय-वर्ग" फ्लैटों के सामने पार्क का विकास कर रहा है और इसे कब से विकसित किया जा रहा है;

(ख) क्या इस पार्क के चारों ओर चहारदीवारी भी नहीं बनायी गई है जिसके परिणामस्वरूप इस कालोनी में सेंधमारी की अनेक घटनायें हुई हैं;

(ग) पार्क के विकास में धीमी गति के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1975 में इसके विकास हेतु कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ङ) इसका विकास कहां तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का राजौरी गार्डन के समीप एक डिस्ट्रिक्ट पार्क का विकास करने का एक प्रस्ताव है। अभी तक समतल करने तथा सफाई करने संबंधी कार्य कर दिया गया है तथा कुछ वृक्ष लगाये गए हैं ।

(ख) इस पार्क के चारों ओर चहारदीवारी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, इस क्षेत्र को कांटेदार तार से घेर दिया गया है । चहारदीवारी का निर्माण न करने का कालोनी में हुई तथाकथित सेंधमारी से कोई संबंध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : पूर्व विकास योजना अभी स्वीकृत की जानी है । विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं ।

(ङ) चूंकि इसे एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव है तथा जल और अन्य सुख-सुविधाओं की आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप काफी संख्या में वृक्ष लगाए जायेंगे, अतः यह अनुमान है कि पार्क का विकास करने में कम से कम 3-4 वर्ष लगने की सम्भावना है ।

पंजाब विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट

7064. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और उसे अपने व्यापक अनुसन्धान और अध्यापन कार्य में से कुछ कार्य को या तो समाप्त करना पड़ेगा या सीमित करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को क्या सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) : पंजाब विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय किसी गम्भीर वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है और इसलिए इसको अनुसंधान तथा अध्यापन कार्य को सीमित करने अथवा बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय को घाटा पूरा करने के लिये दिया जाने वाला अनुरक्षण अनुदान इस समय पंजाब सरकार तथा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ द्वारा वहन किया जा रहा है । विश्वविद्यालय को विकास अनुदान, राज्य विश्वविद्यालयों की तरह ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, जहां कहीं भी जरूरी हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान के बराबर विश्वविद्यालय द्वारा अपना भाग वहन करने के लिये तथा उन ऐसी अन्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जो आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होती, विश्वविद्यालय को ऋण स्वीकृत करती रही है।

खाद्यान्नों को नयी मूल्य और वसूली नीति

7065. सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री हरी सिंह :

श्री प्रबोध चन्द्र :

कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ असंगतियों के कारण, जिसके अन्तर्गत लेवी सम्बन्धी आदेश जारी किए जाते हैं, खाद्यान्नों संबंधी नई मूल्य और वसूली नीति को कुछ राज्यों में क्रियान्वित करने में दिक्कत हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कोई उपाय ढूंढा जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभिन्न राज्यों में अलग अलग लेवी संबंधी आदेश जारी किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कुछेक आदेशों को न्यायालयों में चुनौती दी गयी है और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनका प्रतिवाद किया जा रहा है । उच्च न्यायालय के अंन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है और जब तक उन आदेशों की अत्यावश्यक अधिनियम के अद्यतन उपबंधों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है, यह कहना ठीक नहीं होगा कि खाद्यान्नों की मूल्य और अधिप्राप्ति नीति को कानूनी पहलू से कार्यान्वित करने में दिक्कत हो रही है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Creation of a National Sugar Authority as Recommended by Bhargava Commission

7066. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether creation of a National Sugar Authority has been recommended in the report of Bhargava Commission; and

(b) if so, the steps taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) The recommendation has been examined and the feasibility of achieving the same purpose by reinforcing and reorganising the existing Directorate of Sugar and Vanaspati in the Ministry is being studied.

Loans for Fertiliser and Agricultural Requirements

7067. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) whether the amount of loans being given to small farmers for purchasing fertilizers and seeds and other agricultural requirements is likely to be increased; and

(b) whether his Ministry has recommended to the Ministry of Finance that small farmers be given increased amount of loans ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) Government of India and Reserve Bank of India have issued appropriate instructions, respectively to the State Governments and the financing institutions, regarding the need for increasing the scales of finance and granting higher credit limits in order to ensure that adequat e credit support is available to farmers for meeting the increased cost of cultivation. The different agricultural credit institutions like the Agricultural Refinance Corporation, Cooperatives and commercial banks have also adopted norms and procedures for promoting greater flow of credit to small farmers.

अन्तर-विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड की आम सभा की बैठक

7068. **श्री वयालार रवि** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड की आम सभा की कोई बैठक 73वीं बैठक के बाद नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बोर्ड को फिर से सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) और (ख) अन्तर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की पिछली बैठक 1973 में हुई थी। 1973 में अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की सदस्यता से श्री लंका के अलग हो जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड ने उसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में बदलने का निर्णय किया। संघ ने भूतपूर्व अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की खेल समिति की तुलना में विस्तृत सदस्यता के आधार पर अपनी खेल समिति का पुनर्गठन किया है। इस समय गठित खेल समिति, अन्तर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के कार्यों की देखभाल करती है और अपनी बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करती रहती है। अन्तर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का आस्थगन कर दिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

7069. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी पी० यादव) :(क) से (ग) 1968 के राष्ट्रीय नीति संकल्प में माध्यमिक स्तर पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर डाला गया है । ऐसी सुविधाओं में उचित रूप से विविधता लानी है जिससे कि उसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, औषध, जनस्वास्थ्य, गृह-प्रबंध, कला और हस्तकला, लिपिकीय प्रशिक्षण आदि जैसे बड़ी मात्रा में शामिल किए जा सकें । ऐसे पाठ्यक्रमों को पूरा करने वालों का संबंध रोज़गार की सुविधाओं के साथ होना चाहिए ।

राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिए कार्यक्रम तैयार कर रही है । भारत सरकार ने भी उपर्युक्त रूप-रेखाओं के आधार पर पांचवीं योजना में चुने गए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है ।

बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी योजनायें

7070. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी तथा किन-किन राज्य सरकारों ने योजना आयोग के अनुमोदन के लिये अपनी बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) (क) और (ख) : निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, सभी बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास स्कीमों की जिनको प्रत्येक की लागत 50 लाख रुपये से अधिक होती है, केन्द्र में तकनीकी जांच की जानी होती है और राज्य योजनाओं के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जानी होती है।

योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये केन्द्र में राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों से प्राप्त स्कीमों की सूची का विवरण संलग्न है । इस विवरण में उनकी वर्तमान स्थिति भी बताई गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–9482/75]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरिजनों के लिये मकानों का निर्माण

7071. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार हरिजनों के लिये मकानों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों के फ्लैटों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षित है। जहां तक जनता तथा सामुदायिक सेवा कार्मिक वर्ग के फ्लैटों का संबंध है, प्रत्येक योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित फ्लैटों की प्रतिशतता 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं।

(ग) इस प्रयोजन के लिये कोई पृथक निधियां निर्धारित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर

7072. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में चर्तुथ श्रेणी के चपरासियों, दफ्तरियों और अटैन्डेंटों, पैकरों, आपरेटरों आदि के लिये सेलेक्शन ग्रेड सहित पदोन्नति के कोई अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के चतुर्थ कर्मचारियों के लिये पदोन्नतियों के श्रेणीवार सामान्य अवसर क्या हैं; और

(ग) ऐसी पदोन्नतियों के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) जी हां।

(i) चपरासियों से दफ्तरी; (ii) दफ्तरी से गेस्टेटनर ओपरेटर (जूनियर) और (iii) दफ्तरी से अभिलेखपाल के पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की जाती है। पुस्तकालय लिपिकों के 25 प्रतिशत पद पुस्तकालय परिचरों की उसी आधार पर पदोन्नति करके भरे जाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नश्रेणी लिपिकों के दस प्रतिशत पद उपरोक्त वर्गों के ऐसे स्टाफ के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित योग्यताएं रखते हैं और लिखित परीक्षा में सफल हो जाएं।

विश्वविद्यालय अनुदान की रिपोर्ट के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् के विचार

7073. **श्री एस०एम० बनर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्टों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् ने गम्भीर शंकाएं व्यक्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार का क्या मत है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षणिक विषयों के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्रकाशित और उन्हें विश्वविद्यालयों को भेजता रहता है। यदि रिपोर्ट की विषय वस्तु तथा उसके प्रकाशन का वर्ष बता दिया जाये तो स्पष्ट उत्तर दिया जा सकता है।

पुस्तक व्यापार में थोक विक्रेताओं के प्रति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की नीति

7074. **चौधरी दलीप सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पुस्तक-व्यापार के मामले में केवल बड़े व्यापार गृहों और थोक विक्रेताओं को ही संरक्षण दे रही है;

(ख) क्या पुस्तक व्यापार के इन थोक विक्रेताओं के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल की गई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा छोटे पुस्तक विक्रेताओं की उपेक्षा करने और जनता को ठीक समय पर पुस्तकें उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछेक थोक व्यापारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थीं, किन्तु उन आरोपों को सिद्ध करने के लिये किसी ने प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये।

(ग) सामान्यतः ऐसी आशा की जाती है कि खुदरा पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों को रा० शि० अ० प्र० परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए थोक व्यापारियों से ही खरीदेंगे। तथापि रा० शि० अ० प्र० परिषद् के प्रकाशनों को उन छोटे तथा बड़े विक्रेताओं के जरिए भी बेचा जाता है, जो रा० शि० अ० प्र० परिषद् के पास पंजीकृत हैं। पुस्तकें जनता को सामान्यतः समय पर ही उपलब्ध की जाती हैं। कभी-कभी कुछ पुस्तकों की कमी के कारण कागज की कमी, मुद्रण, परिवहन की कठिनाइयां आदि होती हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दोनों सिविल और इलैक्ट्रिकल पक्ष के जूनियर इंजीनियरों के रिक्त पद

7075. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1973 में आयोजित की गई जूनियर इंजीनियरों की अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सिविल और इलैक्ट्रिकल दोनों पक्षों के जूनियर इंजीनियरों के कितने रिक्त पदों को भरा गया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दोनों श्रेणियों में और कितने रिक्त पदों को अभी भी भरा जाना है ;

(ख) केन्द्रीय निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों (सिविल और इलैक्ट्रिकल्स) की भर्ती के लिए अगली प्रतियोगितात्मक परीक्षा कब आयोजित की जाएगी ;

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल और इलैक्ट्रिकल डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीयनरों को सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने में सामान्यतः कितना समय लगता है ; और

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिये डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियरों को एक ही वरिष्ठता स्तर पर रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सितम्बर, 1973/फरवरी, 1974 में हुई अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर अभी तक कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) की 66 रिक्तियां तथा कनिष्ठ इंजीनियर (बिजली) की 65 रिक्तियां भरी गई हैं। कार्यभार में कमी आने के कारण आगे की और नियुक्ति करना फिलहाल बन्द कर दिया गया है।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल तथा बिजली) की भर्ती के लिये अगली अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा नवम्बर, 1975 के दूसरे सप्ताह में होनी अपेक्षित है, लेकिन कार्यभार में गिरावट आने के कारण और अधिक लोगों को भर्ती करने की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रख कर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) सिविल तथा बिजली दोनों प्रकार के डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियर इस ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं। तथापि, सहायक इंजीनियर के ग्रेड में उनकी पदोन्नति योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर किसी समय विशेष में रिक्तियों के उपलब्ध होने पर चयन द्वारा की जाती है। इस बात को देखते हुए डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियरों को पदोन्नति में लगने वाले समय में कोई समानता नहीं है।

(घ) कोटा पद्धति के अन्तर्गत, सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति के लिये स्नातक तथा गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची-पृथक पृथक बनाई जाती थी। एम० रामैया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कोटे का उचित तथा प्रभावकारी ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नतियां स्नातक तथा गैर स्नातक दोनों की एक मिली जुली वरिष्ठता सूची में से तदर्थ आधार पर, की जा रही है।

Report of the Committee on Cow Protection

7076. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Central Committee on cow protection; and

(b) if not, the time by which it is likely to be submitted to Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) The Committee on Cow Protection has not yet submitted its report to the Government. The Committee's present term was upto the 30th September, 1975.

उर्वरकों की आवश्यकता तथा उसका उत्पादन

7077. **श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में उर्वरकों की अनुमानतः कितनी आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) भारत में उर्वरकों का अनुमानतः कितना उत्पादन होता है ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) खरीफ, 1975 और रबी 1975-76 में खेती के लिये 45.88 लाख मीटरी टन उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। एन० पी० और के० के रूप में इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है--

एन० — 31.28
पी० — 8.94
के० — 5.66

(ख) खरीफ, 1975 और रबी, 1975-76 के दौरान देश में 15.54 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन-युक्त और 3.63 लाख मीटरी टन फास्फेट-युक्त उर्वरकों का उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ग) भारत सरकार उर्वरकों की मांग और उसके देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये यथा संभव अधिक से अधिक उर्वरक आयात करने के लिये प्रयास कर रही है। वितरण प्रणाली का सुधार करने के भी प्रयास किए गए हैं ताकि अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में उर्वरक मार्ग में न रुके रहें। खादों और कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के लिये भी उपाय किए गए हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्य उपक्रमों के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9466/75]** ।

पंजाब वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) पंजाब वन्य प्राणी (पशुधन घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 179 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) नियम, 1975 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 180 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-9467/75)।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री डी॰ पी॰ यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰-9468/75]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चावल का वसूली मूल्य निर्धारण करने संबन्धी कथित भेदभावपूर्ण नीति

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं **कृषि और सिंचाई** मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"चावल का वसूली मूल्य निर्धारित करने संबंधी कथित भेदभावपूर्ण नीति"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिन्दे) : श्रीमान्, सरकार चावल के अधिप्राप्ति मूल्य के निर्धारण में कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपना रही है। सरकार खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य जैसेकि धान/चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और मूल्य और अधिप्राप्ति नीति तैयार करने से पूर्व होने वाली मुख्य मन्त्रियों की बैठकों में अभिव्यक्त राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित करती है। मूल्य नीति तैयार करते समय फसल की सम्भावनाओं, उत्पादन की लागत, उत्पादक को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता और उपभोक्ता के लिये उचित मूल्य और देश में समूची आर्थिक स्थिति जैसे सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री समर गुह : पिछले $2\frac{1}{2}$ दशकों में सरकार की खाद्य नीति गेहूं प्रधान रही है जिससे चावल पैदा करने वाले लोगों और चावल खाने वाले लोगों के हितों को आघात पहुंचा है। सरकार ने चावल के वसूली मूल्य के निर्धारण के बारे में भेदभावपूर्ण नीति के सम्बन्ध में टालने वाला उत्तर दिया है और आंकड़े तथा तथ्य भी नहीं दिये हैं।

वसूली मूल्य का सम्बन्ध अनाज की उत्पादन लागत और सप्लाई कीमत से है, हमारे देश में चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से लगभग दुगना होता है। मूल्य समर्थन नीति के अनुसरण में लगभग 353 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई है जिसमें बोनस के रूप में दी गई 50-60 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। पर इस संदर्भ में चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों या चावल उत्पादकों को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। यह सारी धनराशि गेहूं उत्पादक क्षेत्रों और गेहूं-उत्पादकों को दी गयी है। मैं चाहता हूं कि चावल उत्पादक क्षेत्रों के साथ भेद नहीं किया जाना चाहिए।

1956 से ही प्रतिवर्ष औसतन 300 करोड़ रुपये की राशि मूल्य समर्थन के लिए राज-सहायता के रूप में दी जाती रही है और पिछले 20 वर्षों में इस मद में 6,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है।

यह सारी राशि गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को गई है। इससे चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों और गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में विषमता पैदा हो गई है।

वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य दोषपूर्ण आधार पर निश्चित किया जाता है । चावल की हजारों किस्में हैं पर उन्हें मोटे तौर पर केवल चार किस्मों में विभाजित किया जाता है जबकि गेहूं की केवल एक ही किस्म मानी जाती है ।

मोटे अनाज की वसूली कीमत 135 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित की गई है—बीच के किस्म के लिए 150 रु० उत्तम किस्म के लिए 162 रु० तथा सर्वोत्तम किस्म के लिए 172 रु० प्रति क्विन्टल। लेकिन कलकत्ता में लोगों को बढ़िया किस्म का चावल नहीं मिलता । उन्हें घटिया किस्म का चावल बढ़िया किस्म की दर पर दिया जाता है । हम गेहूं का आयात करते हैं पर चावल का आयात नहीं किया जाता । 1965 से पहले चावल बाहर से भी मंगाया जाता था । अतः चावल खाने वालों को गेहूं खाने वालों के बराबर लाभ नहीं मिला है ।

धान का वसूली मूल्य 94.00 प्रति क्विन्टल, चावल का 110 रु० प्रति क्विन्टल और गेहूं का 105 रु० प्रति क्विन्टल है । बोनस की राशि शामिल करने से यह 110 रु० प्रति क्विन्टल बैठती है । मंत्री जी का कहना है कि वसूली कीमत कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित की जाती है। इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पास कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं । जिस आधार पर गेहूं का वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है उसी आधार पर धान का वसूली मूल्य 90 रुपये प्रति क्विन्टल होना चाहिए था ।

सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा दिये जाने वाले ऋण का 75 प्रतिशत भाग गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को मिलता है और खाद्य, रसायनिक खाद, बिजली शंकर बीज, ट्रेक्टर आदि जैसे कृषि साज-सामान का 80 प्रतिशत भाग भी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को मिलता है ।

इन तथ्यों को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह सरकार की गेहूं प्रधान खाद्य नीति का अध्ययन करने हेतु एक ऐसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनायेगी, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल होंगे ताकि चावल पैदा करने वाले और गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में जो भेदभाव बरता जाता है उसे दूर किया जा सके और दोनों क्षेत्रों को बराबर लाभ मिल सके ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की भावनाओं का मैं आदर करता हूं पर उनके निष्कर्ष बिल्कुल निराधार हैं । उन्हें देश में नया विवाद खड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चावल केन्द्रीय पूल में देते हैं । गेहूं उत्पादकों और चावल उत्पादकों के बीच कोई भेद नहीं किया जा रहा है । धान का वसूली मूल्य 1968-69 में 45 रु० से लेकर 59.25 रुपये तक था और गेहूं का वसूली मूल्य 76 रु० । अब धान के मूल्य को बढ़ाकर 74 रु० या 76 रु० कर दिया गया है तथा गेहूं का मूल्य 105 रु०। इसका अर्थ है धान के वसूली मूल्य में 45 से 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई जबकि गेहूं के मूल्य में 34 से 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । बोनस योजना चावल और गेहूं दोनों के लिये है पर चावल के लिए कुछ बेहतर ही है। इसलिए सदस्य को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ।

इसमें संदेह नहीं कि बड़ी मात्रा में गेहूं के सरकारी वितरण में राजसहायता देनी पड़ती है। इसका कारण यह है गेहूं का अन्तराष्ट्रीय मूल्य बहुत ऊंचा है जबकि हम इसे 125 रु० प्रति क्विन्टल के

हिसाब से बेचते हैं, वस्तुतः भारी मात्रा में गेहूं केरल, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल को भेजा जा रहा है। चावल की कमी के कारण इन राज्यों को गेहूं दिया जा रहा है। इस तरह राजसहायता का एक बड़ा अंश चावल खाने वाले क्षेत्रों को जा रहा है।

खेती के साज सामान को केवल गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को भेजे जाने की बात कही गई है। पर जैसा कि मैंने कहा है, आज गेहूं उत्पादक और चावल उत्पादक में कोई भेद नहीं रह गया है। आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक की अधिकतम खपत है। तमिल नाडु को भी हम अधिकाधिक उर्वरक भेज रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि उर्वरक जैसी दुर्लभ वस्तु किसी क्षेत्र विशेष को ही दी जा रही है। तथापि यह सच है कि देश में असम विकास हो रहा है। पर इसका कारण केवल चावल और गेहूं तक सीमित नहीं है। (**व्यवधान**)।

श्री समर गुह : मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह हमें बतायें कि इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जायेगी जिसमें संसद सदस्य भी शामिल होंगे (**व्यवधान**)।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ऐसी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सरकार ने वसूली मूल्य की बात कृषि मूल्य आयोग और मुख्य मंत्रियों पर डाल दी है। असंगत वसूली मूल्य के परिणामों के सम्बन्ध में सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। किसानों को लाभ प्रद मूल्य दिये जाने चाहिए क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है। साथ ही कमजोर वर्ग को सस्ते मूल्यों पर चावल उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उन्हें कुछ काम दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि से ही हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रख सकते हैं। अनाज के मूल्यों में समता होनी चाहिए तथा वे अन्य वस्तुओं के मूल्यों से सम्बद्ध होने चाहिए।

हम समाजवाद की बात करते हैं। उड़ीसा में भुखमरी के समाचार मिल रहे हैं। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। इसलिए वसूली मूल्य कुछ भी हो, वितरण व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। वितरण केन्द्र पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण, लोग वसूली के चावल को अपने गांवों से बाहर ले जाने का विरोध करते हैं और उसे वहीं भण्डारों में रखने का आग्रह करते हैं जिससे कि कमी के महीनों में उन्हें चावल मिल सके।

लेवी में प्रस्तावित मात्रा से अधिक वसूली की गई है। इसका विरोध करने पर गोलियां चलाई गई हैं और पांच व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गये और गुरण्डी गांव में हरिजन बस्ती को जला दिया गया इसी प्रकार की घटना सम्बलपुर, बालाघाट और रामपुर में भी घटी है।

सरकार जिन गांवों से अनाज वसूल करती है उसे वहीं जमा रखे, कमजोर वर्गों, कृषि मजदूरों, गरीब लोगों को सस्ते मूल्य पर अनाज दे तथा सरकारी वितरण व्यवस्था को सुधारे। इस समय भारतीय खाद्य निगम चावल पर 30 रु० प्रति क्विन्टल का मुनाफा ले रहा है। मुझे बताया गया है कि यह निगम पंजाब में बासमती चावल 80 रु० से 90 रु० प्रति क्विन्टल खरीदता है और उड़ीसा में इसे 400 रु० प्रति क्विन्टल बेचता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कुछ समय पहले माननीय कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों का एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय लिया गया है और यदि निर्णय नहीं लिया गया है तो ऐसे प्रतिनिधि के नियुक्त करने में क्या अड़चनें हैं जिससे किसानों के हितों की कृषि मूल्य आयोग में रक्षा की जा सके।

एक अन्य संगत प्रश्न मैं वसूली के बारे में पूछना चाहता हूं । मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि हमसे हमेशा यह कहा जाता है कि किसान स्वेच्छा से आवश्यक लेवी दे सकते हैं । सैद्धांतिक दृष्टि से तो यह सही है किन्तु प्रायः अधिकारी एक विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हैं और स्थानीय अधिकारी ग्रामीणों से कहते हैं कि यदि वे गांव में रहना चाहते हैं और यदि वे सभी सुविधायें चाहते हैं तो लक्ष्य अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिये तो किस तरह से स्वेच्छा लेवी की आड़ में जबरन लेवी वसूल की जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की धमकी को सर्वथा रोका नहीं जा सकता।

माननीय मंत्री हमें बताते हैं कि कोई भेदभाव नहीं बरता गया है । किन्तु मैं उनके समक्ष कतिपय तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । यदि चावल उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जाये, तो अधिक मात्रा में वसूली हो और हम अपने लक्ष्य पूरे कर सकें ।

प्रायः बाजार मूल्य और वसूली मूल्य में काफी अन्तर होता है । अतः किसान में अपनी उपज को छिपाने की प्रवृत्ति आ जाती है और वह वसूली में कम मात्रा में देने की कोशिश करता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वह इस समस्या को कैसे हल करने जा रहे हैं ? सरकार को भी याद रखना चाहिये कि यदि वह केवल धान पर लेवी लगाती है तो किसान धान की जगह अन्य फसलें उगाने लगेगा जो कि उपभोक्ताओं की तुरत आवश्यकताओं को देखते हुए उचित नहीं होगा । अतः कतिपय क्षेत्रों में विद्यमान असंतुलन को दूर करने के लिये कौन से ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

एक ऐसा प्रस्ताव था कि भारतीय खाद्य निगम, यदि आवश्यक हुआ तो खुले बाजार मूल्य पर अतिरिक्त एक लाख मीटरी टन चावल खरीदेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खाद्य निगम के समक्ष खुले बाजार मूल्यों पर खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य की आशंका ठीक नहीं है । जहां तक कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि के होने का सवाल है, मैं इस सभा की भावनायें जानता हूं । केवल किसान ही क्यों अन्य लोग इसमें क्यों नहीं होने चाहिये ? मैं समझता हूं कि बेहतर यह होगा कि इस संस्था को एक स्वतंत्र संस्था होना चाहिये जिसमें अर्थशास्त्री, विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व हो । सरकार का यही विचार है। किसानों सहित विभिन्न वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की समस्या पर विचार किया जायेगा ।

जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने बताया है कि किसानों को विवश किया जाता है। इस देश में लेवी के सम्बन्ध में पूरा समर्थन और सहयोग आवश्यक है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा वसूली किये जाने के लिये आवश्यक वातावरण तैयार किया जाये । किन्तु वसूली कैसे हो, यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये । हम राज्य सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लक्ष्यों के बारे में वे आवश्यक निर्णय अच्छी तरह ले सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव दे सकते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इन मामलों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कई बार चर्चा हो चुकी है। हम देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में स्थिति इतनी भिन्न है कि बेहतर यही है कि इस मामले में राज्य सरकार को विवेक प्रदान किया जाये ।

25 LSS/75—11.

महोदय, माननीय सदस्य ने लक्ष्यों के बारे में उल्लेख किया है । देश के विभिन्न भागों में भीषण सूखे की स्थिति के बावजूद वसूली ठीक हो रही है । गत वर्ष चावल का काफी उत्पादन रहा। इस वर्ष बसूली 2 लाख मीटरी टन कम हुई है । आज चावल का लक्ष्य 41 लाख मीटरी टन है और हमें आशा है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है । माननीय सदस्य को कोई आशंका नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सम्बन्ध है, यह बड़ी समस्या है । इस असंतुलन को दूर करने के लिये भारत सरकार को अनेक कदम उठाने होंगे । भारत सरकार का प्रयास इस दिशा में रहा है । जब तक भूमि सुधार नहीं किये जायेंगे और बटाई प्रथा आदि को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक अर्थव्यवस्था में असंतुलन बना ही रहेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकारें इसे जल सहित कृषि साज-सामान के साथ जोड़ें ।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं माननीय मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं । सरकार की नीति चाहे यह चावल के मूल्य निर्धारण के बारे में हो अथवा अनाज की लेवी वसूली के बारे में हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और छोटे-मोटे किसान सरकार की वसूली नीति की सफलता के लिये सरकार का सहयोग करने को तैयार हैं । इस संदर्भ में कतिपय क्षेत्रों के एक वर्ग के लोगों का जो अपमान किया गया, वह बड़ा ही दुखद है । अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के साथ सहयोग करने वाले लोगों को पूरा संरक्षण दिया जायेगा ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वह कुछ मामलों में राज्य सरकारों को सलाह देंगे जिससे वे भूमि जोतों के अद्यातन आंकड़े संबंधी पेचीदे मामलों की छानबीन कर सकें, ताकि लेवी का निर्धारण न्याय संगत ढंग से किया जाये और भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत उत्पन्न न हो ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के विचारों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाऊंगा ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : क्या माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि प्रो० समर गुह का बयान राजनीतिक बयान हो सकता है। मेरे पास पंजाब और हरियाणा के आंकड़े गेहूं और धान की खेती के बारे में हैं। इन प्रदेशों में धान की अपेक्षा गेहूं अधिक भूमि में पैदा किया जाता है। गेहूं से उन्हें मुख्य रूप से आय होती है। अतः वह जो चाहता है, वह उसे मिलता है। परन्तु ऐसा देश के शेष भाग के किसानों के मामले में नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के किसान चावल की ओर भी ध्यान दें, ताकि देश के शेष भाग के लाखों किसानों को भी लाभ मिले। भेदभाव के बारे में मेरा यह पहला प्रश्न है ।

वक्तव्य में दिये गये उत्पादन के सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। क्या आप इसे भेदभाव नहीं कहेंगे। अब मेरा तीसरा प्रश्न यह है...

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही पांच से अधिक मिनट ले लिये हैं...

श्री बी० वी० नायक : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के मामले में पिछले दिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि अमरीका में गेहूं उत्पादक को प्रति क्विन्टल 125 रुपये से लेकर 140 रुपये तक मूल्य दिया जाता है अतः हमारे देश के गेहूं उत्पादक को अधिक मूल्य देना न्यायोचित नहीं है। केवल गेहूं के मामले में यह समानता क्यों बनाये रखी जा रही है। चावल के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? हम आपसे निवेदन करते है कि सभी किसानों के साथ एक सा वर्ताव करें, क्योंकि वे हमारे भाई हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे यह कहने में खेद होता है कि सभा से यथार्थ विवाद के बिना बड़े अयथार्थवादी विवाद लाये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप गेहूं चावल समानता को क्यों बिगाड़ रहे हैं? चावल उत्पादक राज्यों का अवमूल्यन किया जा रहा है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरा निवेदन यह है कि गेहूं-उत्पादकों और चावल-उत्पादकों के हितों के बीच कोई विवाद नहीं है। वास्तव में गेहूं उत्पादकों ने इस देश में महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान की हैं। अन्यथा कोई भी देश में खाद्य-अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सकता। पंजाब और अन्य किसानों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

श्री समर गुह : हम सहमत हैं। हम उनकी सराहना करते हैं और उनको बधाई देते हैं। किन्तु कृपया दूसरों को न भूलें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि श्री नायक का तर्क यह है कि चावल उत्पादकों के साथ भेदभाव पूर्ण वर्ताव किया जाता है तो पंजाब के किसान ही चावल के मामले में सबसे अधिक योगदान करते हैं।

श्री समर गुह : आप पुनः पंजाब की चावल की उपज के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में पंजाब और हरियाणा में चावल के उत्पादन का प्रतिशत क्या है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने मूल्य ढांचे का उल्लेख किया है। मैं पुनः दोहराता हूं कि 1968-69 में जब चावल का मूल्य 45 और 56.20 रुपये प्रति क्विन्टल था। यदि वृद्धि पर विचार किया जाये, चावल मूल्य वृद्धि 44 और 45 प्रतिशत के बीच है जब कि गेहूं के मूल्य में वृद्धि केवल 34 और 38 प्रतिशत के बीच रही है।

माननीय सदस्य ने राजसहायता के बारे में उल्लेख किया है। मैं पुनः कहता हूं कि आज गेहूं काफी मात्रा में देश में चावल खाने वाले क्षेत्रों में बांटा जाता है और यदि कोई राजसहायता दी जाती है तो लाभ चावल खाने वाले क्षेत्रों को भी मिलता है।

श्री समर गुह : हां, उपभोक्ता को, किसानों को नहीं। यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या किसान को लाभ मिलता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि आज राजसहायता की व्यवस्था है, तो इसलिये कि हम गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और हम इसे राज्य सरकारों को 125 रुपये की कम कीमत पर भेजते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल प्राप्त करना इसलिये संभव नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में चावल का मूल्य तिगुना या चौगुना अधिक है और इसमें काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। वास्तव में हमारे कुछ पड़ोसी देश काफी मात्रा में चावल का निर्यात करते हैं और अपने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में गेहूं का आयात करते हैं। यदि हम चावल का भी आयात करना चाहें तो हमारा देश आज काफी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकता है। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था के हित में हमें चावल का निर्यात करके गेहूं आयात करना चाहिये। गत वर्ष से पूर्व देशी गेहूं में राजसहायता अधिक थी, क्योंकि वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच अंतर कम था। अतः गेहूं-उत्पादक को राजसहायता देने का प्रश्न ही नहीं। यह गेहूं-उपभोक्ता को मिली। सार्वजनिक एजेंसियों से अधिक मात्रा में प्राप्त गेहूं अभावग्रस्त राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में वितरित किया जाता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अब संतुष्ट होंगे।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

60 वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 37वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

155वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, अप्रत्यक्षकर के पैराग्राफ 19 (चीनी छूट योजना) पर लोक लेखा समिति का 155 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker Sir, I have a point of order. Public accounts Committee is for examining the accounts of Government. Generally their enquiry is based on the report of the Auditor General but there are such examples also, that whenever they have found any irregularity outside the report, they considers it also. I have got a report of the C.A.G., Revenue Receipts, Vol. I. Paragraph 60 of the report is about woollen rags. In that report the auditor General had said—

आयातित रेगस की 3345 गांठों पर 18.93 लाख रुपये की ड्यूटी है।"

Sir it is a case where crores of rupees are involved. This report is of the year 1973-74. The Public Accounts Committee for 1973-74 has yet to report on it whereas its period is going to expire on 30th April. Sir, I introduced "yellow forms" and the idea behind it was to enable the members to ask questions from the chairmen of these commitees.

I want to know why the report on woollen rags has not been presented in the House by the chairman of P.A.C. There is no doubt that the committee has done a laudable work. But the delay in the presentation of the report is causing a concern. Rumours are rife that these people are not prepared to give files in accordance with the orders issued by the Prime Minister. The position should be made clear by the chairman of P.A.C. Committee and also by the Government.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार जब 5 मार्च को लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। इस पर मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया पिछली बार जब श्रीं मसानी सभापति थे तो कुछ सदस्यों ने कुछ सूचनायें दी थी जिन्हें "पीले फार्मों" पर स्वीकार किया गया था और इस सदन में लोक लेखा समिति के सभापति ने प्रश्नों के उत्तर दिये थे। इस समिति में प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया था सिफारिशों पर सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैंने उल्लेख किया था कि कंबलों के घोटाले में लेफ्टीनेंट जनरल श्री सिन्धु लिप्त थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिन्धु का नाम आप बार बार लेते हैं। सुरक्षा मंत्रालय की मांगों के दौरान इस बात का जिक्र किया जा चुका है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् इस उच्च अधिकारी ने अवमानना...

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी सामने नहीं आया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया आप इस प्रकार एक प्रक्रिया का निर्धारण मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उचित-अनुचित समय पर आप सभी प्रकार के मामले मत लाईये। आपने इस बात को एक बार नहीं अनेक बार दोहराया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is a small point. The P.A.C. must have examined that report and we hope that report will be presented before the House.

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है।

Shri Atal Biyari Vajpayee : We are not discussing it.

अध्यक्ष महोदय : इसे, सभा पटल पर रखा जा रहा है। यह चर्चाधीन नहीं है।

श्री मधु लिमये : हमने बहुत देर तक इसकी प्रतीक्षा की है।

श्री सेझीयान (कुम्बकोणम) : ये प्रतिवेदन अप्रैल, 1973 में भेज दिये गये थे अब हम विभिन्न मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सेझीयान, आप मेरे साथ सहमत होंगे। आप तो स्वयं इस समिति के सभापति रहे हैं। श्री बाजपेयी, आप भी तो सभापति रहे हैं।

श्री मधु लिमये : मैं इसका प्रहरी रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का यह कहना है कि रेगस का मामला वर्षों से पड़ा है किन्तु जहां तक श्री बनर्जी की बात है उन्होंने यह मामला कई बार उठाया है। इन दस दिनों में तीसरी बार उठा रहे हैं आखिर इस संबंध में कोई तो सीमा होनी चाहिये।

श्री सेझीयान : महोदय मेरा निवेदन है कि हम वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर बहस करने वाले हैं यदि यह प्रतिवेदन न प्राप्त हुआ तो उस पर चर्चा करने से क्या लाभ होगा। हमें प्रतिवेदन मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रतिवेदन को वापस नहीं भेज सकते। यह प्रकाशित हो चुकी है और इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है। जहां तक अन्य बातों का संबंध है आप वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर बहस के दौरान उठा सकते हैं।

गंगा नदी के जल के संबन्ध में हुई वार्ता ` बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : TALKS HELD IN DACCA ON GANGA WATER

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि फरक्का का प्रश्न काफी समय से चला आ रहा है जिसका संबंध पहले भारत और पाकिस्तान से था तथा अब भारत और बंगलादेश से है। बंगलादेश के बन जाने के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सद्भावना तथा मित्रता का नया संबंध स्थापित हुआ है। मई, 1974 में भारत और बंगलादेश के प्रधान मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये ताकि मित्रता तथा सहयोग की भावना से कठिनाइयों को दूर करके दोनों देशों के हितों में सामंजस्य लाया जा सके। दोनों पक्षों ने गंगा में निम्नतम जल प्रवाह की अवधियों के दौरान उपलब्ध जल के आबंटन के संबंध में दोनों देशों को मान्य हल निकालने की इच्छा प्रकट की।

इस सदन को समय-समय पर फरक्का बराज परियोजना के निर्माण पर की गई प्रगति के संबंध में सूचना दी जाती रही है। हमारे देश में यह अपने प्रकार की सबसे बड़ी परियोजना है और इसमें निर्माण के दौरान नींव और नदी व्यपवर्तन के संबंध में भूतपूर्व समस्यायें सामने आई थीं। इस परियोजना पर कार्य 1965 में एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। बराज की संरचना 1971 में पूरी कर ली गई थी। बहरहाल, कई कारणों से पोषक नहर के कार्य में कुछ विलम्ब हो गया था। लेकिन मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है और पोषक नहर का निर्माण कार्य अब पूर्ण हो गया है।

मई, 1974 में दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद गंगा में निम्नतम जल-प्रवाह के आवंटन के प्रश्न का दोनों देशों को मान्य हल निकालने के लिये दोनों देशों द्वारा प्रयत्न किये जाते रहे हैं। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के मामले में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत करने के लिये बंगलादेश के बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन और विद्युत् मंत्री परम श्रेष्ठ अब्दुर-रब-शरनियाबत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 24 और 25 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली का दौरा किया था। यद्यपि इस बैठक में कोई समझौता नहीं हो पाया था फिर भी यह बातचीत एक दूसरे के विचारों को समझने तथा किसी समझौते तक पहुंचने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम था। पिछले सप्ताह केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने 16 से 18 अप्रैल, 1975 तक ढाका का दौरा किया और इस विषय पर आगे बातचीत की गई। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि इस बैठक में एक समझौता हो गया है जिससे फरक्का बराज का प्रचालन तथा कमी की वर्तमान अवधि में पोषक नहर को चालू करना संभव हो गया है। समझौते की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। चूंकि पोषक नहर पहली बार चालू की जा रही है, जल प्रवाह को धीरे-धीरे बढ़ाना होगा ताकि यदि कोई त्रुटि सामने आये तो उसे ठीक करने के लिये उपचारी उपाय किये जा सकें।

दोनों देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि कमी के वर्तमान मौसम के दौरान पोषक नहर को निम्नलिखित ढंग से चालू किया जाये :

मास	दस दिन की अवधि	जल निकास
अप्रैल, 1975	21 से 30 तक	11,000 क्यूसेक
मई, 1975	1 से 10 तक	12,000 क्यूसेक
	11 से 20 तक	15,000 क्यूसेक
	21 से 31 तक	16,000 क्यूसेक

दोनों सरकारों के विधेयकों के संयुक्त दल दोनों देशों में उपयुक्त स्थानों पर फरक्का पर जल-निकास के बंगलादेश में तथा कलकत्ता पत्तन के सुधार के लिये हुगली नदी पर प्रभावों का प्रेक्षण करेंगे। एक संयुक्त दल फरक्का में भी रहेगा जो पोषक नहर में जल-प्रवाह तथा बंगलादेश के लिये शेष रहे जल प्रवाह का रिकार्ड रखेगा। ये दल अपनी रिपोर्टें दोनों देशों द्वारा विचार करने के लिये प्रस्तुत करेंगे।

यह समझौता पोषक नहर को चालू करना संभव करने के लिये एक अंतरिम समझौता है क्योंकि कमी के महीनों में गंगा के निम्नतम जल प्रवाह के आवंटन के संबंध में दोनों देशों के बीच अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह समझौता फरक्का बराज के प्रश्न को सुलझाने में पहला कदम है और एक अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल के विकास में दो पड़ोसी देशों के बीच आपसी सहानुभूति और सद्भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आशा की जाती है कि इस समझौते से दोनों देशों के संबंध और सुदृढ़ होंगे और इससे फरक्का के प्रश्न को बातचीत द्वारा शीघ्र अंतिम रूप से हल करने में सहायता मिलेगी।

मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि यह नहर आज 11 बजे प्रातः चालू हो गई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, we would like to have a discussion on this subject. There is a feeling in the country that the agreement reached between the two countries is not satisfactory. It is strange that a representative from West Bengal who visited Dacca has not been associated with it. I want to know the reasons for it.

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह।

श्री समर गुह : यद्यपि जो कहा गया है उस बात से मैं प्रसन्न नहीं हूं किन्तु कम से कम बंगलादेश से समझौता तो हो गया है यही बात महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अगली मद के लिये बोलने के लिये कहा है।

श्री समर गुह : हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं परन्तु इस समय तो मैं मंत्री महोदय को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने अपनी बात कह दी है।

अप्रैल, 1975 को गृह मंत्री द्वारा कलकत्ता में हुई घटनाओं के बारे में दी गई कतिपय जानकारी के संबन्ध में सदस्य द्वारा विवरण

श्री समर गुह : इस विषय को उठाने की अनुमति के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना वक्तव्य दीजिये। भूमिका देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह विवरण का अंग नहीं होगा। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टई) : 8 अप्रैल, 1975 को गृह मंत्री ने लोक सभा में अपने भाषण में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये वहां हुई हिंसा और गुंडागर्दी की जिम्मेदारी मुझ पर लादी है। 2 अप्रैल, 1975 को जयप्रकाश विरोधी प्रदर्शन की निन्दनीय घटना तथा मुझ पर और अन्य लोगों पर हुये आक्रमण के तुरन्त बाद मैंने फोन पर गृह मंत्री को इसकी सूचना दी थी और उनसे कहा था कि वहां वस्तुतः क्या घटना घटी। पश्चिम बंगाल सरकार के वक्तव्य को स्वीकार करने से पहले उन्हें प्रारम्भिक संसदीय मानदण्डों और राजनीतिक शिष्टाचार के नाते मेरे से पूछना चाहिये था कि क्या मैं इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गृह मंत्री ने मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट को सही माना।

रिपोर्ट में बताया गया है कि "नव निर्माण समिति" के समर्थकों द्वारा किये गये जवाबी प्रदर्शन और श्री समर गुह संसद सदस्य द्वारा दिये गये भाषणों के कारण बाद में तनाव बढ़ गया। श्री समर गुह ने इस प्रकार की टिप्पणी की : "इन्दिरा गांधी के निर्देशन पर गुन्डागर्दी चल रही है। इन्दिरा गांधी तथा उनके मुंह लगे मुख्य मंत्री गुण्डों के गिरोह के नेता हैं।"

मैंने इस प्रकार का कोई भाषण नहीं दिया, यह नितान्त गलत और झूठी बात है। श्री जयप्रकाश नारायण, मेरे तथा अन्य लोगों के विरुद्ध की गई गुण्डागर्दी पर पर्दा डालने का दुर्भावपूर्ण षडयन्त्र है।

कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों ने 2 अप्रैल, 1975 को इंस्टीट्यूट के द्वार पर हुई घटना का सुस्पष्ट वर्णन किया है और सम्पादकीय टिप्पणियां भी दी गई हैं। किन्तु किसी समाचार पत्र में यह नहीं छपा है कि मैंने ऐसा भाषण दिया था। कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को भड़काने का किसी प्रकार का प्रयास किया या किसी कांग्रेसी नेता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी। इसके विपरीत इन समाचार पत्रों ने यह उल्लेख किया कि गुण्डों ने मुझ पर कैसे आक्रमण किया और मुझे पीटा, जिसके फलस्वरूप मेरी नाक से खून बहने लगा।

3 अप्रैल, 1975 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं एवं अनेक कांग्रेसी और साम्यवादी दल के विधायकों ने श्री जयप्रकाश नारायण विरोधी प्रदर्शन को उचित बताने के प्रयास में अत्यन्त कटु प्रहार किये और कांग्रेस प्रदर्शनकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की लेकिन किसी ने कहीं यह नहीं कहा कि मैंने जयप्रकाश विरोधी हिंसक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाला भाषण दिया था।

मैं यह दोहराता हूं कि गृह मंत्री का वक्तव्य जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का भाग है और जिस में मुझे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है, वह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल सरकार जे० पी० तथा उनके समर्थकों के बिरुद्ध किये गये हिंसापूर्ण आन्दोलन के विरुद्ध पुलिस को कार्यवाही करने की अनुमति न देने की अपनी गलती को छिपाना चाहती है।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 2 अप्रैल, 1975 की घिनावनी घटनाओं की जांच हेतु संसदीय समिति का गठन किया जाये।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : श्री समर गुह ने 2 अप्रैल, 1975 को श्री जयप्रकाश नारायण के दौरे के समय कलकत्ता की घटनाओं के बारे में 8 अप्रैल, 1975 को इस सदन में दिये गये मेरे पहले वक्तव्य का उल्लेख किया है। उन्होंने निम्नलिखित बातों पर आपत्ति उठाई है :--

> "किन्तु नव निर्माण समिति के समर्थकों द्वारा किये गये जवाबी प्रदर्शन तथा श्री समर गुह, संसद सदस्य द्वारा दिये गये भाषणों के कारण बाद में तनाव बढ़ गया. . .श्री समर गुह संसद सदस्य ने इस प्रकार टिप्पणी की, "इन्दिरा गांधी के निर्देशन पर गुण्डागर्दी चल रही है, इन्दिरा गांधी और उसके मुंह लगे मुख्य मंत्री गुण्डों के गिरोह के नेता हैं।". . .

उसके पश्चात् समर गुह कार के ऊपर खड़े हो कर कांग्रेस छात्र परिषद् तथा युवा कांग्रेस पर लाँछन लगाने लगे। इन बातों पर क्रोधित होकर प्रदर्शनकारी कार की ओर लपके।

मैंने अपना वक्तव्य राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर दिया है और वास्तव में श्री समर गुह के बारे में कही गई बातों के सम्बन्ध में उनकी रिपोर्टों से उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर कि अध्यक्ष ने श्री समर गुह के निर्देश 115 के अन्तर्गत सदन में इस मामले को उठाने के लिये अनुमति प्रदान कर दी है हमने इस मामले की जांच फिर राज्य सरकार से की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दुहराई है। महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना जो सदन में प्रस्तुत की गई थी में कोई गलती या भूल नहीं हुई है।

श्री समर गुह ने कहा है कि गृह मंत्री ने मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट को सही माना। प्रश्न श्री समर गुह पर विश्वास करने अथवा न करने का नहीं है। विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। यह हमारी परम्परा तथा प्रथा रही है कि विधि और व्यवस्था की घटनाओं के बारे में इस सदन में माननीय सदस्यों को सूचना देते समय राज्य सरकार की रिपोर्ट पर विश्वास किया जाये।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :--

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:--

> "कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दे उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये 16 अगस्त, 1975 से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान [38 वां] संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :-

"भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, in the month of May when the Bill relating to Sikkim was brought before this House, we welcomed the move because the people of Sikkim were anxious to have close relations with India. But we had objected to the way in which the Bill was sought to be passed. We also pointed out that no attempt had been made to know the opinion of the people of Sikkim in this regard and that when the elections to the Sikkim Assembly were held the issue as to what type of relation they would like to have with India was not there before the people. We also pointed out that if Sikkim was to be included in the Indian Union, it should be done in a regular way. I had given a notice for an amendment for making some provision for the purpose. Only one of our suggestions was accepted. We suggested that the representatives from Sikkim should be elected and not nominated and it was accepted by the Government. I do not know whether the text of the Bill was shown to the opposition members in the meeting.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The text was not shown.

Shri Madhu Limaye : I would draw attention to the proposed Section 371(F)(g) which said that :

सिक्किम में शान्ति बनाये रखने और वहां की जनता के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिये प्रयोजनार्थ समान प्रबन्ध करने के लिये राज्यपाल के विशेष दायित्व होंगे और इस खंड के अन्तर्गत अपना विशेष दायित्व निभाने में सिक्किम के राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना होगा जो वह अपनी इच्छा के अनुसार समय-समय पर अधिनियम के रूप में जारी करेंगे।

It is an objectionable provision because from this provision of special responsibility, which seemed to have been borrowed from the Government of India Act of 1935, it appeared that Government did not want to give equal status to Sikkim but wanted to keep it as a colony. If Government wants to give the status of a constituent state to Sikkim, then the people of Sikkim must get all the rights that have been given to the people in other states. If the Minister has come forward with the plan that this provision was a transitional one then it would have been a different thing. But the provision as it stood at present is not acceptable to us and we oppose it. However, it is not our intention at all to disregard the opinion or the will which the people of Sikkim have expressed.

श्री समर गुह (कन्टई) : जब यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई विशेष दर्जा दिया गया है तो आपने कहा है कि "कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।"

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने सूचना दी है उन्हें ही अनुमति दी जा सकती है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सदस्य आधारभूत बातों के बारे में प्रश्न उठा सकते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नई विधान सभा और नये राज्य का दर्जा देश के अन्य राज्यों में समान होगा और विरोधी पक्ष के दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमें यह बात नहीं बताई गई थी कि सिक्किम में राज्यपाल के विशेष अधिकार होंगे।

Shri Madhu Limaye: They seek the cooperation of opposition parties but do not agree to their suggestions but after six months or a year, they come forward with those very suggestions.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह सिक्किम के समूचे इतिहास को देखें और वहां की समस्या को देखें। इस समस्या विशेष के समाधान हेतु राज्यपाल को विशेष अधिकार सौंपे गये हैं। यह बिल्कुल एक राजनैतिक मामला है। अतः 1935 अधिनियम के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे विचार से इसमें कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि :

"संविधान (38वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्त राव चव्हाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

इलाहाबाद की घटनाओं के बारे में

RE INCIDENTS AT ALLAHABAD

सभापति : श्री अटल बिहारी बाजपेयी, आपको दो मिनट का समय मिलेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : During the discussion in this House on the 18th March in regard to the incident at Allahabad in which a young person with revolver was arrested in Allahabad High Court, the Home Minister had said that he would soon collect detailed information and place it before the House.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

Mr Deputy Speaker in the Chair.]

Now, today is April 21, but the Home Minister has not taken the House into confidence and made any statement so far. Certain sensational facts. have come to light in the mean time. The youth, named Govind Mishra, had published a memorandum in his own paper "Shri Vijaya" and stated that he went to the High Court building with an official of the Information Department of U.P. on an assurance that a pass would be issued to him. Itis also wrong according to the version of Govind Mishra, that he went there in a lawyer's dress and there were live cartridges in his revolver. He also said that he had been working for Congress at the instance of U.P. Chief Minister. The Home Minister should clarify these facts.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I have a point of order. If any resolution is moved in the House on the basis of wrong information and the same is adopted by brow beating the House......

प्रस्ताव गलत जानकारी के आधार पर पारित किया गया था। समूचे सदन को गुमराह किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यही आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मधु लिमये : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं। मैं इस पर आपका निर्देश चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल एक दूसरा मामला है।

श्री मधु लिमये : The whole house has been fooled. हम समूचे देश में हंसी के पात्र बन गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक बात उठाई है।

Shri Madhu Limaye : Everybody is laughing at us. They wonder how we are befooled like this.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक मामला उठाया है उस पर आप मेरा निर्देश चाहते हैं तो वह यह है कि आप दूसरे सदस्य के मामले में अन्तर्ग्रस्त मत हूजिये। श्री वाजपेयी ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बात उठाई है और उनकी शिकायत यह है कि गृह मंत्री ने......

श्री मधु लिमये : सदन को धोखा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने वक्तव्य देने में विलम्ब कर दिया है। कुछ बातों को तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया है।

श्री मधु लिमये : समाचार पत्रों में नहीं छपी है । उन्हें यहां उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आज सभी समाचार-पत्रों में पढ़ा है।

श्री पीलू मोदी : आपको समाचार पढ़ने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : यह गुण सभी में नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लिमये ने एक मामला उठाया है किन्तु इसका श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

फार्मास्यूटिकल्ज वर्कज और मेडीकल रिप्रेजेन्टटिव्ज की मांगों के बारे में
RE. DEMANDS OF PHARMACEUTICAL WORKERS AND MEDICAL REPRESENTATIVES

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कृपया आल इंडिया केमीकल और फार्मास्यूटिकल कर्मचारियों की मांगों के बारे में उनके साथ बातचीत की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मांगों पर चर्चा आरम्भ की जाये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : कृपया नियम 377 के अन्तर्गत दिये गये नोट का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी और श्री भट्टाचार्य के नामों का उल्लेख करते हुये अध्यक्ष महोदय ने उन्हें दो-दो मिनट का समय देने को कहा है किन्तु इनमें श्री बनर्जी, मिसेज देशपांडे तथा श्री साठे का नाम नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कृपया आप मेरी बात तो सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। मुझे श्री साठे को बोलने की अनुमति देनी चाहिये। या तो आप बोलिये अथवा मैं श्रीमती देशपांडे को बोलने की अनुमति दूंगा। आप सोच लीजिये आप दोनों में से कौन बोलना चाहता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम दोनों एक ही विषय पर नहीं बोल रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं मुझे कुछ तो प्रतिबन्ध लगाने होंगे मैं सब को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर सब इस तरह बोलने लगेंगे तो सदन एक मजाक बन कर रह जायेगा। मैंने दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है अगर श्री कछवाय भी बोलना चाहते हैं--कुछ तो स्व-नियंत्रण कीजिये। इन बातों पर झगड़ने से क्या लाभ ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं नियम 340 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मुझे इस नियम के अन्तर्गत इस मामले को उठाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह नियम पढ़ा है। पहली बात तो यह है कि सदन में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव है

उपाध्यक्ष महोदय : कौन-सा प्रस्ताव .....

श्री मधु लिमये : कटौती प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : हम कटौती प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं पिछले 14 दिनों से इस मामले पर नोटिस दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

श्रीमती रोज़ा देशपांडे : मैं अभी हाल में संसद् के सामने हुए प्रदर्शन के बारे म कहना चाहती हूं। मुझे यह कहना ह कि उस दिन समचे देश से मेडीकल प्रतिनिधि आये थे उनका मामला संसद् में विचाराधीन है। जो भी श्रम मंत्री आता है वह आश्वासन देता है कि उनकी मांगों पर विचार हो रहा है कि उद्योग में एकाधिकारियों के प्रभाव के कारण सरकार इन कर्मचारियों को "श्रमिक" मानने के लिये तैयार नही है। मेरे विचार से यह ऐसा समय है जब सरकार को उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके मेडीकल कर्मचारियों को संरक्षण देना चाहिये।

आटा मिलों के बन्द किये जाने की संभावना के बारे मे

RE. POSSIBLE CLOSURE OF FLOUR MILLS

श्री वसन्त साठे : मैं आटा मिलों की स्थिति की ओर सरकार का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्हें केवल इनकी आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत आटा ही मिल रहा है और यह बन्द होने वाली हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु दण्डवते।

Shri Hukam Chand Kachhwai (Morena) : Sir, what is my fault ? You have permitted other members. Kindly allow me also.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समस्या यह है कि अगर मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे श्री बनर्जी को भी अनुमति देनी होगी ।

अनुदानों की मांगें, 1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1975-76—*contd.*

रक्षा मंत्रालय

प्रो० मधु दण्डवते : (राजपुर) : मैं उस दिन कह रहा था कि रक्षा के चार पहलू हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो यह सिद्ध हो जाता है कि जब तक हम अपनी रक्षा की दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा । 1962 में चीन का आक्रमण एक वरदान सिद्ध हुआ है क्योंकि इससे यह पता चल गया है कि हम दीर्घकालीन योजनायें बनायें । किन्तु रक्षा आयोजन के लिये प्रयाप्त संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। दूसरी बात यह है कि देश में सेना का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की रक्षा के हित में सेना और जनता में संबंध बना रहना चाहिये। देश की रक्षा का प्रबन्ध दो स्तरों पर होना चाहिये, एक सेना का स्तर तथा दूसरा जनता का स्तर।

यदि सरकार द्वारा सेना का उपयोग मजदूरों, छात्रों किसानों, अध्यापकों, आदि द्वारा चलाये जाने वाले शांतिपूर्ण आन्दोलनों को दबाने के लिये किया जायेगा तो इससे लोगों के मन में सेना के प्रति दुर्भावना पैदा होगी तथा दीर्घकालीन रक्षा-योजना के लिये भी यह प्रयास अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिये यह जरूरी है कि सेना का दुरुपयोग न किया जाये। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात की चेतावनी दी है सेना का आन्तरिक गड़बड़ को दबाने के लिये उपयोग न किया जाये ।

सिविल कार्यों के मामलों में भी हमें सेना पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। बार बार सेना को सिविल कामों के लिये बुलाने और जिम्मेदारी सौंपने पर सेना में यह महत्वाकांक्षी तत्व स्वयं ही यह जिम्मेदारी ले लेने को लालायित हो सकते हैं। यह देश के लिये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी ।

विश्व के सभी बड़े-बड़े लोक तंत्र जैसे ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस तथा अन्य देशों में भी रक्षा व्यय के लिये संसद् की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। साथ ही संसद् के समक्ष रक्षा व्यय का लेखा-जोखा रखना ही आवश्यक नहीं है अपितु, उसके उद्देश्यों को भी संसद् में पेश करना जरूरी है। वहां उन पर चर्चा होती है, वाद-विवाद होता है तथा संसद् द्वारा अनुमोदन किया जाता है। तभी जनता सेना के कार्य-कलापों को अपना समर्थन दे सकती है।

विकास की वर्तमान स्थिति में हम बड़े पैमाने पर परमाणु शस्त्र बनाने की बात नहीं कर रहे हैं पर हमें इसके लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये। हम इस परमाणु शक्ति का उपयोग कतिपय प्रौद्योगिक विकास कार्यों के लिये कर सकते हैं। तेल और गैस निकालने का कार्य इस शक्ति से किया जा सकता है और इस शक्ति का एक विकल्प हमें मिल सकता है। इससे हमारी रक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। जनता में रक्षा हेतु रुचि पैदा करना उतना ही जरूरी है जितना कि सेना में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं के प्रति आस्था पैदा करना। देश में समाजवादी व्यवस्था की रक्षा के प्रति जनता और सेना में रुचि का निर्माण किया जाना चाहिये। सामाजिक असमानतायें दूर की जानी चाहियें।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : In the Modern Scientific age the present world is a closely-knit unit and the desired results can be achieved through cooperation and not confrontation. That is why the Government of India have decided to follow the policy of

cooperation. We will certainly use nuclear power for the development of our economic condition but at the same time we do not want to create an atmosphere in the world in which the nuclear weapons are produced and used freely as China is doing. It will lead to dangerous consequences.

Very serious things have been said in the name of Scheduled Castes. We do want to take them along with us in the process of development. To say that injustice is being done against them in the army is nothing more than inciting indiscipline among them. There is no communalism in the army. Our armed forces have accounted themselves very creditably during the last three wars of 1962, 1965 and 1971.

It is said that when the U.S.A. has lifted the embargo on arms supplies, India should take advantage of it. But the role of the U.S.A. played during the last two wars with Pakistan cannot be overlooked. This embargo has been lifted in order to rearm Pakistan and to incite them for a fresh aggression against India. Then there is the statement of the Director General of the C.I.A. that they will support those elements which took their side even they indulged in conspiracy to overthrow the local regimes.

We must devote of our attention today to fulfil our basic requirements. We must endeavour to procure long-deep-range-penetration-crafts.

So far as Navy is concerned, it is not known whether it is proposed to set up bases at Cochin or Goa or to hand them over to Air Force. A decision should be taken in this regard or some pattern should be evolved.

There has been considerable improvement in our defence but there are still some problems of ex-servicemen. The amount of pension given to them is too meagre in view of the present galloping prices. Employment must be provided to the released personnel between the age group of 35-40 years so as to enable them to earn their living.

It is wrong to say that army is used against public movements. The fact is that the army has been deputed only to disperse the unlawful assembly indulging in riots and sabotage and wanton destructions.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : संतोष की बात है कि रक्षा सेवा अधिकारियों के वेतन और भत्ते सरकार ने बढ़ा दिये हैं पर भारतीय रक्षा सेवाओं के जवानों को आज भी सबसे कम वेतन दिया जाता है। सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करे क्योंकि वह हड़ताल नहीं कर सकता समयोपरि भत्ता नहीं मांग सकता।

हमारा समुद्र तट 6000 कि० मी० लम्बा है और विभिन्न प्रकार के हमारे सामने जो खतरे हैं उनको देखने के लिये हमारी नौसेना अभी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस विशाल देश के पास जितनी जल्दी हो सके एक मजबूत नौसेना हो। हमारे पास लम्बी मार करने वाले विमान भी नहीं हैं। मिग-21 में सुधार किया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो सोवियत रूस से मिग-23 प्राप्त किया जाना चाहिये। हवाई शस्त्रास्त्रों के बारे में हम अभी भी बहुत कमजोर हैं।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हर भारतीय को भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में भर्ती होने का अधिकार है। पर इस संबंध में न्यूनतम मानक अवश्य बनाये रखे जाने चाहियें। सिपाही एक रात में नहीं बन जाता। पैतृक गुण, वातावरण, परम्परा, परिवार और क्षेत्र मिलकर सिपाही तैयार करते हैं। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर सारे देश से सिपाही भर्ती करने की नीति खतरनाक है। पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये हमें सख्त और मजबूत जवानों की जरूरत होगी। भौतिक मानकों में समानता होनी चाहिये और सेना में प्रतिनिधित्व उसकी कार्य-कुशलता की कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिये।

भारत को पाकिस्तान से अभी भी खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान का रवैया आक्रमणकारी रहा है। हमारी रक्षा सेनाओं के हाथों पाकिस्तान का जो अपमान हुआ है, उसकी ठेस अभी भी उसके मन को कचोट रही है। वह अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा। हमें इसका सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। रक्षा सेवाओं के लिये और अधिक धन दिया जाना चाहिये। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 4 प्रतिशत भाग काफी नहीं हैं।

जवान आज भी यह महसूस कर रहा है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों का सभी राज्यों में आरक्षण होना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि असैनिक अधिकारी सैनिकों का सम्मान करें। अर्ध-सैनिकों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सैनिकों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये किये गये आरक्षण का 70 से 80 प्रतिशत भाग दिया जाना चाहिये।

सैनिक सम्मान का पुनर्स्थापन और उसके परिवार का कल्याण ही उसकी कार्य-कुशलता बढ़ा सकता है। उन कतिपय क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही जो अच्छे जवान और सैनिक अधिकारी हमें देते हैं। उन गांवों को पेय जल, सड़क तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहियें जो वीर सैनिक पैदा करते हैं।

वर्तमान आन्दोलनों और जनता के अधिकारों को दबाने के लिये सेना का उपयोग नहीं किया जाना चाहियें। कुमाऊ रेजीमेंट का नाम अहीर-कुमाऊ रेजीमेंट रखा जाना चाहिये क्योंकि इसमें कुमाउनी और अहीर जवान होते हैं।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : जब डा० किसींगर भारत में थे तो उन्होंने कहा था कि अमरीका इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ नहीं लगने देगा। पर अब यहां से जाते ही उन्होंने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगे हुए प्रतिबन्ध को उठा लिया। पाकिस्तान न केवल अमरीका और चीन से अपितु सारे विश्व से हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान की गतिविधियों तथा दियगो गार्शिया में अमरीका द्वारा बनाये जा रहे सैनिक अड्डे से हम चिन्तित हैं। वह वहां आधुनिकतम हथियार इकट्ठे कर रहा है और हमारी समुद्रतटीय सीमा को खतरा पैदा हो गया है। हमें इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमारे तेल मार्ग को कभी भी बन्द किया जा सकता है। हमें सोवियत संघ जैसे विश्वासपात्र मित्र से समझौता करना चाहिये, और ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे हमारी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा हो सके।

दक्षिण अफ्रीका परमाणु क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इससे हिन्द महासागर को खतरा पैदा हो गया है; हमारे देश को खतरा हो गया है क्योंकि हमें तेल की सप्लाई हिन्द महासागर के रास्ते होती है। एशिया ही अमरीका का लक्ष्य है। हमें एशिया की सुरक्षा के उपाय करने चाहियें, और इसी उद्देश्य से सरकार को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर विचार करना चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हथियार खरीदने के लिये हमने विश्व का दौरा किया है। स्वीडन से क्रेस्टया पनडुब्बियां खरीदने का समझौता लगभग हो चुका था पर हमारे 'मित्र' ने कहा कि वह अपने स्रोतों से और बेहतर उपकरण हमें देगा। इसी प्रकार फ्रांस से 20 मिराज विमान खरीदने की बात है। सौदा लगभग हो चुका था पर किसी ने उसे रद्द करा दिया और हमें मिराज की जगह मिग 23 देने का वचन दिया गया। लगभग दो साल से हम प्रतीक्षा में हैं पर अभी भी हमें मिग 23 नहीं मिले हैं। अब कहा गया है कि मिग 21 की विकसित किस्म मिग 23 के बदले देने की बात कही है क्योंकि इसे हम अपने ही देश में बना सकते हैं। वास्तव में रूस बड़ा चतुर है। वह हमारी नस को पहचानता है। जैसे ही उसने कहा

कि अमुक चीज हम अपने देश में बना सकते हैं, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हम शीघ्र ही उसकी चतुराई का शिकार हो जाते हैं। इस बार जब वायु सेना का एक प्रतिनिधि मण्डल पुनः मिराज खरीदने फ्रांस गया तो उसने मिराज सप्लाई करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा कि हमें इनके लिये चार वर्ष और इन्तजार करना पड़ेगा क्योंकि पहले मिराज बिक चुके हैं और चार साल के लिये हमारा उत्पादन बुक है।

इसके बाद प्रतिनिधिमण्डल जागुचार वायुयान खरीदने के लिये इंग्लैण्ड गया। फिर रूस को इस सौदे की भनक मिल गयी और उन्होंने फिर मिग 23 देने का वायदा किया। हम फिर उनके झांसे में आ गये और मिग 23 हमें कभी नहीं मिले।

तत्पश्चात् रूस ने अरब-इस्राइल युद्ध के कारण अपनी कठिनाइयां बतलायीं और हमसे धैर्य रखने को कहा। हमने यह अनुभव किया कि वे हमें इस युद्ध की समाप्ति तक हथियार नहीं दे सकेंगे। अतः हमें लड़ाई समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लड़ाई समाप्त होने के बाद जब हमने उनसे अरब और सीरिया को सप्लाई किये गये "साम-6" प्रक्षेपास्त्र, मिग 23 कुछ नौसैनिक जहाज सप्लाई करने को कहा तो रूस ने हमसे कहा कि मध्य-पूर्व की स्थिति स्थिर होने पर हमारी मांग पूरी की जाएगी परन्तु उसके बाद भी 1974 तक हमें कोई सप्लाई नहीं मिली। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री अपनी सूची लेकर रूस गये और उनकी यात्रा के बाद रक्षा-सचिव भी वहां गये। मार्शल ग्रेच्को के यहां आने के समय भी हम समूचे विश्व में खरीदारी के लिये प्रयत्नशील रहे। अब रूस हमारी आवश्यकता के बारे में इतना चिंतित था कि उसने सब कुछ सप्लाई करने का हमसे वायदा किया। उसमें उसने शर्तें भी मामूली लगायीं। उसने यह भी सुझाव दिया कि हमें रूसी विशेषज्ञ भी रखने चाहियें।

रूस ने मिश्र के समान रूसी प्रशिक्षकों को स्वीकार किये जाने का आग्रह किया। मिश्र में हमसे तिहाई सेना है और वहां 22,000 रूसी प्रशिक्षक हैं। भारत में यह संख्या 60,000 से अधिक होगी। भारत में क्या हो रहा है यह भारतीयों के अतिरिक्त अन्य सबको भलीभांति ज्ञात है। यह संसद् सदस्यों के बजाय बाहर के लोगों को अच्छी तरह ज्ञात है। पता नहीं कि सुरक्षा के नाम पर यह पर्दा क्यों रखा जा रहा है?

श्री स्वर्ण सिंह: मैं इस समय बहस नहीं करना चाहूंगा। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा दी गई यह जानकारी सर्वथा गलत है। विशेषज्ञों का कोई सुझाव नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। इससे तो देश-विदेश में गलत धारणा पैदा होती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): आपका मतलब है कि रूसी सैनिक सलाहकारों के बारे में कोई सुझाव नहीं था।

श्री स्वर्ण सिंह: सैनिक सलाहकारों के बारे में कोई सुझाव नहीं है।

श्री पीलू मोदी: मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने दो मौकों पर इससे इन्कार किया है और जब वाद-विवाद का उत्तर देने का समय आयेगा तब वह पुनः इससे इन्कार कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक उपकरण हमें मुफ्त सप्लाई करने का प्रस्ताव किया, यदि हम एशि-याई सुरक्षा समझौता में शामिल हो जायें। सरकार ने यह विचार बना लिया है कि क्या इसे अनेक संख्या में रूसी प्रशिक्षक स्वीकार करने चाहियें अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने भारत

25 LSS/75—12.

में विशाखापतनम या अन्दमान/निकोबार में एक रूसी नौसैनिक अड्डा बनाने की मांग की है। क्या यह सत्य है कि भारत मालदीव अड्डे को रूस को दिलाने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करने वाला है ?

अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में सभा को निम्नलिखित बातों का आश्वसान दें :—

(1) क्या सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किये गये हथियारों के साथ कोई प्रशिक्षक होगा अथवा नहीं (2) हम एशिया सुरक्षा समझौते की उनकी मांग को मानेंगे अथवा नहीं (3) तीसरे हम भारत में विशाखापतनम, अण्डमान अथवा निकोबार में उन्हें अड्डा बनाने देंगे अथवा नहीं और (4) चौथे वह मालदीव में अड्डे के सम्बन्ध में अपना प्रभाव प्रयोग कर रहे हैं या नहीं ? यदि माननीय मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मुझे संतोष हो जायेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विश्व में कहीं से हथियार खरीद सकते हैं, क्योंकि हम पैसे से खरीद रहे हैं।

Shri Achal Singh (Agra) : Mr. Deputy Speaker, Although we want to live in peace, but our two neighbours *i.e.* Pakistan and China have launched wars against us. This has necessitated more and more expenditure on our defence forces and the defence system. We have naturally to see that our borders are properly defended. The hostile attitude of Pakistan can not be ignored. In these circumstances it became the duty of the Government to have a strong military force in the country,with sophisticated arms and weapons, so that we can defend the sovereignty and dignity of the country.

The cantonment Act has become absolete. It should be modified to suit the present conditions.

We are spending a lot of money on medical re-imbursement of the employees in C.O.D. Some dispensaries should be opened where these employees can get treatment. In this way considerable money can be saved.

With these words, I support these demands.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : Mr. Deputy Speaker, we are incurring a huge amount on our defence forces. But we must see that this amount is spent in proper way. Our defence forces and our defence system should be equipped with the modern armament. Though we are manufacturing MIG fighters, we have to import some spare parts. This type of dependence should be done away with and we should try to become self sufficient in regard to modern armament.

We should also modernise our army on the lines of other developed countries, otherwise it will be very difficult to guard our vast sea coast and our long frontiers effectively.

At the time of wars we said we should overcome our shortcomings but after the wars are over, we forget all these things. This tendency should not be there. We should always be vigilant, otherwise we will be in trouble.

We face danger both from the sea frontiers in the south and the land frontiers in the north. Pakistan's attitude continued to be very hostile towards India. In these circumstances it is necessary that we manufacture an atombomb so that nobody can dare to cast an evil eye on our land.

We should also modernise our own radar system. We are now depending upon other countries in this regard. We should over come these difficulties quickly and become self reliant in radar equipment.

There should be a committee for promotions in the defence forces. There is considerable dissatisfaction amongst officers in this regard. The Government must see that Justice is done to all and the genuine grievances of armed forces are removed.

We have a very good potential of good soldiers in Arunachal and Meghalaya. The tribes inhabiting these areas are very good fighters. These people should be recruited in the army. They will prove very useful in safeguarding our borders.

In Andaman and Nicobar also we have good fighters. They can be useful for our navy and can guard our sea coast. They should also be recruited. The unemployment problem of these people will also be solved, if they are recruited.

श्री सांगलियाना (मिजोरम) : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी समुद्री और स्थल सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता और व्यय काफी अधिक होना चाहिये परन्तु चूंकि हम किसी भी देश पर बुरी नजर नहीं रखते इस कारण इस पर न्यूनतम धन व्यय होता है ।

हम जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा आदिवासी क्षेत्र, विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में है । अतः सीमा की रक्षा के लिये जिम्मेदार सैनिकों का आदिवासियों के साथ अक्सर सम्पर्क होता रहता है । दुर्भाग्य की बात है कि उनके आपसी सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं होते जितने होने चाहियें। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जीवन चर्चा के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। सशस्त्र सेनायें आदिवासियों में यह भावना पैदा करने में असफल रही हैं कि वे वहां उनकी रक्षा के लिये हैं और उनकी उपस्थिति पर ही नाक भौं सिकोड़ी जाती है, क्योंकि वे सौहार्द का वातावरण स्थापित करने में असफल रहती हैं । इस समस्या को कुछ सीमा तक वहां नियुक्त किये जाने वाले सेना के लोगों को वहां के लोगों के बारे में अच्छी जानकारी देकर हल किया जा सकता है ।

दुर्भाग्यवश कुछ नागा और मिजो लोग अभी भी तोड़ फोड़ कार्य में लगे हैं । परन्तु अधिकांश नागा और मिजो लोग इस स्थिति को यथाशीघ्र समाप्त कर एकता स्थापित करना चाहते हैं ।

आदिवासी भी अन्य लोगों के समान देश भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं । इस प्रकार का वातावरण तैयार किये जाने की आवश्यकता है जिसमें वे यह समझें कि वे भी देश के नागरिक है । रक्षा मंत्रालय युवक नागाओं और मिजओं को रक्षा सेनाओं में भरती कर इस भावना को पैदा करने में पहल कर सकता है । सशस्त्र सेनाओं में आदिवासियों को पद्धोन्नति देकर हमारे युवकों को सेना में भरती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है । इस समय हममें से ब्रिगेडियर के पद से ऊपर कोई अधिकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए नियत समय समाप्त हो गया है । मैं केवल और पांच सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं वे पांच मिनट से अधिक समय न लें ।

***श्री जे० माता गोडर** (नीलगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा प्रयोजन के लिए अभिग्रहीत भूमि के मुआवजे के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषरूप से कहना चाहता हूं ।

विलिंगडन में, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है, डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कालेज और मद्रास रेजिमेन्टल सेन्टर हैं । इन दो प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2000 एकड़

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised Translated Version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

25 LSS/75—13.

कृषि भूमि का इस क्षेत्र के आदिवासियों से 100 वर्ष के पट्टे पर अधिग्रहण किया था। पट्टे का शुल्क 165 रुपये प्रतिवर्ष था। इन आदिवासियों को, प्रतिवर्ष केवल 165 रुपये मिलता है। 7 वर्ष पहले पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी और तब से उन्हें 165 रुपये प्रतिवर्ष मिलना भी बन्द हो गया।

ये आदिवासी अपनी जमीन के लिए सरकार से उपयुक्त मुआवजे के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। मैंने भी उनके प्रतिनिधि के नाते इस सभा में बार-बार प्रश्न उठाया उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वे अदालत में भी गये किन्तु नीलगिरि के तत्कालीन कल्केटर ने उनसे अपील की कि वे अपना मामला वापस ले लें और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें 10 लाख रुपया का मुआवजा दिलाने में उनकी सहयता करेगा। आदिवासियों ने न्यायालय से अपना मामला वापस ले लिया। उसके बाद कलेक्टर का स्थानान्तरण हो गया और उन्हें मुआवजा देने के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। ये लोग अपने मामले के बारे में उच्च अधिकारियों से पैरवी भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के और साधन भी नहीं हैं। रक्षा मंत्री से मेरा केवल यह निवेदन है कि वे इन आदिवासी लोगों को उनकी जमीन का तुरन्त मुआवजा दिलाएं।

सरकार ने कई लोगों को बड़ी-बड़ी धन राशियां मुआवजे के रूप में दी हैं। बिड़ला हाउस के लिए 60 लाख का मुआवजा दिया गया। भूतपूर्व नरेशों को उनकी निजी थैलियां समाप्त किये जाने पर मुआवजा दिया गया इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के समय कोयला-खान मालिकों को मुआवजा दिया गया। मैं समझता हूं कि इन आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अतः माननीय रक्षा मंत्री से मेरी अपील है कि वे इन्हें पर्याप्त मुआवजा देने के बारे में स्पष्ट आश्वासन दें।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : महोदय, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तुलना विश्व की किसी भी सशस्त्र सेना से नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश सरकार ने भी इनकी सराहना की है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 1962 में चीन के आक्रमण तथा 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, जबकि बंगला देश मुक्त हुआ था, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। अतः रक्षा मंत्रालय की मांगे ज्यादा भी हों, हमें उन्हें स्वीकृत करना चाहिए। रक्षा उत्पादन का हमारा अपना आधार होना चाहिए और हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आत्मनिर्भरता की नीति पर चल रही है। आधुनिक उपकरणों के उत्पादन के मामले में हम किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। स्थल सेना और नौ सेना में सेवा निवृत्ति की उम्र 30 से बढ़ा कर 40 की जानी चाहिए क्योंकि इन सेवाओं में वायु सेना की तुलना में काम बिल्कुल भिन्न है। मुझे प्रसन्नता है कि रक्षा तैयारियों में कोई ढील नहीं है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी 1971 पूर्व की शक्ति में वृद्धि की है और वह फिर काश्मीर का प्रश्न उठा रहा है ताकि दूसरा संघर्ष हो। श्री भुटटो को यह चेतावनी दी चानी चाहिए कि वे 1971 की पुनरावृति न करें अन्यथा अब जीती हुई भूमि और युद्ध कैदी भी वापस नहीं किये जायेंगे।

सशस्त्र सेनाओं में जो भ्रष्टाचार है मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं रक्षा मंत्री को नागपुर के निकट भण्डारा में यूगोस्लाविया के सहयोग से राकेट तथा प्रक्षेपणास्त्र बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए बधाई देता हूं।

सशस्त्र सेनाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में भूतपूर्व एअर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल के इस सुझाव का कि चीफ आफ स्टाफ पद भारत की स्थिति के अनूकूल नहीं है, मैं समर्थन करता हूं और रक्षा मंत्री को चाहिए की श्री लाल के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय हित में तथा प्रशासन की दृष्टि से विचार

करें । महोदय देश के लिए सिखों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं में सिखों की भर्ती जो 15 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत हो गई है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । अन्ततः मेरा यह भी सुझाव है कि अनुसंधान और विकास संगठन के अन्तर्गत देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में विज्ञान के और भी प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिएं क्योंकि बंगलौर स्थित इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स राकेट तथा प्रक्षेपणास्त्र सम्बन्धी इंजीनियरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त नहीं है । मैं वर्ष 1975-76 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मागों का समर्थन करता हूं ।

Shri M.C. Daga (Pali) : I also stress the need for military preparedness but I fail to understand that if Mr. Bhutto speaks something even after the success achieved by Indian forces in the battlefield, it means there is some weakness on our part. We should be so much strong that foreign powers should not be able to enter the battlefield to face us. Shri Jagjivan Ram had also once said :

"हम रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं के बारे में निरन्तर समीक्षा कर रहे हैं उपलब्ध साधनों से यथासम्भव सब कुछ किया जा रहा है।"

We should seriously consider the matter of Pakistan receiving assistance from America and Arab countries.

हमें नौ सेना को इस दृष्टि से विस्तार एवं उसे सशक्त बनाना चाहिए कि भारत एक समुद्री देश है और ऐसे देशों में नौ सेना को लगभग एक तिहाई बजट दिया जाता है । हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं की ताकतें इतनी बढ़ानी चाहिएं जिससे पाकिस्तान की ओर से खतरे का कोई अवसर ही न मिले।

The threats made by Mr. Bhutto time and again mean that there is some weakness on our part somewhere.

It is regretted that the recommendations made by National Cadet Corps have not yet been implemented. We should defend our country at any cost.

Shri Kushok Bakula (Ladakh) : While extending my support for demands for grants for the Ministry of defence, I want to say a few things that Ladakh has its borders with Pakistan and China. I am thankful that the defence arrangements made there are good to some extent.

It is necessary that we should be very particular about our defence preparedness of the country. In order to achieving this aim, we should venture on two three important things. The first is that we should increase high altitude allowance now being given to our defence personnel posted at high altitudes like NEFA Ladakh. There should not be any disparity in the altitude allowance being given to our jawans and officers because it is soldiers who have to work at high attitudes.

Weather in Ladakh is very cold. Adequate woollen cloths should be provided to our jawans posted there to protect themselves from cold. We should provide the same types of woollen clothes which are supplied to the defence personnel posted in places like Siberia in Russia.

The Ladakh scouts have fought bravely in 1947-48, 1962, 1965 and 1971. Families of those killed in these conflicts should be given land and their children should be given scholarships. There are a few battalions of the Ladakh scouts. This Force should be raised to a full-fledged brigade.

Our leaders have said number of times that our land illegally occupied by Pakistan and China would be taken back, we want friendship with china but china does not want it at all. Thousands of Chinese soldiers are in NEFA. How do you propose to remove them, by war or through some other way? The Government should spell out as to how we would get back our territory.

In conclusion, I want to point out that Government should change its policy on Tibet. Government have seen silently the annexation of Tibet by China. China is creating enmity with India. The people of Sikkim have opted for merger in India but China is doing vicious propaganda. So we need a new policy on Tibet.

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं । मैं उन सब का उत्तर दूंगा । किन्तु उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश की रक्षा के मामलों पर इस तरह से विचार हो कि उससे रक्षा नीति में एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बने । रक्षा सम्बन्धी समस्याओं के प्रति हमारा एकतरफा रवैया नहीं होना चाहिये, यह हमारा प्रयास हो। यदि हम देश के सम्मुख रक्षा के प्रश्न को संयुक्त तरीके से रखेंगे तो यह देश के हित में होगा । इससे यह अभिप्राय है कि यदि सामूहिक तौर पर संसद् का समर्थन मिलेगा तो सशस्त्र सेनाएं वीरता, कर्तव्य-निष्ठा, देश भक्ति और बलिदान की भावना में और सुदृढ़ होगी । राजनीतिक मामलों में उन्हें घसीटना सही नहीं होगा । मैं यह अपील इस आशा से कर रहा हूं कि हम अपनी सशस्त्र सेनाओं को अपना समर्थन दें और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हम इस सदन में उन्हें समर्थन प्रदान करने में जितनी अधिक एकता का प्रदर्शन करेंगे वह उतनी ही अधिक सुदृढ़ होगी ।

सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है इस बारे में सब एक-मत हैं।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुये
Shri Dinesh Chander Goswami in the Chair]

कई माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान और शिमला समझौते का हवाला दिया है। शिमला समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दोनों देश अपनी समस्याएं द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा हल करेंगे। यदि इस समझौते का सही प्रकार पालन किया जाए तो पाकिस्तान को सुरक्षा की गारन्टी मिल सकती है। किन्तु पाकिस्तान भारत द्वारा दिये गये आश्वासन से लाभ उठाने के बजाय वह या तो उसे कार्यान्वित करने में या शिमला समझौते के संगत मामलों के बारे में ढुलमुल कर रहा है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये किये गये शिमला समझौते के महत्व को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। मुझे प्रधान मंत्री श्री भुट्टो का यह वक्तव्य पढ़ कर बड़ा ही दुःख हुआ कि उन्होंने भारत के साथ 'युद्ध न करने का समझौता' नहीं किया है। पाकिस्तानी नेता युद्ध की बात क्यों करते हैं? भारत शान्ति के हित में हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। हम युद्ध-प्रिय गतिविधियों के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन साथ ही सारे विश्व को, विशेषकर पाकिस्तान को यह जान लेना चाहिये कि अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि वह भारत को धमका सकता है तो जब भी वह भारत पर आक्रमण करने के लिये सिर उठायेगा तो भारत भी उसका जवाब उसी ढंग से देगा, पाकिस्तान को यह सबक याद रखना चाहिये।

क्या पाकिस्तान का रवैया शिमला समझौते के सिद्धान्तों के अनुकूल रहा है? किन्तु यह दुःख की बात है कि कुछ मामलों पर वास्तविक समझौता हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान का रवैया नकारात्मक रहा है। हमें समझ नहीं आता जब हम जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं को शेख अब-दुल्ला के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान समझौते की आलोचना क्यों कर रहा है। यह ह-मारा आन्तरिक मामला है। विश्व अब जान गया है कि पाकिस्तान ने ऐसे मामले पर भारत की आलोचना की है जिसके बारे में उसे अधिकार नहीं है। जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और यह

वास्तविक सत्य है जिसे पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान पाक-अधिकृत कश्मीर में कार्यवाही कर रहा है उसे भी इस सन्दर्भ में देखना होगा। हमने हर बार यह बात स्पष्ट कर दी हैं बल्कि शिमला समझौते के दौरान हुई चर्चा के समय भी यह स्पष्ट कर दिया था कि पाक-अधिकृत कश्मीर जम्मू और कश्मीर का अंग है किन्तु अब पाकिस्तान वहां क्या कर रहा है इसे हम समझ सकते हैं। पहले तो उसने पाक-अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बनाया और उसके पश्चात वहां के तथाकथित अध्यक्ष ने जो आरोप लगाया है आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। उसने आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री श्री भुट्टो ने उसे और उसके दल को सत्ताच्युत कर दिया है। पाकिस्तान इस प्रकार की कार्यवाही करके एक नकारात्मक रवैया अपना रहा है।

सिक्किम के बारे में उठाये गये कदमों के बारे में पाकिस्तान ने कुछ वक्तव्य दिये हैं जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब बातें भुलाकर पाकिस्तान ने हुंजा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त कर दिया है जो एतिहासिक दृष्टि से सिक्किम-भारत सम्बन्धों की तुलना में बिल्कुल अलग है।

इसके अतिरिक्त भारत द्वारा किये गये शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट के लिये पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया और इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बजा कर अपना विरोध प्रकट करने का प्रयास किया जो अब भी जारी है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पाकिस्तान शिमला समझौता के अनुसार न चल कर तनाव उत्पन्न करने का रवैया अपना रहा है।

पाकिस्तान विभिन्न देशों से जैसे चीन, फ्रांस आदि देशों से हथियार प्राप्त कर रहा है और संसाधन जुटाने के लिये तेल से बने अमीर खाड़ी देशों से धन इकट्ठा कर रहा है ताकि वह और हथियार खरीद सके और साथ ही वह अमरीका से हथियार प्राप्त करने के लिये इस सम्बन्ध में लगे प्रतिबंध को समाप्त कराने का प्रयास कर रहा है दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अब अमरीका ने उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है इस प्रकार स्थिति और गम्भीर हो गई है।

इन तथ्यों को ध्यान में रख कर तथा स्थिति को सामूहिक तौर पर जांचते हुए यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हमें रक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाना होगा ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना कर सकें।

पाकिस्तान की अपनी अनेक आन्तरिक समस्याएं हैं किन्तु हमने उनके सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहा। किन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि वहां पर प्रगतिशील शक्तियों का दमन किया जाता तथा लोकतान्त्रिक दल को गैर-कानूनी करार देकर उसके नेता को जेल में डालना—यह सब बातें सत्तावादी प्रवृत्ति की परिचायक है अतः इस कारण से भी हम अपने सुरक्षा के प्रति उपेक्षा नहीं अपना सकते।

उत्तरी सीमा के बारे में भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मेरे सहयोगी, विदेश मंत्री ने भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में प्रकाश डाला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सुरक्षा की दृष्टि से देश को हमेशा वास्तविक स्थिति के अनुसार चलना होगा। इस सम्बन्ध में तीन बातें कहना चाहूंगा। (एक) उत्तरी क्षेत्र सीमा के किसी स्थल पर चीनी सैनिकों की संख्या एक लाख से कम नहीं रही है (दो) चीन ने हमारे पूर्वी क्षेत्र में गैर-कानूनी तत्वों, चाहे वे मिजो हो अथवा नागा, को लगातार सहायता दी है यह सहायता न केवल राजनीतिक है बल्कि चीन उन्हें प्रशिक्षण देता है और शस्त्र भी देता है। इसके अतिरिक्त चीन लगातार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई दे रहा है। चीन पाकिस्तान को जो भी हथियार देता है वह उसका मूल्य नहीं लेता। यही चीन की नीति है अतः यह जानना कि चीन ने पाकिस्तान को कितने मूल्य के हथियार दिये हैं कठिन है।

25 LSS/75—14.

तिब्बत में सैनिकों के भारी जमाव और पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते हुए सहयोग को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्तरी क्षेत्रों पर निगरानी रखनी होगी और साथ ही पश्चिमी सीमाओं पर भी ध्यान रखना होगा। इन दो कारणों से उत्पन्न स्थिति के लिये पर्याप्त रक्षा व्यय से बचा नहीं जा सकता। भूमि सीमाओं के साथ-साथ हमारे देश की समुद्री तट सीमा बहुत लम्बी हैं। हमें नौवहन व्यापार, तेल सप्लाई और इन सबसे अधिक तट-दूर छिद्रण के लिये तेल की खोज से प्राप्त होने वाले परिणामों की रक्षा करनी होगी। इन सभी मामलों को हमें ध्यान में रखना होगा। और हमें सुरक्षा प्रबन्धों को सुगठित करना होगा तथा रक्षा प्रबन्धों पर विचार करना होगा।

अब मैं बजट प्राक्कलनों के बारे में कहूंगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार हमें रक्षा के लिये अधिक व्यय करना चाहिये। किन्तु एक दो माननीय सदस्यों का यह भी कहना था कि हम खतरे का अति अनुमान लगा रहे हैं और इस प्रकार हमारा रक्षा व्यय अधिक है। इनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि उसकी आज की स्थिति के बारे में बनी धारणा तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मैं सदन को कुल व्यय का ब्यौरा देना चाहता हूं। हम अपने बजट प्राक्कलनों को तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत बांट सकते हैं। लगभग 63 प्रतिशत वेतन, पेंशन, राशन, वस्त्र तथा सामरिक महत्व के असैनिक कार्यों के रख-रखाव पर व्यय किया जाता है। 27 प्रतिशत आयुध डिपो पर व्यय किया जाता है जिसमें दो मदें शामिल हैं अर्थात् वस्त्र वर्दियां इत्यादि तथा विभिन्न उपकरणों की मदें, विशेषकर वे जो भारत में निर्मित की जाती हैं। पहली मद में वृद्धि का कारण वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जवानों और अधिकारियों के वेतन में वृद्धि तथा देश की सामान्य आर्थिक स्थिति है।

कुछ सदस्यों ने सकल राष्ट्रीय उत्पादन में रक्षा व्ययों की प्रतिशतता का उल्लेख किया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भारत का दसवां स्थान है और पहले नौ देश हैं—अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और चीन। रक्षा व्ययों में भारत का स्थान बारहवां है। इन देशों को छोड़कर ईरान और मिश्र ने रक्षा व्ययों पर भारत से अधिक व्यय किया है। सकल रक्षा उत्पादन में रक्षा व्ययों पर प्रतिशतता के मामले में भारत का दर्जा बहुत पीछे है। विश्व परिपेक्ष में भारत का रक्षा व्यय बहुत कम रहा है। यद्यपि भारत को दूसरे देशों से अधिक संकटों का सामना करना पड़ा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह वर्गीकृत प्रलेख हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यह वर्गीकृत नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का सम्बन्ध है 60 में से हमारा स्थान 26वां है।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान रक्षा कार्यों पर कुल आय का 51 प्रतिशत तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 9 प्रतिशत व्यय कर रहा है। चीन ने रक्षा व्ययों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये हैं। लेकिन ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार उसका रक्षा व्यय 10-12 अरब डालर है जो हमारे रक्षा व्ययों से चार गुना है। पाकिस्तान की तुलना में हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रनिशतता कम है। यह प्रतिशतता 3 या 4 प्रतिशत है। इस प्रकार पाकिस्तान की तुलना में हमारी कुल आय में रक्षा व्ययों की प्रतिशतता एवं सकल राष्ट्राय उत्पादन में रक्षा यथों की प्रतिशतता बहुत कम है।

अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्ययों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। हम अनुसंधान और विकास को सबसे अधिक महत्व देते हैं और हमारे अनुसंधान और विकास संगठन में हजारों बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं और हमें उन पर गर्व है। वर्ष 1970-71 में अनुसंधान और विकास पर 17 करोड़ व्यय की तुलना में इस बार 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जो पांच वर्ष पूर्व व्यय की गई राशि से लगभग तीन गुना है।

अनुसंधान और विकास पर किये जा रहे व्यय के अच्छे परिणाम निकले हैं। अनेक क्षेत्रों में जैसे इलैक्ट्रोनिक्स ऐरोनाटिक्स में काफी प्रगति हुई है इस प्रगति के कारण हमारा उत्पादन बढ़ा है साथ ही कार्य के गुण में भी परिवर्तन आया है।

अनुसंधान और विकास के प्रमुख को हम प्रत्येक चर्चा में आमन्त्रित करते हैं वह केवल उन चर्चाओं में भाग ही नहीं लेता अपितु हम उन्हें अन्य चर्चाओं से भी अवगत कराते हैं ताकि वह हमारे संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग बने और अपने यहां इस प्रकार का कार्य आरम्भ कराये ताकि उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाये जो उत्पन्न होती रहती हैं।

कई सदस्यों ने नौसेना की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। हम उसके बारे में सजग हैं और हम यह भी जानते हैं कि नौसेना उपकरणों में से प्रत्येक उपकरण बहुत महंगा होता है। प्रत्येक वर्ष के व्यय को अलग से लेने में हमें वास्तविक व्यय का पता नहीं चल सकता जो हमने नौसेना पर किया है।

यह सच है कि हमारा विमान कैरियर पुराना पड़ता जा रहा है किन्तु बंगला देश के संकट के समय इससे हमें बहुत सहायता मिली थी। यह बात अब इतिहास बन गई है। एक प्रकार से इस पर लगाई गई धनराशि वसूल हो चुकी है किन्तु हम अभी इसे रखना चाहते हैं क्योंकि यह अभी तक उपयोगी है और हमारी इच्छा विमानों की हवाई ताकत में सुधार करने की है। हमने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य-वाही की है। हेलीकोप्टरों के मामले में सफलता प्राप्त कर चुके हैं किन्तु विमानों के बारे में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। हम अच्छे विमानों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु जो शेष हैं उन्हें हम अच्छी स्थिति में रखना चाहते हैं ताकि उससे विक्रान्त प्रभावशाली बना रहे।

कई सदस्यों ने समुद्री सर्वेक्षण के लिये सुविधाओं के अभाव एवं पनडुब्बी विरोधी भूमिका का उल्लेख किया है। इस बारे में समर्थता प्राप्त करने के लिये पहले ही उपाय किये जा चुके हैं। सदस्यों को समाचार पत्रों में छपी खबरों पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये जिनमें इस कार्य को नौसेना द्वारा अथवा वायु सेना द्वारा करने की विवाद की बात कही गई है। नौसेना और वायु सेना, दोनों द्वारा प्रयत्न करने का उद्देश्य अच्छे परिणाम प्राप्त करना है।

जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है यह सच है कि परिवहन विमानों के बारे में हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने हिन्दुस्तान एरोनाटिकल्स लिमिटेड को कुछ और एवरो-748 बनाने का आर्डर दिया और इसके तैयार होने पर हमारी जरुरी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। सदन को यह धारणा नहीं बनानी चाहिये कि हमारे पास पर्याप्त परिवहन जहाज नहीं है। एन-12 महत्व-पूर्ण जहाजों में से है। यह सच है कि 'पैकटस' और 'डकोटा' पुराना पड़ गये हैं और इस बारे में बहुत कम आवश्यकता है और हम इसे पूरा कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री ब्रज राज सिंह कोटा ने सुझाव दिया है कि हमें अपनी संयुक्त वायु रक्षा पद्धति की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है । श्री पीलू मोदी ने कुछ बातें उठाई थी किन्तु अब वह सदन में नहीं है जब वह आयेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा ।

श्री पीलू मोदी : मैं यहां पर प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं भी कई बार पीछे के बेंचों पर बैठ जाता हूं । श्री मोदी को भगवान ने ऐसा शरीर दिया है कि वह कहीं भी बैठ जाये स्वयं को छुपा नहीं सकते । मैं इस नेता का बड़ा सम्मान करता हूं—और अब वह एक दल के नेता भी बन गये हैं—किन्तु जो बातें उन्होंने उठाई हैं वह जानते है कि वह तथ्यों पर आधारित नहीं है । उन्होंने अपने सुन्दर भाषण के अन्त में कुछ प्रश्न पूछे थे और कहा था कि वह इन प्रश्नों के व्यापक उत्तर दें । उन्होंने पूछा था कि "क्या रूस ने भारत में अड्डा स्थापित करने के लिये भारत से कहा है ।" इसका उत्तर यही है कि रूस ने अभी भी भारत में अड्डा बनाने के लिये नहीं कहा । भारत की नीति इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है । वह किसी भी देश को भारत में अड्डा स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा ।

श्री पीलू मोदी : आप इन्कार कर रहे है किन्तु बात यह है कि आपकी सरकार में किसी को विश्वास नहीं रहा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से श्री पीलू मोदी के इलावा सभी को विश्वास है । दूसरी बात श्री मोदी ने यह कही है कि रूस ने यह पेशकश की है कि अगर भारत संयुक्त रक्षा पद्धति में शामिल हो जाता है तो रूस उसे बहुत संख्या में अनेक उपकरण मुफ्त सप्लाई कर देगा । इसका उत्तर भी 'न' में है । हमने कभी भी रूस से किसी उपकरण की मुफ्त मांग नहीं की जो भी हमने वहां से लिया है हमने उसका मूल्य दिया है । यह बात है कि रूस से हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने के कारण वह हमें उपकरण सप्लाई कर देता है जो कि अन्य देश नहीं करना चाहते । दूसरी बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि रूस के साथ हमारे सम्बन्धों में रक्षा सहायता कोई नहीं है किन्तु पश्चिमी देशों के समाचार पत्र तथा श्री पीलू मोदी जैसे लोग रूस के हस्ताक्षेप की बात कहते रहते है ।

श्री पीलू मोदी : आपने गलत वक्तव्य दिया है । मैं सहायता दिये जाने के लिये सोवियत संघ को कभी भी दोष नहीं दूंगा । मैं तो यही कहता रहा हूं कि हम इन उपकरणों को दुगने मूल्य में खरीदते रहे हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे खुशी है कि आपने यह कहा । मैं जानता हूं कि आप इस विचार का प्रचार करने की कोशिश करेंगे । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सोवियत संघ ने पेशकश की थी कि यदि हम एशियाई सामूहिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल हो जायें तो वह भारत को भारी मात्रा में निःशुल्क उपकरण दे सकता है । हमने सोवियत संघ से कभी भी उपकरण निःशुल्क सप्लाई करने के लिये नहीं कहा । हमने सोवियत संघ से जो आयात किया है, उसके लिये धन दिया है । हमें इस बात में दिलचस्पी है कि एशिया में सुरक्षा हो । हमने शिमला समझौता करके, अपने पड़ोसियों को मित्र बना करके, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करके कि हिन्दमहासागर शांतिक्षेत्र रहे तथा दिएगो गार्सिया का खतरा समाप्त हो अपना स्वयं योगदान किया है ।

यह कहना बड़ी उपहासास्पद बात है कि सोवियत रूस मालदीव में अड्डा बना सके इसके लिये हम प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं। इससे अधिक उपहासास्पद और निराधार प्रश्न और कोई नहीं हो सकता ।

माननीय सदस्य ने एक और उपहासास्पद सुझाव दिया है कि सोवियत रूस ने यह सुझाव दिया है कि भारत को अधिक संख्या में प्रशिक्षक लेने चाहिये और माननीय सदस्य ने इनकी संख्या 60,000 बतायी है। यह बिलकुल गलत है।

श्री पीलू मोदी : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि मिस्र में 22,000 रूसी हैं। यदि इसी हिसाब से प्रशिक्षक भेजे जायेंगे तो भारत में 60,000 होने चाहियें।

श्री स्वर्ण सिंह : हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। यह तो दलील नहीं है और यह एक और हास्यास्पद बात है तथा यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। जहां तक सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्धों का प्रश्न है, मैं यही कहूंगा कि रूस ने हम पर किसी विशेषज्ञ को थोपने का कभी कोई प्रयास नहीं किया है। इसने यह सुझाव देने का भी प्रयास नहीं किया है कि हमें इस क्षेत्र या उस क्षेत्र में अमुक संख्या में विशेषज्ञ रखने चाहिये। परन्तु उसमें कोई सन्देह नहीं कि इस्पात संयंत्र स्थापित करने और तेल निकालने के कार्य में हमने सहयोग कार्यक्रम बनाये हैं। कोरापुट, हैदराबाद और नासिक में मिग कारखाने लगाने में हमने बहुत से रूसी विशेषज्ञ बुलाये हैं।

श्री पीलू मोदी : कितने ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे संख्या की जानकारी नहीं है। रूस ने किसी भी उपकरण की सप्लाई को विशेषज्ञों के साथ कभी नहीं जोड़ा है। किन्तु इसमें तनिक सन्देह नहीं कि कभी-कभी जब हम कुछ उपकरण प्राप्त करते हैं अथवा परियोजना चालू करते हैं तो हम उनसे विशेषज्ञ भेजने के लिये अवश्य कहते हैं।

माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि वे उपकरण सप्लाई नहीं करेंगे अथवा वे यह शर्त रखेंगे कि भारत इतनी संख्या में विशेषज्ञ स्वीकार करे मैं कहना हूं कि यह बिलकुल गलत है। हमारे पास स्वयं विशेषज्ञ हैं। किन्तु हो सकता है कि कहीं कोई पेचीदगी हो, जिसके बारे में हमारे लोगों को जानकारी न हो, उसके लिये हमें विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं। हमने स्वयं अनेक लोगों को विदेशों में, सोवियत संघ और अन्य मित्र देशों, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम में भेजा है जहां से हम कुछ उपकरण प्राप्त करते हैं और कभी-कभी हम उनके विशेषज्ञों को अपने यहां बुलाते हैं।

यह बात गलत है कि उपकरण खरीदने के मामले में सोवियत रूस ने किसी देश के साथ किसी समझौते में हेराफेरी की। हम आज भी सोवियत रूस के अलावा अन्य देशों से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस बेल्जियम और अन्य अनेक देशों से, शस्त्रास्त्र उपकरण आदि ले रहे हैं। हमें किस देश से उपकरण आदि लेने हैं इस पर निर्णय तो हमें करना है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि देश की स्थिति बिगाड़ने के प्रयोजन से हमारी सशस्त्र सेनाओं के कार्यों के बारे में कुछ वक्तव्य दिये गये हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने पहले दिये गये वक्तव्यों में संशोधन करने का प्रयास किया है। उन्होंने सेना या पुलिस के बारे में जो कुछ कहा है, उसकी प्रतिक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहिये। यह कहा गया है कि जब सेना या पुलिस के किसी कर्मचारी द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे यह निर्णय करना चाहिये कि जो काम उससे कराया जा रहा है क्या वह संवैधानिक या कानूनी है ? यह बड़ा भयंकर वक्तव्य है। इसके परिणाम दुष्कर निकल सकते हैं। इससे हमारी व्यवस्था और अनुशासन की, जिनके माध्यम से हम अपने देश को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं, जड़ें ही कट जायेंगी। हमें इस भयंकर खतरे का सामना करने के लिये सजग हो जाना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में बताया गया है । एक मामले के बारे में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि उस मामले की जांच की जाये । हमने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । हम उस मामले की जांच करेंगे और इस सिफारिश पर कार्यवाही करने के बाद सभा में चर्चा की जायेगी । हम किसी को बचाना नहीं चाहते । यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध हो गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह बात नहीं है । आश्चर्य की बात यह है कि इसी अधिकारी को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : संक्षेप में वास्तविक स्थिति यह है कि सभा पटल पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन रखे जाने से दो महीने पूर्व ही उसकी सेवा के रिकार्ड को देखकर उसे पदक देने का निर्णय लिया जा चुका था और प्रतिवेदन आने से बहुत पहले राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी तथा भारत के राजपत्र में भी यह अधिसूचना जारी हो चुकी थी । अतः आप यह नहीं कह सकते कि हमने प्रतिवेदन की सिफारिश के विरुद्ध कोई कार्यवाही की .....

मेजर धवन के मामले का भी उल्लेख किया गया है । मैं इस बारे कल एक वक्तव्य दूंगा । श्री धवन द्वारा दिये गये बयानों के फलस्वरूप अनेक अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कायवाही की गई है ।

श्री धवन के निजी मामले के बारे में आपको पता है कि सभा में व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं होती है । किन्तु श्री धवन को अन्य सजा के साथ उनका कोर्टमार्शल भी किया गया है । उनको अपील करने का अधिकार है और उन्होंने पहले ही अपील की है जिस पर कानून और प्रक्रिया के अनुसार ही विचार किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेना वाहकों के बारे में भी मामला उठाया गया है । यह सत्य है कि एक दल ने वहां जाकर सभी पहलुओं का परीक्षण किया था और अन्ततोगत्वा हमने इन सशस्त्र सेना वाहकों को नहीं खरीदा । अतः यह मामला समाप्त ही हो गया ।

एक अन्य मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो का है जिसके बारे में जांच अभी भी की जा रही है ।

हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये हर संभव प्रयत्न करेंगे । हमारे सशस्त्र सेना संगठन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का स्तर बहुत ऊंचा है । परन्तु फिर भी इस मार्ग से विचलित होने वाले छोटे-छोटे मामले भी सरकार के लिये बड़े दुःख की बातें हैं । अतः मैं आश्वासन देता हूं कि मैं हर सम्भव प्रयास करूंगा कि इस तरह की त्रुटियां फिर न हों ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut Motions No. 1 to 8 were put to vote and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनर्जी द्वारा पेश किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को रखूंगा ।

श्री एस० एम बनर्जी : किन्तु मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 19 के लिये आग्रह करना चाहूंगा अन्य कटौती प्रस्तावों के लिये नहीं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 19 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Cut Motion No. 19 was put to Vote and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1975-76 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for grants in respcct of Ministry of Defcnce for the year 1975-76 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
18	रक्षा मन्त्रालय . .	26,82,000	2,66,36,000
19	रक्षा सेवाएं-- स्थल सेना	2,50,11,47,000	--
20	रक्षा सेवाएं- - नौसेना .	22,43,29,000	--
21	रक्षा सेवाएं- -वायु सेना . .	74,06,13,000	--
22	रक्षा सेवाएं - -पेंशनें . .	18,83,33,000	--
23	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	--	39,57,71,000

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री मोरार जी देसाई (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे इस सभा में यह वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 15 तारीख को अपने वक्तव्य में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थीं जिनसे कुछ भ्रामक विचार उत्पन्न हुए और मुझे अनशन करना पड़ा। प्रधान मंत्री को अपने इस विचार को अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार है कि "इस तरह के अनशन अनुचित हैं और यह राजनीतिक दवाव का असंगत तरीका है।" परन्तु उन्हें यह कह कर के अपने विचार का समर्थन करने का अधिकार नहीं है कि "श्री मोरार जी देसाई ने स्वयं अतीत में इस तरह के विचार व्यक्त किये थे", जब कि ऐसी बात नहीं है।

प्रधान मंत्री ने सम्भवतः इस बात का उल्लेख किया है जिसे मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मैंने यह बात अहमदाबाद में महागुजरात आन्दोलन के दौरान हुए दंगों के संदर्भ में कही थी-- "मेरा विश्वास है कि किसी से कुछ लेने के लिये या कुछ निश्चित कार्यवाही करवाने के लिये किसी पर दबाव डालने हेतु आमरण अनशन नहीं करना चाहिये।" लेकिन मेरा अनशन न तो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध था और न किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिये बाध्य करने को था। मेरे अनशन का उद्देश्य यही है कि नागरिकों को हिंसात्मक कार्य करने से दूर रखा जाये।

इस अवसर पर भी अनशन का उद्देश्य भारत सरकार को ऐसी नीतियां अपनाने और ऐसे कार्य करने से दूर रखना था, जो संविधान की भावना के विरुद्ध हैं और जो नागरिकों को संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारों से वंचित करते हैं।

मेरी पहली अभिव्यक्ति और इस समय अनिश्चित काल के लिये अनशन करने के कारणों में कोई विरोध नहीं है। ये तो जनहित की दृष्टि से किया गया था। उस समय लोगों को हिंसात्मक कार्यों से हटाने के लिये और अब पूर्ण शक्ति प्राप्त सरकार को लोकतंत्र विरोधी मार्ग से हटाने के लिए मैंने अनशन किया था।

यह कहना तो तथ्यों का उपहास करना है कि भूख हड़ताल गुजरात में चुनाव कुछ महीने पहले कराने की दृष्टि से ही की गई थी। संविधान में प्रदत्त लोगों के अधिकार खतरे में थे। परिसीमन कार्य दिसम्बर, 1974 में ही पूरा हो गया था और निर्वाचन तंत्र भी संगठित कर लिया गया था। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य को इतनी महत्ता नहीं दी गई। अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने बार-बार ये आश्वासन दिये हैं कि मतदाता सूचियां तैयार होने तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा होने के तुरन्त बाद चुनाव-कार्य कराये जायेंगे फिर भी जनवरी-फरवरी में चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया गया, जो कि दिया जाना चाहिये था। परन्तु राष्ट्रपति शासन की अवधि इस संभावना के साथ 6 महीने और बढ़ा दी गई कि यह आगे भी इसी अवधि तक के लिये अथवा दो महीने की अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है। गत मार्च में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से तो इस संबंध में सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है।

प्रधान मंत्री इस आधार पर आपात स्थिति हटाने को अनिच्छुक है कि आज की परिस्थितियों में ऐसा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर बाहरी खतरों के उत्पन्न होने पर आपात स्थिति पुनः लागू की जा सकती है। अतः अब और अधिक समय तक आपात स्थिति जारी रखने में कोई औचित्य नहीं है।

समाज विरोधी तत्वों तथा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये सरकार को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम से अधिक शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये लेकिन इस शक्ति को राजनतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। यह संतोष का विषय है कि प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम का उद्देश्य वैध राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगाना नहीं है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस अधिनियम के पालन न करने के बारे में की गई शिकायतों की जांच करेंगे।

मैं माननीय संसद सदस्यों, अन्य देशवासियों और नेताओं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनशन के दौरान मेरे साथ सहानुभूति और एकता प्रदर्शित की है।

प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के संबन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE. SUCCESSFUL LAUNCHING OF FIRST INDIAN SATELLITE

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सभा को 19 अप्रैल, 1975 के 1 बजे मध्यान्ह पश्चात प्रथम भारतीय उपग्रह के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के बारे में पता है। उपग्रह पूर्णतः भारत में ही तैयार किया गया और सोवियत राकेट कैरियर की सहायता से सोवियत संघ से छोड़ा गया है।

विकासशील देश की यह पहली महान उपलब्धि राष्ट्रीय विकास के लिये आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त करने के हमारे प्रयत्नों की एक और महान सफलता है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के अतिरिक्त बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों सहित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने में विशेष योगदान कर सकती है।

उपग्रह और इसके प्रेक्षपण तथा रख-रखाव के लिये आवश्यक सम्पूर्ण स्थल व्यवस्था तीन वर्ष से कम अवधि के भीतर तैयार कर ली गई थी। मैं प्रो० सतीश धवन के नेतृत्व में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्य करने वाले निष्ठावान और कर्त्तव्यनिष्ठ वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा इस कार्य में

लगे अन्य सहयोगियों के इस महान् कार्य के लिए अपनी और सरकार की सराहना रिकार्ड में रखना चाहती हूं। मैं इस कार्य में सोवियत संघ द्वारा दी गई सहायता तथा प्रक्षेपण सुविधाओं के लिये सोवियत संघ को भी अपना आभार व्यक्त करती हूं।

अनुदानों की मांगे ,1975-76—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76—Contd.

वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा।

श्री पीलू मोदी : इससे पहले कि आप अगले मद को लें, मेरा एक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूं जब तक आप बैठ नहीं जायेंगे। अब सभा में वाणिज्य मंत्रालय की मांग संख्या 11 और 12 पर चर्चा और मतदान होगा।

वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1975-76 की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	राजस्व	पूंजी
	रु०	रु०
11. वाणिज्य मंत्रालय . .	14,64,000	—
12. विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन	33,28,62,000	47,79,38,000

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था और समृद्धि व्यापार और वाणिज्य कार्य द्वारा आंकी जा सकती है।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the Chair]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 वर्ष बाद भी भारत सरकार ने देश में व्यापार-सन्तुलन बनाये रखने में विश्व को मुख्य घटनाओं से कोई पाठ नहीं सीखा है।

इसके बावजूद सरकारी प्रवक्ताओं ने निर्यात व्यापार में भारी सफलता प्राप्त करने के लम्बे लम्बे दावे किये हैं। उन्होंने निर्यात-आय में अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में भी भारी प्रचार किया है। हमें इस प्रचार के खोखलेपन की जांच करनी चाहिये।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1973-74 में भारत की निर्यात-आय कुल 2483 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह 1972-73 के निर्यात-आय की तुलना में 512 करोड़ रुपये या 26 प्रतिशत अधिक है। निर्यात-संवर्धन के आंकड़े उस गंभीर संकट को दबाते हैं जिसमें हमारा विदेश व्यापार गिरा है।

25 LSS/75—15.

निर्यात में वृद्धि के अनुपात से विश्व में मुद्रास्फीति बढ़ी है। 1973 में, विश्व-निर्यात 37.8 प्रतिशत बढ़ा है। सभी विकासशील देशों के मामले में 1973 में निर्यात-विकास दर 45 प्रतिशत थी। लेकिन भारत के विश्व-निर्यात के हिस्से में गिरावट आई है जो 1972 में 0.6 प्रतिशत से घटकर 1973 में 0.3 रह गयी है गिरावट से भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ गई।

ऐसा ही समान गंभीर मामला हमारे विदेशी मुद्रा कोष में हो रहे निरन्तर क्षय का है जो निर्यात की तुलना में आयात में भारी वृद्धि के कारण हुआ है। 1973-74 के दौरान कुल 2,920 करोड़ रुपये का आयात हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है अर्थात् गत वर्ष कुल 1867.4 करोड़ रुपये का आयात किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत का व्यापार-सन्तुलन और विदेशी मुद्रा की स्थिति और खराब हो गई। भारत का व्यापार सन्तुलन, जो 1972-73 में 103.4 करोड़ रुपये फालतू था, 1973-74 में 437.7 करोड़ रुपये का भारी घाटा रहा।

अब मैं पटसन उद्योग को लेता हूं। इस उद्योग में उत्पादकों और कर्मकारों का जूट मालिकों द्वारा शोषण किया जा रहा है ताकि वे अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें। महोदय, मैं नहीं जानता कि जूट उत्पादकों का घोर शोषण करके सरकार देश में किस तरह का समाजवाद लायेगी। यही स्थिति जूट श्रमिकों की है।

लेकिन जब कभी इस उद्योग को थोड़ी बहुत कठिनाई होती है तो वह श्रमिकों के कन्धों पर डाल दी जाती है और मालिकों को इसमें सरकार का समर्थन प्राप्त होता है।

पिछली पटसन हड़ताल वापस लेते समय यह सहमति हुई थी कि किसी भी श्रमिक को काम से नहीं निकाला जायेगा। और न ही किसी को डराया-धमकाया जायेगा। लेकिन उद्योग में मन्दी के बहाने वहां बड़े पैमाने पर छटनी, जबरी छुट्टी की जा रही है। हड़ताल समाप्त होने से अब तक लगभग 30,000 बदली श्रमिक काम से निकाल दिये गये हैं और लगभग 30,000 और श्रमिकों को शीघ्र ही काम से हटा दिये जाने की आशंका है। पटसन उद्योग में श्रमिक और किसान दोनों का शोषण हो रहा है; यहां जिन मशीनों का उपयोग हो रहा है वे पुरानी पड़ गई हैं तथा यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन्हीं कारणों से पटसन के उत्पादन और निर्यात में कमी आई है।

कपड़ा उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इस समय यहां स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मशीनें पुरानी पड़ गई हैं। रुई की कमी बनी हुई है। कपास की कीमतों में समानता नहीं है। इससे देश के अन्य भागों की अपेक्षा पश्चिम बंगाल के कपड़ा उद्योग को अधिक नुकसान हो रहा है क्योंकि इसे देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक कीमत पर कपास खरीदनी पड़ती है। केन्द्र का सभी राज्यों के साथ यह समान व्यवहार नहीं है।

चाय उद्योग को भी गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं। गत वर्ष की अपेक्षा 1973-74 में चाय का 2.4 करोड़ रुपये मूल्य का कम निर्यात हुआ। भारत का अधिकांश चाय उत्पादन और व्यापार विदेशी बागान कम्पनियों के हाथ में है। इस उद्योग से विदेशी स्वामित्व समाप्त करने के संबन्ध में भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। विदेशी कम्पनियों ने इस उद्योग की उपेक्षा की है। वे तो इससे तुरन्त धन कमाना चाहते हैं। इन्होंने पुनर्रोपण कभी नहीं किया। अधिकांश बागानों के पौधे जीर्ण हैं। इन्हें पुनः लगाने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए निर्धारित धन कम्पनियों ने विदेशों में अपने शेयरधारियों को दे दिया है। रुग्ण चाय बागान की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर हो गई है।

काफी का सारा निर्यात व्यापार गैर-सरकारी तथा प्राइवेट व्यापारियों के हाथ में है। ये लोग गलत तरीकों से बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं। इसका उल्लेख लोक लेखा समिति के 139वें प्रतिवेदन में किया गया है। सारा काफी निर्यात व्यापार काफी बोर्ड के हाथों होना चाहिये। काफी बोर्ड को काफी के बड़े-बड़े व्यापारियों के प्रभाव से अलग रखा जाना चाहिये। देश के हित में इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

नारियल-जटा उत्पादों का निर्यात कम मात्रा में होने के बावजूद उनसे काफी आय हुई है। इनके निर्यातक नई मशीनें लगाना चाहते हैं। एक केन्द्रीय मंत्री ने दूसरे सदन में कहा था कि वे नारियल उद्योग में मशीनें लगाने के पक्ष में नहीं हैं फिर भी नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की बजाय अधिक लाभ कमाने के लिए भारत सरकार, नारियल जटा बोर्ड और केरल सरकार ने मिल कर अन्धाधुंध मशीनीकरण आरम्भ कर दिया है। नारियल जटा उद्योग का संकट मजदूर वर्ग का संकट है। इस वर्ग की समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए अन्यथा 15 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा कमाने वाला यह उद्योग नष्ट हो जायेगा।

कच्चा काजू आयात करने में कठिनाई हुई है, फिर भी काजू गिरी के निर्यात की स्थिति उत्साहवर्धक रही है। पर भारतीय काजू निगम ने, जो कच्चा काजू आयात करने के लिए उत्तरदायी है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। इसी कारण अनेक कारखाने बन्द हो गये हैं और हजारों गरीब मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अनेक मार्किट अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित की जो पूर्णतः विदेश मार्किट सर्वे रिपोर्टों की चोरी हैं। इन रिपोर्टों से गोपनीय सूचनाएं खुले आम ली गयी हैं और उन्हें बिना किसी हवाले के भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के बाजार सर्वे रिपोर्टों में ज्यों की त्यों छापा गया है। यह कार्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के उपमहानिदेशक श्री वी० बिठल बाबू के निर्देशन में हुआ जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात और अनियमितताओं के अनेक मामले हैं। श्री बिठल बाबू तथा सचिव श्री आई०एन० टण्डन के खिलाफ सार्वजनिक जांच होनी चाहिए और आवश्यक हो तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता भी ली जाये।

आयात और निर्यात में संतुलन बनाये रखा जाना चाहिए अन्यथा आयात बढ़ता जायेगा और निर्यात घटता जायेगा जिससे विकट स्थिति पैदा हो सकती है।

वाणिज्य मंत्रालय की मांगों के संबन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
11	1	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	क्यूबा के साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।

1	2	3	4	5
11	2	श्री सी०के०चन्द्रप्पन :	नारियल जटा, हथकरघा, काजू और मछली उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
11	3	,,	प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की आवश्यकता।	,,
11	4	,,	हथकरघा सामग्री से तैयार सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात बढ़ाने के लिए तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता।	,,
11	5	,,	केरल में कन्नानौर में हथकरघा डिजाइन सेंटर के कार्य का विस्तार और विशाखीकरण की आवश्यकता।	,,
11	6	,,	क्रेप कपड़े के लिये बाजार टूट जाने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग के समक्ष उपस्थित वर्तमान संकट का सामना करने हेतु उसे उदार वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
12	11	,,	नारियल जटा, काजू और हथकरघा जैसे परम्परागत निर्यात प्रमुख उद्योगों के स्थिरीकरण के लिए उदार वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
12	12	,,	केरल में हथकरघा उद्योग के क्रेप उत्पादों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता।	,,
12	13	,,	काजू उद्योग के स्थिरीकरण के लिए तथा श्रमिकों को पूरे वर्ष काम देने हेतु केरल को पर्याप्त मात्रा में काजू की कच्ची गिरी सप्लाई करने में असफलता।	,,
12	14	,,	रुग्ण चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
12	15	श्री सी०के०चन्द्रप्पन :	छोटे कांफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
12	16	,,	निर्यात व्यापार का सरकारीकरण करने की आवश्यकता।	,,
12	17	,,	हथकरघा उत्पाद में किस्म नियंत्रण लागू करने हेतु कड़े उपाय करने की आवश्यकता।	,,
12	18	,,	हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित सामान की तरह का सामान तैयार करके अस्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करने से बिजली-चालित करघा उद्योग को रोकने की आवश्यकता।	,,
12	19	,,	हथकरघा कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय मजदूरी नीति लागू करने की आवश्यकता।	,,
11	20	श्री सरजू पाण्डेय :	विदेश व्यापार की व्यवस्था की कमियों को दूर करने में असफलता।	,,
11	21	,,	भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने में असफलता।	,,
11	22	,,	रूई उत्पादकों के हितों की रक्षा करने में भारतीय रूई निगम की असफलता।	,,
11	23	,,	हथकरघा और शक्ति-चालित करघा उद्योग की अवन्नति।	,,
11	24	,,	भारतीय दस्तकारी को प्रोत्साहन देने में असफलता।	,,
11	25	,,	जूट उद्योग में गिरावट को रोकने में जूट कारपोरेशन की असफलता।	,,
12	26	श्री रामावतार शास्त्री :	विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।

1	2	3	4	5
12	27	श्री रामावतार शास्त्री :	देश की कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
12	28	,,	चाय बागानों और विदेशी चाय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
12	29	,,	विदेशी चाय कम्पनियों के लाभ को देश से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता।	,,
12	30	,,	निजी उद्योगपतियों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी कपड़ा मिलों के प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाने में असफलता।	,,
12	31	,,	समस्त विदेश व्यापार उन देशों के साथ करने में असफलता जो रुपए में भुगतान स्वीकार करते हैं अथवा ऐसे सभी भारतीय सामान का आयात करते हैं जो उन देशों को निर्यात के लिए और उनसे आयात के लिए उपलब्ध हैं।	,,
12	32	,,	क्यूबा के साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने में असफलता।	,,
12	33	,,	सभी हथकरघा बुनकरों को काम दिलाने तथा उन्हें उचित मूल्य पर सूत की अपेक्षित मात्रा देने में असफलता।	,,
12	40	,,	अभ्रक व्यापार में मंदी रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
12	41	,,	अभ्रक खानों तथा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
12	42	,,	अभ्रक की चोर बाजारी तथा तस्करी रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
12	43	श्री रामावतार शास्त्री :	अभ्रक के निर्यात के लिये सभी समाजवादी देशों से समझौता करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
12	44	,,	कपास उत्पादकों को कपास के उचित मूल्य दिलवाने में असफलता।	,,
12	45	,,	कपास के व्यापार में घोर मंदी रोकने में असफलता।	,,
12	46	,,	मोटे कपड़े की बिक्री के लिये और अधिक दुकानें खोलने की आवश्यकता।	,,
12	47	,,	विदेश व्यापार में चल रहे भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी को रोकने में विफलता।	,,
12	48	,,	बिहार में सरकारी क्षेत्र में कपड़े के कारखाने खोलने की आवश्यकता।	,,
12	49	,,	बिहार में सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र में चलने वाले कपड़ा और सूत कारखानों में व्याप्त गड़बड़ी को रोकने की आवश्यकता।	,,
12	50	,,	बिहार काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फुलवारी शरीफ को विस्तार के लिये और अधिक स्पिण्डल बढ़ाने की इजाजत देने की आवश्यकता।	,,
12	51	,,	जूट उत्पादकों को मुनासिब मूल्य दिलवाने में असफलता।	,,
12	52	,,	करघा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिये देश भर में समान मजदूरी तै करने में विफलता।	,,
12	53	,,	प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
12	54	श्री रामावतार शास्त्री :	शराब और विलास की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबिन्ध लगाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
12	55	,,	आम, केला और लीची के निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
12	56	,,	कपड़े की चोर बाजारी रोकने में असफलता।	,,
12	57	,,	कण्ट्रोल दर पर बिकने वाले कपड़े में होने वाली चोरबाजारी एवं गोल-माल को रोकने में विफलता ।	,,
12	34	श्री सी० जनार्दनन :	छोटे और मध्यम उद्योगपतियों तथा समुद्री उत्पादों के निर्यातकर्ताओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
12	35	,,	वस्तु बोर्डों को और अधिक अधिकार देने में असफलता।	,,
12	36	,,	विदेशी और भारतीय एकाधिकारियों को समुद्री उत्पादों के निर्यात में प्रवेश करने से रोकने में असफलता ।	,,
12	37	,,	निर्यात और आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
12	38	,,	विदेशी चाय और रबड़ बागानों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
12	39	,,	रुग्ण कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
12.	58.	,,	राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने में नई आयात नीति की असफलता ।	,,
12	59	,,	राज्य व्यापार निगम को पुनर्गठित करने तथा पुनः सक्रिय बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।

1	2	3	4	5
12	60	श्री सी० जनार्दनन :	समाजवादी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
12	61	,,	भारतीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता।	,,
11	62	श्री दीनेन भट्टाचार्य :	पटसन और कपड़ा उद्योग को सरकारी अधिकार में लेने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
11	63	,,	अपने उत्पादों को निर्यात करने वाले बड़े देशी और विदेशी टायर निर्माता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
11	64	,,	अधिकारी बोझिल प्रशासन बनाये रखना।	,,
11	65	,,	समूचे देश में कपास के समान मूल्य की नीति लागू न करना।	,,
12	66	श्री मनोरंजन हाजरा	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
12	67	,,	कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
12	68	,,	आयात और निर्यात के संबंध में विपरीत व्यापार संतुलन को रोकने में असफलता।	,,
12	69	,,	चाय, कहवा, नारियल जटा और काजू उद्योगों में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने में असफलता।	,,
12	70	,,	छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	,,
12	71	,,	हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने में असफलता।	,,

श्री एस० सुदर्शनम (नरसारावपेट): मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही मंत्री महोदय और उनके कर्मचारियों को वर्ष के दौरान बहुत अच्छा कार्य करने के लिए बधाई

देता हूं। पर निर्यात क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के बावजूद, व्यापार संतुलन में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का घाटा है। इसका कारण दैवी विपत्तियां, सूखा और विभिन्न अन्य कठिनाइयां हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के इस दौर में विश्वव्यापी विभिन्न कारणों से निर्यात के लिए बहुत अच्छा वातावरण तैयार हो गया है। तथापि निर्यात में वृद्धि करने हेतु हमें कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन करना होगा इसके बिना हम अधिक सामान निर्यात नहीं कर पायेंगे। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अब कल जारी रखें।

***महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद**

MAHARASHTRA-KARNATAKA BOUNDARY DISPUTE

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : : महाराष्ट्र और कर्णाटक के लोग कल संसद के समक्ष प्रदर्शन करने वाले हैं तथा वे प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे, प्रधान मंत्री जी ने अपने 8 दिसम्बर, 1973 के पत्र में कहा था कि यह मामला गृह मंत्री के विचाराधीन है और सीमा-विवाद का संतोष-जनक हल ढूंढने के लिये शीघ्र पहल करेंगे। इसके बाद जब हमने देखा कि इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो 29 दिसम्बर 1973 को संसद में सभी विरोधी दलों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया। इस ज्ञापन को सत्ताधारी दल का भी अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात्, इस सभा में आरंभ हुई आधे घण्टे की चर्चा के दौरान गृह मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि --जिसका प्रधान मंत्री ने भी बाद में समर्थन किया था--हम कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद को शीघ्र हल करने का प्रयास करेंगे तथा संसद के आगामी आम चुनावों से पहले ही हर हालत में इस समस्या का समाधान हो जायेगा। यह बहुत ही अहम मामला है। इसे आम चुनावों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसे चुनावों से पहले ही निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए।

हमें प्रायः महाजन आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दिया जाता है। सरकार ने जो संकल्प इस आयोग के गठन के लिये स्वीकार किया उससे स्पष्ट है कि इस आयोग का प्रतिवेदन कोई पंचाट नहीं होगा अपितु किसी भी अन्य साधारण आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के समान ही इसकी सिफारिशें होंगी। पर सरकार और संसद को इनमें परिवर्तन करने का अधिकार है। आशा है कि महाजन आयोग के प्रतिवेदनों को पंचाट न मानकर केवल सिफारिशें मात्र माना जायेगा। सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में कुछ सुदृढ़ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर इस प्रकार के मामलों को निपटाया जा सके। इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा तथा भाषायी आधार पर झगड़ा खड़ा करने वालों को भी शान्त किया जा सकेगा। वास्तव में जितनी आप इन सिद्धान्तों का विकास करने के कार्य में विलम्ब करेंगे ऐसी समस्यायें उतनी ही अधिक उलझेंगी और इससे देश की एकता को नुकसान पहुंचेगा।

---

*आधे घंटे की चर्चा

Half-an-Hour Discussion

महाजन आयोग ने विवाद के निपटारे के लिए जिन सिद्धान्तों या मानदण्डों को अपनाया है वे चौंकाने वाले हैं। कासेरगोडे के बारे में उसका कहना है कि चूंकि इस क्षेत्र से कर्नाटक का समर्थन करने वालों ने लगातार तीन बार विधानसभायी स्थान जीता है इसलिए इसे कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। उसने 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव जीता। तथाकथित इन्दिरा लहर के समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। जहां तक महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों का संबंध वहां महाराष्ट्र एकीकरण लहर थी और यही कारण था कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में श्री बलवन्त सैनिक ने चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। कासरगौड के संबंध में लोगों की इच्छाओं को चुनाव में निर्णय के रूप में माना गया। बेलगांव के मामले में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बार-बार विजय के बावजूद भी इस प्रश्न की पूरी तरह से उपेक्षा की गई।

जहां तक तुलनात्मक बहुमत का संबंध है, 1951 की जनगणना में बेलगांव में मराठी आबादी 51 प्रतिशत से अधिक थी किन्तु बाद में कतिपय छावनी क्षेत्रों तथा कस्बों को बिछाने से मराठी आबादी 46 प्रतिशत रह गयी किन्तु फिर भी बेलगांव जैसे क्षेत्रों में मराठी भाषी आबादी सबसे अधिक है किन्तु इसके बावजूद भी बेलगांव तथा कारवार सूपा और अन्य क्षेत्र महाराष्ट्र में नहीं मिलाये गये। इस संबंध में भौगोलिक समानता, परस्पर बहुमत तथा जनता की इच्छाओं जैसे महत्वपूर्ण आधार होने चाहिएं। कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि भारत सरकार ने संभवतः निर्णय ले लिया है कि बेलगांव शहर कर्नाटक का अंग बन जायेगा और जहां तक अन्य गांवों का संबंध है कुछ समंजन किया जायेगा। सारी समस्या बेलगांव की है और जब कासरगौड में जनता की इच्छाओं को माना गया है तो बेलगांव के संबंध में जनता की इच्छाओं की कैसे उपेक्षा की जा सकती है।

इस बात का बार-बार उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। किन्तु केवल वे दोनों इसका समाधान नहीं ढूंड सकते। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लगभग एक हजार सदस्यों के समक्ष महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति और विपक्षी दलों के नेताओं की सलाह लिये बिना केन्द्र को मैं कोई वचन नहीं दूंगा। वे अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केन्द्र को भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति, जो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषी लोगों की प्रति निधि संस्था है, की शक्ति को मानना पड़ेगा। अतः इस समिति की राय लेनी पड़ेगी। द्विभाषी बम्बई के समय भी अन्ततः यही हुआ कि जब जनता संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाने के पक्ष में थे तो गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की इच्छाएं सबसे ऊपर रहीं। अतः मुख्य मंत्रियों पर यह निर्णय छोड़ना ठीक नहीं है और इसी प्रकार ही इस समस्या का समाधान हो सकता है।

बेलगांव और अन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जो देश के पुनर्निर्माण में योगदान देना चाहते हैं किन्तु उनका कहना है कि जब तक ये छोटी-छोटी समस्याएं हैं और जब तक लोग आपस में लड़ रहे हैं तब तक वे पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। वे नहीं चाहते कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग आपस में लड़ें। अतः राष्ट्रीय एकता के हित में तथा दोनों क्षेत्रों को देश के राजनीतिक जीवन के प्रवाह के साथ-साथ जाने के लिए इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है क्योंकि इस मामले के साथ-साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ने शिक्षा संस्थानों का निर्माण तथा आर्थिक विकास कार्य-लम्बित रखा हुआ है। यहां तक कि स्वीकृत धनराशियां भी खर्च नहीं होती हैं। एक बार केन्द्रीय सरकार

ने किसी छोटी सिंचाई परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार को अनुदान दिया। चूंकि यह क्षेत्र विवाद-पूर्ण था। तो इस सीमाक्षेत्र में यह धनराशि खर्च नहीं की गई क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि बाद में यह क्षेत्र कहां जायेगा। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास लम्बित रखा गया।

अतः राष्ट्रीय एकता, जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं, दृढ़ सिद्धांतों तथा इन सीमावर्ती क्षेत्रों के जो भारत के अंग हैं तेज आर्थिक विकास की दृष्टि से इस विवाद को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : प्रधान मंत्री की इस घोषणा पर देश ने प्रसन्नता व्यक्त की। तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित इस सीमा विवाद के संतोषजनक समाधान के लिए पहल करेंगे और लोगों को यह आशा थी कि उचित तथा मान्य सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान होगा। फिर गत वर्ष आधे घंटे की चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रगति हो रही है और समाधान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब श्री रेड्डी भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं मुझे आशा है कि वर्तमान गृह मंत्री इसका समाधान करेंगे। विवादग्रस्त क्षेत्र के लोगों ने तब संतोष की सांस ली जब यह स्पष्टरूप से कहा गया कि 1976 के संसदीय चुनावों के काफी पहले ही इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला जायेगा। तनाव तथा अनुरक्षा को समाप्त करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने काश्मीर जैसी समस्याओं का समाधान किया है और उनमें इस समस्या का समुचित समाधान करने की क्षमता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ऐसे क्षेत्रों को क्यों रखना चाहती है जहां के लोग कर्नाटक में रहना नहीं चाहते हैं।

तत्कालीन गृह मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि वे इस समस्या के समाधान के लिए सम्बद्ध संसद सदस्यों को विश्वास में लेंगे अतः मैं वर्तमान गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक के इन सीमावर्ती क्षेत्रों के संसद सदस्यों को इस समस्या से सम्बन्धित बातचीत में शामिल करने के लिए प्रयास किया जायेगा क्योंकि जब हम जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम उनकी इच्छाओं तथा भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं मुझे आशा है कि सरकार जनता की भावना का आदर कर शीघ्र निर्णय लेगी।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : यह चर्चा दिनांक 20-11-74 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 के इस उत्तर से उत्पन्न हुई कि समुचित समाधान के लिए जो अधिकांशतः मान्य होगा, प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार का उत्तर देने का यह आम तरीका है। हम यह मानते हैं कि ऐसा समाधान होना चाहिए जिसे अधिकांशतः सभी माने किन्तु स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार अन्य अवसरों पर भी अस्पष्ट उत्तर दिये गये। तत्कालीन गृह मंत्री ने हमें बताया था कि पहले, विशेषरूप से महाराष्ट्र यह चाहता था कि महाजन आयोग की सिफारिशें अन्तिम होनी तथा बाध्य होनी चाहिएं किन्तु ये मानी नहीं गई। अब गृह मंत्री से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है। जहां तक निर्णय लिये जाने में समय का सम्बन्ध है, कोई विवाद नहीं है। निर्णय कभी भी लिया जाये इससे कोई अन्तर नहीं आता है। किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि आयोग की सिफारिशों को कुछ अन्य कारणों से न माना जाये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। यह पहला पंचाट नहीं है। यह प्रतिवेदन श्री महाजन ने काफी परिश्रम से तैयार किया है। यह 2240 पृष्ठों में है। इसमें महाराष्ट्र-केरल विवाद पर आयोग को दिये गये ज्ञापनों की भी सूची दी गई है जो 1292 पृष्ठों में है। आयोग के समक्ष जिन व्यक्तियों और संगठनों ने साक्ष्य दिया है वे भी प्रतिवेदन में दिये गये हैं जो 3218 पृष्ठों में है। यह असाधारण कार्य है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ कारणों से महाजन रिपोर्ट में संशोधन किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि बेलगांव का दावा नहीं माना गया है और महाराष्ट्र राज्य को इसके स्थानान्तरण की सिफारिश नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इस समस्या का समाधान किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है।

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद इतना सर्वविदित है कि बार-बार उसे उठाया गया है। 19 अगस्त, 1974 तक गृह मंत्री यह कहते रहे हैं कि वे महाजन रिपोर्ट में संशोधन कर रहे हैं। क्या इसमें संशोधन राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है क्योंकि कर्नाटक एक छोटा राज्य है जहां से 27 संसद सदस्य हैं जबकि महाराष्ट्र छः बड़े राज्यों में से एक राज्य है जिनका इस सभा में वस्तुतः बहुमत है। बेलगांव का मामला एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया है। मैं एक व्यापक प्रश्न उठा रहा हूं। यह मुख्य न्यायाधीश का प्रतिवेदन है, अब यह गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि इस पर निर्णय दें। वे जैसा भी चाहें निर्णय दें किन्तु उन्हें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कहनी चाहिए। यह बात कई राज्यों में हो सकती है। आज यह कर्नाटक में हो रही है। कल महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में हो सकती है। इस पर हमें आश्चर्य है। इसमें प्रश्न अधिकतम मान्यता का है। अतः यहीं से इसका आरम्भ होना चाहिए। खानपुर के सम्बन्ध में चूंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और जैसा मैं जानता हूं कि श्री सरदेसाई ने केवल इसी महाराष्ट्र के प्रश्न पर विधान सभा का चुनाव जीता है। खानपुर के बारे में निर्णय यह है कि खानपुर से इन गांवों को महाराष्ट्र में मिलाया जाना है। अतः क्यों न मतभेद को कम से कम किया जाये और श्री महाजन की सिफारिशों को थोड़ा-थोड़ा कर माना जाये। समस्याओं का अलग-अलग चरणों में समाधान किया जा सकता है। प्रो० दण्डवते ने श्री महाजन की रिपोर्ट की आलोचना की है। उन्होंने निर्वाचन परिणामों को निर्णय का आधार माना है। यदि यही आधार माना गया तो कोई भी राष्ट्रीय सीमा पक्की एवं सुरक्षित नहीं होगी और विवाद होंगे। अतः यह समाधान का आधार नहीं हो सकता है।

यह मानते हुए कि बेलगांव में महाराष्ट्री अधिक संख्या में हैं तो क्या हमारे ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं कि बेलगांव में सतारा या संगली की अपेक्षा महाराष्ट्रियों की अच्छी देख-भाल नहीं की जायेगी। भाषायी अल्पसंख्यकों का आयुक्त भी है। मैं भाषायी तथा अन्य सम्बन्धों को अधिक महत्व नहीं देता हूं। हमें प्रशासनिक सुविधा, वर्तमान डिवीजनल मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, तालुक मुख्यालयों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। 25 वर्ष के बाद अचानक हमें स्थानान्तरण की बात नहीं करनी चाहिए। इससे सारी व्यवस्था में गड़बड़ी हो जायेगी। अन्त में मैं व्यक्तिगत रूप से श्री उमाशंकर दीक्षित की आलोचना के लिए क्षमा चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री धामनकर कृपया केवल प्रश्न ही करें।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मेरे माननीय मित्र श्री नायक ने मेरे मामले में कारगर तर्क दिये हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्रियों ने जो तर्क दिया है उसमें ताकत है। निर्वाचन परिणाम भी हैं। यह मामला 15 वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि समस्याओं को लम्बित रख कर वे समाप्त नहीं हो जाती हैं। श्री नायक ने उचित ही कहा है कि इनको थोड़ा-थोड़ा कर चरणों में हल किया जा सकता है। दृढ़ निर्णय लीजिए और आप देखेंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो जायेगा। इनका समाधान कुछ सिद्धान्तों पर किया जाना चाहिए जो सभी लम्बित प्रश्नों पर लागू किये जाने चाहिए और समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान किया जाना चाहिए।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन एक पंचाट नहीं है। प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि यह प्रतिवेदन है और सरकार इसे अक्षरशः मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिन सिफारिशों को सरकार समझती है मानने योग्य हैं उन्हें मानती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कोल्हापुर और संगली तथा बेलगांव दोनों ओर ये धारणा हो गई है कि वे निम्न दर्जे के नागरिक हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की और लोग सोचते हैं कि कर्नाटक में मराठी स्कूल बन्द किये जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए किन्तु यह तभी हो सकता है जब उनके साथ समान व्यवहार किया जाये। भेद-भाव का व्यवहार राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से नष्टकारी तथा खतरनाक है।

माननीय गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समस्याओं का समाधान तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार कुछ सिद्धान्तों पर किया जाता है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भाई-भाई की तरह रहे और देश के विकास में सहायता दें।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : सभापति महोदय, यह मामला सभा में कई बार आया है। सभा यह जानती है कि राज्यों के बीच सीमा-विवाद काफी पेचीदे होते हैं और प्रायः ये विवाद भावनाओं से पूर्ण होते हैं। और इससे इनके गुणों पर विचार करने में बाधा पहुंचती है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्षेत्रीय परिषद् में कुछ अपत्तियां उठाई और बाद में इनके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न किये गये। स्वयं राज्यों में आपस में बातचीत के माध्यम से भी उन्हें हल करने का प्रयत्न किया गया। दोनों राज्यों की ओर से दो-दो व्यक्तियों ने मामले पर चर्चा की किन्तु दुर्भाग्य से इन प्रतिनिधियों ने वही बातें कही जो उनकी सरकारों ने कहीं थीं। महाजन आयोग की सिफारिशों को भी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया और इस सभा में यह कहा गया कि महाजन आयोग की जो सिफारिशें मानी जा सकती हैं वे मान ली जाए। जैसा कि 1970 अथवा उसके लगभग इस सभा में कहा गया था कि महाजन आयोग केवल सिफारिश कर सकता है किन्तु यह भी कहा गया कि इन सिफारिशों पर सरकार को यथा सम्भव विशेष विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं चाहती है और यदि सम्भव हुआ तो सरकार चाहती है कि समाधान व्यापक रूप से मान्य हो। कुछ प्रस्ताव बनाये गये और उन्हें सम्बद्ध सरकारों को भेजा गया किन्तु दुर्भाग्यवश हमेशा की तरह कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारें सहमत नहीं हुईं। वे अपनी पूर्व स्थिति पर दृढ़ रहीं। अतः श्री उमाशंकर दीक्षित प्रधान मंत्री तथा मैं ऐसे प्रयत्न करते रहे जो अधिकांशतः मान्य हों। ऐसे मामलों में यह आशा करना कठिन है कि मुख्य मंत्रियों में पूर्ण सहमति हो। तथापि हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम प्रयत्नशील रहें तथा सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों से कहें। यह भी सत्य है कि जनता की राय भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। स्वभवतः सरकारों अथवा मुख्य मंत्रियों को चर्चा में शामिल किया जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि यह भावना बनती है कि निर्णय के राजनीतिक उद्देश्य हैं अथवा किसी विशेष दल के दबाव के कारण है या प्रत्येक राज्य के संसद सदस्यों की संख्या के प्रभाव के कारण निर्णय किया गया है तो इससे हम और भी कठिनाइयों में पड़ जायेंगे। अतः इस समस्या का समाधान यथा सम्भव निष्पक्ष हो तथा राज्यों को अधिक से अधिक मान्य हो और जनता को उस पर विश्वास हो।

सभापति महोदय : श्री दण्डवते का प्रश्न यह है कि इस मामले में जनता के निर्णय को जिसे सभी जानते हैं, क्यों नहीं माना जाता है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस प्रकार के मामलों में विवाद-ग्रस्त क्षेत्र में जनमत को भी ध्यान में लाया जाना है। किन्तु यदि निर्णय चुनाव परिणामों पर आधारित किया जाना है तो मेरे विचार से इससे न केवल यहीं किन्तु अन्यत्र भी अधिक कठिनाइयां होंगी। गोआ की अलग बात है वहां जनमत था। यहां प्रत्येक ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि भाषा तथा अन्य विभिन्न कारणों से भावनाए पैदा की जाती है और यदि केवल निर्वाचन के आधार पर निर्णय लिये जाने हैं तो इससे न केवल इस क्षेत्र में व्यापक कठिनाइयां. . . (**व्यवधान**) होंगी किन्तु किसी समिति अथवा आयोग या चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में कोई नियम नहीं है। निसन्देह जनमत ध्यान में लाया जाना चाहिए। जसा कि मैंने पहले कहा था कि जहां तक महाजन आयोग की निष्पक्ष सिफारिशों का सम्बन्ध है उन्हें माना जाना चाहिए।

अतः हमारा यह प्रयत्न रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जो भी निर्णय किया जाये वह केवल राजनीतिक उद्देश्य पर आधारित न हों किन्तु इस समस्या का कुछ तर्कसंगत आधार हो।

आयोग ने कुल 868 गांवों में से, जिनका महाराष्ट्र ने दावा किया है, 264 गांवों को, जिनका क्षेत्रफल 656 वर्ग मील है तथा 2.81 लाख आबादी है और जहां 79 प्रतिशत मराठीभाषी लोग रहते हैं, स्थानांतरित करने की ठोस सिफारिश की है। कर्नाटक का दावा 528 गांवों का है। महाजन आयोग ने 247 गांवों को कर्नाटक स्थानांतरित की सिफारिश की है। इनका क्षेत्रफल 1368 वर्ग मील तथा आबादी 3.49 लाख है जिसमें 58 प्रतिशत कन्नड़ भाषी लोग हैं। मैं समझता हूं कि जैसा श्री नायक ने सुझाव दिया है इस समस्या का चरणों में समाधान किया जाना चाहिए। अच्छा यही है कि इस समस्या का समाधान हो जाये।

सबसे पहले उन क्षेत्रों को जिनके स्थानांतरण के बारे में महाजन आयोग ने सिफारिश की है, स्थानांतरित किया जाये। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है इस बारे में कोई गम्भीर विवाद नहीं है। आगे जो समंजन किया जाये वह इन क्षेत्रों की संलग्नता के आधार पर किया जाये। तीसरे में स्थानांतरण इस आधार पर किया जाये कि जिस क्षेत्र के स्थानांतरण को मांग की गई है वह मांग वहां के उन लोगों के द्वारा की जाये जो ज्यादा संख्या में उस भाषा को बोलते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं अथवा प्रशासनिक सुविधा पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमें पूरी आशा है कि इस आधार पर निर्णय अधिकांशतः मान्य होगा और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए समान होगा।

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में कुछ गलत समाचार इस बारे में प्रकाशित हो रहे हैं। मेरी अपील है कि निराधार कल्पनाओं एवं समाचारों पर विश्वास न करें। साथ ही यह भी निश्चित है कि चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, सभी जगह अल्पसंख्यक होंगे। क्षेत्रीय परिषदों में मुख्य मंत्रियों को यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की कुछ शिकायतें हैं कि उन्हें अवसर प्रदान नहीं किये जा रहे हैं, वहां विकास कार्य की प्रगति नहीं है तथा शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में उन्हें स्थान नहीं दिये जा रहे हैं और यहां तक कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा पाने का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यही बातें हैं जिनसे लोगों को उकसाया जाता है। अतः मेरा यह प्रयत्न रहा है और वास्तव में प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये और उनकी शिकायतों को दूर किया जाये। प्रत्येक राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अल्पसंख्यक हैं। अतः मेरी सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि वे इस मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाएं। मेरे विचार से इन

अल्पसंख्यकों को कुछ अवसर तथा सुविधाएं देने से उन्हें संतोष ही नहीं मिलेगा किन्तु मुख्य मंत्रियों को अधिक शक्ति भी मिलेगी। अतः मुख्य मंत्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को कोई शिकायत करने का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आप सभी को तथा अन्य सभी प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार सिवाय कतिपय सिद्धान्तों के किसी अन्य बात के आधार पर निर्णय नहीं करेगी। आप सभी ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सभी भाई-भाई की तरह रहें और राज्य के लाभ के लिए काम करें।

सभापति महोदय : आपने 'अगले चुनावों से काफी पहले' का उत्तर नहीं दिया। कई सदस्य इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) : हमारा यह प्रयत्न है कि इस समस्या का जितना शीघ्र हो सके समाधान हो (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : सभा अब कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 22 अप्रैल, 1975/2 वैशाख, 1897 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, April 22, 1975 Vaisakha 2, 1897 (Saka).

MGIPRRND—Sec II—25 LSS/75—8-9-75—200